वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report 2010 - 2011

Empowering change for a better tomorrow.

बैंक ऑफ़ इंडिया

रिश्तों की जमापूँजी

विषय सूची	पृष्ठ संख्या	CONTENTS	PAGE NO.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	1	Chairman & Managing Director's Statement	30
निदेशक रिपोर्ट	4	Directors' Report	33
कंपनी अभिशासन रिपोर्ट	59	Corporate Governance Report	59
तुलन-पत्र	78	Balance Sheet	78
लाभ एवं हानि खाता	79	Profit & Loss Account	79
लेखे पर टिप्पणियां	95	Notes on Account	95
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	121	Auditors' Report	121
बैंक की समेकित वित्तीय विवरणी	123	Consolidated Financial Statement of the Bank	123
बासल II (स्तम्भ 3) प्रकटीकरण (समेकित)	162	Basel II (Pillar 3) Disclosures (Consolidated)	162
वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	191	Notice of the Annual General Meeting	191
परोक्षी फार्म	197	Proxy Form	198
उपस्थिति पत्र	199	Attendance Slip	199
दृष्टिकोण, लक्ष्य वक्तव्य एवं गुणवत्ता नीति	200	Vision, Mission Statement and Quality Policy	200

निदेशक
Directors

आलोक मिश्रा
Alok K Misra
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

बी. ए. प्रभाकर
B. A. Prabhakar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

एन. शेषाद्री
N. Seshadri
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

तरुण बजाज
Tarun Bajaj

पी.के. पांडा
P.K. Panda

एम. एन. गोपीनाथ
M. N. Gopinath

प्रकाश पी. माल्या
Prakash P. Mallya

पी. एम. सिराजुद्दीन
P. M. Sirajuddin

डॉ. शांताबेन चावडा
Dr. Shantaben Chavda

हरविंदर सिंह
Harvinder Singh

के.के. नायर
K.K. Nair

सांविधिक लेखा परीक्षक
Statutory Auditors

सुंदरम एंड श्रीनिवासन
Sundaram & Srinivasan

अग्रवाल एंड सक्सेना
Agarwal & Saxena

शंकरन एवं कृष्णन
Sankaran & Krishnan

चतुर्वेदी एवं शाह
Chaturvedi & Shah

एल. बी. झा एवं कंपनी
L B Jha & Co

कर्णावत एंड कंपनी
Karnavat & Co.

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Government of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय

स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
फोन नं.: 66684444
वेबसाइट: www.bankofindia.co.in

HEAD OFFICE

Star House, C-5, `G' Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051. Phone: 66684444
E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in
Website: www.bankofindia.co.in

महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Information	
प्रस्तावित लाभांश	₹ 7/- प्रति शेयर (70%)	Proposed Dividend	₹ 7/- per share (70%)
लेखा बंदी	09.07.2011 से 14.07.2011	Book Closure	09.07.2011 to 14.072011
वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि एवं समय	गुरुवार 14.07.2011 3.30 P.M.	Date & Time of AGM	Thursday 14.07.2011 3.30 P.M.
वार्षिक सामान्य बैठक का स्थान	सर सीताराम एंड लेडी शान्ताबाई पाटकर कन्वोकेशन हॉल, 1 नाथीबाई ठाकरसी रोड, क्वीन्स रोड, फोर्ट, (चर्चगेट रेल्वे स्टेशन के करीब), मुंबई - 400 020	AGM Venue	Sir Sitaram and Lady Shantabai Patkar Convocation Hall, 1 Nathibai Thackersey Road, Queens Road, Fort, (Near Church Gate Railway Station), Mumbai - 400 020

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए आपके महान तथा लंबे समय से कार्यरत संस्था की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही हे।

हम नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, बीते वर्ष पर सरसरी नजर डालना शिक्षाप्रद होगा तथा आगे आने वाली चुनौतियों तथा अवसरों का जायजा मिलेगा।

वर्ष 2010 में वैश्विक वसूली और अधिक देशों को सम्मिलित करते हुए और शक्ति अर्जित की, परिपक्वता प्राप्त की तथा विस्तारित हुई। 2010 के प्रथम अर्धवर्ष में वसूली प्रक्रिया का अनिश्चय नवबंर 2010 के आरम्भ से जून 2011 तक जारी होने से यूएस डॉलर 600 बिलियन की परिमाणत्मक सुगमता का दूसरा अंश घोषित करने के लिए प्रेरित हुआ। विश्व के प्रमुख केन्द्रीय बैंकों जैसे फेड, ईसीबी तथा बैंक ऑफ़ इग्लैंड द्वारा सरल मौद्रिक उद्देश्य के क्रम में वैश्विक मंदी के दोहरे गिरावट से बचने के लिए 2010 में वैश्विक जीडीबी में सशक्त वसूली के लिए सहायक हुई।

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि की भविष्यवाणी के अनुसार 2010 में 5% वृद्धि की तुलना में 2011 में विश्व उत्पादन 4.4% तक रहेगा। विकासशील देशों के अंतर्गत "विकासशील एशिया" (चीन, भारत तथा एएसईएन-5) का विकास 2011 में 8.4% अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, विश्व व्यापार संस्था के अनुमान के अनुसार 2010 में 14.5% की उल्लेखनीय वृद्धि की तुलना में 2011 में 6.5% विकास की संभावना है। 2011 में वैश्विक कारोबार विकास में विकाशील अर्थव्यवस्था के अग्रणी रहने की संभावना है। नीतिगत मंच के रूप में जी-20 के सशक्तीकरण का भी वर्ष 2010 गवाह रहा। सशक्त, अनवरत तथा संतुलित वृद्धि के लिए जी-20 प्रतिबद्ध है जो भावी वैश्विक अर्थव्यवस्था का शगुन है।

यद्यपि प्रथम तीन तिमाहियों में 8.0% वृद्धि दर्ज करने के बाद 2010-11 की चतुर्थ तिमाही में 7.8% की सामान्य वृद्धि रही। केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्था (सीएसओ) के अनुमानित गणना के अनुसार 2009-10 में 0.4% की तुलना में दो वर्ष के अन्तराल में सामान्य मानसून ने कृषि में 6.6% वृद्धि की। संपदा क्षेत्र में उत्पादन की धीमी गतिविधि का अंदाजा अप्रत्यक्ष कर के महत्वपूर्ण वृद्धि से लगाया जा सकता है। 2010-11 में उच्च वृद्धि का कारण केवल घरेलू मांग ही नहीं रही बल्कि उसी तरह मजबूत बाहरी मांग भी समानान्तर चलती रही। 2010-11 में भारतीय निर्यात 37.6% बढ़ा। अप्रैल 2010 तथा मार्च 2011 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सूचकांक की वृद्धि भी प्रदर्शित हुई। 2010-11 के दौरान एफआईआईएस अन्तर्वाह लगभग यूएस डॉलर 20 बिलियन रहा।

उच्च वृद्धि के साथ 2010-11 के प्रमुख भाग में अर्थव्यवस्था उच्च स्तरीय मुद्रास्फिति की गवाह रही। मुद्रास्फिति रोकने के लिए मार्च 2010 के आरंभ से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 बार पॉलिसी दर में वृद्धि की। यद्यपि उधार दर पॉलिसी दर के अनुसार रहा। बैंकों ने 2010-11 में अपने ऋण पोर्टफोलियो में समुचित रूप से उच्च वृद्धि दर्ज की तथा अर्थव्यवस्था सशक्त मांग प्रभाव प्रदान की। बैंकिंग प्रणाली के लिए अग्रिम में 21.4% की वृद्धि हुई जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 20% वार्षिक लक्ष्य वृद्धि से अधिक है। यद्यपि जमाराशि वृद्धि में भारतीय रिज़र्व बैंक के 2010-11 हेतु 18% लक्ष्य में गिरावट आई तथा केवल 15.8% की वृद्धि रिकार्ड की। प्रतिरोधात्मक नकदी कमी की वजह से कम जमाराशि वृद्धि को विस्तारित अवधि के योगदान हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अपेक्षित 3 जी राजस्व नीलामी राशि से सरकार की पार्किंग अधिक रही।

वृद्धिशील क्रूड तथा उपयोगी वस्तु की कीमतें मुद्रास्फिति पर मांग दबाव सहित संलग्न हो गई जिसे पिछले कुछ महीनों में पाया गया तथा अर्थव्यवस्था का वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रवेश करने के प्रमुख पॉलिसी चुनौती के मुद्रास्फिति प्रबंधन के रूप में प्रस्तुत किया गया। मौद्रिक नीति उपायों तथा आधार रूप पभाव से अपेक्षित है कि मुद्रास्फिति स्तर को नीचे लाया जाए जिससे मिडीयम टर्म में उच्च वृद्धि गति बरकरार रहे। सशक्त लीड, विनिर्माण तथा सेवाओं के लिए संकेतक है, सामान्य मानसून की अपेक्षा है, दूरदर्शी मेक्रोइकोनॉमी प्रबंधन सहित युग्म बाह्य क्षेत्र में लचीलापन वर्ष 2011-12 को कार्य करने हेतु एक उज्ज्वल वित्तीय वर्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

2010-11 के दौरान, आपके बैंक ने 5 लाख करोड़ का समिश्र कारोबार के मील के पत्थर को पार कर लिया है। बैंक के वैश्विक कारोबार ने 28.41% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 5,14,040 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है। 31 मार्च 2011 को स्वदेशी कारोबार ₹ 4,18,110 करोड़ पर पहुँच गया और इसमें 26.02% की वार्षिक वृद्धि देखने को मिली। समुद्रपारीय कारोबार 39.87% तक बढ़कर ₹ 96,930 करोड़ तक पहुँच गया है। कठिन नकदी के वर्ष में आपके बैंक ने जमाराशि संग्रहण में अच्छी प्रगति दर्शाई है। बैंकिंग प्रणाली के 15.9% की वृद्धि की तुलना में आपके बैंक की जमाराशि वृद्धि 26.9% रही। इससे जमाराशि के बाजार हिस्सेदारी 4.18% से बढ़कर 4.58% हुई। अग्रिम क्षेत्र में भी, बैंकिंग सिस्टम ने 21.5% की वृद्धि दर्ज की जबकि आपके बैंक में यह वृद्धि 22.9% रही। 2010 में 4.03% की तुलना में 2011 में अग्रिम में हिस्सेदारी बढ़कर 4.07% हुई। पिछले वर्ष की की तुलना में ₹ 61,843 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2011 तक कासा जमाराशि बढ़कर ₹ 73,139 करोड़ रही। बैंक का ग्राहक आधार बढ़कर 45.05 मिलियन हुआ (वर्ष के दौरान 8.08 मिलियन ग्राहक जोड़े)।

तथापि सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु अधिवार्षिकी संबंधित भुगतानों के लिए प्रणाली द्वारा अधिदेशित उच्च प्रावधान, 2010-11 हेतु कुल लाभ 42.94% बढ़कर ₹ 2,489 करोड़ हो गया। यह उच्च लाभ बढ़ते 'एनआईएम' तथा एनपीए के गिरावट की वजह से रहा। घरेलू परिचालनों हेतु एनआईएम वित्तीय वर्ष 2011 में बढ़कर 3.31% हो गया जोकि 2010 में 2.92% था। वैश्विक स्तर पर वित्तीय वर्ष 2010 एनआईएम 2.51% था जो वित्तीय वर्ष 2011

में बढ़कर 2.92% हो गया। बैंक का सकल एनपीए दर 31 मार्च, 2010 के 2.85% की तुलना में 31 मार्च, 2011 में सुधरकर 2.23% रहा तथा शुद्ध एनपीए दर मार्च, 2010 के 1.31% से सुधरकर मार्च, 2011 में 0.91% रहा। वर्ष 2010-11 में न केवल एनपीए स्तर नीचे आया बल्कि बैंक ने प्रावधान कवरेज दर में महत्वपूर्ण सुधार किया। प्रावधान कवरेज दर में 31 मार्च, 2010 के 65.51% से 31 मार्च, 2011 तक 72.18% का दृष्यात्मक सुधार हुआ। कर्मचारी गुणवत्ता के मापन अनुसार, प्रति कर्मचारी कारोबार तथा प्रत्येक कर्मचारी सकल लाभ में भी वर्ष 2011 में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। पिछले वर्ष के ₹ 1,011 लाख से 31 मार्च, 2011 तक प्रति कर्मचारी कारोबार ₹ 1,284 लाख रहा, सकल लाभ प्रति कर्मचारी पूर्व वर्ष के ₹ 11.86 लाख से 31 मार्च, 2011 तक ₹ 17.89 लाख बढ़ा।

मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके बैंक के निदेशक मंडल ने इस वर्ष 70% लाभांश की घोषणा की है।

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान दीर्घकालिक वृद्धि हेतु कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात ग्राहक आधार में वृद्धि, सामाजिक जिम्मेदारी मोर्चे पर सेवाएं देने में, अंतर्राष्ट्रीय पहचान का विस्तार जैसी कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। कुछ पहलों को मैं बताना चाहूंगा -

वर्ष 2010-11 के दौरान प्रारंभ पहलें:

- त्वरित निर्णय सुनिश्चित करने तथा बाज़ार में बैंक को भी प्रतियोगी धार उपलब्ध कराने हेतु आपके बैंक ने अपने कारोबार प्रक्रिया संरचना का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बैंक के संपूर्ण कारोबार को दो स्थूल समूह में वर्गीकृत किया गया है। 'थोक व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूल' तथा नेशनल बैंकिंग समूह। बृहत कार्पोरेट, मध्य कार्पोरेट, एसएमई, खुदरा और ग्रामीण हेतु पृथक वर्टिकल्स तैयार किए गए। इन वर्टिकल्स की व्यवसायिक वृद्धि एवं सुविधा हेतु आपके बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान 12 एसएमई शहरी केंद्र, 5 खुदरा कारोबार केंद्र तथा 15 ग्रामीण ऋण प्रसंस्करण हब खोले। यह समस्त प्रसंस्करण केंद्र हमारे टर्नएराउंड समय को कम करने में सहायता करेंगे तथा हमारे परिचालनों को बढ़ाएंगे। वर्तमान वर्ष के दौरान भी ऐसे विशिष्ट केंद्रों को स्थापित करने की योजना है।
- बैंक ने परियोजना वित्त एवं सिंडिकेशन गतिविधि को पुनः सक्रिय करते हुए वर्ष 2011 में पुनः लागू किया। वित्तीय समापन ₹ 27,000 करोड़ की परियोजना लागत एवं ₹ 9,000 करोड़ की सिंडिकेशन ऋण से किया गया।
- आपके बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान 283 नई शाखाएं खोलीं जिससे घरेलू शाखा नेटवर्क 3490 हुआ। इसी प्रकार, 2010-11 में 605 नए एटीएम स्थापित किए गए हैं जिससे मार्च, 2010 के 820 से एटीएम की कुल संख्या अब 1425 हो गई है।
- आपका बैंक सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में अग्रणी रहा है। आपके बैंक ने 18 लाख नो-फ्रिल खाते खोले जिसकी संख्या 50 लाख खातों तक पहुंच गई है। बैंक ने 100% वित्तीय समावेशन पूरा कर लिया है। बैंक ने 41 रूडसेटी स्थापित किए हैं। रूडसेटी ने 14645 लोगों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया है।
- आपके बैंक ने मानव शक्ति आवश्यकता और उभरती कौशल आवश्यकताओं को पहचानते हुए अतिरिक्त 2896 स्टाफ सदस्यों की भर्ती की तथा 22644 वर्तमान स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया।
- कारोबार को बढ़ाने तथा ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक ने कई नए उत्पाद और योजनाएँ शुरू की, जैसेः
  - o बीओआई किसान साथी - सांझे बंटाईदार एवं काश्तकार कृषकों के लाभ हेतु लक्षित
  - o "जय जवान" सैलरी प्लस योजना - रक्षा कार्मिकों हेतु वेतन से जुड़ी ऋण योजना
  - o स्टार सुरक्षा एसबी प्लस - दुर्घटना से मृत्यु पर ₹ 50,000/- का निःशुल्क बीमा सहित लाभ।
  - o स्टूडेण्ट्स एटीएम सह-डेबिट कार्ड- "बिंगो" का मुख्य उद्देश्य युवाओं की खरीदारी संबंधी जरूरतों को पूरा करने तथा एटीएम के माध्यम से नकद आहरण की सुविधा उपलब्ध कराना है।

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में अपने विविध कार्यनिष्पादन हेतु कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इनमें से कुछ है :

- इकॉनामिक टाइमस तथा नीलसेन कंपनी के 2010 के सर्वे में सर्वाधिक विश्वसनीय ब्राण्डों की श्रेणी में द्वितीय तथा टॉप सर्विस ब्राण्ड में आठवां स्थान।
- दलाल स्ट्रीट द्वारा एफई-ईवाय मोस्ट एफिसिएन्ट पब्लिक सेक्टर बैंक अवार्ड 2010 ।
- श्रेष्ठ कारोबार समर्थता पहल श्रेणी में आईबीए से अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रौद्योगिक पुरस्कार 2010 का विजेता पुरस्कार।
- केवीआईसी उधार के अंतर्गत पीएमईजीपी के लिए श्रेष्ठ बैंक, पश्चिम अंचल के लिए अगस्त 2010 में राष्ट्रीय पुरस्कार।

बैंक में नए संगठनात्मक संरचना के कार्यान्वयन से वर्ष 2010-11 सही तौर पर 'टर्नएराउन्ड का वर्ष' रहा। कारोबार समूह तथा वर्टिकल्स की संरचना से विभिन्न कारोबार समूह पर विशेष ध्यान केन्द्रीत किया जा रहा है। सेवा उन्मुख उद्योग में मानव शक्ति के महत्व को पहचानते हुए बैंक ने बड़ी संख्या में स्टाफ की भर्ती की है तथा प्रशिक्षण दिया है।

ग्राहक की प्राप्ति और नये उत्पाद एवं सेवाएं प्रारंभ करने से प्रोत्साहन मिला है। इन्हे आने वाले वर्षों में जारी रखा जाएगा और बैंक को इसका लाभ मिलेगा।

बैंक निरंतर विकास के लिए और अपने बाजार शेयर में सुधार के लिए सुदृढ़ स्थिति में है।

वर्ष 2011-12 के दौरान आगे बढ़ते हुए, नई शाखाएं खोलने और अतिरिक्त एटीएम स्थापित करते हुए बैंक की, ग्राहकों में पहुँच बढ़ेगी। आपका बैंक वर्ष 2011-12 के दौरान कृषि, एसएमई और मध्य कारपोरेट कारोबार बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। समावेशीय प्रगति को महत्व मिलता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, न्यूज़ीलेंड, युगांडा, कनाडा और बोट्स्वाना के रूप में चार नए केन्द्र जुड़ेंगे।

हमारे बैंक को निदेशक बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार से अत्युत्तम समर्थन और बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलता रहा है। हमारे ग्राहकों, शेयरधारकों ने हम पर पूरी आस्था रखी है। यह परिणाम और विकास हमारे प्रतिबद्ध स्टाफ सदस्यों के अथक मेहनत के बिना संभव नहीं था। मैं, बैंक की ओर से, तथा अपनी ओर से सभी पणधारकों को धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में आपसे निरंतर प्रश्रय और समर्थन की आशा रखता हूँ ।

शुभकामनाओं सहित,

ए. के. मिश्रा

(आलोक मिश्रा)

दिनांकः 6 जून, 2011

निदेशक रिपोर्ट

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मण्डल, अंकेक्षित लेखा विवरण और नकदी प्रवाह विवरण सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें

वित्तीय मानदण्ड

- परिचालनगत लाभ ₹ 5,384 करोड़।
- शुद्ध लाभ ₹ 2,489 करोड़। पिछले वर्ष की तुलना में 42.94% की वृद्धि दर्ज हुई।
- पूँजी पर्याप्तता अनुपात पिछले वर्ष (बासल II के अंतर्गत) के 12.94% की तुलना में 12.17% रहा।
- निवल मालियत ₹ 15,500 करोड़। मार्च 2010 की तुलना में 24.43% की वृद्धि हुई।

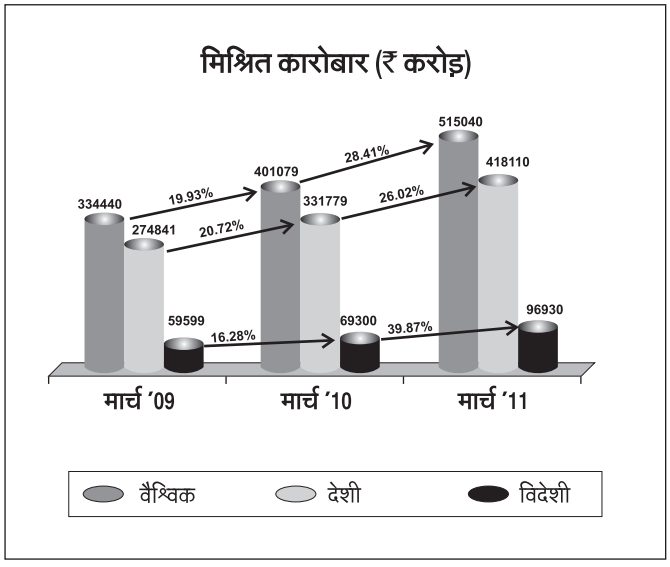

- प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 283.24 (पिछले वर्ष ₹ 236.84)
- 31.03.2011 को सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 2.23%
- 31.03.2011 निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 0.91%
- बैंक का कुल कारोबार (जमा + अग्रिम) ₹ 5,15,040 करोड़ पर जा पहुंचा, इस प्रकार इसमें ₹ 1,13,961 करोड़ (28.41%) की वृद्धि दर्ज हुई। देशी कारोबार में 26.02% की वृद्धि हुई और यह ₹ 418110 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया।
- बैंक की कुल जमा राशियॉ ₹ 69,124 की वृद्धि के साथ ₹ 2,98,886 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई अर्थात् 30.08% की वृद्धि हुई। स्वदेशी जमाराशियों में 28.68% की वृद्धि हुई और ये ₹ 2,52,963 करोड़ तक पहुँच गई। स्वदेशी जमाओं में कम लागत वाली जमाओं का हिस्सा 31.03.2011 को 29.18% है।
- बैंक का कुल सकल ऋण 26.17% वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 2,16,154 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें स्वदेशी ऋण में 22.16% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹ 1,65,147 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया।
- शुद्ध समायोजित बैंक ऋण का 46.27% भाग प्राथमिकता क्षेत्र उधार का रहा और शुद्ध समायोजित बैंक ऋण में कृषि ऋण का हिस्सा 16.76% रहा।

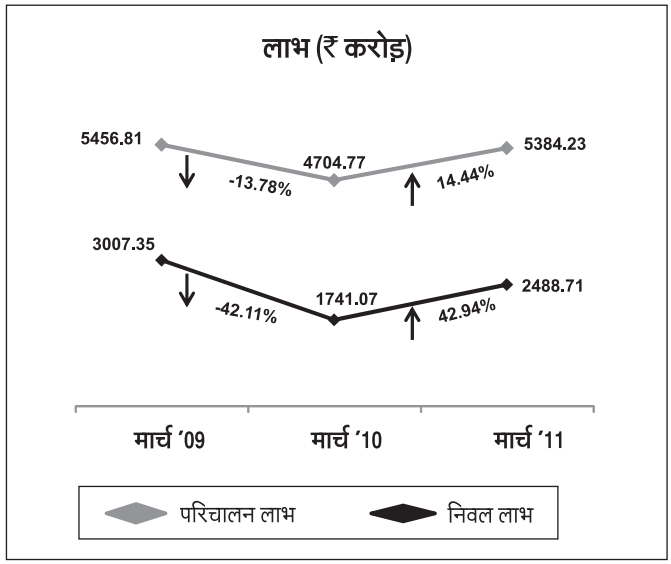

- एसएमई क्षेत्र का ऋण ₹ 29,568 करोड़ से बढ़कर ₹ 35,586 करोड़ हो गया, जिसमें 20.35% की वृद्धि दर्ज की।
- खुदरा ऋण में 5.70% की वृद्धि हुई, जो ₹ 15,750 करोड़ से बढ़कर ₹ 16,649 करोड़ हो गया।
- पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात ऋण में ₹ 898 करोड़ अर्थात 13.53% वृद्धि दर्ज हुई।

नये उत्पाद एवं सेवाएं

- विदेशी केन्द्रों पर एनआरई/एनआरओ खाते खोलने के लिए एनआरई ग्राहकों के लिए वेलकम किट की शुरूआत।
- बचत बैंक खातों में ब्याज का परिकलन 1 अप्रैल, 2010 से मासिक उत्पाद से दैनिक उत्पाद आधार में परिवर्तित किया गया है।
- बैंक ने अपनी वेबसाइट क्षेत्रीय भाषा मराठी में शुरू की है।
- वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश तथा सिफारिशों के अनुसार बैंक की कार्पोरेट वेबसाइट (अंग्रेजी) विकलांग व्यक्तियों के योग्य बनाई गई है।
- बैंक ने बचत बैंक पास बुक (होरिजेंटल फार्मेट) का नया फार्मेट प्रारंभ किया है, जो वर्तमान फार्मेट (वर्टिकल फार्मेट) जहॉ दो पृष्ठों पर विवरण मुद्रित होते हैं, उसकी तुलना में उसी पृष्ठ पर लेन-देन के विवरण मुद्रित करेगा।
- भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की आवश्यकतानुसार बैंक पास बुक एवं खातों के विवरण पर हेल्प लाईन नंबर मुद्रित करेगा।
- बैंक ने नामे सह-एटीएम कार्ड के लिए इन्स्टा-पिन जारी करना प्रारंभ किया है। इससे ग्राहक की रि-पिन प्राप्त न होने की शिकायतें दूर होंगी और साथ ही रि-पिन सृजित करने और मेल भेजने के प्रयास और खर्च में बचत होगी।
- डायमंड ग्राहकों को खाते का तिमाही समेकित विवरण पीडीएफ फार्मेट में ई मेल के माध्यम से भेजा जाता है।
- धोखाधड़ी निवारण के उपाय के रूप में एसएमएस अलर्ट - स्टार संदेश सृजित किया जाता है और सभी ग्राहकों को जिन्होंने सभी डिलीवरी

चैनल से (इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम/पीओएस) सभी नामे लेन-देन, ₹ 25,000/- और उससे अधिक के सभी नामे समाशोधन लेन-देन, ग्राहक प्रवृत्त सभी नामे अंतरण एवं ₹ 10,000/- और उससे अधिक के नकद भुगतान, ₹ 10,000/- और उससे अधिक के सभी नामे ईसीएस लेन-देन, सभी नामे आरटीजीएस लेन-देन और चेक बुक जारी करने के निवेदन स्वीकार करने पर पावती के लिए बैंक के पास मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड कराये हैं।

- इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को ऑन लाईन मीयादी जमा करने की सुविधा।
- इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का उपयोग करने वालों के लिए हॉट लिस्टिंग/ रिसेट/अनलॉक/नामे सह एटीएम कार्ड पिन बदलने की सुविधा।
- वार्षिक कर विवरण देखना (फार्म 26 ए एस)
- स्टार ई ट्रेड - ऑन लाईन शेयर ट्रेडिंग - गुप्ता इक्विटी के साथ एकीकरण।
- बैंक का नामे सह-एटीएम कार्ड रखने वाले ग्राहकों के लिए ऑन लाईन ई-भुगतान की सुविधा का विस्तार किया गया है। इससे ग्राहक क्रेडिट कार्ड एवं इंटरनेट बैंकिंग खातों के अलावा अपने डेबिट कम एटीएम कार्ड का ई भुगतान के लिए उपयोग कर सकेंगे।
- डिलीवरी चैनल के नवीनतम विकल्प के रूप में मोबाइल बैंकिंग सुविधा आरंभ की गई है जो वस्तुतः ग्राहकों को किसी भी समय कहीं से भी मोबाइल फोन की सुविधा से बैंकिंग गतिविधियों को स्वीकार करती है। यह सुविधा सभी खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को दी गई है और इसमें जमा शेष पूछताछ, अंतिम पॉच लेन-देन, चेक की स्थिति, निधि अंतरण एवं मोबाइल भुगतान जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
- बैंकों के बीच स्टार कनेक्ट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से आरटीजीएस/एनईएफटी के उपयोग से ऑन-लाईन निधि अंतरण।
- आटो पे के लिए बीओआई स्टार ई भुगतान या विभिन्न उपयोगी सेवाओं/ बिलों का ऑन-लाइन भुगतान।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के लिए ई भुगतान।
- शेयरों में व्यापार के लिए स्टार ई-शेयर व्यापार।
- ई-भाड़ा भुगतान।
- विदेशी व्यापार लाइसेंस फीस महानिदेशक (डीजीएफटी) का ऑन लाइन भुगतान।
- रेल्वे एवं हवाई जहाज की टिकटों की ऑन लाईन बुकिंग।
- शिक्षा ऋण के लिए ऑन लाइन आवेदन।
- किसी भी डीपीओ में खाता रखने वाले खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक द्वारा आईपीओ निर्गमों के लिए अवरूद्ध आवेदन की बोली सह आवेदन पत्र (आसबा) ऑन लाइन करने की सुविधा।

कारोबार पहल

- विकास की महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक नया महत्वाकांक्षी लक्ष्य संकल्प 10,000 आरंभ किया है। इसके तीन आधार स्तम्भ है ग्राहक प्रथम, विजेता टीम का निर्माण एवं श्रेष्ठ कार्य निष्पादन प्रेरणा संस्कृति।
- संकल्प परियोजना के अंतर्गत सितंबर 2010 में बैंक के संगठनात्मक संरचना की पुनः रूपरेखा तैयार की गई है। प्रत्येक कारोबार खण्ड पर और ध्यान केन्द्रित करने के लिए स्पष्ट रूप से कारोबार का दो अलग समूहों में विभाजन किया गया है, जैसे कि (क) नेशनल बैंकिंग समूह और (ख) थोक और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह। बैंक के दो कार्यपालक निदेशक इन दो समूहों के प्रमुख हैं।
- नेशनल बैंकिंग समूह (प्रधान कार्यालय) - नेशनल बैंकिंग समूह (प्रधान कार्यालय) में ग्रामीण बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, खुदरा बैंकिंग और एसएमई बैंकिंग कारोबार इकाई का समावेश है।
- थोक एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह (प्रधान कार्यालय) थोक एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह में बृहत कार्पोरेट बैंकिंग, मध्य कार्पोरेट बैंकिंग, परियोजना वित्त, लेन-देन बैंकिंग, अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग और कोषागार सम्मिलित हैं।
- मध्य कार्पोरेट और बृहत कार्पोरेट शाखाओं के सभी खातों की संबंधित शाखा आरएसएम के साथ व्यवस्था की गई है।
- सोलह ग्रामीण ऋण प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी) बेलगॉव, उज्जैन बाराबंकी, मेहसाना, लुधियाना, कराड, अमलापुरम, तंजावुर, बारासत, हरदोई, सातारा, नादियाद, रत्नागिरी, नासिक, सोलापुर में आरंभ किए गए हैं।
- बृहत और मध्यम किसानों तथा उच्च ऋण गुणवत्ता वाली बड़ी संस्थाओं को लक्ष्य बनाकर 19 अंचलों में कुल मिलाकर 40 केन्द्रीभूत जिलों को अभिनिर्धारित किया गया है।
- 5 अभिनिर्धारित अंचलों अर्थात बेंगलोर, चण्डीगढ़, मुंबई दक्षिण, नई दिल्ली और पुणे में 14.01.2011 को पायलट आधार पर पॉच नये खुदरा कारोबार केन्द्र खोले गए हैं।
- 14 दिसंबर, 2010 को अहमदाबाद, कोयम्बत्तूर, कोलकाता, लुधियाना और पुणे में पॉच एसएमई सिटी सेन्टर खोले गए थे, उसके बाद से बेंगलोर, चण्डीगढ़, हैदराबाद, नई दिल्ली और वड़ोदरा में पॉच और एसएमई सिटी सेन्टरों ने कार्य करना प्रारंभ किया है।
- एर्नाकुलम, अंधेरी और सीप्झ में मध्य कार्पोरेट शाखाएं खोली गई हैं।
- 10 मध्य कार्पोरेट सीपीसी ने कार्य करना आरंभ किया है।
- मुंबई (नरीमन प्वाइंट) और हैदराबाद में बृहद कार्पोरेट शाखाएं खोली गई हैं।
- सर्जन ट्रैक और अग्रता की निगरानी के लिए अग्रणी प्रबंधन प्रणाली (बिक्री दल स्वचलन) को पुनः परिवर्तित किया गया है।
- वित्तीय समावेशन को बैंक सामाजिक उद्देश्य के रूप में मानता है और इसे कार्यान्वित करने के अभियान के रूप में सभी बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को उन तक ले जा रहा है, जो इन सेवाओं से वंचित हैं। वित्तीय समावेशन की प्राप्ति के प्रथम प्रयासों में अब तक नो-फ्रिल खाते खोलना था और तदनुसार बैंक ने 50.07 लाख नो-फ्रिल खाते खोले हैं।
- बैंक, हैंड हेल्ड डिवाइस का उपयोग करते हुए शुरू से लेकर अंतिम आधार तक सूचना प्रौद्योगिकी समाधान भी कार्यान्वित कर रहा है। बैंक ने 6.01 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए/खोले हैं।
- परियोजना वित्त और समूहन समूह : यह तकनीकी मूल्यांकन के सौंपे गए कार्य, हामीदारी और ऋण के समूहन की जिम्मेदारी लेता है। वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 26,901 करोड की परियोजना लागत और ₹ 9,008 करोड़ के सामुहिक ऋण के साथ 11 वित्तीय समापन किए गए। कैलेंडर वर्ष 2010 के

लिए ब्लूमबर्ग लीड टेबल के अनुसार बैंक ऑफ़ इंडिया ने समूहन के बीच छठवाँ स्थान प्राप्त किया।

- बैंक ने खण्ड की विशिष्ट कारोबार आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए नये एसएमई वर्टिकल निर्मित किए हैं, जिसके महाप्रबंधक प्रमुख हैं। ₹ 100 करोड़ तक के टर्नओवर के साथ सभी कारोबार गतिविधियों को शामिल करने के लिए एसएमई कारोबार के लिए और अधिक समावेशी परिभाषा दी गई है। यह वर्टिकल न केवल ऋण, बल्कि कासा, खुदरा कारोबार, शुल्क आधारित आय और एसएमई खण्ड में तीसरे पक्ष के उत्पादों की वृद्धि को भी देखेंगे।
- डिलीवरी चैनल के नवीनतम विकल्प के रूप में मोबाइल बैंकिंग सुविधा आरंभ की गई है जो वस्तुतः ग्राहकों के किसी भी समय कहीं से भी मोबाइल फोन की सुविधा से बैंकिंग गतिविधियों को स्वीकार करती है। यह सुविधा सभी खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को दी गई है और इसमें जमा शेष पूछताछ अंतिम पाँच लेन-देन, चेक की स्थिति, निधि अंतरण एवं मोबाइल भुगतान जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
- एनआरआई ग्राहकों से संबंधित कुछ गतिविधियों को केन्द्रीकृत करने के लिए वैश्विक धन-प्रेषण केन्द्रों की स्थापना की गई है जो यथाशीघ्र उत्पादों की सुपुर्दगी करेंगे और सक्रिय विपणन योजना एवं शिकायत निवारण तंत्र का कार्य भी शीघ्र कर सकेंगे।

पुरस्कार एवं प्रशंसाएं :

- बैंक ऑफ़ इंडिया को वर्ष 2009 के लिए बैंकिंग प्रौद्योगिकी में अपने कार्य-निष्पादन की पहचान को श्रेष्ठ कारोबार योग्य बनाने की पहल के वर्ग में आईबीए से अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग टेक्नालॉजी अवार्ड 2010 के लिए विजेता पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- दलाल स्ट्रीट द्वारा एफई-ईवाय मोस्ट एफिसिएन्ट पब्लिक सेक्टर बैंक अवार्ड 2010
- बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई उत्तर अंचल को राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से तृतीय पुरस्कार।
- बैंक ऑफ़ इंडिया को राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए महाराष्ट्र राज्य स्तर बैंकर्स समिति से प्रोत्साहन पुरस्कार।
- केवीआईसी उधार के अंतर्गत पीएमईजीपी के लिए श्रेष्ठ बैंक, पश्चिम अंचल के लिए अगस्त 2010 में बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार।
- बैंक को इकॉनॉमिक टाइम्स/नीलसेन कंपनी के सर्वे में निम्नानुसार "सर्वाधिक विश्वसनीय ब्रॉंड" (एमटीबी) 2010 के रूप में श्रेणीकृत किया गया।
  - पीएसयू बैंकिंग वर्ग के अंतर्गत - एसबीआई के बाद 2 रा
  - शीर्ष सेवा ब्रॉंड के अंतर्गत - 8 वां

वित्तीय समीक्षा

वित्तीय कार्य-निष्पादन

बैंक ने ₹ 5384.23 करोड़ का परिचालन लाभ दर्ज किया (पिछले वर्ष ₹ 14.44%) की वृद्धि निवल लाभ ₹ 2488.71 करोड़ रहा। (पिछले वर्ष ₹ 42.94% करोड़)।

मिश्र कारोबार में 28.41% (₹ 401078.83 करोड़ से ₹ 515040.06 करोड़) के सुदृढ़ कारोबार वृद्धि के कारण निवल ब्याज आय में 35.70% की वृद्धि हुई। गैर-ब्याज आय में 0.96% की वृद्धि हुई और पिछले वर्ष के 71.34% की तुलना में परिचालनगत 52.12% व्यय कवर हुआ।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सारांश निम्नलिखित है :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	5,755.94	7,810.69	35.70
गैर ब्याज आय	2,616.64	2,641.77	0.96
परिचालन व्यय	3,667.81	5,068.24	38.18
परिचालन लाभ	4,704.77	5,384.23	14.44
प्रावधान/आकस्मिकताएं	2,963.70	2,895.52	-2.30
निवल लाभ	1,741.07	2,488.71	42.94
प्रति शेयर अर्जन (₹)	33.15	47.35	42.84
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	236.84	283.24	19.59
औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ (%)	14.76	8.90	–
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.70	0.82	–

कुछ वित्तीय अनुपात नीचे प्रस्तुत किए गए है :

(प्रतिशत) (%)

मानदण्ड	2009-10	2010-11
अग्रिम पर आय	8.42	8.62
निवेश पर आय	7.46	7.59
निधियों पर आय	7.14	7.14
जमा राशियों की लागत	5.16	5.03
निधियों की लागत	4.84	4.57
निवल ब्याज मार्जिन	2.51	2.92
परिचालन व्ययों के प्रति गैर ब्याज आय	71.34	52.12
औसत कार्यशील निधि के प्रति अन्य आय	1.05	0.87
औसत कार्यशील निधि के प्रति परिचालन व्यय	1.47	1.66
औसत कार्यशील निधि के प्रति स्टाफ व्यय	0.92	1.14
औसत कार्यशील निधि के प्रति अन्य परिचालन व्यय	0.55	0.52
आस्ति उपयोग अनुपात	1.88	1.77
कुल आय के प्रति गैर ब्याज आय	12.77	10.83
निवल आय के प्रति गैर ब्याज आय	31.25	25.27
कुल आय के प्रति लागत	43.81	48.49

खण्डवार कार्य-निष्पादन

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने ₹ 5384.23 करोड़ का परिचालन लाभ अर्जित किया है। इसमें कोषागार का योगदान ₹ 371.38 करोड़ का रहा और अन्य बैंकिंग परिचालन से ₹ 5161.12 करोड़ का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2010-11 में अविनोज्य व्यय, अविनोज्य आय को कम कर ₹ 148.27 करोड़ रहा।

लाभांश

वर्ष के लिए ₹ 7 प्रति शेयर (70%) की दर से लाभांश घोषित किया गया। कुल लाभांश भुगतान की राशि ₹ 444.29 करोड़ है। (लाभांश वितरण कर सहित)

पूँजी

वित्तीय वर्ष 2010-11 में बैंक की मालियत ₹ 12456 करोड़ से बढ़कर ₹ 15499.5 करोड़ हुई। वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को प्रति ₹ 10 के, ₹ 474.07 प्रति शेयर के मूल्य पर 2,13,04,870 के इक्विटी शेयर अधिमानी आधार पर जारी किए गए, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 2009 के विनियम 76(1) (पूंजी निर्गम और आवश्यकता प्रकटीकरण) के अनुसार हुई असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया। इस खाते में बैंक को प्राप्त हुई राशि ₹ 1010 करोड़ है। परिणामस्वरूप भारत सरकार की शेयरधारिता 64.67% से 65.86% तक बढ़ गई है।

पूँजी पर्याप्तता

बासेल II फ्रेमवर्क के अनुसार वर्ष के दौरान पूँजी पर्याप्तता अनुपात 12.17% रहा जो कि नियामक आवश्यकता से 10% उच्चतर था।

पूँजी पर्याप्तता के विवरण निम्नानुसार दर्शाए गए हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण (बासल II के अंतर्गत)	31.03.2010		31.03.2011	
	राशि	सीआरएआर (%)	राशि	सीआरएआर (%)
टियर I पूँजी	13,725	8.48	17,047	8.33
टियर II पूँजी	7,218	4.46	7,867	3.84
कुल पूँजी	20,943	12.94	24,914	12.17
जोखिम भारित आस्तियॉ	1,61,857	–	2,04,762	–

उधार

बैंक ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए परपेचुअल एवं मिडियम टर्म नोट (एमटीएन) और ओवरसीज उधार के जरिये गौण ऋण सृजित किया है। वर्ष 2010-11के दौरान बैंक ने आईपीडीआई के इश्यू द्वारा ₹ 300 करोड़ एवं अपर टियर-II लिखत द्वारा ₹ 1000 करोड़ जुटाए हैं। बैंक ने ₹ 450 करोड़ के गौण टियर-II बॉन्ड का मोचन किया हैं।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

समग्र परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था परिदृश्य

वर्ष 2010, विश्व अर्थ व्यवस्था के लिए वर्ष 2009 के नकारात्मक 0.8% से 5% की वृद्धि के उछाल का साक्षी रहा है। 2010 में उन्नत और उभरते दोनों देशों में संवृद्धि संकट-पूर्व स्तर पर लौट आई। वर्ष 2010 में अभूतपूर्व मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन ने यूएस में संवृद्धि को संकट पूर्व स्तर तक आगे बढ़ाने में सहायता की। 2010 में जर्मनी और फ्रांस को छोड़कर यूरो क्षेत्र में संवृद्धि धीमी रही। उभरती हुई और उन्नतिशील अर्थ व्यवस्थाओं में वर्ष 2009 में जो संवृद्धि 2008 के 6.1% से घटकर 2.6% हो गई थी। 2010 में फिर से 7.1% की गति प्राप्त कर ली। 2010 के मध्य के दौरान वौश्विक वित्तीय बाजार की स्थितियों में सुधार होना प्रारंभ हो गया है। परंतु क्षेत्रीय तथा आंचलिक संवेदनशीलता अभी भी व्याप्त है। इक्विटी बाजार मजबूत हुआ है, अस्थिरता घटी है। यद्यपि, छोटे तथा मझोले आकार की कार्पोरेट फर्मों के लिए संस्थागत उधार में सुधार हुआ है और जोखिम मार्जिन मजबूत होना शुरू हो गई है। किंतु 2010 के बाद के हिस्से में यूरो क्षेत्र में फिर से सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण संबंधी जोखिम ऊपर आए हैं और परिणामस्वरूप सरकारी प्रतिभूतियों में उच्चतर लाभ मिला है।

2011-12 में वैश्विक अर्थ व्यवस्था की संभावना

खाद्य, तेल और वस्तुओं के उच्च मूल्य जो उभरते देशों के लिए चिंता का विषय रहा है, उसमें और विस्तार हुआ है और जिसके कारण सस्ती मुद्रा नीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है, जो विकसित देशों में भी जारी है। विकासशील और विकसित देशों द्वारा की गई मौद्रिक कार्यवाही के बावजूद 2011 में संवृद्धि की गति अन्य प्रतिवात पर भी निर्भर होगी। संक्षेप में जापान के कहर का विकास संभावना पर न केवल घातक प्रभाव पडेगा, बल्कि 2011 में वैश्विक आपूर्ति कड़ी में आगामी विघटन से कुछ मूलाधार प्रसंग दस्तक देंगे। मध्य पूर्व में राजनीतिक स्थिति परिवर्तनीय बनी रहेगी और सामाजिक अशान्ति के कारण महत्वपूर्ण उत्पादक ऑफ लाईन हो जाते हैं तो तेल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा यूरोप में सरकारी ऋण संकट बना रह सकता है। यह उम्मीद की जाती है कि वैश्विक आर्थिक संभावना सकारात्मक बनी रहेगी और संवृद्धि 2011 में धीमी रहेगी किंतु उन्नत और उभरती अर्थ व्यवस्था दोनों में स्थिर और संभाव्य वृद्धि दर के निकट होगी। 2011 में उन्नत और राष्ट्रों के उभरते समूह दोनों में वृद्धि की धीमी गति के साथ अनुमानित वैश्विक संवृद्धि 2010 के 4.4% की तुलना में धीमी रहेगी।

घरेलू अर्थ व्यवस्था परिदृश्य

भारतीय अर्थ व्यवस्था की संवृद्धि 2008-09 में 6.8% और 2009-10 में 8% से 2009-10 के अपने संकट पूर्व वृद्धि स्तर से बढ़कर 2010-11 में 8.6% हो गई। उस समय संवृद्धि का स्पष्ट आधार भी था। वर्ष 2010-11 में कृषि जिसने 0.4% की बहुत ही कम वृद्धि दर्शाई थी 2010-11 में सामान्य मानसून के कारण 5.4% के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया। उद्योग ने 2009-10 के 8% की तुलना में 2010-11 में 8.1% की अपनी गति को जारी रखा। सेवा क्षेत्र की संवृद्धि 2009-10 में देखे गए 10.1% से 2011 में सीमांत रूप से 9.6% तक घटी है। इसके अलावा 2010-11 में इस उच्च वृद्धि को न केवल घरेलू मांग से बल्कि समान रूप से मजबूत बाहरी मांग से भी समर्थन मिला। वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय निर्यात में 37.5% की वृद्धि हुई। वर्ष 2010-11 महत्वपूर्ण राजकोषीय समेकन के लिए उल्लेखनीय रहा। 2010-11 में कर और गैर कर राजस्व दोनों में प्रभावशाली वृद्धि ने बजट में दिए गए 5.5% राजकोषीय घाटे को 5.1% तक नियंत्रित रखने में सरकार की सहायता की। यह वर्ष महत्वपूर्ण विदेशी संस्थागत निवेशक प्रवाह का साक्षी रहा और अर्थ व्यवस्था में विदेशी संस्थागत निवेशकों की यूएस $ 23 बिलियन मालियत जुड़ी विदेशी संस्थागत निवेशकों के आगमन से अप्रैल 2010 और मार्च 2011 के दौरान सेंसेक्स 11% बढ़ा। निवेशकों के बीच भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के प्रति सकारात्मक विचार के कारण बैंकेक्स ने 24% की और भी ऊँचाई को छूआ।

उच्चतर संवृद्धि के साथ अर्थ व्यवस्था संपूर्ण वर्ष उच्च स्तर की मुद्रास्फीति की साक्षी रही। वर्ष 2010-11 के अधिकांश भाग में खाद्य मदों जैसे कि फल एवं सब्जियॉं और प्रोटीन प्रचुर खाद्य उत्पादों में कमजोर आपूर्ति समर्थन से मुद्रा स्फीति बनी रही और मौसम के उतार-चढ़ाव ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। मुद्रास्फीति लगातार उच्च स्तर पर होने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्काल मुद्रास्फीति रोकने और मुद्रास्फीति को निरूत्साहित करने के लिए अप्रैल 2010 के प्रारंभ से 8 बार नीति दर में वृद्धि करनी पड़ी। तथापि, मार्च 2011 के वास्तविक मुद्रास्फीति अंक भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति लक्ष्य 8% की तुलना में और भी उच्चतर 8.98% हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में तटस्थता का रूख अपनाया और वर्ष के दौरान डालर की तुलना में रुपये में 1.1% की मूल्य वृद्धि हुई। देश की आरक्षित विदेशी मुद्रा में यूएस$ 28 बिलियन की वृद्धि हुई और यह यूएस $ 305 बिलियन पहुंच गई। 2010-11 का चालू खाता घाटा, जिसका प्रारंभ में सकल घरेलू उत्पाद के 3% से अधिक का अनुमान था, अंतिम राजकोषीय तिमाही में दर्ज की गई अधिकतम निर्यात वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2.5% तक रुकने की उम्मीद है।

भारत की अर्थ-व्यवस्था संभावना

प्रगति की ओर अग्रसर, सरकार के पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान अर्थ-व्यवस्था ने 8.75% से 9.25% की श्रेणी के भीतर वृद्धि की संभावना है। मुद्रास्फीति में सहायक आपूर्ति समर्थन के अंतर्राष्ट्रीय दबाव जनवरी 2011 से घटने प्रारंभ हो गए हैं। तथापि, पिछले दो महीनों में मुद्रास्फीति पर देखे गए मांग समर्थन दबाव के चलते कच्चे तेल और वस्तुओं की बढ़ती दुगनी कीमत ने वर्ष 2011-12 में बनाए रखने लायक वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति प्रबंधन को प्रमुख बना दिया है। मूल मुद्रास्फीति, जो मांग समर्थन दबाव और मौद्रिक नीति निरूपण का मार्गदर्शन करती है, मार्च 2011 में 7.1% की वृद्धि हुई। हितकर आधारभूत प्रभाव के बावजूद मूल मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बने रहने के

मुख्य समाचार से तत्काल हॉकिश मौद्रिक नीति अवस्थिति तथा 2011-12 की अवधि के दौरान मूल नीति दर कम से कम 75 आधार अंक होने की संभावना है। मुद्रास्फीति को लगभग 6% के और अधिक संतुलित स्तर पर लाने तक उच्च ब्याज दर का सामना करना होगा। इस प्रक्रिया में कुछ आधार अंक 2011-12 में सिमट सकते हैं फिर भी 2011-12 के लिए दस्तक देने वाले संवृद्धि अंक 8% से अधिक होंगे जो व्यवसाय वृद्धि के लिए असीम संभावना उपलब्ध करायेंगे।

बैंकिंग क्षेत्र विकास और संभावना

उन्नत ब्याज दर परिदृश्य के बावजूद विशेष रूप से 2010-11 के बाद के हिस्से के दौरान संपूर्ण वर्ष के लिए 21.4% की ऋण वृद्धि पिछले वर्ष दर्ज की गई। वृद्धि और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अर्थ व्यवस्था की मजबूत वृद्धि के लिए निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक होगी। तथापि, जमाराशि में वृद्धि ऋण की गति से मेल नहीं खा सकती, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 18% के लक्ष्य के विरूद्ध पिछले वर्ष के 17.2% की तुलना में संपूर्ण वर्ष के लिए 15.8% तक की वृद्धि हुई। अपेक्षाकृत उच्च ऋण वृद्धि प्रदर्शित करते हुए 2010-11 में जमा-ऋण अनुपात 75.68% देखा गया, जो कि 2009-10 में दर्ज किए गए 72% की तुलना में अधिक है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में प्रणाली, एनडीटीएल के 1% के भारतीय रिज़र्व बैंक के सहज स्तर से कही अधिक चलनिधि की कमी की साक्षी रही। संरचनात्मक और फ्रिक्सनल घटकों ने चलनिधि की कमी में सहयोग दिया। वर्ष 2010-11 के दौरान चलनिधि की कमी को हलका करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई 2010 में एलएएफ की दूसरी खिड़की को खोला, जो 2010-11 के अंत तक परिचालन में थी और दिसंबर 2010 तक एसएलआर को 24% तक कम भी किया। मजबूत चलनिधि स्थिति के साथ नीति दर में दोहरी वृद्धि हुई, जिसके चलते वर्तमान वित्तीय वर्ष के बाद के हिस्से के आस-पास उधार साथ ही साथ जमा दर दोनों में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। तथापि, बैंक, 2010-11 की तीसरी तिमाही के लिए रिपोर्ट किए गए परिणामों में अपने एनआईएम संरक्षित कर सके।

बैंकिंग सेक्टर संभावना

फिच और मूडीज रेटिंग एजेंसियों के अनुसार 2011 में भारतीय बैंकों के लिए संभावना स्थिर बनी रहेंगी। स्थिर संभावना बैंकों के लिए सुलभ आस्ति गुणवत्ता संस्था, ऋण हानि आरक्षित स्थिति में सुधार, मजबूत पूँजी स्तर, मजबूत खुदरा जमाराशि आधार, सुदृढ़ चलनिधि और सरकार द्वारा सामान्य इक्विटी पूंजी में वृद्धि करने जैसी अनुकूल परिचालन स्थितियों दिखाई दे रही हैं। यद्यपि उधार दरों में वृद्धि हुई है, किन्तु निश्चित मजबूत मांग से बैंक 2010-11 में अपने ऋण पोर्टफोलियों में पर्याप्त रूप से उच्च वृद्धि दर्ज करेंगे। बैंकों की उधार गतिविधियाँ 2011-12 में दोहरे कारणों से तरणशील बनी रहेंगी।

पहला, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 2011-12 के लिए सामान्य मानसून की अपेक्षा कर रहा है। वर्ष 2011-12 में 20% तक कृषि के बढ़े हुए योजना आंबटन से ग्रामीण बुनियादी ढांचा तथा अन्य कल्याण संबंधी कार्य में सरकार के व्ययों में वृद्धि होगी परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में खुदरा ऋण की मांग बढ़ेगी तथा ग्रामीण आय में भी वृद्धि होगी। दूसरा, अतिरिक्त 2011-12 के केन्द्रीय बजट में यह घोषणा की गई है कि कृषि उत्पादन तथा कृषि आपूर्ति प्रणाली में वृद्धि हेतु अनेकों कदम उठाए जाएंगें। कृषि उत्पादन संबंधित गतिविधियों में वृद्धि हेतु 2011-12 में आधार भूत क्षेत्र हेतु ₹ 2,14,000 करोड़ का आबंटन है तथा उच्च स्तर पर बैंक वित्तपोषण की आवश्यकता होगी। तीसरा, सरकारी उधार 2011 में कम करने के लिए केन्द्रीय बजट की छलवाँ किया गया है। बजट में उल्लिखित राजकोषीय समेकन से निजी उद्यम के लिए निधि की उपलब्धता में वृद्धि होगी। चतुर्थ, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा उल्लिखित निर्यात में द्रुत वृद्धि से इस क्षेत्र में अतिरिक्त बैंक वित्त की संभावना निर्मित होगी। इसके अतिरिक्त विनिर्माण तथा सेवाएं दोनों में प्रधान संकेतक तथा कारोबार आत्मविश्वास सूचियां भी सशक्त घरेलू मांग की निरंतरता की ओर संकेतक है। इस प्रकार, वृद्धि, विनिर्माण, आधारभूत सुविधाएं, खुदरा तथा निर्यात क्षेत्र 2011-12 में ऋण के प्रमुख केन्द्र होंगे।

जमाराशि में 2010-11 में प्रतिरोधात्मक तरलता कम पायी गई जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अपने शेष नकदी में कमी कर सरकार ने इसे सुगम करना आरभ्म कर दिया है। बैंकों ने जमाराशि दरों में वृद्धि कर दिया है जिससे संरचनात्मक तरलता समस्या भी समाप्त हो रही है। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग प्रणाली में जमाराशि वृद्धि अच्छी होगी।

कारोबार समीक्षा

जमाराशियां

वर्ष के दौरान 30.08% वृद्धि दर्ज करते हुए बैंक की जमाराशि में ₹ 69,123.87 करोड़ से ₹ 2,98,885.81 करोड़ वृद्धि होगी। पिछले वर्ष के ₹ 28.68% वृद्धि की तुलना में घरेलू जमाराशियों में वृद्धि ₹ 56,378.47 करोड़ अथवा 28.68% थी।

बैंक की अनिवासी जमाराशियां ₹ 12,250 करोड़ रही जो सकल घरेलू जमाराशियों का 4.96% गठित करती हैं।

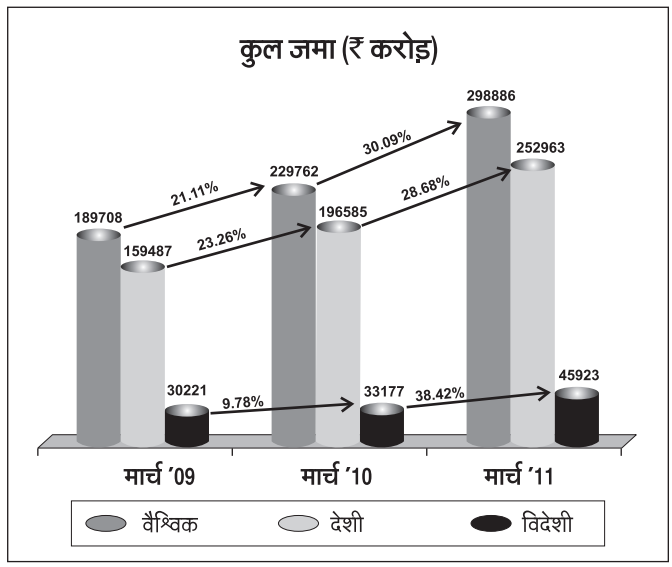

बचत बैंक जमाराशि में 22.93% वृद्धि हुई तथा चालू जमाराशि में प्रगति 2.43% रही। कुल देशी जमाराशियों के बचत तथा चालू जमाराशियों का कम लागत जमाराशियां 29.18% है।

बैंक के पास मार्च, 2011 के अंत तक विविध जमाराशियों का अच्छा आधार है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से देशी जमाराशियाँ 10% है, अर्धशहरी से 11%, शहरी से 17% तथा महानगरी क्षेत्रों से 62% है। बैंक का कुल ग्राहक आधार 45.05 मिलियन है जिसमें 42 मिलियन जमाकर्ता तथा 3.05 मिलियन उधारकर्ता है।

अग्रिम

बैंक के सकल देशी ऋण ने 31.03.2010 के ₹ 1,35,193.96 करोड़ से ₹ 1,65,147.16 करोड़ तक 22.16% की वृद्धि दर्शायी है। पिछले वर्ष वृद्धि दर 17.20% था। सुदृढ़ स्वीकृति/बृहद कार्पोरेट, मिड कार्पोरेट, एसएमई तथा कृषि क्षेत्र आधारित वृद्धि ने यह प्रगति दर्शायी।

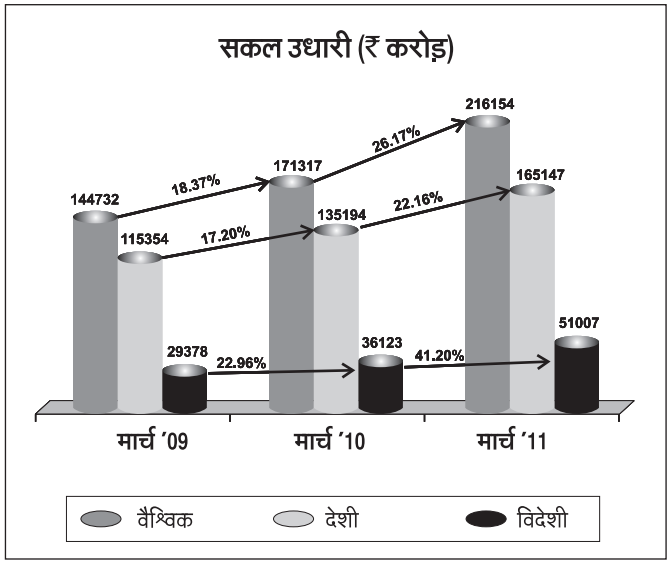

बृहद कार्पोरेट के अंतर्गत बैंक ने 187 खाते, 8 बृहद कार्पोरेट शाखाएं, 40 मिड कार्पोरेट शाखाएं तथा 4 देशी समुद्रपारीय शाखाएं कार्पोरेट उधारकर्ता/ निर्यातकों की विशेष ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहीं।

आधारभूत वित्त

वर्ष के दौरान आधारभूत कवरिंग ऊर्जा निर्माण, टेलेकम्यूनिकेशन, बंदरगाह, सड़कें, निर्माण ठेकेदार आदि के अंतर्गत बैंक ने निधि आधारित ₹ 12074 करोड़ तथा गैर-निधि आधारित ₹ 2093 करोड़ स्वीकृत किया है।

निर्यात ऋण

देशी मुद्रा तथा साथ ही साथ विदेशी मुद्रा में निर्यातक तथा आयातक ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में बैंक अत्यधिक सक्रिय रहा। देश में बैंक की 207 शाखाएं विदेशी विनिमय कारोबार तथा आयातकों एवं निर्यातकों की ऋण/विदेशी विनिमय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अधिकृत हैं। बैंक के निर्यात ऋण ने ₹ 898 करोड़ का निर्यात ऋण दर्ज किया है यथा मार्च, 2010 को 13.53% वृद्धि तथा 31 मार्च, 2011 तक ₹ 7533 करोड़ के स्तर तक पहुंच गई। निवल समायोजित बैंक ऋण से निर्यात ऋण का हिस्सा मार्च 2011 तक 4.55% था।

निर्यातकों तथा गैर-निर्यातकों की वित्तीय आवश्यकताएं बैंक के समुद्रपारीय शाखाओं तथा देशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा ऋण से ईसीबी के द्वारा पूर्ण की गई। 31.02.2011 तक इस अग्रिम की कुल राशि यूएसडी 1116.25 मिलियन (सीबी यूएसडी 130 मिलियन तथा विदेशी मुद्रा ऋण यूएसडी 986.25 मिलियन को मिलाकर) जो ₹ 4984.06 करोड़ के समकक्ष है। बैंक ने पोतलदान पूर्व तथा पोतलदान पश्चात ऋण को विदेशी मुद्रा में प्रदान किया तथा 31.03.2011 तक बकाया राशि यूएसडी 345.34 मिलियन है (₹ 1541.94 करोड़ के समकक्ष)।

परियोजना वित्त तथा समूहन समूह

बैंक के परियोजना वित्त तथा समूहन समूह में बैंक के अत्यधिक अनुभवी तथा निपुण कर्मचारी है। यह आधारभूत तथा औद्योगिक परियोजनाओं पर कार्य करता है।

यह तकनीकी मूल्यांकन, जोखिम अंकन तथा कर्ज के समूहन पर कार्य करता है। वित्तीय वर्ष 11 के दौरान परियोजना लागत ₹ 27,331 करोड़ सहित समापन किया गया तथा समूहन ऋण ₹ 9,353 करोड़ रहा। कलेंडर वर्ष 2010 के ले ब्लूमबर्ग लीड टेबल्स के अनुसार समूहन प्रसार में बैंक ऑफ इंडिया छठवें स्थान पर रहा।

वर्टिकल को मजबूत करने के लिए बैंक ने इंडस्ट्री से बहुअनुभवी इंजीनियरों तथा एमबीए योग्यता प्राप्त धारकों को नियुक्त किया जिससे बैंक के तकनीकी मूल्यांकन तथा समूहन टीम को सशक्त किया गया।

बहुमुद्रा अंतर्राष्ट्रीय समूहन ऋण हेतु मैनडेट लीड अरेन्जर (एमएलए) तथा ज्वाइंट बुक रनर (जीबीआर) के रुप में बैंक कार्य कर रहा है तथा यूएसडी, जेपीवाई, यूरो तथा जीबीपी मुद्रा में भारतीय कारपोरेटरों के लिए उनके विस्तार/अभिग्रहण तथा संयुक्त उद्यमों, व्यापक रेन्ज के उद्योगों को कवर करने के लिए ऋण की व्यवस्था की।

तकनीकी मूल्यांकन विभाग जो समूहन टीम की सहायता करती है वर्ष के दौरान समूहन ऋण के अतिरिक्त उद्योग ऋण का मूल्यांकन करता रहा। इस टीम में व्यावसायिक इंजीनियर वर्ष के लिए तकनीकी संबंधी जोखिम का मूल्यांकन किया जिससे बैंक औद्योगिक आस्तियों की गुणवत्ता को विकसित कर सका। इस विभाग के परिचालन से वर्ष के दौरान ₹ 19.34 करोड़ की फीस आधारित आय हुई।

खुदरा ऋण

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने स्वस्थ खुदरा तथा ऋण पोर्टफोलियों निर्माण की नीति का अनुशीलन किया। 2010-11 में मंदी से पहले अर्थव्यवस्था ने खुदरा ऋण के लिए प्रचुर अवसर प्रदान किया तथा बैंक का खुदरा ऋण पोर्टफोलियों ₹ 15,536 करोड़ से बढ़कर ₹ 16,649 करोड़ हो गया। इस अवधि के दौरान खुदरा ऋण के ढांचे को पुनः परिभाषित किया गया।

बैंक लगातार रिटेल हब परिकल्पना पर कार्य करता रहा तथा गृह ऋण, ऑटोफिन ऋण प्रस्तावों के प्रसंस्करण को तेज करने के लिए खुदरा कारोबार केन्द्रीय मॉडल में परिवर्तन किया। वर्ष के दौरान स्टार आवास ऋण, स्टार ऑटोफिन ऋण तथा स्टार व्यक्तिगत ऋण योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार/पीएसयू/पीएसई के कर्मचारियों के लिए एक विशेष योजना आरभ्म की जिसमें ब्याज दर तथा प्रसंस्करण प्रभार में छूट दी गई। आवास ऋण क्षेत्र में ₹ 537 करोड़ बढ़कर ₹ 6,496 करोड़ (मार्च, 2011) की तुलना में ₹ 7,033 करोड़ (मार्च, 2011) वृद्धि हुई। भवन निर्माताओं के साथ गठबंधन के लिए बैंक ने आधारभूत दिशानिर्देश तैयार किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड के भवन निर्माताओं से ही गठबंधन किया जाए इसलिए प्रतिष्ठित ट्रैक रिकॉर्ड के भवन निर्माताओं के साथ गठबंधन करने तथा नई प्रतिभाओं को ढूंढने का अधिकार आंचलिक प्रबंधक को दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विशेष रूचि वित्तीय सहायता योजना में बैंक भाग ले रहा है जिससे केन्द्रीय बजट की घोषणा अनुसार मध्य तथा निम्न आय वर्ग में आवास ऋण की मांग को प्रोत्साहित कर सके।

वर्ष के दौरान शैक्षणिक ऋण ने ₹ 1,720 करोड़ से ₹ 1,946 करोड़ की प्रगति करते हुए 13.14% का वृद्धि को दर्ज किया है। बैंक ने ब्याज आर्थिक सहायता योजना को अंगीकार किया है। जबकि शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के दौरान शैक्षणिक ऋण प्राप्त करनेवाले उधारकर्ता, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, वे भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय से शैक्षणिक ऋण ब्याज आर्थिक सहायता के नोडल बैंक के मार्फत पात्र हैं। बैंक स्टार शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करने का सिलसिला बनाएं हुए है। इस दिशा में आंचलिक विपणन टीमें लगातार स्थानीय संस्थाओं से गठबंधन व्यवस्था बनाए हुए है जिससे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तेजी से शाखाओं द्वारा पूर्ण किया जा सके।

वर्ष के दौरान ₹ 1048 करोड़ से ₹ 1133 करोड़ तक प्रगति दर्शाते हुए ऑटोफिन क्षेत्र में 24.27% की वृद्धि दर्ज की गई है। विभिन्न प्रतिष्ठित ऑटो विनिर्माता जैसे मारूति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुन्दाई मोटर्स, टीवीएस, हीरो होन्डा के साथ गठबंधन की कार्यनीति अनवरत ऑटोफिन पोर्टफोलियो में वृद्धि करते हुए स्वस्थ खुदरा कारोबार कर रहा है।

महत्वपूर्ण खुदरा ऋण योजना के संबंध में वृद्धि निम्नलिखित है :

योजना	31.03.2010 बकाया (₹ करोड़)	31.03.2011 बकाया (₹ करोड़)	वृद्धि	
			राशि (₹ करोड़)	%
स्टार आवास ऋण योजना	6,496	7,033	537	8.27
स्टार शैक्षणिक ऋण योजना	1,720	1,946	226	13.14
स्टार ऑटोफिन ऋण योजना	1,133	1,408	275	24.27

संकल्प 10,000 - एक नये शिखर की ओर .....

बैंक की पुनः संरचना

इसकी वृद्धि की अभिलाषा मन में संजोए हुए बैंक ने नया उत्साही दूरदर्शिता संकल्प 10,000 का आरभ्म किया है। यह एक विशाल रूपांतरण की प्रक्रिया है जिसमें संरचना, अनुकूलन, प्रक्रियाओं तथा कारोबार लक्ष्य की समीक्षा का ध्येय है। इस कार्य में शीर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार मेकिनसी एण्ड कंपनी को नियुक्त किया गया है जो अवसर, कार्यनीति प्रक्रियाएं, जोखिम प्रबंधन के उचित विकास की पहचान करेंगे तथा सर्वोपरि एक प्रभावी तथा ओजस्वी संस्थागत ढांचा का सलाह देगी जिससे आगामी समय में बैंक अनवरत वृद्धि सुनिश्चित करेगा।

संकल्प 10,000 के आधार यह तीन स्तंम्भ हैः

- **प्रथम ग्राहक** - ऋण केन्द्रस्थ मॉडल द्वारा ग्राहक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाते हुए, नए ग्राहकों को प्राप्त करते हुए तथा नई पहल से सारभूत परिवर्तन करना।
- **विजेता टीम निर्माण** - सर्वोत्तम कौशल तथा क्षमताओं द्वारा विविधतापूर्ण तथा लाभप्रद भावी विकास हेतु।
- **श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन चालित संस्कृति** - सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी समर्थित प्रभावशाली संसाधन, प्रणाली तथा नियंत्रण।

परियोजना संकल्प के अन्तर्गत सितम्बर 2010 में बैंक का पुनः डिजाईन किया गया जिसमें कारोबार के दो प्रमुख समूह बनाए गए यथा (क) नेशनल बैंकिंग समूह तथा (ख) होलसेल तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह जिससे कारोबार के प्रत्येक हिस्से पर और अधिक ध्यान दिया जा सकता है। इन दोनों समूहों के प्रमुख बैंक के दो कार्यपालक निदेशक हैं।

नेशनल बैंकिंग समूह (प्रधान कार्यालय) - नेशनल बैंकिंग समूह में निम्नलिखित कारोबारी इकाईयाँ समाविष्ट हैं :

- ग्रामीण बैंकिंग
- वित्तीय समावेशन
- खुदरा बैंकिंग
- एसएमई बैंकिंग

नेशनल बैंकिंग समूह महाप्रबंधक - नेशनल बैंकिंग में 5 महाप्रबंधक हैं जो देश के पांच भौगोलिक क्षेत्र केन्द्रीय, पूर्व, उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में विभाजित है। यह पांच नेशनल बैंकिंग समूह महाप्रबंधक अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं/अंचलों में ग्रामीण, खुदरा तथा एसएमई कारोबार का नेतृत्व करेंगे।

होलसेल तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह (प्रधान कार्यालय) - होलसेल तथा इन्टरनेशनल बैंकिंग समूह में निम्नलिखित कारोबार इकाईयां हैं :

- बृहद कार्पोरेट बैंकिंग
- मध्य कार्पोरेट बैंकिंग
- परियोजना वित्त
- ट्रांजेक्सन बैंकिंग
- अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग
- कोषागार

बहु श्रेणीयों सहित कार्यरत होने पर, बृहद कार्पोरेट तथा मध्य कार्पोरेट कारोबार में प्रभावशाली ढंग से व्यवसाय कायापलट समय (टीएटी) को कम करने तथा उच्चता स्रोत जुटाव रिश्ते को अधिकतम करने तथा फीस आधारित आय बढ़ाने के लिए भी वर्टिकल तैयार किए गए। बेहतर प्रबंधन के लिए ऋण स्त्रोत को ऋण मूल्यांकन तथा स्वीकृति को अलग किया गया।

कारोबार इकाई सम्पूर्ण कारोबार (एक सिरे से दूसरे सिरे तक) के लिए जिम्मेदार है न कि केवल संबंधित ग्राहक/कारोबार हिस्सा के केवल ऋण के लिए। यह दायित्व कारोबार इकाईयों के लाभप्रदता विस्तार तथा सभी प्रकार के बैंकिंग कारोबर से सम्मिलित है जो हैं, जमाराशि, अग्रिम, फीस आय, अन्य/तृतीय पक्ष उत्पाद बिक्री।

प्रमुख विशेषताएं

- एक शीर्ष स्तरीय सभा लवासा (पुणे के नजदीक) में आयोजित की गई जहां बैंक के 120 लीडरों ने एक स्वर में संकल्प-10,000 मिशन को प्राप्त करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाया।
- इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यनीति सभा 10 क्षेत्रीय केन्द्रों यथा अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली, पटना, बंगलुरू, पुणे, लखनऊ तथा मुंबई साथ ही साथ प्रधान कार्यालयों में आयोजित की गई।
- संस्था का नया ढांचा बनाया गया तथा सभी पांच भौगोलिक क्षेत्र (केन्द्रीय उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण) में नेशनल बैंकिंग महाप्रबंधकों को तथा साथ ही साथ नए निर्मित पद (परियोजना वित्त, ट्रांजेक्शन बैंकिंग) ने अक्टूबर 14, 2010 को प्रभार ग्रहण किया।
- सभी 3294 खातों को उनकी लक्ष्य शाखा में कुल बिक्री मानकों के आधार पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया जो संकल्प 10,000 लक्ष्य की प्राप्त करने की प्रमुख कार्यनीति है।
- देशभर में चयनित समूह की ग्रामीण/अर्द्धशहरी शाखाओं के अधिकारियों, प्रबंधकों तथा प्रमुख अवार्ड स्टाफ को संकल्प थीम के बारे में पूरी तरह जागरूक करने एवं उनमें नया जोश एवं उत्साह भरने हेतु नए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

ग्रामीण बैंकिंग

1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

अपने बृहद ग्रामीण तथा अर्ध शहरी शाखाओं के नेटवर्क तथा प्रतिबद्ध कर्मचारियों सहित बैंक हमेशा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र की सेवाओं में लीडर रहा है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बड़े कारोबारी अवसर के अतिरिक्त विस्तृत सामाजिक जटिलताएं भी हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ने ₹ 60,909 करोड़ का बकाया स्तर दर्ज किया है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 40% के निर्धारित मानदंड़ के विरूद्ध 46.27% समायोजित निवल बैंक ऋण है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 14300 करोड़ का वितरण बजट विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत बैंक ने निर्धारित किया है। इसके विरूद्ध मार्च 2011 तक बैंक ₹ 16,629 करोड़ वितरित कर सका है।

विभिन्न हिस्सों के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम की स्थिति निम्नलिखित हैः

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च तक		वृद्धि	
	2010	2011	राशि	प्रतिशत
1. कृषि	17,921	22,069	4,148	23.14
2. लघु उद्यम	25,810	31,297	5,487	21.25
3. शिक्षा	1,716	1,927	211	12.29
4. आवास	6,343	5,616	(727)	(11.46)
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	**51,790**	**60,909**	**9,119**	**17.60**

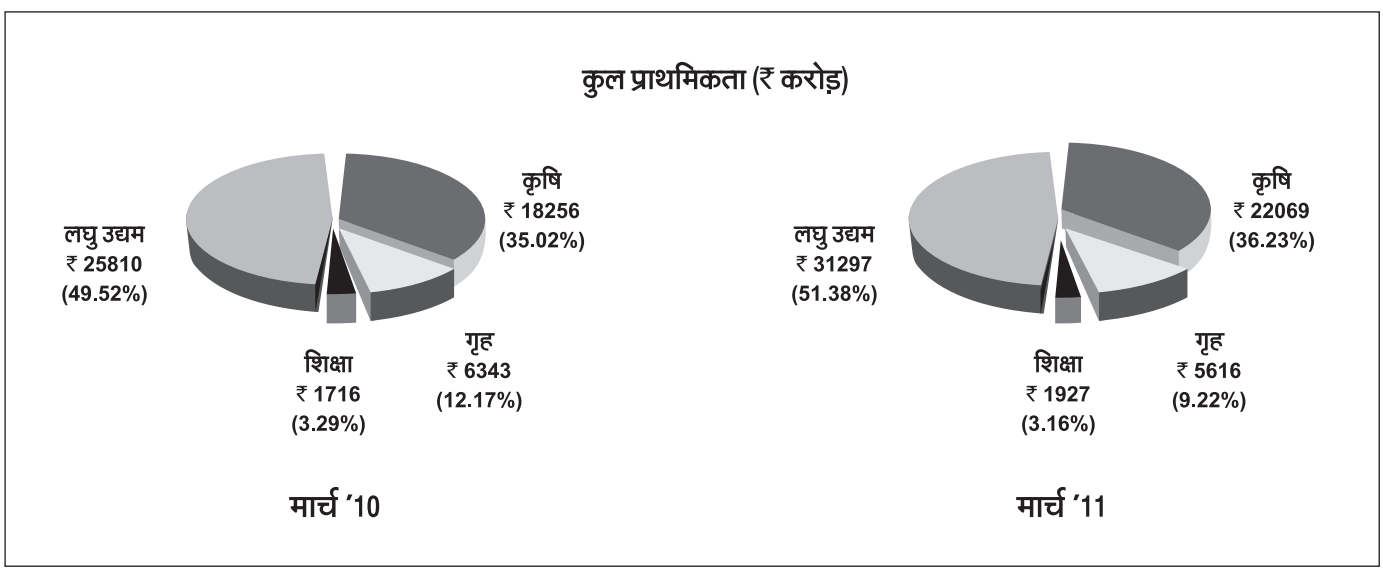

2. केंद्रित जिलों में केंद्रीय प्रसंस्करण केन्द्र

संकल्प 10,000 पहल के कार्यान्वयन के रूप में कृषि ऋण में वृद्धि के उद्देश्य सहित चयनित अंचलों में केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए गए। अब तक 15 सीपीसी खोले गए हैं तथा 35 और केन्द्रों को चालू वर्ष में खोलने की योजना है।

3. स्टार किसान साथीः

वर्ष के दौरान, बैंक ने नया उत्पाद स्टार किसान साथी का भी आरम्भ किया जिससे आसामी किसानों, बंटाईदाएं, भूमिहीन मजदूर योजना द्वारा गठित संयुक्त देयता समूहों को प्रायोगिक आधार पर चार अंचलों में कार्यान्वित किया गया। अब तक ₹ 6.23 करोड़ का वित्त 339 संयुक्त देयता समूहों को प्रदान किया गया।

4. किसान क्रेडिट कार्डः

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य कृषकों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के साथ ही साथ गैर-कृषि गतिविधियों सहित इस उद्देश्य के साथ है कि ऋण उपयोग के बारे में लचीली तथा परिचालनात्मक स्वतंत्रता मिल सके। वर्ष के दौरान बैंक ने कुल ₹ 2,188 करोड़ का 3,17,024 नया किसान कार्ड जारी किया। बैंक के पास केसीसी 8,62,815 सक्रिय कार्ड है।

5. ऋण अदला-बदलीः

बैंक ने नई योजना यथा 'ऋण अदला-बदली' डिज़ाईन की है जिसका उद्देश्य ऋणग्रस्त कृषकों को साहूकारों के बकाया देय से मुक्ति दिलाना है तथा अस्वाभाविक ब्याज दरों पर गैर-संस्थागत देनदारों से ऋण भार से उनके द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों को कम करना है। बैंक ने 146 गांवो को साहूकारी प्रथा से मुक्ति दिलाई है तथा 12000 से अधिक लाभार्थियों को वित्तपोषित किया है।

6. विभेदक ब्याज दरः

बैंक द्वारा कार्यान्वित निभेदक ब्याजदर (डीआरआई) योजना नाम के अंतर्गत उत्पादक उद्यमों हेतु चयनित कम आय समूहों को 4% की छूट दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है। इस योजना के अधीन 10,620 खातों में वर्तमान शेष ₹ 26.51 करोड़ है।

7. अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रमः

अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु केन्द्रित ध्यान सहित, बैंक विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियन तथा बौद्ध को वित्त प्रदान कर रही है। वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने विभिन्न समुदायों को 31.03.2011 तक ₹ 9,148 करोड़ वित्तपोषण किया। जिसमें 15.02% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम है।

8. व्यष्टि वित्त/व्यष्टि ऋण

वर्तमान में देश में गरीबी रेखा के नीचे 24 करोड़ व्यक्ति हैं। व्यष्टि ऋण योजना से अधिक स्व-नियोजन अवसर प्रदान कर तथा उन्हे ऋण योग्य बनाते हुए गरीबी स्तर से ऊपर उठाया जा रहा है।

बैंक ने ₹ 641 करोड़ एसएचजी/जेएलजी को उधार हेतु 29 व्यष्टि वित्तपोषण संस्थाओं को वित्तपोषण किया। ₹ 1,557 करोड़ के वित्तीय व्यय सहित 1,94,681 से अधिक एसएचजी ऋण संबद्ध बैंक के पास हैं। इनमें से 17,57,83S से अधिक महिला स्वंय सहायता समूह से संबद्ध हैं जिसमें बैंक का ₹ 1,897 करोड़ वित्तीय व्यय है।

9. सौर ऊर्जा आवास व्यवस्था प्रणाली

बिजली की समस्या से निपटने के लिए बैंक ने सौर ऊर्जा आवास बिजली प्रणाली की योजना को तैयार किया है। सौर ऊर्जा आवास बिजली प्रणाली की खरीद तथा संस्थापन के लिए भावी उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया है। ₹ 15 करोड़ के वित्तीय व्यय सहित बैंक ने अब तक 5,000 इकाई स्वीकृत किया है।

10. मेगा परियोजना - 101 गांव :

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता निर्माण तथा शहरी सुविधाएं निर्मित करना है जिसमें शहरी ग्राहकों को उपलब्ध प्रौद्योगिकी ग्रामीण घरों में भी पहुंचाना है। अब तक, 17 राज्यों तथा 78 जिलों में फैले 140 गांवों को इस योजना ने कवर किया है। बैंक ने 45,000 खातों द्वारा इस योजना के अंतर्गत ₹ 415 करोड़ वित्तपोषित किया है।

11. किसान क्लब :

किसान क्लब का उद्देश्य ऋण, प्रौद्योगिकी अंतरण जागरुकता तथा क्षमता निर्माण के द्वारा किसानों का विकास। बैंक के कारोबार के विकास का यह प्रभावी साधन है। शाखाओं के द्वारा बैंक ने 4006 से अधिक किसान क्लब का गठन किया है।

12. निर्मल ग्राम योजना

बैंक ने नागरिक तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का आरम्भ किया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत के शौचालय के निर्माण में सहायता प्रदान किया है। बैंक ने ₹ 5,000/- तथा ₹ 6,500/- के दो मॉडल तैयार किया है तथा 36,000 ग्रामीण घरों में शौचालय निर्माण को स्वीकृत किया है तथा महाराष्ट्र राज्य में 312 गांवों में 100% स्वच्छता को सुनिश्चित किया है।

13. अग्रणी बैंक दायित्व :

पांच राज्यों यथा झारखण्ड (15), महाराष्ट्र (12), मध्य प्रदेश (12), उत्तर प्रदेश (7) तथा उड़ीसा (2) में फैले 48 जिलों की अग्रणी बैंक दायित्व की जिम्मेदारी बैंक के पास है। इन सभी अग्रणी जिलों में बैंक सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक के लिए ₹ 5,936 करोड़ का ऋण व्यय शामिल करते हुए सभी अग्रणी जिलों में वर्ष 2009-10 के लिए लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) लागू की गई। बैंक की उपलब्धि ₹ 6,055 करोड़ रही जो वार्षिक ऋण योजना उपलब्धि का 102% है।

वित्तीय समावेशन

देश के दीर्घकालिक विकास तथा विस्तृत विकास प्रक्रिया का वित्तीय समावेशन एक अनिवार्य पक्ष है। वित्तीय समावेशन को व्यवहार्य कारोबारी प्रस्ताव समझते

हुए विपणन अभिमुख पहल को अपनाते हुए वित्तीय समावेशन में कूटनीति के परिवर्तन हैं। प्रतिमान निःसंदेह "सीएसआर" से "आर्थिक व्यवहार्यता में परिवर्तित हुआ। वित्तीय क्षेत्र द्वारा आवश्यक सुरक्षित और प्रभावशाली ढंग से कम लागत लेनदेन आईसीटी आधारित सॉल्यूशन की उपलब्धता से संभव हो सका है। दायित्व के बजाए संपार्श्व अवसर के द्वारा बैंक प्रत्याशित बैंकिंग सेवाएं देख रहा है।

बैंक ने वित्तीय समावेशन को महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक नए कारोबारी इकाई के रुप में तैयार किया है जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना (2010-13) है। बैंक कारोबारी संपर्की तथा आईसीटी आधारित हाथ में पकड़ने वाले यंत्रों (सूक्ष्म एटीएम) की सहायता से 29,000 गाँवों को बैंकिंग सेवाएँ देने, 125 लाख लोगों को ओवरड्राफ्ट सुविधायुक्त सीमित सुविधा (नो फ्रिल) खातों के जरिए उनके अत्यावश्यक खर्च की जरूरतों को पूरा करने, अपनी जीविका निर्वहन आय के लिए पात्रता प्राप्त लोगों को ठेकेदारी के लिए ऋण सुविधा देने, मोबाइल आधारित धनप्रेषण सुविधा देने मुख्यतः प्रवासी मजदूर / स्व-रोजगार व्यक्तियों को जो अपनी परिवार को पैसा भेज सके और बैंक के तृतीय पक्ष उत्पादो जिसमें सूक्ष्म बीमा शामिल की सुविधा मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है ।

वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत प्रगति का सार निम्नानुसार हैं :

- खोले गए नो-फ्रिल खातों की संख्या : 50.07 लाख 2010-11 में 18.11लाख)
- जारी स्मार्ट कार्डों की संख्या : 6.01 लाख
- जारी जीसीसी/केसीसी : ₹ 761 करोड़ (273 लाख खाते)
- नियुक्त कारोबारी संपर्की : 1811
- कारपोरेट बीसी : 8
- नियुक्त चैनल प्रबंधन सांझीदार : 61
- गांवों की संख्या जहां 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त किया : 2,992 (2000 से ऊपर की जनसंख्या) तथा 5077 (2000 से नीचे की संख्या)

बैंक ने 31.03.2011 तक 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त 2,992 गांवों में 100% वित्तीय समावेश का लक्ष्य प्राप्त किया जोकि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित तिथि 31.03.2012 से पूर्व ही प्राप्त किया गया। पर्याप्त जोखिम कम करने के साथ सुदृढ परिचालन प्रणाली तथा सर्वोत्कृष्ट कार्यप्रणाली तैयार कर अनुपालन किया जा रहा है।

स्टार स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसइटीआई)

ग्रामीण युवाओं के मध्य बेरोजगारी की समस्या से निपटने के उद्देश्य से बैंक ने वर्ष 2005 में 'स्टार स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान' (एसएसपीएस) नामक समर्पित ट्रस्ट की स्थापना की पहल की। ट्रस्ट की स्थापना के तत्काल बाद दो एसएसपीएस (रुडसेटी) की स्थापना भोपाल एवं कोल्हापुर में की गई। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस पहल को मूल्यवान माना तथा इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण श्रेत्रों के ग्रामीण बीपीएल युवाओं को तलाशने हेतु प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव दिया। स्थापना, शब्दावली, प्रायोजन, प्रबंधन कार्यक्रम संरचना, स्टाफ एवं प्रशासन, एमआईएस परिभाषित किए गए। बैंक को संस्थाओं की स्थापना हेतु 42 केंद्र आबंटित किए गए। बैंक ने ऐसी 41 संस्थाएं झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में स्थापित की हैं। इन केंद्रों में 6,865 क्रेडिट इंपुट के साथ अभी तक 14,697 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बैंक ने रांची (झारखंड), बाराबांकी (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), पेन (महाराष्ट्र) तथा बेलगांव (कर्नाटक) में प्राथमिक स्वास्थ्य पर ध्यान, वयस्क साक्षरता, विस्तृत वित्तीय पहुंच तथा वृद्धि की योजना, सिविल सोसायटी संस्थाओं को सुदृढ़ करना, पर्यावरणीय स्थिरता में एसएसपीएस (रुडसेटी) के कार्यक्षेत्र में विस्तार हेतु पांच एकीकृत एसएसपीएस (रुडसेटी) का विस्तार/स्थापित करने की योजना बनाई है। बैंक इन क्षेत्रों में व्यापक चुनौतियों का सामना करने हेतु जनसामान्य, निजी एवं सामाजिक क्षेत्र के विविध स्रोतों को साथ लाने के लक्ष्य हेतु तालमेल एवं फोसटर रणनीतिक साझीदारी करना चाहता है।

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्शी केंद्र (अभय)

बैंक ने दैनिक आधार पर वैयक्तिक वित्त से संबंधित मामलों पर वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के साथ वित्तीय व्यवहार की जटिलताओं के मूल्यांकन हेतु आम आदमी को वित्तीय साक्षरता देने की आवश्यकता को समझा है। आगे, जो ऋण के अप्रबंधन के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे है उन्हे भी दिवालियापन एवं चुकौती दायित्वों से बाहर निकलने हेतु ऋण परामर्श की आवश्यकता है ताकि उनके वित्तीय प्रबंधन में सुधार हो सके। इस परिप्रेक्ष्य में बैंक ने (5) ऋण परामर्शी केंद्र "अभय" नाम से मुंबई, वर्धा, गुमला, कोलकाता और चैन्नई में खोले हैं जिनका कार्य वरिष्ठ एवं अनुभव बैंकरों द्वारा देखा जा रहा है। व्यथित उधारकर्ताओं के लिए अलग-अलग मामलों हेतु उपचारात्मक परामर्श के अलावा, मिडिया, कार्यशाला एवं सेमिनार के माध्यम से निवारण परामर्श भी दिया जा रहा है। अब तक परामर्श के 9,370 मामले लिए गए जिनका निवारण तत्काल करके व्यथित उधारकर्ताओं के चेहरों पर मुस्कान लाई गई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

बैंक ने (5) पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) झारखंड ग्रामीण बैंक (झारखंड राज्य), आर्यावर्त ग्रामीण बैंक (उत्तर प्रदेश राज्य), वैतरणी ग्रामीण बैंक (उड़ीसा राज्य), नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक (मध्य प्रदेश) तथा वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक (महाराष्ट्र राज्य) में प्रायोजित किए हैं। समस्त आरआरबी लाभ कमा रही हैं। इनमें से तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक तथा वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक की समस्त शाखाएं एवं प्रशासनिक कार्यालय अब सीबीएस प्लेटफॉर्म में हैं। अन्य दो बैंक भी अप्रैल, 2011 में इस स्तर पर पहुंच जाएंगे। हालांकि आरबीआई की निर्धारित तिथि 30.9.2011 कुल मिलाकर आरआरबी की 92%, शाखाएं 95% कारोबार के साथ सीबीएस के अधीन लाई गई है। यह बैंक शीघ्र ही आरटीजीएस और एटीएम सेवाएं भी शुरु करने जा रही है। समस्त आरआरबी का शाखा विस्तार 1,030 है जिन्होंने ₹ 15,411 करोड़ का मिश्रित कारोबार किया है।

एसएमई

इस क्षेत्र की विशेष कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैंक ने नया एसएमई वर्टिकल तैयार किया है जिसके प्रमुख महाप्रबंधक है। एसएमई कारोबार में ₹ 100 करोड़ तक के कुल समस्त कारोबार गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए समग्र परिभाषा दी गई है। यह वर्टिकल केवल ऋण की वृद्धि को नहीं देखेगा, परंतु यह एसएमई क्षेत्र में कासा, खुदरा कारोबार, शुल्क आधारित आय तथा अन्य पक्ष उत्पादों को भी देखेगा।

बैंक द्वारा तैयार एसएमई कारोबार वृद्धि की रणनीति है :

- समस्त अंचलों को 5 नेशनल बैंकिंग समूहों में समूहित किया गया है।
- यह 5 नेशनल बैंकिंग समूह महाप्रबंधक की प्रमुखता वाले हैं जिन्हें कारोबार वृद्धि के लिए पर्याप्त प्रत्यायोजन दिए गए हैं।
- ₹ 1 करोड़ की सीमा से ऊपर के समस्त एसएमई ऋण कारोबार के लिए प्रसंस्करण हब के रुप में कार्रवाई हेतु एसएमई शहरी केंद्र बनाए गए हैं।
- 31.3.2011 से पूर्व 12 एसएमई शहरी केन्द्र परिचालन में हैं।
- जोखिम प्रबंधन उपाय के रुप में शहरी केंद्रों में क्रेडिट उद्भव और अलग प्रसंस्करण
- क्रेडिट प्रसंस्करण के लिए समर्पित टीम तथा लीड जनरेशन हेतु आऊटबाऊंड सेल्स टीम तथा कारोबार अभिग्रहण हेतु अनुवर्ती कार्रवाई लाई गई।
- टर्न एराऊंड टाइम को कम करने हेतु क्रेडिट प्रक्रिया को परिवर्तित तथा प्रत्यायोजन में संशोधन किया गया।
- एसएमई ग्राहकों को आवश्यकतानुसार बैंक प्रस्तावों में चार नए उत्पादन शुरु किए गए।
- शीघ्र संवितरण सुनिश्चित करने हेतु संवितरण पूर्व जोखिम राहत प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया।
- सीमा के आकार पर ध्यान न देते हुए समस्त एसएमई ग्राहकों हेतु सरलीकृत आवेदन फॉर्म प्रारंभ किया गया।
- एक बार में ग्राहकों के अनुरोधों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य जांच सूची तैयार की गई।
- कारोबारी प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता लाने हेतु एसएमई शहरी केंद्रों में ट्रेकिंग एवं निष्पादन प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ की गई।

2011-12 के दौरान नए एसएमई केंद्र

अंचलों में 2011-12 के दौरान 23 और एसएमई केन्द्र प्रारंभ करने की योजना है।

एमएसएमई के अधीन बैंक का निष्पादन

- 31.3.2011 तक सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र को अग्रिम ₹ 31297 करोड़ है।
- वर्ष 2009-10 में वृद्धि 21% से अधिक है।
- एमएसएमई (मध्यम उद्योग सहित) को अग्रिम ₹ 35586 करोड़ है।
- यह 2010 में 20% वृद्धि प्रदर्शित करता है।
- प्रमुखतः एमएसएमई स्पेस के सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्रों में वृद्धि है।
- एमएसएमई पोर्टफोलियो पर आय 11.15% रही जो समग्र रुप से अग्रिम पर आय से अधिक बनी हुआ है।
- 3.88% के समग्र एनपीए की तुलना में एनपीए 6.50% रहा जो चिंता का क्षेत्र बना हुआ है।
- हमने ओटीएस योजना प्रारंभ की है तथा अंचलों/शाखाओं को वर्तमान वर्ष में एनपीए में कमी करने हेतु इस योजना का प्रभावी प्रयोग करने हेतु निदेशित किया है।

एमएसएमई के अधीन वृद्धि प्राप्त करने हेतु रणनीति

- क्लस्टर आधारित ऋण हेतु क्लस्टरों की स्थापना। प्रत्येक अंचल में कम से कम 2 क्लस्टरों की पहचान तथा एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि हेतु क्लस्टर विर्निदिष्ट योजनाएं।
- एमएसएमई ऋण हेतु उच्च संभाव्य के साथ शाखा प्रबंधकों को सुग्राही बनाना ताकि एमएसएमई विशेषकर सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र में, ऋण प्रवाह को बढ़ाया जा सके।
- सीजीटीएमएसई कवर के बारे में प्रबंधकों एवं द्वितिय पंक्ति अधिकारियों को सुग्राही बनाना।
- सूक्ष्म क्षेत्र में ऋण प्रवाह में गति सुनिश्चित करने हेतु सीजीटीएमएसई कवरेज को प्रोत्साहित करना।
- एसएमई शहरी केंद्र के विक्रय अधिकारियों हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना।

फोरेक्स कारोबार

बैंक द्वारा संचालित फोरेक्स कारोबार ने विशाल वृद्धि दर्शाई है। वर्ष 2010-11 के दौरान, निर्यात कुल बिक्री ₹ 44,124 करोड़ एवं आयात कुल बिक्री ₹ 35,327 करोड़ थी। बैंक फोरेक्स कारोबार में अग्रणी प्लेयर रहा है। वर्ष के दौरान बैंक की कोषागार शाखा का कुल टर्नओवर ₹ 5,86,326 करोड़ था।

कोषागार निवेश

10 वर्ष की न्यूनतम दर से सरकारी प्रतिभूतियों पर दिनांक 31.03.2010 को आय 7.87% रही जो अब बढ़कर 31.03.2011 तक 8.01% है। यद्यपि वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की आय अत्यधिक अस्थिर रही तथा यह 7.37% से 8.25% की अत्यधिक विस्तृत सीमा में रही। हमारे बैंक ने आय तथा बाजार जोखिम के बीच संतुलन कायम रखते हुए निवेश के उच्च स्तर बनाए रखे। हमारे बैंक ने निवल मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की 24% एसएलआर निवेश आवश्यकता से बढ़कर उच्च स्तर के एसएलआर निवेश को सिस्टम में अतिरिक्त नकदी तथा आरबीआई की आसान मुद्रा नीति के परिणामस्वरूप जमा वृद्धि के कारण बनाए रखा। हमारे कुल आधार पर एसएलआर निवेश ₹ 67859 करोड़ (कुल निवेश का ₹ 82.28%) तथा गैर एसएलआर निवेश ₹ 14611.16 करोड़ कुल निवेश का 17.72% रहा।

इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुसार निवेश किया गया। बाजार गतिविधियों/नियामक आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया हेतु आवधिक तौर पर इस नीति की समीक्षा की जाती है।

कोषागार परिचालन

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने बाजार के सभी क्षेत्रों अर्थात निधियों, फॉरेक्स तथा बांड में सक्रिय भूमिका निभाई है। सरकारी प्रतिभूतियों की दर गतिविधि से लाभ लेते हुए बैंक ने अपने निवेश संविभाग को सुधारा तथा प्रतिभूतियों की बिक्री एवं व्यवसाय से लाभ अर्जित किए। बैंक ने विविध बाजार क्षेत्रों के मध्य अंतरपणन अवसर का लाभ उठाया है जिससे जमा प्रमाण-पत्र (सीडी), विदेशी विनिमय स्वैप की खरीद/बिक्री, मीयादी मुद्रा बाजार में अधिक रुपया निधि रख पाया जिससे 2.5-3.5% का विस्तार हुआ। हमने "टी" बिलों तथा अतिरिक्त प्रतिभूतियों के विरुद्ध सीबीएलओ/रेपो में उधार लेकर सीडी में ₹ 6,522.02 करोड़ का पोर्टफोलियो तैयार किया है तथा घरेलू मुद्रा बाजार में ₹ 4,653.70 करोड़ का ऋण दिया है जिससे अनुमानतः 2.50% का विस्तार प्राप्त हुआ है। बैंक ने कुछ अच्छी निजी एवं सरकारी कंपनियों के आईपीओ खरीदे है तथा ₹ 19.64 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। बैंक ने कुछ अग्रणी म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंकड ग्रोथ फंड में निवेश किया है तथा ₹ 8.40 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। हमने कुछ 40-50 प्रथम श्रेणी शेयरों तथा वर्तमान बाजार भावनाओं को देखते हुए विविध क्षेत्रों के चर्निंग स्क्रिप का समूह बनाने की रणनीति शुरु की है जिससे 31.03.2011 को ₹ 36करोड़ का लाभ अर्जित हुआ है (31.03.2010 को ₹ 13.42 करोड़ मात्र)

अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन

बैंक की उपस्थिति 4 महाद्वीपों और 18 देशों में है जिनमें लंदन, न्यूयार्क, पेरिस, टोकियो, सिंगापुर और हांगकांग जैसे सभी प्रमुख वित्तीय केन्द्र सम्मिलित हैं। 31.03.2011 तक बैंक के विदेशी कार्यालयों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक से बैंक को अपने विदेशी परिचालन का विस्तार बांगलादेश, कनाडा, चीन, इजीप्त, न्यूज़ीलैंड, मेडागास्कर, कतार, दक्षिण अफ्रिका, ब्रिटेन (लीड्स एंड कॉवेन्ट्री) संयुक्त अरब अमीरात एवं वियतनाम में करने की अनुमति भी मिल गई है। 31 मार्च, 2011 को स्थानीय विनियामक आरबीएनजेड द्वारा न्यूज़ीलैंड में बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड को बैंक के रुप में पंजीकृत कर लिया गया है। बैंक का सिंगापुर में ग्लोबल प्रोसेसिंग केन्द्र (जीपीसी) है जो बैंक की विदेशी शाखाओं में आईटी प्रणालियों के मानकीकरण में मदद करता है जिससे प्रबंध सूचना प्रणाली और ग्राहक सेवा में सुधार होगा।

व्यापार वित्त एवं अन्य ऋणों के अलावा बैंक बहु-मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय समूहन ऋण के लिए अधिदेशक अग्रणी व्यवस्थापन (एमएलए) और ज्वाइंट बुक रनर के रुप में कार्य कर रहा है तथा भारतीय कंपनियों को अपने विस्तार/अधिग्रहण व संयुक्त उद्यम के लिए यूएस डालर, जापानी येन, यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पौंड मुद्राओं में ऋण की व्यवस्था की है।

बैंक ने वैश्विक धनप्रेषण केन्द्र (जीआरसी) मुंबई में शुरु किया है। जीआरसी में आवक धनप्रेषण, बचत बैंक खाते एनआरआई ग्राहकों के एनआरई/एनआरओ खाते खोलना केन्द्रीकृत किया गया है। हमने ट्रेड फाइनांस पोर्टफोलियो के दस्तावेजीकरण के कार्य को संभालने के लिए एक हब स्थापित करने की प्रक्रिया शुरु की है।

यथा दिनांक 31 मार्च, 2011 को विदेशी शाखाओं में जमा राशि ₹ 45922 करोड़ रही। अग्रिमों का स्तर ₹ 51,007 करोड़ जिसमें ₹ 14,884 करोड़ (41.2%) की वृद्धि दर्ज की गई। निवेश ₹ 4,093 करोड़ रही जिसमें मार्च 2010 की तुलना में ₹ 1,172 करोड़ (22.26%) की गिरावट हुई। मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी शाखाओं का परिचालन लाभ ₹ 756 करोड़ रहा जिसमें मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के ₹ 544 करोड़ की तुलना में वृद्धि दर्ज हुई। निवल लाभ ₹ 495करोड़ में मार्च 2010 की तुलना में ₹ 200 करोड़ (67.8%) की वृद्धि हुई।

अन्य उत्पादों एवं सेवाओं की समीक्षा :

कार्ड उत्पाद :

बैंक के पास पांच क्रेडिट कार्ड उत्पाद हैं। बैंक से संबद्ध दो बैंक यथा बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि. भी है जो ब्रांडनाम "इंडिया कार्ड" के अधीन क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं। वर्ष के दौरान कार्ड जारी करने के कुल कारोबार में 37.30% वृद्धि दर्ज की गई जो ₹ 405.09 करोड़ रही।

बैंक के पास चार डेबिट-सह-एटीएम कार्ड हैं। एक प्रीपेड कार्ड / गीफ्ट कार्ड। 31.03.2011 तक कुल जारी डेबिट कार्ड 68.22 लाख रहे जिसमें 24.43 लाख स्टारलिंक इंटरनेशनल एटीएम-सह-डेबिट कार्ड (वीज़ा इलैक्ट्रान), 43.24 लाख बीओआई ग्लोबल डेबिट-सह-एटीएम कार्ड (मास्टर कार्ड), 54,000 बींगो कार्डस, 1,360 गीफ्ट कार्डस तथा प्लेटिनम टेबिट कार्ड (मास्टर), सम्मिलित हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान डेबिट कार्डों ने 43.20% वृद्धि दर्ज की।

एटीएम में शेयरिंग के लिए बैंक ने अन्य बैंकों से द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अनुबंध किया है। इस प्रकार हमारे कार्डधारकों को लगभग 50,000 एटीएम का उपयोग देशभर में करने का लाभ मिलता है। बैंक को भारत में मास्टर कार्ड के लिए कैशट्री और बैंक्स नेटवर्क में सेटलमेंट बैंक रहना जारी रहेगा।

बुलियन बैंकिंग

बुलियन बैंकिंग का प्रारंभ बैंक में नवंबर, 1997 में शुरु किया गया था। आरंभ में यह योजना सीप्ज तथा अहमदाबाद शाखा में थी तथा बाद में अन्य छह शाखाओं में इसे आरंभ किया गया। इस तिथि तक हालांकि शाखाओं को बुलियन कारोबार के लिए प्राधिकृत किया गया है केवल 5 शाखाओं अर्थात सीप्ज, अहमदाबाद मुख्य, बुलियन एक्सचेंज, चैन्ने बुलियन एवं बो बाजार शाखा बुलियन कारोबार कर रही हैं।

मॉडल गोल्ड कारोबार के अंतर्गत कार्य आधार पर आभूषण निर्यातकों एवं घरेलू ज्वेलर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कॉमर्ज बैंक इंटरनेशनल एस.एस.यूबीएस, ए, जी एवं फर्स्ट रेंड बैंक से खरीदा गया है । बैंक ने वर्ष 2010-11 में ₹ 3261 करोड़ के टर्नओवर सहित 13723 किलोग्राम सोने की बिक्री की जिससे ₹ 16.68 करोड़ की आय अर्जित हुई। वर्ष के दौरान आय में 37.63% की वृद्धि हुई।

स्टार नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस)

बैंक की वर्ष 2000 सीएसएम स्पेस में सक्रिय उपस्थिति है। परंतु संपूर्ण सीएमएस में अत्याधुनिक वेब आधारित तकनीक को अपनाकर सुधार किया

गया है जो अगस्त, 2008 से परिचालन में है। बैंक 4-5 अन्य बैंकों के साथ संपर्ककर्ता बैंक के रुप में भी कार्य कर रहा है। बैंक के पास कुछ कार्पोरेट ग्राहक भी हैं जो सीएमएस सेवाओं का संतोषपूर्वक उपयोग कर रहे हैं। बैंक ने ओरेक्ल प्लेटफार्म पर वेब आधारित साफ्टवेयर का प्रयोग आरंभ किया है जिससे बैंक बहुसंख्यक लेनदेन संबंधित कार्य कर सकता है।

बैंक का प्रधान कार्यालय में सीएमएस के लिए अलग विभाग है जो सीएमएस की समग्र कार्यप्रणाली को नियंत्रित एवं निगरानी करता है। यह महाप्रबंधक (संव्यवहार बैंकिंग) के सीधे नियंत्रणाधीन है। एम.जी.रोड, मुंबई में स्थित सीएमएस हब इस पहल की परिचालनात्मक पक्ष का ध्यान रखता है।

बैंक की 3400+ शाखाएं हैं जो 1000 के अधिक शहरों और नगरों में सीबीएस प्लेटफॉर्म पर परिचालनगत हैं।विविध सीएमएस सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सीएमएस ग्राहकों के लिए यह समस्त शाखाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है।

उत्पाद वार क्षमताएं

क. स्थानीय वसूलियां

स्टार सीएमएस की वसूली एवं रिटर्न हेतु अब स्थिति वार प्रतिदिन एमआईएस उपलब्ध कराने की क्षमता है। बैंक, रिटर्न की विवरणात्मक सूची इन्क्रिप्ट ई-मेल द्वारा भी उपलब्ध करवा सकता है तथा यदि आवश्यकता हुई तो हार्ड कॉपी भी प्रेषित की जा सकती है।

ख. थोक वसूलियां

स्थानीय वसूलियों के अधीन कवर समस्त अवस्थितियों पर थोक वसूलियां दी जा सकती है परंतु पूर्व अनुमति से चूंकि रुपरेखा प्रणाली को शुरु करना होगा। सीधे डाटा अपलोड करने के लिए विवरण की सॉफ्ट कॉपी की आवश्यकता है।

ग. दूरस्थ वसूलियां

दिन 0-दिन 21 तक दिन व्यवस्था; जो हमेशा केंद्र विशिष्ट है।

घ. प्रत्यक्ष नकदी

नकदी प्रबंधन के लिए समस्त अवस्थितियों में प्रत्यक्ष नकद अवशोषित किए जा सकते है। यह सुविधा डोर स्टैप बैंकिंग पहल के अधीन दी जा रही है। दिन व्यवस्था टी+1 होगी।

ड. भुगतान :

बैंक पर आहरित ड्राफ्ट हेतु समस्त अवस्थितियों में पोजिटिव भुगतान सुविधा उपलब्ध है। बैंक के पास ड्राफ्ट/चेकों की थोक मुद्रण की सुविधा है तथा अवस्थितियां आवश्यकतानुरुप नियत की जा सकती है।

च. इलैक्ट्रॉनिक निपटान

बैंक के पास सीधे क्रेडिट और सीधे डेबिट सुविधा देने की प्रणाली क्षमताएं है। सीधे डेबिट के मामलों में आदेश सत्यापन आवश्यक है। टर्न एराउंड समय अवस्थिति पर निर्भर करता है।

छ. अन्य अतिरिक्त सेवाएं

अपनी शाखाओं में बैंक एनएफओ एवं राइट इश्यु के लिए आवेदन फार्मो के एकत्रण हेतु सेवाएं देने के लिए तैयार है।

अन्य पक्ष उत्पाद

जीवन बीमा हेतु गठजोड़

स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए बैंक ने कार्पोरेट एजेंसी करार कर संयुक्त उद्यम आरम्भ किया। विभिन्न केन्द्रों में बीमा उत्पाद की बिक्री हेतु "विशिष्ट व्यक्ति" के रुप में बैंक के 815 कर्मचारी कार्यरत है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 413 करोड़ का प्रीमियम संग्रहित किया। (पॉलिसियों की संख्या 60,000 से ऊपर) तथा संयुक्त उद्यम कारोबार में 60% से अधिक योगदान किया।

सामूहिक पॉलिसी के अधीन अपने स्टार शिक्षा ऋण तथा स्टार आवास ऋण पर वैकल्पिक जीवन बीमा कवर का प्रस्ताव जारी रखा हुआ है।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. (एनआईसीएल) के साथ सामान्य बीमा (गैर-जीवन) हेतु ताल मेल

आईआरडीए द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुपालन में एनआईसीएल के साथ वर्तमान तालमेल व्यवस्था को कारपोरेट एजेंसी वितरण में परिवर्तित किया गया जिसमें बैंक जैसे वितरकों के साथ बैंक इंश्योरेंस कारोबार कवर किया गया। बैंक ने "बीओआई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा" स्वास्थ्य बीमा उत्पाद को सह-ब्रांड किया है जोकि एक फेमिली फ्लोटर मेडीक्लेम इंश्योरेंस है जिसे बहुत ही कम प्रीमियम पर बैंक ऑफ़ इंडिया के खाताधारकों को उपलब्ध करवाया गया है। इसमें खाता धारक, पत्नी और अधिकतम दो आश्रित बच्चों को कवरेज दी गई है। संपूर्ण परिवार (खाताधारक, उसकी पत्नी तथा दो आश्रित बच्चे) को बीमाकृत राशि की सीमा तक कवर किया गया है जिसमें बीमाकृत राशि पर परिवार के सदस्यों द्वारा अलग-अलग समय में लाभ लिया जा सकता है। यह एक प्रसिद्ध उत्पाद है और 31.03.2011 तक 1,10,000 बैंक ऑफ़ इंडिया खाताधारकों ने यह पॉलिसी ली है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान एनआईसीएल हेतु बैंक द्वारा एकत्रित कुल प्रीमियम ₹ 117 करोड़ रहा जिससे ₹ 12.82 करोड़ की कमीशन अर्जित की गई।

म्यूचुअल फंड उत्पादः

बैंक ग्राहकों की सभी प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। बैंक ने निम्नलिखित 9 आस्ति प्रबंधन कंपनियों का अधिकाधिक विविध म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री कर रहा है। बिडला एवं लाइफ म्यूचुअल फंड, डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिंन टेंप्लटन निवेश, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईएनजी म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, रिलांयस म्यूचुअल फंड तथा यूटीआई म्यूचुअल फंड।

आस्ति वसूली एवं एनपीए प्रबंधनः

वर्ष 2010-11 में भी एनपीए प्रबंधन के क्षेत्र के निष्पादन के सुधार की यात्रा जारी रही। एनपीए में कमी करना बैंक की सर्वोत्कृष्ट प्राथमिकता है तथा इस कार्य में धीरे-धीरे महत्ता बढ़ रही है। एनपीए की प्राप्ति और वसूली करने के लिए आवश्यक उपाय प्रारंभ किए गए। बट्टेखातों की वसूली तथा एनपीए खातों में अप्रभारित/वसूल न किए गए ब्याज में वसूली को अधिक करने हेतु प्रयास किए गए जिसने बैंक के लाभ में महत्ता से बढ़ोत्तरी की।

निम्न तालिक पिछले 3 वर्षों में एनपीए वसूली प्रबंधन को दर्शाती है :

(₹ करोड़ में)

मद	31.03.09 (वास्तविक)	31.03.10 (वास्तविक)	31.03.11 (वास्तविक)
कुल एनपीए (ओपनिंग)	**1,931**	**2,471**	**4,883**
कम करें :			
नकदी-वसूली	676	622	895
अद्यनतीकरण	325	204	1,038
बट्टे खाते	384	743	881
कृषि ऋण छूट/ऋण राहत योजना 2008	175	0	0
कुल कमी	**1,560**	**1,569**	**2,814**
जोड़े :			
स्लिपेज	2,100	4,162	2,908
वसूल न किया ब्याज (यूआरआई) (वित्त वर्ष 2009-10 से प्रारंभ)	–	181	166
कुल एनपीए (क्लोजिंग)	**2,471**	**4,883**	**4,811**
बट्टे खाते/यूसीआई/यूआरआई की वसूली	352	300	
निवल एनपीए	**628**	**2,207**	**1,945**
कुल अग्रिमों पर कुल एनपीए का%	1.71	2.85	2.23
निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए का%	0.44	1.31	0.91

वर्ष के दौरान, बिड तथा पोर्टफोलियो आधार पर हमने विभिन्न एआरसी की ₹ 21.69 करोड़ की 9 क्षतिग्रस्त आस्तियों को नकदी आधार पर बेचा।

लघु खातों में वसूली में तेजी के लिए दो वर्तमान योजनाओं को वर्ष बैंक द्वारा संशोधित किया गया जो निम्न है :

i) ₹ 50 लाख तक के एनपीए हेतु स्टार संजीवनी प्रोत्साहन योजना

ii) अवमानक संवर्ग में ₹ 100 लाख तक के खातों के उन्नयन हेतु प्रोत्साहन योजना।

इन योजनाओं का प्रारंभ क्षेत्र स्तर के स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित करने और व्यावसायिक वसूली एजेंटो पर निर्भरता को कम करने के अभिप्राय से किया गया है। इससे प्रत्येक स्तर पर स्टाफ को सम्मिलित किए जाने तथा इस क्षेत्र में वसूली में सुधार के रुप में भरपूर लाभ मिला है।

स्टार संजीवनी प्रोत्साहन योजना के अधीन निष्पादन निम्नानुसार रहा :

(₹ करोड़ में)

2010-11 के दौरान वसूली	राशि
लाइव एनपीए में वसूली	189.44
बट्टे खाते में वसूली	29.12
कुल वसूली	218.56

एनपीए के शीघ्र समाधान हेतु लोक अदालत में प्रतिभागिता एवं वसूली कैपो का कार्य अंचलों में बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बैंक ने लोक अदालत एवं वसूली कैप के माध्यम से ₹ 165 करोड़ की वसूली की।

शाखा नेटवर्क एवं विस्तार

भौगोलिक तौर पर भारत तथा विदेशों में बैंक का काफी विस्तृत शाखा नेटवर्क है। मार्च 2011 तक भारत में बैंक की कुल 3490 शाखाएं थी। विश्व के सभी महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्रों तथा ऑल टाइम जोन में 24 शाखाओं तथा 5 प्रतिनिधित्व कार्यालयों द्वारा हमारी उपस्थिति का अनुभव होता रहता है।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने 283 नई शाखाओं के सहित 02 विस्तार काउन्टरों को पूर्ण शाखाओं में परिवर्तित किया। इन शाखाओं का वितरण है- महानगरीय - 32, शहरी-39, अर्द्ध शहरी-142 तथा 70 ग्रामीण।

बैंक के शाखा नेटवर्क की संरचना निम्नलिखित हैः

प्रवर्ग	31.03.2010		31.03.2011	
	शाखाओं की संख्या	कुल का %	शाखाओं की संख्या	कुल का%
महानगरीय	628	19.58	660	18.91
शहरी	607	18.93	645	18.49
अर्द्ध शहरी	701	21.86	841	24.15
ग्रामीण	1,271	39.63	1,344	38.51
कुल शाखाएँ	3,207	100	3,490	100

घरेलू बाजार में कुछ प्रवर्गों की विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए - बैंक की 279 विशेषीकृत शाखाएं हैं। इन शाखाओं का अलग-अलग विवरण निम्नलिखित है :

	विशेषीकृत शाखाओं का प्रवर्ग	31.03.2010	31.03.2011
1.	एसएमई शाखाएं	29	100
2.	ओवरसीज शाखाएं	04	03
3.	कार्पोरेट बैंकिंग शाखाएं	13	00
4.	बृहद कार्पोरेट बैंकिंग शाखाएं	02	10
5.	मध्य कार्पोरेट शाखाएं	28	40
6.	एन.आर.आई. शाखाएं	06	04
7.	वसूली शाखाएं	15	15
8.	वाणिज्यिक शाखाएं तथा व्यक्तिगत बैंकिंग	36	30
9.	कोषागार शाखा	01	01
10.	आवास तथा व्यक्तिगत वित्त शाखाएं @	27	33
11.	सरकारी कारोबार शाखा	01	01
12.	बुलियन बैंकिंग शाखा	01	01
13.	सेवा शाखाएं	37	40
14.	केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण शाखा	–	01
	कुल	**201**	**279**

@ - रिटेल हब को सम्मिलित कर

भारतीय रिज़र्व बैंक की उदारवादी नीति के अनुसरण में शाखा प्राधिकृत नीति के अंतर्गत कुछ शाखाएं वैकल्पिक स्थानों पर चली गई तथा कुछ विस्तार

काउन्टर, जिसे स्थान लाभ था, उन्हें पूर्ण शाखा में परिवर्तित किया गया। यह नीति आगामी वर्ष में भी जारी रखने का इरादा है।

प्रभावी तिथि 01.12.2009 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी शाखा प्राधिकृत नीती को और उदारवादी कर दिया है जिसके अन्तर्गत 50,000 से कम जनसंख्या के केन्द्रों पर बिना उनसे पूर्वानुमति लिए बैंक शाखाएँ खोल सकता है। इस प्रवर्ग में बैंक ने 181 केन्द्रों पर शाखाएं खोलने का प्राधिकार अंचलों को दिया।

एक नज़र में स्थिति

वर्षान्त तक	31.03.2010	31.03.2011
कुल शाखाओं की संख्या	3,236	3,519
विदेशी	29	29
भारतीय	3,207	3,490
जिसमें से :		
महानगरीय	628	660
शहरी	607	645
अर्द्ध शहरी	701	841
ग्रामीण	1,271	1,344
कम्प्यूटरीकृत शाखा		
पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत	3,207	3,490
आंशिक कम्प्यूटरीकृत	–	–
विशेषीकृत शाखाएं	201	279
विस्तार पटल	57	55

विपणन एवं प्रचार

प्रमुख पहलें:

- **प्रशिक्षण:**

  बिक्री दल तथा संपर्की प्रबंधकों को समय-समय पर प्रशिक्षण केंद्र अथवा आंचलिक कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान अप्रैल व मई, 2010 में प्रत्येक अंचल के सभी विपणन प्रमुखों और चयनित बिक्री दल व आरएसएम के लिए प्रबंधन विकास संस्थान, मुंबई में प्रशिक्षण दिया गया।

- **बिक्री दल स्वचालन (एसएफए) पैकेज :**

  बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सॉफ्टवेयर पैकेज जिसका नाम है बिक्री दल स्वचालन (एसएफटी) अर्थात अग्रणी प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ किया है। प्रणाली प्रभावी रूप से विभिन्न स्तरों पर सृजित लीड को कैप्चर मॉनिटर, ट्रैक, समाप्त व विश्लेषण करेंगी। प्रणाली का उपयोग प्रोत्साहन योजना का प्रबंध करने के लिए भी किया जाएगा।

- **शीघ्र सफलता अभियान:**

  डायमंड ग्राहकों को मिलने के लिए प्रभावशाली संपर्क अभियान डायमंड ग्राहकों से संपर्क, उनका डाटा अद्यतन करने, केवाईसी अनुपालन, नए मूल्यवान खाते खोलने, विभिन्न बैंक उत्पादों व अन्य पक्ष उत्पादों की प्रति बिक्री के लिए 15 केंद्रों पर अभियान प्रारंभ किया गया था। अभियान के दौरान एक लाख से भी अधिक डायमंड ग्राहकों से संपर्क किया गया।

- **सुड लाइफ अभियान** प्रायोगिक आधार पर जीवन बीमा उत्पादों के विपणन के लिए दिनांक 14.01.2011 को 5 अंचलों में प्रारंभ किया।

- **खुदरा कारोबार केंद्र** खुदरा उधार कारोबार की गुणवत्तात्मक व मात्रात्मक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए प्रायोगिक आधार पर दिनांक 14.01.2011 को 5 अंचलों में प्रारंभ किए गए।

बैंक ने कार्पोरेट छवि और पहचान को निखारने के उद्देश्य से 'रिश्तों की जमापूँजी' की वर्तमान धारणा के आधार पर विभिन्न मीडिया अभियान शुरु किए। इस उद्देश्य से हमने तीन और टीवीसी हमारी रिश्तों की धारणा के आधार पर बनाए हैं जो बुजुर्ग दम्पत्ति, दोस्तों और बस से संबंधित हैं। इन्हें राष्ट्रीय चैनल के साथ-साथ क्षेत्रीय चैनलों पर भी प्रसारित किया गया।

हम अपने उत्पादों का विज्ञापन समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीफोन, होर्डिंग, बैनर, बसपैनल, ट्रेन, रेल्वे स्टेशनों पर ग्लोसाइन, इवेंट एवं स्पांसरशिप, प्रचार पत्र तथा ब्रोशर आदि के जरिये भी कर रहे हैं। हमारा प्रयास ब्रांड इमेज निर्माण, प्रभावी प्रचार के माध्यम से हमारे विभिन्न उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग और पहचान को बढ़ाने पर केन्द्रित है।

परिचालनात्मक गुणवत्ता

ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता

बैंक संकल्प 10,000 के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्राहक केंद्रित एप्रोच के माध्यम से ग्राहक सेवा की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है।

ग्राहक अभिमुखता को महत्व देने तथा पारदर्शी तरीके से सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता, जानकार निर्णय लेने के लिए ग्राहकों को आवश्यक जानकारी देने हेतु बैंक, बैंकिंग कोड एवं भारतीय मानक बोर्ड का उसकी स्थापना 2006 से ही स्वैच्छिक सदस्य रहा है। बीसीएसबीआई संशोधित कोड, 2009 को बैंक द्वारा तत्परता से अपनाया गया था और उसे वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है। संशोधित कोड की प्रतियाँ ग्राहकों की जानकारी के लिए उन्हें वितरित कर दी गयी हैं।

बैंक ने आईबीए द्वारा तैयार की गई विभिन्न ग्राहक केंद्रित नीतियों को अपनाया है जैसा कि जमाराशि नीति, चेक संग्रहण नीति, शिकायत निवारण नीति, क्षतिपूर्ति नीति, देयताओं की वसूली तथा प्रतिभूति पुनः कब्जा नीति, मृतक जमाकर्ता खाते में देयताओं के निपटान की सरलीकृत प्रक्रिया और मृतक ग्राहकों के मामले में सुरक्षित अभिरक्षा तथा एसडीवी लॉकरों की वस्तुओं का वितरण।

बैंक ने वर्ष के दौरान शाखाओं में ग्राहक सेवा में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- अपेक्षित स्टाफ व्यवहार पर बैंक परिसर में चित्रित की गई एक लघु फिल्म भारत भर सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सहभागियों को दिखाई जाती है।
- समस्या क्षेत्र का पता लगाकर तथा तत्परता से सुधारात्मक उपाय प्रारंभ करने के लिए अर्द्ध वर्ष अंतराल पर शिकायतों का मूल कारण विश्लेषण किया जाता हैं।
- आंचलिक कार्यालयों को उनकी ओर से शिकायतों को बंद करने का तथा मूल कारण विश्लेषण करने का प्राधिकार दिया गया है। इससे शिकायतों

के निपटान के समय में कमी होगी, शिकायतों के मूल कारण का पता लगाकर तत्परता से सुधारत्मक उपाय किए जा सकेंगें तथा ग्राहक तुष्टिकरण वृद्धि में सहायता होगी।

- संप्रेषण के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करने से अधिकांश मामलों में शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए लगने वाले समय को 10 दिनों तक संक्षिप्त किया गया है।
- शिकायत निपटाने में लगने वाले समय में कमी करने और समय पर सुधारात्मक उपाय करने में मदद मिल सके इसलिए विश्लेषणात्मक रिपोर्ट सृजित करने हेतु वेब आधारित ग्राहक शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीसीएमएस) अद्यतन की गई है।
- ग्राहक तथा स्टाफ को नज़दीक लाने व ग्राहक सेवा में सुधार, यदि कोई है, करने के लिए वर्ष के दौरान दो बार ग्राहक सेवा व शिकायत निपटान सप्ताह मनाया गया।
- आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालयों के अधिकारियों के दौरों के माध्यम से शाखाओं द्वारा विभिन्न ग्राहक अनुकूल उपायों का अनुपालन किए जाने का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है और उसके पश्चात तत्परता से आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।
- अद्यतन नोट छँटाई मशीन/नोट आँथेंटिकेशन मशीन लगाकर भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति कार्यान्वित की जाती है।
- ग्राहकों के हितार्थ सभी ग्राहक केंद्रित अनिवार्य जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है और वह सभी शाखाओं में उपलब्ध है।
- ग्राहकों की शिकायतों के लिए उन्हें विभिन्न चैनल प्रदान किए है जिसमें ई-मेल, फोन इत्यादि भी शामिल हैं।

जोखिम प्रबंधन एवं नियंत्रण

जोखिम की पहचान तथा प्रबंधन बैंकिंग कारोबार का मर्म है। इसलिए जोखिम प्रबंधन का अर्थ जोखिम कम करना नहीं है बल्कि जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है जोखिम पुरस्कार समझौताकारी तालमेल के लिए आशावादी होना। इस परिप्रेक्ष्य में बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक केवल वही जोखिम स्वीकार करता है जो निश्चित की गई है और प्रणाली द्वारा पर्याप्त रूप से क्षतिपूरित की गई है, संतुलित व उच्च एकीकृत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क विकसित की है। इसलिए यह जोखिम का होलिस्टिक संगठनात्मक परिदृश्य देखकर उसके न्यूनीकरण का अभ्यास करता है।

बैंक में, विभिन्न जोखिम के प्रबंधन के लिए शीर्ष कार्यपालकों की परिचालनात्मक स्तर समिति द्वारा सहायता प्राप्त शीर्ष स्तर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड द्वारा संचालित कार्य है। विभिन्न अवस्था अर्थात पहचान, मापन, निगरानी एवं नियंत्रण, सम्मिलित जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया उद्यम बृहत जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन डेरिवेटिव, एएलएम, विदेशी मुद्रा एवं डीलिंग रूम परिचालन हेतु नीतियों में समाविष्ट है। इन अवस्थाओं से एक नियंत्रण चक्र स्थापित होता है, जिसमें प्रतिपुष्टि एवं फीड फॉरवर्ड लूप भी शामिल होते हैं।

समस्त गतिविधियों एवं उत्पाद में सभी संभावित जोखिम की पहचान, परिभाषा बृहत विश्लेषण के माध्यम से तथा उनकी जांच परिचालनात्मक स्तर पर जोखिम समिति तथा टॉस्क फोर्स द्वारा की जाती है। बैंक की जोखिम रूपरेखा भी तिमाही आधार पर तैयार की जाती है। विभिन्न साधन एवं प्रणाली जैसे विवेक सम्मत सीमा, नया बासेल अनुवर्ती ऋण श्रेणी निर्धारण मॉडल, ऋण लेखा परीक्षा, बाजार जोखिम हेतु वीएआर मॉडल, परिचालनात्मक जोखिम के लिए मुख्य जोखिम संकेतक की ट्रेकिंग के साथ संयोजित स्व निर्धारण कार्य द्वारा पहचान किए गए जोखिम के निर्धारण/मापन हेतु प्रारंभ किए गए हैं। विश्लेषण के लिए व्यापक आंक़ड़े उपलब्ध कराने हेतु डाटा भंडारण परियोजना कार्यान्वित की गई है। बैंक ऋण जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यान्वित कर रहा है जो आंक़ड़ों की गुणवत्ता एवं पूर्णता तथा इसके जोखिम प्रबंधन कार्य को अद्यतन करने में बैंक की सहायता करेगा।

31.03.2008 से प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण एवं बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण तथा परिचालनात्मक जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण पर आधारित नयी पूंजी पर्याप्तता संरचना (बासेल II) के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता के परिकलन की दिशा में बैंक स्थानांतरित हुआ है।

विभिन्न जोखिम के निर्धारण/मापन, इसकी जोखिम वहन क्षमता की सीमा एवं जोखिम व जोखिम प्रकृति के संबंध में आंतरिक पूंजी के उचित स्तर के लिए वार्षिक आधार पर बैंक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) कार्य करता है। चरम स्थिति में भी संभावित प्रभाव की बेहतर समझ से बैंक को अवगत कर जोखिम निर्धारण की वृद्धि के लिए दबाव जांच प्रक्रिया क्रियाशील है। भविष्य में जोखिम नियंत्रक कार्य एवं संपूर्ण संस्था दोनों के लिए निर्णय लेने और स्वतंत्र नियंत्रक कार्य के निष्पादन के निर्धारण हेतु भी उपर्युक्त से एक उद्देश्य आधारित कार्य अपेक्षित है।

बैंक जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता और कड़ाई में वृद्धि करने के लिए अधिक परिष्कृत ॲप्रोच की ओर अंतरित होने की तैयारी कर रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

शाखा स्वचालन

बैंक की सभी शाखाएं अब सीबीएस के अंतर्गत हो गई हैं। अब नई शाखाएं सीधे सीबीएस प्लेटफार्म के अधीन खोली जा रही हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी शाखाएं आरटीजीएस/एनईएफटी युक्त हैं। बैंक के स्थापना दिवस अर्थात् 07.09.2010 को बैंक ने 105 नई शाखाएं सीधे सीबीएस के अंतर्गत खोली हैं तथा 105 नए एटीएम स्थापित किए हैं।

नियमित बैंकिंग माड्यूल के अलावा बैंक ने यह सुनिश्चत किया है कि सहायक पोर्टफोलियो अर्थात सरकारी कारोबार, सेफ डिपॉजिट वाल्ट, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) सरकारी बांड, सीबीएस प्लैटफॉर्म के अंतर्गत सिमलेसली एकीकृत किए गए हैं जिससे प्रत्येक के लिए एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं सुनिश्चित की गई है और विभिन्न प्रणालियों के मध्य भागदौड़ को टाला जाता है। बैंक ने स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी), सीबीएस और विभिन्न भुगतान प्रणाली/अन्य एप्लीकेशन के मध्य बहुविध प्रणालियों में डाटा प्रविष्टि की आवश्यकता को मिटाने के लिए एवं उससे डाटा की एकीकृतता व विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित की है।

निम्नलिखित ग्राहक केंद्रीत अभिवृद्धियाँ कार्यान्वित की गई हैं:

- 1 अप्रैल, 2010 से बचत बैंक खाते में ब्याज की गणना को मासिक उत्पाद आधार से दैनिक उत्पाद आधार में परिवर्तित कर दिया गया है।
- विदेशी केंद्रों में एनआरई/एनआरओ खाते खोलने वाले एनआरआई ग्राहकों हेतु वेलकम किट प्रारंभ किए।
- बैंक की वेबसाइट का मराठी पाठ प्रारंभ किया गया।
- वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों और सिफारिशों पर बैंक की कारपोरेट वेबसाइट (अंग्रेजी) विकलांग व्यक्तियों हेतु सक्षम बनाई गई है।
- बैंक ने विद्यमान वर्टिकल प्रारूप जिसमें ब्योरे दो पन्नों पर मुद्रित होते हैं के विरूद्ध हौरिजेंटल फॉरमेट में बचत खाते की पासबुक तैयार की है जिसमें उसी पन्ने पर लेन-देन के सारे ब्योरे मुद्रित किए जाते हैं।
- भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की आवश्यकताओं के अनुसार पासबुक व खातों की विवरणियों पर बैंक हेल्पलाईन नंबर मुद्रित करता है।
- बैंक ने डेबिट सह एटीएम कार्ड के लिए इंस्टा पिन जारी करना प्रारंभ किया है। इससे रि-पिन अप्राप्ति की ग्राहकों की शिकायतें संबोधित होगी और रि-पिन के सृजन तथा प्रेषण में होने वाले प्रयास तथा खर्चों में बचत होगी।
- डायमंड ग्राहकों को पीडीएफ प्रारूप में ई-मेल के जरिए खातों की तिमाही समेकित विवरण प्रेषित की जाती है।

डाटा केन्द्र

मूल साईट से दूसरी साईट के बीच भौतिक हार्डवेयर बुनियादी सुविधा की 1:1 बाहुल्य 15 मिनट के रिकवरी टाइम ओबजेक्टीव (आरटीओ) सहित तथा आईएसओ 27001:2005 मानक सहित प्रमाणित डाटा केन्द्र को बैंक ने सफलतापूर्वक स्थापित किया है। मूल साईट मुंबई में स्थित तथा आपदा प्रबंधन साईट (डीआर) बंगलुरू में स्थित है। शून्य आंकड़ा हानि हेतु मूल्य साईट भंडारण प्रतिकृति सहित नियर साईट (एनआर) स्थापित की गई है। डाटा सेंटर प्रतिदिन औसतन 43 लाख लेन-देन का संचलन करता है। यूपीएस द्वारा दो जेनरेटर सेट 24 घंटे दोहरी ऊर्जा आपूर्ति सहित सभी कार्यलय, शाखाएं तथा डाटा केन्द्र वेन नेटवर्क से जुड़े हैं।

डाटा केन्द्र ने तीन चरणीय एप्लीकेशन संरचना बनायी है डेटाबेस, एप्लीकेशन तथा वेब जो आधुनिकतम परिचालन प्रणाली आरडीबीएमएस सहित विभिन्न उच्च सर्वर में विस्तृत है जिसके एप्लीकेशन बेहतर प्रबंधन तथा कार्यनिष्पादन हेतु है।

उपलब्धता/क्षमता आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बैंक सुरक्षा तथा नेटवर्क की डिजाईन की गई है। सर्वर तथा नेटवर्क फार्म्स के संवेदनशील क्षेत्रों हेतु बायोमेट्रिक पहचान सहित सशक्त भौतिक सुरक्षा नियंत्रण भी डाटा केन्द्र में है। पॉवर कुलिंग, अग्निरोधक तथा डाटा केन्द्र बुनियादी सुविधा के अधिकतम प्रबंधन तथा अधिकतम बिल्डिंग प्रबंधन प्रणाली सहित 24X7X365 दिनों का समर्पित स्रोत है। संपूर्ण परिसर सर्विलेंस कैमेरा से निगरानी 24X7X365 दिनों की जाती है।

बैंक की पूर्णतः कार्यरत आपदा वसूली साइट है और तत्परता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तिमाही में आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित और निष्पादित किया जाता है। मूल से डीआर साईट परिचालन पर जाने के लिए बैंक के पास 15 मिनट का आर टी ओ है। डीआर साईट का उपयोग रिपोर्ट निर्माण करने के लिए किया जाता है जिसमें उद्योग में स्रोतों के बेहतर उपयोग का अधिकतम लाभ उठाया जाता है।

बैंक का वैश्विक प्रसंस्करण केंद्र (जीपीसी) सिंगापोर में है जो उसकी विदेशी शाखाएं केंद्रीय हब से जोड़ता है और उसकी सभी विदेशी शाखाओं के लिए प्रसंस्करण में समर्थ है। यह 24 X 7 केंद्रीय हब है जो पूर्व में जापान से लेकर परिचय में यूएसएतक की 24 विदेशी शाखाओं के सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समान हार्डवेयर तथा उचित सॉफ्टवेयर सहित आपदा प्रबंधन साइट स्थापित किया गया है जो डाटा केंद्र से साइट तक डाटा का ऑनलाइन रिप्लीकेशन करना है। एक आपदा प्रबंधन सेट अप सिंगापोर में है तथा दूसरा मुंबई में है। दोनों डीआर साइट में रियल टाइम आधार पर संव्यवहारों को रिप्लीकेशन किया जाना है। उच्च उपलब्धता को सुनिश्चित करने के ले नियमित आधार पर प्रणाली पदा प्रबंधन अभ्यास कराया जाता है।

एसएमएस- एलर्ट स्टार संदेश

धोखाधड़ी रोधक उपाय के रूप में, एसएमएस एलर्ट जनित किए जाते हैं तथा समस्त ग्राहकों को जिनके मोबाईल नंबर बैंक के साथ पंजीकृत हैं, के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं :

- सुपुर्दगी चैनल (इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम/पीओएस) से समस्त नामे संव्यवहार।
- ₹ 25,000/- तथा अधिक के समस्त नामे समाशोधन संव्यवहार।
- समस्त ग्राहकों जिन्होंने ₹ 10,000/- तथा अधिक के नामे अंतरण तथा नकदी भुगतान अभिप्रेरित किया
- ₹ 10,000/- तथा अधिक के समस्त नामे ईसीएस संव्यवहार
- समस्त नामे आरटीजीएस संव्यवहार।
- चेक बुक जारी करने के अनुरोध को स्वीकार करने की पावती।

इंटरनेट बैंकिंग

हमारे सभी ग्राहकों के लिए जनोपयोगी सेवा बिलों के भुगतान, वायुयान एवं रेल टिकट बुकिंग, ऑन लाइन शॉपिंग, इंटर बैंक एवं इंट्राबैंक फंड अंतरण, कर भुगतान हेतु शीघ्रतम सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है।

बैंक भारत में प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में दोनों खुदरा एवं कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को टू-फैक्टर ऑथेन्टिकेशन (2 एफए)-स्टार टोकन क्रियान्वित किया है। बैंक के ग्राहक

माऊस के क्लिक से घर एवं कार्यालय से ही किसी भी समय, कहीं भी, कैसे भी, झंझट रहित सुरक्षित बैंकिंग की सुविधा का लाभ लेते हैं।

वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई कुछ विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को ऑनलाइन सावधि जमा करने में सक्षम बनाता है।
- हॉटलिस्टिंग/रिसेट/अनब्लॉक इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का उपयोग करके डेबिट सह एटीएम कार्ड पिन में परिवर्तन।
- वार्षिक कर विवरण को देखना (फार्म 26 एएस)
- स्टार ई ट्रेड - ऑन लाइन शेयर ट्रेडिंग - गुप्ता इक्विटीज के साथ एकीकरण
- बैंक के डेबिट सह एटीएम कार्ड धारक ग्राहकों को ऑन लाइन ई पेमेंट सुविधा का विस्तार। इससे ग्राहक उनके डेबिट सह एटीएम कार्ड का उपयोग क्रेडिट कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग खाते के अतिरिक्त ई भुगतान के लिए भी कर सकेगें।

मोबाइल बैंकिंग सेवाएं

मोबाइल बैंकिंग सुविधा का आरंभ नवीनतम वैकल्पिक सुपुर्दगी - चैनल के रूप में किया गया है जो ग्राहकों को बैंकिंग गतिविधियां मोबाइल बैंक की सुविधा से किसी भी समय तथा कहीं से भी बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है। इस सुविधा का विस्तार समस्त खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों में किया गया है जिसमें बकाया जानना, अंतिम पांच संव्यवहार, चैक की स्थिति, निधि हस्तांतरण तथा मोबाइल भुगतान जैसी विशेषताएं सम्मिलित हैं।

अन्य ऑन-लाइन सेवाएं

बैंक निम्नलिखित उपयोगिता वर्धित सेवाएं प्रदान कर रहा है :-

- आरटीजीएस/एनईएफटी के प्रयोग से, स्टार कनेक्ट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से बैंकों के बीच ऑन-लाइन इंटरबैंक निधि अंतरण
- बीओआई स्टार ई-भुगतान- विविध जनोपयोगी सेवाओं/ बिलों के ऑन-लाइन भुगतान या ऑटो भुगतान।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का ई-भुगतान
- शेयरों में ट्रेड करने हेतु स्टार ई-शेयर ट्रेड
- ई-फ्रेट भुगतान
- डीजीएफटी लाइसेंस शुल्क का ऑन-लाइन भुगतान
- रेल्वे एवं हवाई यात्रा टिकट की ऑन-लाइन बुकिंग
- शिक्षा ऋण हेतु ऑन लाइन आवेदन
- खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक जिनका किसी भी डीपीओ के साथ खाता है उनके लिए ब्लॉक की गई राशि से समर्थित (एएसबीए) आईपीओ निर्गम आवेदन करने के लिए ऑन-लाइन निविदा सह आवेदन के लिए प्रावधान।

स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)

बैंक, नेशनल फाइनेंशल स्विच (एनएफएस) से जुड़ा है जिससे ग्राहक देशभर के 70,000 से अधिक एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक कैश-ट्री, बैंक्स एवं एसबीआई समूह नेटवर्क का भी सदस्य है। बैंक विभिन्न स्थानों में नए एटीएम (दोनों ऑन-साइट तथा ऑफ साइट) स्थापित कर रहा है। वर्ष 2010-11 के दौरान 605 नए एटीएम स्थापित किए गए यथा 31.03.2011 बैंक के 1,425 एटीएम हैं।

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में (आरआरबी) सीबीएस का कार्यान्वयन

बैंक ने वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्रायोजित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ग्रामीण ग्राहकों को "किसी भी समय, कहीं भी, कैसे भी" बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सीबीएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1,040 शाखाओं में से 949 शाखाएं सीबीएस में अंतरित हो गई है। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक एवं वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंकों का 100% अंतरण हो गया है।

अन्य नवीन पहलें

कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तकनीक का लाभ लिया जा रहा है :

- वित्तीय समावेशन परियोजना - अबैंकीकृत सेक्टर को बैंक से ज़ोड़ना
- सौर ऊर्जा परियोजना - पर्यावरण हितैषी - ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तकनीकी ऊर्जा।
- वी-सेट कनेक्टीविटी परियोजना- नेट वर्किंग/ग्रामीण एवं दूरवर्ती स्थलों को ज़ोड़ना
- सहयोगपूर्ण संचार-वास्तविक कक्षा सत्र/हाई-डेफीनेशन ऑडियो/विडियो उपकरणों का संस्थापन
- शारीरिक रूप से विकलांगों के आसान प्रयोग हेतु एटीएम तथा बायोमेट्रीक एटीएम का संस्थापन
- ऋण आवेदन प्रसंस्करण प्रणाली (सीएपीएस)
- मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
- एनआरआई ग्राहकों से संबंधित कुछ कार्यकलापों को केंद्रीकृत करने के लिए स्थापित वैश्विक धनप्रेषण केंद्र जो लगने वाले समय को कम करके उत्पाद वितरण करेंगे और जो सक्रिय विपणन कार्यनीति तथा शिकायत निवारण तंत्र से समर्थ होंगे।

प्रबंधन सूचना प्रणाली

सीबीएस का अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक ने डेटा मायनिंग साल्यूशन सहित डेटा वेयरहाउस (डीडब्ल्यूएच) भी स्थापित किया है जिससे बैंक, निर्णय में समर्थन हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली समर्थ हो और वह अपने कारोबारी आसूचना लक्ष्य शीघ्रता से व प्रभावी रूप से प्राप्त कर सके। इस सॉल्यूशन के कार्यन्वयन से बैंक का डेटा वेयरहाउस कोर बैंकिंग प्रणाली से दैनिक संव्यवहार डेटा संग्रहित करना है। साथ-साथ ही बैंक डेटा के गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल करना है तथा बैंक की प्रबंध सूचना प्रणाली अत्यधिक परिष्कृत तथा

परिशुद्ध बन गई है। बैंक अधिकांश भारतीय रिज़र्व बैंक रिपोर्ट, भारत सरकार के रिपोर्ट, आंतरिक उद्देश्य से रिपोर्टों का सृजन जीडब्ल्यूएच डेटाबेस के आधार पर करता है। शीर्ष प्रबंधन को प्रदान किए गए डैशबोर्ड का उपयोग प्रभावी रूप से कारोबर वृद्धि तथा जहाँ वहीं पर आवश्यकता है वहाँ समय पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कारोबारी आसूचना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक ने कारोबार विश्लेषणात्मक औज़ार कार्यान्वित किया है।

सूचना सुरक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रानिक बैंकिंग, तकनीक जोखिम प्रबंधन तथा साइबर अपराधों पर कार्यकारी समूह गठित किया है। यह समूह बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पन्न विभिन्न मामलों की जांच करता है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के नौ विस्तृत क्षेत्रों जैसे अभिशासन, सूचना सुरक्षा, आईएस, लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी परिचालन, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं आऊटसोर्सिंग, साइबर अपराध, कारोबार निरंतरता योजना, ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम तथा विधिक पहलूओं पर अपनी सिफारिशें देते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बुनियादी संस्थागत ढांचा का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का तथा 31 अक्टूबर 2011 तक ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं लाने का आदेश दिया है जिनके लिए व्यापक बजटीय सहायता, बुनियादी अथवा तकनीकी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन हेतु बैंक सूचना प्रौद्योगिकी शासन की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में है जिसमें विभिन्न विभागों की सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रबंधन की मानक प्रक्रियाओं को अपनाने तथा आईटी सेवा सुपुदर्गी, कॉबिट (आईटी पर नियंत्रक उद्देश्य) मानक का कार्यान्वयन के प्रतिनिधित्व वाली सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति सम्मिलित होगी।

उपर्युक्त उपायों द्वारा चरणबद्ध ढंग से भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिशों को कार्यन्वित करने में सुविधा होगी। "सूचना जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया से सुधार हेतु बैंक ने कई कदम उठाए हैं जैसे ग्राहक संबंधी डाटा की सुरक्षा हेतु पीसीआई-डी एमएस प्रमाणन प्राप्त करना। कारोबार निरंतरता पर बीएस-25999 नामक परियोजना को शुरू किया है जो विनाशकारी स्थिति में समस्त महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी आस्तियां तथा कोषागार विभाग के लिए प्रभावी कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करेगी।

बैंक उपक्रमवार पहचान तथा एक्सेस प्रबंधन प्रणाली, समस्त शाखाओं के मध्य सक्रिय निदेशिका को तैयार करने की प्रक्रिया में है ताकि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बैंकिंग परिचालन में सरलता, तीव्रता एवं सुरक्षात्मकता से किया जा सके।

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विभाग कंपायमान संगठनात्मक संस्कृति के सृजन के लिए सचेष्ट रहा जिससे कर्मचारीगण उत्साहपूर्वक सर्वोत्तम कार्य निष्पादन हेतु प्रेरित व प्रोत्साहित हुए। मानव संसाधन विभाग सतत प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम और मोड्यूल के माध्यम से कर्मचारियों के सामर्थ्य में वृद्धि करने और विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों की बदलती हुई कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें कौशल व ज्ञान से सज्जित करता है।

बैंक के देशभर में छः प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई शीर्ष स्तर का प्रशिक्षण संस्थान है, चार स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय महत्वपूर्ण स्थानों यथा भोपाल, चेन्नै नोयडा एवं कोलकाता में हैं। इसके अतिरिक्त एक सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र (आईटीटीसी) पुणे में भी है। वर्ष के दौरान इन महाविद्यालयों में बैंक के 22644 एवं अन्य संगठनों के 13560 कर्मचारियों को 1044 कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया।

पिछले एक वर्ष के दौरान 3066 नए सीधी भर्ती अधिकारियों ने बैंक में कार्यग्रहण किया। उनके लिए एमडीआई बेलापुर, नवी मुंबई में विशिष्ट इंडक्शन ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कैम्पस से भर्ती किए गए चार्टड एकाउंटेंट, मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव व फाइनांस एक्जीक्यूटिव के लिए भी थे। ऐसी प्रत्येक बैच को महाप्रबंधक (मानव संसाधन) ने या तो प्रबंधन विकास संस्थान, बेलापुर अथवा हमारे बीकेसी सभागृह में संबोधित किया। नए भर्ती किए गए लिपिकों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम एसटीसी भोपाल, नोएडा, चैन्नै एवं कोलकाता में आयोजित किए गए। पात्र व्यक्तियों के लिए भर्ती पूर्व एवं पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला अधिकारियों एवं लिपिकों, सेवा निवृत्त अधिकारियों आदि के लिए भी विशेष कार्यक्रम किए गए।

मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट, गुड़गांव में नए पदोन्नत उपमहाप्रबंधकों के लिए पांच दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, हैदराबाद में 3 बैचेस में नए पदोन्नत सहायक महाप्रबंधकों के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

हमारे प्रशिक्षण केन्द्रों में अन्य संस्थाओं के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। एमडीआई बेलापुर में बोर्स प्रोगाम में अन्य बैंकों से अच्छी संख्या में सहभागिता हुई। हमारे एमडीआई ने सीबीआई अधिकारियों के लिए भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग में अनुभव के लिए बैंक ने 53 अधिकारियों को हमारी विदेशी शाखाओं में प्रतिनियुक्त किया। 630 अधिकारियों को भारत में बाहरी संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया और 21 अधिकारी विदेश में प्रशिक्षण, सम्मेलन एवं सेमिनार के लिए प्रतिनियुक्त किए गए थे।

विभिन्न प्रबंधन संस्थान के 540 विद्यार्थियों ने बैंक में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप का लाभ उठाया। बैंक ने 54 उम्मीदवारों को दो साल के बैंकिंग एवं वित्त में पूर्णकालीन पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम में एनआईबीएम, पुणे में प्रयोजित किया है।

बैंक ने ई-लर्निंग शुरू किया है जिसके आने वाले महीनों में व्यावहारिक तौर पर लागू होने की आशा है। स्टारडेस्क के अन्तर्गत कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के ई-लर्निंग मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं।

बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत लाइव-ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। इससे बैंक में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऑन लाइन नामांकन हेतु मदद मिली।

अपने ज्ञान के अद्यतनीकरण कोशल वृद्धि के लिए इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग एवं फाइनांस (आईआईबीएफ), एवं अन्य प्रतिष्ठत संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षा उत्तीर्ण करने पर स्टाफ सदस्यों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन योजना भी प्रचलन में है।

बैंक में जो वैश्विक मानव संसाधन है उसमें 14821 अधिकारियों, 17216 लिपिकों एवं 7748 सपोर्ट स्टाफ का समावेश यथा दिनांक 31.03.2011 को है।

आंतरिक प्रकाशन (तारांगण)

एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ़ इंडिया (एबीसीआई) (एबीसीआई) द्वारा विभिन्न प्रवर्गों में बैंक की तिमाही गृह पत्रिका "तारांगण" को मुंबई में ग्रैंड अवार्ड नाइट में तीन पुरस्कार प्रदान किए गए। विशेष कॉलम (अंग्रेजी) - रजत टॉफी, द्विभाषी प्रकाशन - ब्रॉंझ ट्रॉफी व फीचर्स (अंग्रेजी) बॉंझ ट्रॉफी तथा वे महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के नेतृत्व में तारांगण टीम ने ग्रहण किए।

मुंबई का एक प्रमुख सांस्कृतिक व साहित्यिक संगठन "आशिर्वाद" द्वारा बैंक की गृह पत्रिका "तारांगण" को वर्ष 2009-10 के लिए (नवंबर 2010 को प्राप्त) "उत्कृष्ट गृह पत्रिका अवार्ड" प्रदान किया गया।

नीतियाँ भर्ती एवं पदोन्नती

कारपोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति में मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैंकिंग जैसे सेवा अभिमुख उद्यम में ग्राहकों की सतत बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसरण में सतत आधार पर नवीनतम उत्पाद प्रारंभ करने पर सफलता निर्भर रहती है। संपूर्ण बैंकिंग उद्योग में स्टाफ की तीव्र कमी बनी हुई है और सभी बैंक लिपिक तथा अधिकारी दोनों ही संवर्गों में कर्मचारियों की भर्ती करने हेतु हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अधिवर्षित कर्मचारियों के बदले युवा कर्मचारियों को भरने के लिए/सुधार करने के लिए सीधे बाजार से या कैंपस के माध्यम से सावधानीपूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु विभिन्न निहित बाध्यताओं - जैसे कि युवा अभ्यर्थियों की ग्रामीण तैनाती स्वीकारने की अनिच्छा, मौद्रिक क्षतिपूर्ति, सभी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा साथ में भर्ती इत्यादि के कारण बैंक इसमें आंशिक रूप से सफल हो सका है।

बैंक ने कप्रग्रेवे 1 में 2,000 सामान्य बैंकिंग अधिकारी और 2,467 लिपिक स्टाफ की भर्ती के लिए कदम उठाए हैं। नये भर्ती किए गए लिपिक तथा विशेषज्ञ अधिकारियों समेत अधिकारी वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रथम तिमाही में कार्यग्रहण करने की अपेक्षा है। कप्रग्रेवे 1 में 250 कृषि अधिकारी, 100 विपणन अधिकारी, मप्रग्रेवे II में 100 वित्त कार्यपालक, मप्रग्रेवे II में 200 सनदी लेखाकार, मप्रग्रेवे II में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और यह शीघ्र ही समाप्त होने की अपेक्षा है।

पूर्वानुमानित शाखा विस्तार/कारोबार विस्तार के साथ-साथ सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए 1,500 अधिकारियों और 2,400 लिपिकों की भर्ती वित्तीय वर्ष 2011-12 में करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त कार्यमूलक तथा समर्थक विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विभागों कृषि, विपणन, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध, तकनीकी (मूल्यांकन) में विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती की योजना है।

नए भर्ती स्टाफ सदस्यों को कौशल तथा ज्ञान का आवश्यक स्तर प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण महाविद्यालयों को विशेष तैयार किए गए परिचय कार्यक्रमों के अनुरूप तैयार किया गया है।

मानव संसाधन अगाडी पर की जानेवाली अन्य पहलों में शामिल हैं-

- बैंक की श्रमशक्ति आवश्यकताओं का वैज्ञानिक मूल्याकन
- वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का सरलीकरण
- अधिक उद्देश्य परक और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के लिए पदोन्नति नीति की समीक्षा
- मानव संसाधन समस्याओं का संपूर्ण समाधन करने के लिए अधिक एचआरएमएस मॉड्यूल (गतिविधियाँ) का समावेश व एकीकरण।
- मानव संसाधन पहलों, मानव संसाधन नीतियों में सुधार से संबंधित सुझावों के आदान-प्रदान के लिए महाप्रबंधक (मानव संसाधन) नियमित रूप से स्टार डेस्क देखते रहते हैं।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र से लिपिकों की भर्ती के लिए विशेष अभियान
- ऋण, फॉरेक्स, विपणन, वसूली जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट दक्षता प्राप्त अधिकारियों को चयनित करने हेतु 'प्रतिभा बैंक' का प्रारंभ
- अधिकारियों के लिए पात्रता मानदंड में रियायत देकर द्रुतगति पदोन्नति प्रक्रिया लागू करना
- समूह बचत संबद्ध बीमा, मृत्यु राहत योजना, कर्मचारियों के आश्रितों के शिक्षा खर्चों की प्रतिपूर्ति नकदी रहित उपचार हेतु विभिन्न अस्पतालों से गठजोड़ व्यवस्था, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सहायता त्यादि जैसे विभिन्न कल्याणकारी उपयों का कार्यान्वयन कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है।

आरक्षण नीति का अनुपालन

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय/आंचलिक कार्यालयों में विशेष भर्ती एवं एससी/एसटी कक्ष आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों के निवारण की निगरानी के लिए कार्यशील हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों/स्टाफ को लिपिकीय संवर्ग से सामान्य बैंकिंग अधिकारी संवर्ग में और अधिकारी संवर्ग के भीतर वेतनमान I से वेतनमान III में पदोन्नतियों के लिए भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2010-11 के दौरान एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रदान किए गए भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण के विवरण निम्नानुसार हैं :

(अनंतिम)

क्र. सं.	संवर्ग	भर्ती पूर्व				पदोन्नति पूर्व			
		आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रमों की अवधि	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या		आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रमों की अवधि	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	
				एससी	एसटी			एससी	एसटी
क)	अधिकारी	12	6 दिन	1,394	495	–	–	–	–
ख)	लिपिक	22	6 दिन	7,251	2,362	2	6 दिन	62	11
ग)	अधीनस्थ कर्मचारी	–	–	–	–	31	6 दिन	713	2 3 3

बैंक ने प्रधान कार्यालय में क्रमशः ओबीसी तथा एससी/एसटी के लिए मुख्य सम्पर्क अधिकारियों के रूप में दो महाप्रबंधकों को नियुक्त किया है। एससी/एसटी ओबीसी प्रवर्गों से संबंधित अधिकारी सम्पर्क अधिकारी/कक्ष अधिकारी के रूप में आंचलिक कार्यालयों में नियुक्त किए हैं। सरकारी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रधान कार्यालय में पद आधारित आरक्षण रोस्टर का रखरखाव किया जाता है जिसका निरीक्षण वार्षिक आधार पर किया जाता है। प्रधान कार्यालय एवं आंचलिक कार्यालयों में स्थापित एससी/एसटी कक्ष भूतपूर्व सैनिकों/अशक्त व्यक्तियों जैसे प्रवर्गों के संबंध में आरक्षण के कार्यान्वयन के साथ भी सम्बद्ध है।

कुल स्टाफ संख्या (भारतीय) में एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व

(अनंन्तिम)

मार्च 2010	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ	कुल
अनुसूचित जाति	2,593	2,702	2,798	8,093
भारतीय कार्यालयों में कुल स्टाफ का%	17.29	15.48	35.65	20.08
अनुसूचित जनजाति	1,126	1,270	810	3,206
भारतीय कार्यालयों में कुल स्टाफ का%	7.51	7.27	10.32	7.95
अन्य पिछड़ी जातियां	764	1,000	949	2,713
भारतीय कार्यालयों में कुल स्टाफ का%	5.09	5.73	12.09	6.73

विधि

विधि विभाग, वसूली के लिए वाद दायर की प्रक्रिया और अथवा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत कार्रवाई द्वारा बैंक का मार्गदर्शन करता है। इसके अतिरिक्त, विधि विभाग सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के सटीक कार्यान्वयन के लिए सभी अंचलों तथा शाखाओं पर निगरानी रखता है व मार्गदर्शन देता है।

जनता के अनुरोध और अपील पर समयानुसार ध्यान देने के लिए संबंधित अंचल के आंचलिक कार्यालयों तथा शाखाओं में पूर्ववर्ती केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा अपील अधिकारी (एए) के अतिरिक्त राष्ट्रीय बैंकिंग समूह कार्यालयों, मंडलीय कार्यालयों तथा बृहत् कार्पोरेट शाखाओं में भी बैंक ने केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा अपील प्राधिकारी (एए) नामित किए हैं।

प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो रहे अनुरोधों की देखभाल करने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में भी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा अपील अधिकारी है। सूचना अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत बैंक से संबंधित आवश्यक महत्वपूर्ण सूचनाएं बैंक की वेबसाइट में दी गई है। अधिनियम में निर्धारित समय के अंदर बैंक सभी आवेदनों तथा अपीलों का निपटान कर रहा है।

अनुपालन

अधिनियमों की बढ़ती संख्या और एक संस्था के अधिकतर लोगों में अनुपालन की जरूरतों की समझदारी कम होने के कारण नियामक के संदर्भ में अनुपालन बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अनुपालन कार्पोरेट नियंत्रण का अहम मुद्दा बन रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक की अनुपालन कार्यनीति बोर्ड द्वारा स्वीकार की गई है। बैंक में मुख्य अनुपालन अधिकारी (महाप्रबंधक की श्रेणी में) के नेतृत्व में स्वतंत्र अनुपालन विभाग कार्य कर रहा है। बैंक के सांविधिक, नियामक एवं आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन बैंक के अनुपालन कार्य का परिचालन कार्यक्षेत्र है।

शाखा बैंकिंग के निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए विभाग ने अनुपालन नियम तैयार किया है।

विवरणी	वितरण	नियमों की सं.
अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण/आतंकवाद वित्तपोषण का विरोध (सीएफटी)	मासिक	51
जमा व सेवाएं	तिमाही	62
अग्रिम	तिमाही	63
एफईएमए	तिमाही	119

सभी अंचल निर्धारित वितरण में उपर्युक्त नियमों का अतिप्रमाणन प्रस्तुत करते हैं, यह बैंक के वेबसाइट में भी प्रदर्शित किया गया है। नियमों के आधार पर पूरे भारत में चुनिंदा शाखाओं में विभाग द्वारा अर्धवार्षिकी अनुपालन परीक्षण किया जा रहा है। उक्त अनुपालन परीक्षण की जानकारी पर एक रिपोर्ट सर्वोच्च प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है।

प्रत्येक अंचल के अनुपालन कार्य की निगरानी के लिए प्रत्येक आंचलिक कार्यालय में अनुपालन अधिकारी अभिनिर्धारित किए गए हैं। विदेशी शाखाओं के लिए क्लस्टर स्तर पर निगरानी की जाती है।

अनुपालन विभाग, अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड/सर्वोच्च प्रबंधन/प्रधान कार्यालय के विभागों को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता है :

- बोर्ड को बैंक के अनुपालन कार्य पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना;*
- संबंधित अंचलों से अनुवर्ती कार्रवाई/सुधार के लिए अनुपालन चूक के उदाहरण प्रधान कार्यालय के विभागों को देना;
- बैंक के समक्ष अनुपालन जोखिम पर मासिक नोट सर्वोच्च प्रबंधन को प्रस्तुत करना;
- मासिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों का सारांश बोर्ड को प्रस्तुत करना;
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को तिमाही आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों/अनुदेशों पर बैंक का अनुपालन प्रस्तुत करना;
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत समीक्षा कैलेण्डर की निगरानी और इस पर तिमाही के आधार पर बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- अनुपालन कार्य नीति के पैरा 12 (xii) के अनुसार विभाग द्वारा अपने कार्य पर बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

विभाग को बैंक में अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण उपाय/सीएफटी दिशानिर्देशों को लागू/निगरानी करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार विभाग ने सभी वर्तमान खातों में केवायसी मानदण्ड के अनुपालन को सुनिश्चित करने का काम गंभीरता से लिया है। फिनेकल सिस्टम में प्रत्येक खाते में केवायसी स्थिति को नोट करने के लिए अलग अनिवार्य फिल्ड डाला गया है। सभी शाखाओं में केवायसी अनुपालन न किए गए खातों को पहचानने, केवायसी दस्तावेज प्राप्त करने तथा फिनेकल सिस्टम को उचित रूप से अद्यतन करने की प्रक्रिया चल रही है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम) के उपबंधों के अनुसार और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और केवायसी के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शाखाएं प्रत्येक ग्राहक को उसका नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, पहचान का प्रमाण तथा केवायसी अनुपालन के लिए पते का प्रमाण प्राप्त कर सटिक पहचान प्राप्त कर पहचान करें। कम आय समूह के व्यक्तियों के खाते खोलते समय सरलीकृत केवायसी मानदंड शुरू किए गए है। सभी ग्राहकों को जोखिम धारणा के आधार पर उच्च, मध्यम व न्यून जोखिम प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

बैंक ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के उपबंधों को निम्नानुसार कार्यान्वित किया है :

- प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति की गई है (मुख्य अनुपालन अधिकारी ही धनशोधन रिपोर्टिंग अधिकारी [एमएलआरओ] भी है)
- बैंक वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) नई दिल्ली को ₹ 10 लाख से ज्यादा के संव्यवहार के संबंध में मासिक नकदी संव्यवहार रिपोर्ट (सीटीआर) प्रस्तुत कर रहा है।
- बैंक वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआईयू-आईएनडी) को संदेहास्पद संव्यवहार रिपोर्ट (एसटीआर) एवं जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर), जब भी उसकी पहचान की जाती है, प्रस्तुत कर रहा है।
- पीएमएल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रिकार्ड का रखरखाव एवं संरक्षण किया जा रहा है।

बैंक ने धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत संदेहास्पद संव्यवहारों की पहचान के लिए एक एंटी मनी लॉडरिंग साफ्टवेयर (एमलॉक) खरीदा है। यह सॉफ्टवेयर प्रतिदिन औसतन 4000 सावधानी सूचना जारी कर रहा है। विभाग इन सावधानी सूचनाओं की जांच करता है। जहां आवश्यक हो अंचल/शाखाओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और जहॉ अंचल/शाखाओं के स्पष्टीकरण से बैंक संतुष्ट नहीं होता है वहां एफवाईयू-आईएनडी के पास संदेहास्पद संव्यवहार रिपोर्ट फाइल की जाती है।

प्रधान कार्यालय के विभागों के साथ समन्वय करते हुए विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय निरीक्षण को संभालता है। एएफआई रिपोर्टों की संवीक्षा की जाती है और अनुपालन भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा जाता है। वर्ष 2009-10 के लिए एएफआई 03.09.2010 को समाप्त किया गया और 10.11.2010 को रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट के उत्तर/अनुपालन कार्रवाई बिन्दु सभी विभागों से प्राप्त की गई तथा दिनांक 22.12.2010 को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में प्रस्तुत की गई। कार्रवाई बिन्दुओं के उत्तर/अनुपालन 07.01.2011 को भारतीय रिज़र्व को प्रस्तुत किया गया।

सभी नियंत्रक एजेन्सियों का बैंक से संपर्क के लिए यह विभाग एकल संपर्क बिन्दु है।

सतर्कता

वित्त मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त महाप्रबंधक श्रेणी के मुख्य सतर्कता अधिकारी बैंक की सतर्कता व्यवस्था के प्रमुख हैं। सभी सतर्कता मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारियों/नियंत्रक प्राधिकारियों को सलाह देने के लिए उन्हें ऐसे अधिकारियों की सहायता प्राप्त है जिन्हें अन्वेषण और अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों के साथ ही साथ बैंकिंग ज्ञान की पृष्ठभूमि है। सर्तकता विभाग, निवारक सतर्कता उपायों के प्रचार-प्रसार का भी ध्यान रखता है।

निरीक्षण व लेखा परीक्षा

वर्ष 2010-11 के दौरान विभाग द्वारा शाखाओं, करेंसी चेस्ट, डिपॉजिटरी सहभागिता कार्यालय में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा तथा राजस्व लेखा परीक्षा की गई और प्रधान कार्यालय विभागों, आंचलिक कार्यालयों, आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालयों, स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालयों, एमडीआई, एलडीएम कार्यालय, आरआरबी में जोखिम आधारित प्रबंधन लेखा परीक्षा की गई। एफसीए द्वारा 681 आंतरिक शाखाओं (तिजोरी शाखा सहित) तथा संपदा विभाग, प्रधान कार्यालय (केन्द्रीयकृत भुगतान के लिए) तथा आंतरिक अधिकारियों द्वारा 24 विदेशी शाखाओं, कार्ड उत्पाद विभाग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा डाटा सेन्टर की समवर्ती लेखा परीक्षा की गई। बैंक के कुल ग्लोबल अग्रिम का 68.05% तथा कुल ग्लोबल जमा का 56.07% समवर्ती लेखा परीक्षा द्वारा पूरा किया गया जबकि नियत स्तर प्रत्येक का 50% है। विभाग ने शाखाओं में लेखा परीक्षा के दौरान ₹ 45.53 करोड़ तक के राजस्व की हानि का पता लगाया।

स्टारबूस्ट योजना के अंतर्गत 2,624 शाखाओं के लेखा परीक्षा अपवाद रिपोर्ट (एईआर) निकाले गए और आरबीआईए के अंतर्गत शाखाओं को भेजे गए। यह रिपोर्ट संबंधित शाखाओं को दो महीने पहले भेजी जाती है जिससे लेखा परीक्षा आरंभ होने के पहले शाखाएं आवश्यक सुधारात्मक उपाय शुरू कर सकें, इससे उन्हें अच्छी लेखा परीक्षा श्रेणी प्राप्त करने में सुविधा होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्ववर्ती एएफई (20.04.2010 को एसीबी द्वारा अनुमोदित) द्वारा चिह्नित क्षेत्रों को सही ढंग से पूरा करने के लिए आंतरिक शाखाओं के जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा, जोखिम आधारित प्रबंधन लेखा परीक्षा (आंतरिक) और समवर्ती लेखा परीक्षा की नीतियों का उपयुक्त समीक्षा/संशोधन किया गया। वर्ष 2009-10 के लिए बैंक के लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट पर समयानुसार कार्रवाई की गई तथा बोर्ड और एसीबी को अनुपालन की रिपोर्ट की गई। बोर्ड/एसीबी की बैठकों में उभरे कार्रवाई बिन्दु का अनुपालन एसीबी/बोर्ड को समय से प्रस्तुत किया गया।

'अधिक जोखिम और ऊपर' मूल्यांकित शाखाओं में विवेकाधिकार लेखा परीक्षा कार्रवाई की गई जिससे अपवाद का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और उससे लेखा परीक्षा रिपोर्ट जल्द बंद की जा सके। सकल्प 10,000 के कार्यान्वयन के चलते जो खाते एलसीसी/एमसीसी शाखाओं में स्थानांतरित हुए उनका स्नेप लेखा परीक्षण किया गया जिससे दस्तावेजों का सही स्थानांतरण सुनिश्चित किया जा सके। लेखा परीक्षित शाखाओं में (यह निरंतर किया जा रहा है) निवारक सतर्कता उपाय के प्रभाव का आकलन किया। 489 शाखाओं में फैली 2,558 खातों में ऋण लेखा परीक्षा तथा ऋण समीक्षा व्यवस्था आयोजित की गई।

महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक ने विभिन्न आंचलिक लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सहभागिता की तथा अधिक जोखिम स्तर की शाखाओं के मुख्य पदधारी के साथ बैठक की गई और समयानुसार अनुपालन/विभिन्न रिपोर्टों को बंद करने तथा लेखा परीक्षा रेटिंग बेहतर करने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन दिया। कुछ अंचलों में समवर्ती लेखा परीक्षक/आंतरिक लेखा परीक्षकों की बैठक आयोजित की गई जहां महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक ने लेखा परीक्षा खोज की गुणवत्ता रिपोर्टिंग और समयानुसार रिपोर्ट जमा करने पर बल दिया।

डाटा सेन्टर के लिए पूर्णकालिक आंतरिक समवर्ती लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया और अन्य कर्तव्यों के साथ उसे ब्याज मानदंडों की जांच, ब्याज प्रक्रिया का प्रयोग तथा नमूने खातों में ब्याज की जांच का कार्य दिया गया। समवर्ती लेखा परीक्षक के विचारों को अनुपालन के लिए आईटी विभाग को अग्रेषित किया गया। उनसे प्राप्त अनुपालन को प्रधान कार्यालय (लेखा परीक्षा) उप-समिति के समक्ष नोट करने तथा आवश्यक निदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

सभी महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा खोज पर नियमित रिपोर्टिंग निर्धारित उच्च प्रबंधन, प्रधान कार्यालय (लेखा परीक्षा) उप-समिति तथा एसीबी को प्रस्तुत की जाती है और निदेशों का अनुपालन किया जाता है।

राजभाषा

वर्ष में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में बैंक का कार्यनिष्पादन सराहनीय रहा है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2010-11 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक ने अपने प्रयास जारी रखे। राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बैंक ने अपने सभी राजभाषा अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया। हिंदी कार्यान्वयन को गति देने के लिए हमारे बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की ओर से प्राप्त निदेशों के अनुरूप विभिन्न ग्राहक संपर्की कार्यक्रमों में राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग किया जिसकी ग्राहकों ने भी मुक्तकंठ से प्रशंसा की।

इस वर्ष में कुल 60 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें दिन प्रतिदिन के बैंकिंग कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने के लिए 1293 अधिकारियों/लिपिकों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष के दौरान हमारे बैंक को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार, गृह मंत्रालय की ओर से हमारे पटना अंचल को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पुणे से हमारे पुणे अंचल को प्रथम पुरस्कार तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, खंडवा से हमारे खंडवा अंचल को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। जबकि विभिन्न शहरों में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की ओर से यथा उज्जैन, पटना अंचल को द्वितीय, भुवनेश्वर, लुधियाना को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए। भारतीय रिजर्व बैंक की गर्वनर राजभाषा शील्ड के अंतर्गत 'ख' क्षेत्र में प्रोत्साहन पुरस्कार तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पुणे से हमें प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

बैंक की वेबसाइट पर भी ज्यादातर सूचनाएँ हिन्दी में उपलब्ध कराई गई हैं। एटीएम प्रयोक्ताओं के लिए एटीएम मशीनों पर हिंदी भाषा का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है।

बैंक की सहायक कंपनियां/सहयोगी संस्थाएं

बीओआई शेयर होल्डिंग लि. (बीओआईएसएल)

बैंक का केपिटल मार्केट के साथ नौ दशकों से अधिक पुराना संबंध है। 1921 से बैंक द्वारा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का समाशोधन एवं निपटान कार्य किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए बैंक ने 1989 में बीएसई के साथ बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. (बीओआईएसएल) नामक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। बैंक के पास ₹ 2 करोड़ की अपनी प्रदत्त पूंजी का 51% हिस्सा है।

यह कंपनी एक्सचेंज में परिचालन करने वाले सदस्य ब्रोकरों द्वारा दिए गए सौदों की रोलिंग एवं साप्ताहिक निपटान कर रही है। बीओआईएसएल नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) दोनों डिपॉजिटरियों का डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) भी है और यह समाशोधन सदस्यों एवं निवेशकों को डिपॉजिटरी सेवाएं उपलब्ध कराता है। बीओआईएसएल देश का ऐसा पहला प्रतिभूति समाशोधन गृह है जिसे आईएसओ 9001-2000 आईएसओ प्रमाणन से पुरस्कृत किया गया है।

बीओआईएसएल ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 498.94 लाख (अलेखा परीक्षित) का निवल लाभ अर्जित किया है।

भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि. (एसटीसीआई)

एसटीसीआई लि., देश का एक प्रमुख प्रायमरी डीलर है। इसे सक्रिय सेकेंडरी मार्केट के विकास के माध्यम से गिल्ट एवं अन्य ऋण प्रतिभूति बाजार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से 1999 में प्रमुख वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रवर्तित किया गया है। एसटीसीआई जिसकी प्रदत्त पूंजी ₹ 380 करोड़ है, बैंक ऑफ़ इंडिया 29.96% धारिता के साथ सबसे बड़ा एकल शेयरधारक है। यह कंपनी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 21 (एएस-21) के अनुसार बैंक की सहयोगी कंपनी है।

इस बढ़ती धारणा के परिप्रेक्ष्य में कि प्राइमरी डीलरशीप अपने आप में कोई आकर्षक व्यवसाय नहीं रहा, एसटीसीआई ने प्राइमरी डीलरशीप कारोबार अपनी नई सहायक कंपनी एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. को देने का निर्णय किया है, जिसने अपना कार्य जून, 2007 से शुरू किया है। इस सहायक कंपनी ने अपना कार्य सावधानीपूर्वक शुरू किया है और तब से नियमित प्रगति कर रही है।

बैंक की सहायक कंपनियों के निर्माण के पश्चात एसटीसीआई ने आईपीओ निधि, मार्जिन निधि, पण्य स्वरूप, भावी कारोबार, आस्ति प्रबंधन, लघु अवधि कार्पोरेट/सीपी ऋण में निवेश, इक्विटी कारोबार गतिविधियां प्रारंभ की है।

एसटीसीआई का वित्त वर्ष 2009-10 में कर उपरांत लाभ ₹ 32.80 करोड़ की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान कर उपरांत लाभ ₹ 45.80 करोड़ है।

स्टार यूनियन दाई इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (एसयूडी लाइफ)

बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया एवं दाई-इची म्यूचुअल लाईफ इंश्योरेंस कंपनी, जापान ने वृद्धिशील बीमा बाजार का लाभ लेने तथा देश में चारों ओर फैले अपने ग्राहकों को विश्वसनीय गुणवत्ता बीमा उपलब्ध कराने के लिए 'स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी' गठित की है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी में बीओआई का ₹ 250.00 करोड़ का 51% अंश है।

बैंक की धारिता के अतिरिक्त यूनियन बैंक का हिस्सा 26% तथा दाई-इची लाईफ इंश्योरेंस कंपनी, जापान की धारिता 26% है। संयुक्त उद्यम करार की शर्तों के अनुसार बैंक ने अपनी 3% धारिता को यूनियन बैंक के पक्ष में पहले ही अंतरण दिया है।

एएसआरईसी (इंडिया) लि. (असोसिएट)

कंपनी को यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम के रूप में प्रतिभूतिकरण और आस्ति पूनर्रचना कार्यकलाप करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2004-05 के उत्तरार्द्ध में सरफेसी एक्ट, 2002 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकरण का प्रमाणपत्र दिया गया था और तब से कंपनी ने पूर्णरूपेण कार्य करना शुरू किया। अभी कंपनी की ₹ 27.06 करोड़ इक्विटी पूंजी में बैंक की 26.02% की धारिता है।

इंडो ज़ाम्बिया बैंक लि. (आईजेडबी)

आईजेडबी तीन भारतीय बैंकों, यथा बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया तथा ज़ाम्बिया सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। प्रत्येक भारतीय बैंक के पास 20% शेयर पूंजी धारिता है जबकि ज़ाम्बिया सरकार की शेयर पूंजी धारिता 40% है। इंडो-ज़ाम्बिया बैंक सफल संयुक्त उद्यम का एक बढ़िया उदाहरण है। इसे दो मित्रवत गणराज्यों, ज़ाम्बिया गणराज्य सरकार तथा भारत सरकार, का संरक्षण प्राप्त है।

पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके, इंडोनेशिया

बैंक ने वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय ₹ 3.77 करोड़ का पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके में 76% हिस्सा अर्जित किया। पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके निदेशक मंडल में बैंक के तीन निदेशक हैं।

बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि.

बैंक ऑफ़ इंडिया तंजानिया लिमिटेड पूर्ण रूप से बैंक की अपनी अनुषंगी है जिसने दिनांक 16 जून, 2008 से दार-ए-सलाम में पहली शाखा के साथ परिचालन आरंभ किया है।

बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि.

बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि. 176.95 प्रदत्त पूंजी के साथ पूर्ण रूप से बैंक की अनुषंगी है। न्यूज़ीलैण्ड के रिज़र्व बैंक से दिनांक 31.03.2011 से परिचालन करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। परिचालन जल्द ही आरंभ होगा।

महत्वपूर्ण निवेश/गठजोड़

सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल)

यह कंपनी बंबई स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया व अन्य बैंकों के साथ 1997 में प्रवर्तित की गई थी। सीडीएसएल को प्रवर्तित करने का मुख्य उद्देश्य स्क्रिप्स के डिमेटीकरण की गति में वृद्धि व पूंजी बाजार में निवेशकों की सहभागिता बढ़ाने और देश की द्वितीय डिपॉजिटरी के रूप में एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्मित करना था। सीडीएसएल की ₹ 104.50 करोड़ की प्रदत्त पूंजी में बैंक का हिस्सा 5.57% है। सीडीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में 10% लाभांश तथा वर्ष 2009-10 में 12% लाभांश का भुगतान किया है।

ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि. (सीआईबीआईएल)

ऋण आसूचना ब्यूरो देश का पहला ऋण आसूचना ब्यूरो है, जिसे बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र को ऋण सूचना और जोखिम विश्लेषण सेवाएं देने के लिए अगस्त, 2000 में निगमित किया गया। कंपनी ने अपना उपभोक्ता ब्यूरो परिचालन वित्तीय वर्ष 2004-05 में एवं वाणिज्यिक ब्यूरो परिचालन 2006-07 के दौरान प्रारंभ किए। कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में बैंक की 5% की धारिता है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. (एमसीएक्स)

एमसीएक्स नई पीढ़ी का राष्ट्रीय स्तर पर वादा ट्रेडिंग करने वाला बहु पण्य एक्सचेंज है। एक्सचेंज ने वित्तीय वर्ष 2004-05 में कार्य प्रारंभ किया एवं लघु अवधि के भीतर भारत के प्रथम कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में अपना स्थान बनाया है। अब इसे विश्व के टाप बुलियन एवं बेस मेटल एक्सचेंज में गिना जाता है। बैंक का एमसीएक्स की पूंजी में प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में से हक के साथ सहयोगी होने की दृष्टि से इक्विटी सहभागिता के रूप में 2% का सामान्य हिस्सा है। बैंक बुलियन एक्सचेंज शाखा के माध्यम से एक्सचेंज के बैंक समाशोधन कार्यों को भी संभालता है।

नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. (एनसीएमएसएल)

नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. को नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज लि. द्वारा प्रवर्तित किया गया है। इसको दिनांक 28.09.04 को प्रतिभूतियों एवं कमोडिटीज हेतु सुरक्षा, प्रबंधन तथा नियंत्रण के लिए कोलेटरल प्रबंधन सेवाएं प्रोन्नत करने तथा प्रदान करने हेतु निगमित किया गया था। यह कमोडिटी एक्सचेंज पर ट्रेड के विकास हेतु विभिन्न सेवाएं तथा सिक्यूरिटिज एवं कमोडिटीज इत्यादि का मूल्यांकन ग्रेडिंग, इन्शुअरिंग, सेक्युरिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रिब्यूटिंग, क्लिअरिंग एवं फारवर्डिंग का कार्य करता है। बैंक की कंपनी इक्विटी पूंजी में 10.17% हिस्सेदारी (₹ 3 करोड़) है। इस तरह यह बैंक को एससीएमएसएल के साथ अपने संबंधों के चलते उनके सदस्यों और ग्राहकों को क्रेडिट देने का अवसर प्राप्त होता है।

एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ़ इंडिया लि. (एसएमईआरए)

एक प्रमुख ऋण स्तरांकन एजेंसी डन एंड ब्रॅडस्ट्रीट के सहयोग से सिडबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान एसएमईआरए की स्थापना की गई। एसएमईआरए का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय स्तरांकन प्रदान करना है जिससे एसएमई क्षेत्र को बड़ी मात्रा में और आसानी से ऋण उपलब्धता होगी। बैंक की कंपनी की इक्विटी पूंजी में नाममात्र 4% धारिता है।

अन्य महत्वपूर्ण निवेश

उपर्युक्त सूचीबद्ध मुख्य महत्वपूर्ण निवेश के अलावा एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लि. (₹ 25 करोड़) युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज लि. (₹ 7.50 करोड़) इक्वीफैक्स क्रेडिट इन्फार्मेशन सर्विसेस लि. (₹ 1.75 करोड़) यूवी एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कं. लि. (₹ 15 करोड़), क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (₹ 0.50 करोड़), एग्रीक्ल्चरल फायनेंस कार्पोरेशन लि. (₹ 1.26 करोड़), सिड़बी (₹ 45.30 करोड़), टूरिज्म फायनेंस कार्पोरेशन लि. (₹ 2.67 करोड़), सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन लि. (₹ 1.11 करोड़), एमपीसीओएन (₹ 0.16 करोड़), एचआईएमसीओएन (₹ 1500/-), एचएआरडीआईसीआईएन (₹ 10,000/-), एमआईटीसीओएन (₹ 40,000/), एनआईटीसीओएन (₹ 20,000/-), आदि में भी बैंक का महत्वपूर्ण निवेश है।

बैंक की डिपॉजिटरी सेवाएं

सभी शाखाओं द्वारा कोर बैंकिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बैंक के

ग्राहकों को डिपॉजिटरी सेवाएं दी जा रही है। बैंकिंग सेवाओं की उपयोगिता बढ़ाने तथा डिपॉजिटरी सेवाओं के विभिन्न फायदों को उपलब्ध करवाने के लिए बैंक दोनों यथा एनएसडीएल तथा सीडीएसएल डिपॉजिटरी सेवाओं को प्रदान कर रहा है। बेहतर सेवा देने के लिए डीपी परिचालन को मुंबई में केन्द्रियकृत किया गया है। इस वर्ष के दौरान सहक्रिया को प्राप्त करने तथा मानव संसाधन के सही उपयोग के लिए बेंक ने सीडीएसएल, डीपीओ को अंधेरी (पश्चिम) से मुंबई (मुख्य) शाखा के बडे परिसर में स्थानांतरित किया है।

हमारे डीपीओ में सक्रिय डीमैट खातों को संख्या 31.03.2010 को 87,448 खातों की तुलना में 31.03.2011 को 90,012 थी। वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने डीपी सेवाओं से सकल आय वर्ष 2009-10 को ₹ 374 लाख की तुलना में ₹ 448 लाख अर्जित किए। वित्तीय वर्ष 2011-12 को आय बजट का लक्ष्य ₹ 640 लाख रहा।

स्टार शेयर ट्रेड (शेयर की ऑन लाईन ट्रेडिंग)

पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग (ओएलएसटी) स्टॉक मार्केट के निदेशकों के मध्य लोकप्रियता प्राप्त कर रही है और सौदों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। हमारे ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने और उन्हें माउस क्लिक फोन पर सौदे करने की सुविधा देने के विचार से बैंक ने एनएसई में सेबी पंजीकृत प्रतिष्ठित ब्रोकिंग कंपनी असित सी. मेहता इन्वेस्टमेंट इन्टरमीडिया लि. के साथ गठजोड व्यवस्था कर अपने ग्राहकों के लिए बैंक खाता, डीमेट खाता एवं ट्रेडिंग खाता को एकीकृत कर स्टार शेयर ट्रेड (आनलाइन ट्रेडिंग सुविधा) प्रारंभ की हैं। ओएलएसटी सुविधा प्रतिष्ठित स्टॉक ब्रोकर मेसर्स असीत सी. मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमिडीयेट्स लिमिटेड (एसीएमआईआईएल) द्वारा 2005 से उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सुविधा हमारे एनआरआई ग्राहकों और आईपीओ भरने के लिए भी उपलब्ध है।

ग्राहकों को अधिक विकल्प देने तथा व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैले ग्राहकों तक पहुँचने के लिए इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित तीन ब्रोकिंग कंपनियों के साथ गठ-जोड़ व्यवस्था की गई है। इस गठ-जोड़ व्यवस्था द्वारा कई उत्पाद दिए जा रहे हैं :

- एजकॉन ग्लोबल सर्विसेज़ लिमिटेड (एजीएसएल)
- जीईपीएल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (जीसीपीएल)
- कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल)

ऐप्लीकेशन सपोर्टेड वाय ब्लाक्ड एमाउंट (एसबीए)

बैंक सेबी में स्वयं प्रमाणित सिंडीकेट बैंक (एससीएसबी) के रूप में पंजीकृत है और एएसबीए के अंतर्गत प्राप्त आईपीओ आवेदन (प्रत्यक्ष आवेदन) हमारी नामित शाखाओं द्वारा संसाधित किए जाते हैं। नामित शाखाओं की संख्या 31.03.2010 में 149 से बढ़कर 31.03.2011 को 361 हो गई है। बैंक की स्टॉक एक्सचेंज शाखा आसबा की नोडल शाखा के रूप में कार्य कर रही है। उपर्युक्त नामित शाखाओं के अतिरिक्त अन्य शाखाओं से इन्टरनेट बैंकिंग सुविधावाले ग्राहक स्टार कनेक्ट रिटेल इन्टरनेट बैंकिंग द्वारा आसबा में ऑनलाइन बिड सह आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

निम्नलिखित निवेशक एएसबीए के माध्यम से आईपीओ हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं :-

i) **पब्लिक इश्यू में :** सभी निवेशकर्ता सार्वजनिक निर्गम में एएसबीए के माध्यम से आवेदन करने हेतु पात्र हैं।

ii) **राइट इश्यू में :** जारीकर्ता कंपनी के सभी शेयरधारक रिकार्ड तारीख पर, बशर्ते कि वह :

   क. डिमेट फॉर्म में शेयर धारण करता हो और पात्रता के लिए आवेदन और/अथवा अतिरिक्त शेयर्स डिमेट फार्म जारी के लिए आवेदन किया हो

   ख. उनकी पात्रता पूर्ण/आंशिक रूप से त्याग न दी गई हो

   ग. निर्गम का उसने त्याग न किया हो

निदेशक उत्तरदायित्व वक्तव्य

मार्च 31, 2011 को समाप्त वार्षिक लेखा की तैयारी में निदेशक पुष्टि करते हैं कि,

- महत्वपूर्ण विचलन के उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;
- भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन के अनुरूप तैयार लेखा नीतियां समनुरूप से लागू की गई है;
- वित्तीय वर्ष के अंत और 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ की सत्य और सही परिस्थिति के लिए तर्कसंगत और यथोचित निर्णय तथा प्राक्कलन किया गया;
- भारत में बैंकों के नियंत्रण के लिए लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा रिकार्ड अनुरक्षण के लिए सही और पर्याप्त ध्यान रखा गया; और
- 'लाभकारी कारोबार वाला संस्थान' के आधार पर लेखा तैयार किया गया है।

कॉर्पोरेट अभिशासन

कॉर्पोरेट अभिशासन पर विस्तृत रिपोर्ट, निदेशक रिपोर्ट का भाग होने के कारण पृष्ठ सं. 59 से 76 पर प्रदर्शित है।

आभार

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। श्री एम. नरेन्द्र (भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक) श्री के.एस. संपत, श्री ए.वी. सरदेसाई, श्री अमित के मोतायद, श्री इंद्रेश वी. सिंह, बैंक के समस्त निदेशकों और जिन्होंने वर्ष के दौरान पद छोड़ दिया है की सेवाओं एवं सहयोग हेतु बोर्ड अपना आभार प्रकट करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं संपर्ककर्ता बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोर्ड ग्राहकों एवं शेयरधारकों की असीमित सहायता हेतु आभार तथा बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों के प्रति भी उनकी समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

बोर्ड के निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

ए. के. मिश्रा

स्थान : मुंबई
दिनांक : 02.05.2011

(आलोक मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT

Dear Shareholders,

It is my privilege to present the Annual Report of your great institution for the year ended March 31, 2011.

As we step into a new Financial Year, it would be educative to reflect on the year gone by and take stock of the challenges and opportunities that lie ahead.

Global recovery gained strength, matured and broadened to include more countries in 2010. The tentativeness of the recovery process in the first half of 2010 prompted the US to announce a second dose of Quantitative Easing (QE II) to the tune of US$600bn beginning with November 2010 and running through June 2011. Continuance of an easy monetary stance by the major Central Banks of the world like the Federal Reserve, ECB and Bank of England to avoid a double dip Global recession, helped in a strong recovery of the Global GDP in 2010.

The IMF forecasts world output to grow by 4.4% in 2011 as against a 5% growth in 2010. Within the emerging countries, 'Developing Asia' (China, India and ASEAN-5) is expected to grow by 8.4% in 2011. Further, the WTO estimates, World Trade volume is likely to grow by 6.5% in 2011 on top of a 14.5% growth in 2010.The Developing economies are expected to lead global trade growth in 2011. The year 2010 also witnessed strengthening of G-20 as a policy platform. The G-20 is committed to secure strong, sustained and balanced growth which augurs well for the future of the global economy.

Though growth moderated in the fourth quarter of 2010-11 to 7.8% after posting over 8.0% growth in the first three quarters, Indian economy grew at 8.5% in 2010-11 as against 8% in 2009-10 as per the revised estimates of the Central Statistical Organization (CSO). Normal monsoon after a gap of two years helped Agriculture to grow at 6.6% in 2010-11 as compared to just 0.4% in 2009-10. Industry and Services grew at 7.8% and 9.2% in 2010-11 compared to 8.3% and 9.7% respectively in 2009-10. The buoyancy in the production activity in the real sector can also be gauged from the significant growth in indirect taxes. The high growth in 2010-11 was backed by not only domestic demand but also equally strong external demand. Indian exports grew by 37.6% in 2010-11. The bullishness about the Indian economy was also reflected in the growth of the Sensex during April 2010 and March 2011 by 11%. Net FIIs inflows were around US$ 30bn during the year 2010-11.

Along with high growth, the economy also witnessed high levels of inflation for the major part of 2010-11. RBI increased policy rates 8 times beginning with March 2010 to contain inflation. Though lending rates went up in line with policy rates, banks have posted reasonably high growth in their loan portfolio in 2010-11 given the strong demand impulses in the economy. Advances for the Banking system grew by 21.5%, more than the Annual growth target of 20% set by RBI. However, Deposit growth fell below RBI's target of 18% for 2010-11 and recorded a growth of only 15.9%. Frictional liquidity shortage because of Government's parking of the more than expected 3G revenue auction money with the RBI for an extended period contributed to the low deposit growth.

The rising crude and commodity prices coupled with demand side pressures on inflation observed in the last couple of months has rendered inflation management as the key policy challenge as the economy enters 2011-12. The monetary policy measures and the base effect are expected to bring down inflation levels so as to sustain the high growth momentum in the medium term. The strong lead indicators for Manufacturing and Services, expectation of a normal monsoon, resilience in the External Sector coupled with prudent Macroeconomic Management are indicators of a bright Financial year 2011-12.

During 2010-11, your Bank crossed the milestone of ₹ Five lakh crore business mix mark. Global business of the Bank reached a level of ₹ 5,15,040 crore registering a growth of 28.41%. Domestic business touched ₹ 4,18,110 crore as on 31st March, 2011 showing an annual growth of 26.02%. Overseas business grew by 39.87% to reach ₹ 96,930 crore. In a year of tight liquidity, your bank has done well in mobilizing deposits. In contrast to banking system's deposit growth of 15.9%, our growth was 26.9%. This helped in improving our market share in deposits from 4.18% to 4.58%. On Advances front too, your Bank's growth at 22.9% was higher than the system's growth of 21.5%. Our share in advances also increased to 4.07% in 2011 compared to 4.03% in 2010. CASA deposits rose to ₹ 73,138 Crore as on 31st March, 2011 as against ₹ 61,843 crore in the previous year. The customer base of the Bank increased to 45.05 million, with the addition of 8.08 million new customers during 2010-11.

Notwithstanding the higher provisioning mandated by the system towards superannuation related payments for serving and retired employees, Net Profit for the year 2010-11 grew by 42.94% to ₹ 2,489 Crores. The higher profit was on account of rising NIM and drop in NPAs. NIM for domestic operations increased to 3.31% in FY 2011 from 2.92% in 2010. On global basis, NIM moved up to 2.92% in FY 2011 from 2.51% in FY 2010. The Bank's Gross NPA ratio improved to 2.23% as at 31st March, 2011 in comparison to 2.85% as at 31st March, 2010 and Net NPA ratio improved to 0.91% in March 2011 from 1.31% in March 2010. Not only the NPA levels came down in 2010-11, the Bank made significant improvement in the Provision Coverage Ratio. The Provision coverage ratio improved considerably to 72.18% as at 31st March, 2011 from 65.51% as at 31st March, 2010. Employee Productivity measured by Business per Employee and Gross Profit per Employee too witnessed significant improvement in 2011. While business per employee increased to ₹ 1,284 lacs as at 31st March, 2011 from ₹ 1,011 lacs in the previous year, Gross Profit per Employee increased to ₹ 17.89 lacs as at 31st March, 2011 from ₹ 11.86 lacs in the corresponding period of the previous year.

I am happy to inform that the Board of Directors of your Bank has declared a dividend of 70%.

Your Bank took a number of initiatives in a host of areas spanning from increasing the Customer base, enlarging the International footprint to delivering on the Social responsibility front during the year for a sustainable growth. Let me point out a few of the initiatives.

Initiatives taken during 2010-2011:

- To ensure faster decision making and provide the Bank a competitive edge in the marketplace, your Bank undertook a Reorganization of its business structure. Consequent to the restructuring, the entire business of the Bank has been bifurcated into two broad groups of 'Wholesale & International Banking Group' and the 'National Banking Group'. Further, verticals have been created for each business such as Large Corporate, Mid Corporate, SME, Retail and Rural. To facilitate and professionalize growth of these verticals, your Bank created 12 SME City Centres, 5 Retail Business Centres and 15 Rural Credit Processing Centres during 2010-11. All these Processing centers will help us to reduce the turnaround time and scale up our operations. More such specialized centres will be set up during the current year also.
- The Project Finance and Syndication business was reactivated and was further reinforced during FY2011. Financial closures were done with Project cost of over ₹ 27,000 crore and Syndicated debt of over ₹ 9,000 crore.
- Your Bank opened 283 new Branches during 2010-11, taking Domestic branch network to 3490. Similarly, 605 new ATMs were installed during 2010-11, taking total number of ATMs to 1425 from 820 as at March, 2010.
- Your Bank recognizes the importance of Financial Inclusion. It has completed 100% Financial Inclusion at 2992 villages having a population over 2000. It has set up 41 RUDSETIs and has imparted vocational training to 14645 persons.
- Your Bank identified man power needs and emerging skill needs. It recruited additional 2896 staff and imparted training to 22644 of its existing employees.
- The Bank has launched a number of new products and services to meet the customers' needs and to shore up it's business, such as,
  - **BOI Kisan Sathi –** Aimed at benefiting tenant farmers and share croppers
  - **"Jai Jawan" Salary Plus Scheme –** Salary Linked Loan Scheme for Defence Personnel.
  - **Star Suraksha S/B Plus –** Benefits along with free accidental death insurance of ₹ 50,000/-.
  - **Students ATM-cum-Debit Cards – "BINGO" –** Aimed at the Youth which was a sweeping success.

  Your Bank has won a number of awards in the financial year 2010-11 in recognition of its multifaceted performance. To cite a few:
- The Economic Times and the Nielsen company survey 2010 ranked the Bank 2nd in The Most Trusted Brands category and 8th in TOP Services Brand.
- FE-EY Most Efficient Public Sector Bank Award 2010 by Dalal Street.
- The Winners Award in International Banking Technology Award 2010 from IBA in the Best Business Enablement Initiative category.
- National Award for Best Bank, West Zone for PMEGP under lending to KVIC in August 2010.

The year 2010-11 was indeed a 'Year of Turnaround' when a new organizational structure for the Bank was implemented.

The formation of Business groups and Verticals has led to a focused attention of various market segments. Realising that human capital is the most important asset in the service oriented industry, the Bank has recruited and trained staff in a big way.

Customer acquisition and introduction of new products and services were given a new impetus. These steps will also be pursued in the year ahead and prove rewarding to the Bank. The Bank is well poised for a sustained growth and for improving its market share.

Going forward, during 2011-12, the Bank's outreach will be expanded through opening up of new branches and setting up of additional ATMs. Your Bank would focus on increasing Agriculture, SME and Mid Corporate Business during 2011-12. Of course, the Inclusive Growth will continue to receive due importance. On the International front, four new centres would be added i.e. New Zealand, Uganda, Canada and Botswana.

The Bank has been receiving excellent support and valuable guidance from the Board, the Reserve Bank of India and the Government of India. Our customers and shareholders have shown their unstinted faith on us. But for the tireless efforts of our committed staff members, these results and developments would not have been possible. On behalf of the Bank and my behalf, I would like to thank all the stakeholders and look forward to their continued guidance and support.

With warm regards,

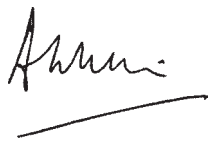

(Alok K Misra)

Date: June 6, 2011

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the audited statement of accounts and the cash flow statement for the year ended 31st March 2011.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

FINANCIAL PARAMETERS

- Operating profit ₹ 5,384 crore.
- Net Profit ₹ 2,489 crore, recording 42.94% growth over previous year.
- Capital Adequacy Ratio at 12.17% as against 12.94% in previous year (under Basel-II).
- Net Worth at ₹ 15,500 crore grew by 24.43% over March 2010.

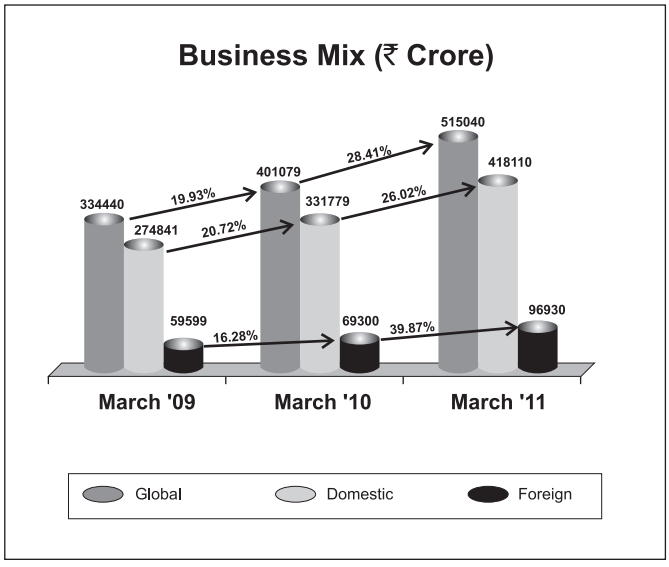

- Book Value per share ₹ 283.24 (₹ 236.84 previous year).
- Gross NPA ratio at 2.23% as on 31.03.2011.
- Net NPA ratio at 0.91% as on 31.03.2011.
- Total business (Deposits + Advances) reached at ₹ 5,15,040 crore recording a growth of ₹ 1,13,961 crore (28.41%). Domestic business grew by 26.02% to reach the level of ₹ 4,18,110 crore.
- Total deposits increased by ₹ 69,124 crore reached the level of ₹ 2,98,886 crore, a growth of 30.08%. Domestic deposits increased by 28.68% to reach the level of ₹ 2,52,963 crore. Share of low cost deposits in the domestic deposits is 29.18% as on 31.03.2011.
- Gross credit touched ₹ 2,16,154 crore, recording a growth of 26.17% with domestic credit recording a growth of 22.16% to reach level of ₹ 1,65,147 crore.
- Priority Sector lending constituted 46.27% of Net Adjusted Bank Credit and the share of Agricultural Credit to Net Adjusted Bank Credit was 16.76%.

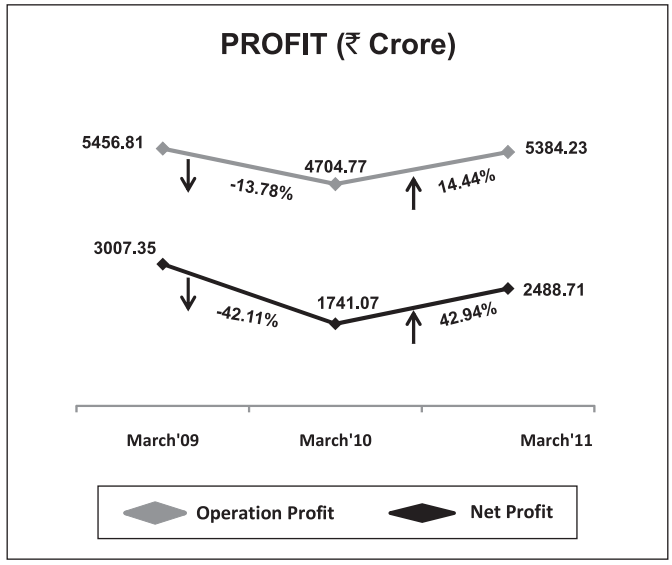

- Credit to SME sector grew from ₹ 29,568 crore to ₹ 35,586 crore recording a growth of 20.35%.
- Retail Credit grew by 5.70% from ₹ 15,750 crore to ₹ 16,649 crore.
- Export Credit registered a growth of ₹ 898 crore, i.e., 13.53% growth over previous year.

NEW PRODUCTS & SERVICES

- Welcome Kits introduced for NRI Customers opening NRE/ NRO accounts at foreign centers.
- Calculation of interest on Savings Bank account, from 1st April 2010, has been changed from monthly product basis to daily product basis.
- Launched Marathi version of the Bank's website.
- As per Finance Ministry guidelines and recommendations, the Bank's corporate web-site (English) has been enabled for persons with Disabilities.
- The Bank has introduced a new format of Savings Bank Passbook (Horizontal Format) which will print all details of the transaction on the same page as against the existing format (Vertical Format) where the details are printed on two pages.
- As per Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) requirements, the Bank is printing helpline number on the passbook & statement of accounts.
- The Bank introduced issuance of insta-pin for Debit-cum-ATM Card. This will address the customer grievance for non-receipt of Re-pin and also save the effort and expense in generating and mailing Re-pins.
- Quarterly consolidated Statement of a/c is sent to the Diamond customers in PDF format via email.
- As a fraud prevention measure, SMS alerts – Star Sandesh are generated and provided to all customers

who have registered their mobile number with the Bank for all Debit transactions from delivery channels (Internet banking/ATM/POS); all Debit clearing transactions of ₹ 25,000/- and above; all Customer induced debit transfer & cash payments of ₹ 10,000/- and above; all Debit ECS transactions of ₹ 10,000/- and above; all Debit RTGS transactions and acknowledgment on accepting the cheque book issue request.

- Enabling internet banking customers to make online Fixed Deposit.
- Hot Listing/Reset/Unblock/Change of Debit Cum ATM card PIN using Internet Banking password.
- Viewing of Annual Tax Statement (Form 26AS).
- Star eTrade - Online share trading - Integration with Gupta Equities.
- Extended the facility of online e-Payment to the customers holding Bank's Debit-cum-ATM card. This will enable the customers to use their Debit-cum-ATM cards for e-payments in addition to credit card & Internet banking account.
- Mobile Banking facility is introduced as the latest alternate delivery channel which allows customers to do banking activities virtually from the convenience of the Mobile phone at any time and from anywhere. This facility is extended to all Retail internet banking customers and includes features like Balance enquiry, last five transactions, Cheque status, Funds Transfer & Mobile Payments.
- Online Interbank Fund Transfer across banks, through Star Connect Internet Banking Services, using RTGS/ NEFT.
- BOI Star e-Pay for Auto-pay or on-line payment of various utility services/ bills.
- e-Payment for Direct & Indirect, Central Excise & Service Tax.
- Star e-Share Trade to trade in shares.
- e-Freight Payment.
- Online Payment of Directorate General of Foreign Trade (DGFT) license fees.
- Online Booking of Railway & Airlines Ticket.
- Online Application for Education loan.
- Facility to make online bid-cum-application for Application Supported by Blocked Amount (ASBA) IPO issues by Retail Internet Banking Customers having account with any DPO.

BUSINESS INITIATIVES

- Keeping its growth aspirations in mind, the Bank has embarked upon a new bold vision Sankalp 10,000. Sankalp 10,000 rests on the three pillars of Customer First, Building Winning Teams & High performance Driven Culture.
- Under Project Sankalp, the organizational structure of the Bank has been redesigned in September 2010 with its division in two distinctly separate groups of businesses i.e. (a) National Banking Group and (b) Wholesale and International Banking Group in order to have a more focused attention to each business segment. The two groups are headed by the two Executive Directors of the Bank.
- National Banking Group (Head Office) – The National Banking Group is comprised of Rural Banking, Financial Inclusion, Retail Banking and SME Banking business units.
- Wholesale and International Banking Group (Head Office) – The Wholesale and International Banking Group are comprised Large Corporate Banking, Mid-Corporate Banking, Project Finance, Transaction Banking, International Banking and Treasury.
- All accounts of Mid-Corporate and Large Corporate Branches have been mapped to respective branch RSMs.
- Fifteen Rural Centralised Credit Processing Centres (CPC) have been started at Belgaon, Ujjain, Barabanki, Mehasana, Ludhiana, Karad, Amalapuram, Tanjavur, Barasat, Hardoi, Nadiad, Ratnagiri, Nashik, Solapur & Barnagar.
- In all, 40 focused districts have been identified in 19 zones to target large and medium farmers and large institutions with high credit quality.
- Five New Retail Business Centres were launched in 5 identified Zones namely Bangalore, Chandigarh, Mumbai South, New Delhi and Pune on Pilot basis on 14.01.2011.
- Five SME City Centres at Ahmedabad, Coimbatore, Kolkata, Ludhiana, and Pune were launched on 14th December, 2010. Subsequently, seven more SME City Centres at Bangalore, Chandigarh, Hyderabad, NewDelhi, Nagpur, Mumbai North and Vadodara have started functioning.
- Mid-Corporate branches at Ernakulam, Andheri and Seepz opened.
- 10 Mid-Corporate CPCs started functioning.
- Large Corporate branches at Mumbai (Nariman Point) and Hyderabad opened.
- Lead Management System (Sales Force Automation), to generate, track and monitor leads, revamped.
- The Bank is treating financial inclusion as social cause and implementing it as a movement taking all banking products and services to those who are currently deprived from these services. So far, first step towards achievement of financial inclusion was opening of No-Frill Accounts and accordingly, the Bank has opened 50.07 lakh No-Frill Accounts.
- The Bank is also implementing IT solutions on end to end basis using hand held devices and smart cards. The Bank has issued/ enrolled 6.01 lakh smart cards.
- Project Finance And Syndications Group: It takes up assignments of technical appraisal, underwriting and syndication of loans. During FY11, financial closures were done with a project cost of ₹ 26,901 crore and syndicated debt of ₹ 9,008 crore. Bank of India achieved sixth position in syndication space as per the Bloomberg Lead tables for the calendar year 2010.

- The Bank has created a new SME vertical headed by a General Manager to cater to the specific business needs of the segment. A more inclusive definition has been given for SME business to include all business activities with a turnover of up to ₹ 100 crore. The vertical will look for growth not only on credit, but CASA, retail business, fee based income and third party products in the SME segment.
- Mobile Banking facility is introduced as the latest alternate delivery channel which allows customers to do banking activities virtually from the convenience of the Mobile phone at any time and from anywhere. This facility is extended to all Retail internet banking customers and includes features like Balance enquiry, last five transactions, Cheque status, Funds Transfer & Mobile Payments.
- Established Global Remittance Centre for centralizing some of the activities related to NRI Customers which would hasten turnaround time and product delivery and also enable proactive marketing strategies & grievance redressal mechanism.

AWARDS & ACCOLADES

- The Bank has received the Winners Award in International Banking Technology Award 2010 from IBA in the Best Business Enablement Initiative category in recognition of its achievement in Banking Technology for the Year 2009.
- The Bank has been adjudged FE-EY Most Efficient Public Sector Bank 2010 by Dalal Street.
- Mumbai North Zone of the Bank has received Third Prize for use of Official Language Hindi in Bank from Government of India, Ministry of Home Affairs, Official Language Department.
- The Bank has received the consolation prize from Maharashtra State Level Bankers Committee for commendable work done in implementation of official language in Hindi.
- The Bank has received National Award for Best Bank in West Zone for PMEGP under lending to KVIC in August 2010.
- The Bank has been rated by The Economic Times/The Nielsen company survey "The Most Trusted Brands" (MTB) 2010 as follows"
  - Under PSU Banking Category – 2nd next to SBI
  - Under Top Service Brands-8th rank

FINANCIAL REVIEW

FINANCIAL PERFORMANCE

The Bank recorded an Operating Profit of ₹ 5,384.23 crore, (growth of 14.44% over previous year). Net Profit stood at ₹ 2,488.71Crore, recording a growth of 42.94%.

Net interest income grew by 35.70% on the backdrop of rise in volume of business mix by 28.41% (from ₹ 4,01,078.83 crore to ₹ 5,15,040.06 crore). Non-interest income increased by 0.96% and covered 52.12% of Operating Expenses as against 71.34% in the previous year.

The Financial performance of the Bank for the year 2010-11 is summarised below:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	2009-10	2010-11	Growth (%)
Net Interest Income	5,755.94	7,810.69	35.70
Non-Interest Income	2,616.64	2,641.77	0.96
Operating Expenses	3,667.81	5,068.24	38.18
Operating Profit	4,704.77	5,384.23	14.44
Provisions / Contingencies	2,963.70	2,895.52	-2.30
Net Profit	1,741.07	2,488.71	42.94
Earnings per share (₹)	33.15	47.35	42.84
Book value per share (₹)	236.84	283.24	19.59
Return on Average Networth (%)	14.76	8.90	–
Return on Average Assets (%)	0.70	0.82	–

Some of the Financial Ratios are presented below:

(Percentage) (%)

Parameters	2009-10	2010-11
Yield on Advances	8.42	8.62
Yield on Investment	7.46	7.59
Yield on Funds	7.14	7.14
Cost of Deposits	5.16	5.03
Cost of Funds	4.84	4.57
Net Interest Margin	2.51	2.92
Non Interest Income to Operating Expenses	71.34	52.12
Other Income to Average Working Fund	1.05	0.87
Operating Expenses to Average Working Fund	1.47	1.66
Staff Expenses to Average Working Fund	0.92	1.14
Other operating Exp. to Average Working Fund	0.55	0.52
Asset Utilisation Ratio	1.88	1.77
Non-Interest Income to Total Income	12.77	10.83
Non-Interest Income to Net Income	31.25	25.27
Cost to Net Income	43.81	48.49

SEGMENT- WISE PERFORMANCE

The Bank earned an Operating Profit of ₹ 5,384.23 crore during the year 2010-11. The contribution made by Treasury was ₹ 371.38 crore and other banking operation earned a profit of ₹ 5,161.12 crore. The unallocable expenditure net of unallocable income was ₹ 148.27 crore during the year 2010-11.

DIVIDEND

A Dividend at the rate of ₹ 7 per share (70%) for the year, has

been declared. The total dividend payment amounts to ₹ 444.29 crore (including dividend distribution tax).

CAPITAL

Net worth of the Bank in FY 2010-11 has increased to ₹ 15,499.5 crore from ₹ 12,456 crore. During the year the bank has issued 2,13,04,870 Equity Shares of ₹ 10 each to Government of India at a price of ₹ 474.07 per share, on preferential basis, as approved by the shareholders in an Extra ordinary General Meeting held in accordance with the regulation 76(1) of SEBI (Issue of Capital and disclosure requirements) Regulations, 2009. The amount received by the bank on this account is ₹ 1,010 crore. Consequently, the Government of India shareholding has increased from 64.47% to 65.86%.

CAPITAL ADEQUACY

As per Basel II framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio was at 12.17%, which was higher than the regulatory requirement of 10%.

Details of Capital Adequacy (BASEL II) are shown as under:

(₹ in crore)

Particulars (Under BASEL – II)	31.03.2010		31.03.2011	
	Amount	CRAR (%)	Amount	CRAR (%)
Tier I Capital	13,725	8.48	17,047	8.33
Tier II Capital	7,218	4.46	7,867	3.84
Total Capital	20,943	12.94	24,914	12.17
Risk Weighted Assets	1,61,857	–	2,04,762	–

BORROWINGS

The Bank has raised debts instrument through private placements like perpetual bonds and Upper Tier II Bonds and Medium Term Notes (MTN) through overseas borrowings. The bank has raised ₹ 300 crore through issue of IPDI and ₹ 1000 crore through Upper Tier-II instrument during the year 2010-11. The Bank has also redeemed Tier II Subordinated bonds for ₹ 450 crore.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

OVERALL ENVIRONMENTS

Global Economic Scenario

The year 2010 witnessed a growth rebound for the world economy to 5% from a negative 0.8% in 2009. Growth returned to pre-crisis levels in both advanced and emerging countries in 2010. Unprecedented monetary and fiscal stimulus helped to push growth in US to its pre-crisis levels in the year 2010. Except Germany and France, growth in the Euro area remained subdued in 2010. Growth in 2009 for the emerging and developing economies which had been reduced to 2.6% from 6.1% in 2008 again gained pace at 7.1% in 2010. Global financial market conditions started improving during the middle of 2010, though still impregnated with regional and sectoral vulnerabilities. Equity markets strengthened, volatility decreased, institutional lending to even small and mid-sized firms corporates improved and risk margins started getting tightened. But, Sovereign risks resurfaced again in the Euro-area towards the later part of 2010 and resulted in higher G-Sec yields.

Global Economic Outlook for 2011-12

Higher food, oil and commodity prices which used to be a concern for the emerging countries has become more widespread and has led to policy rethinking about the easy money policy pursued in the developed countries. The pace of growth in 2011 will be conditioned by other headwinds, apart from monetary actions by the central banks of developing and developed countries. The triple whammy in Japan will not only have a pernicious effect on the growth prospects in Japan in the short term but will knock off a few basis points from the global growth in 2011 following disruption in the global supply chain. The political situation in the Middle East remains in flux and oil prices could spike higher if an important producer were taken offline due to social unrest. Further, the sovereign debt crisis continues to fester in Europe. It is expected that the global economic outlook will remain positive and growth will slow down a bit in 2011 but will remain steady and close to potential growth rates in both advanced and emerging economies. Global growths for 2011 is projected to be lower than 2010 at 4.4% with the pace of growth to slow down both in advanced and emerging group of nations.

Domestic Economy Scenario

Growth of the Indian economy in 2009-10 moved towards its pre-crisis growth levels to 8.6% in 2010-11 from 6.8% in 2008-09 and 8% in 2009-10. Growth has also been broad based in 2010-11. Agriculture, which displayed very low growth of 0.4% in 2009-10, recovered to 5.4% in 2010-11 on account of normal monsoon. Growth of industry continued its momentum in 2010-11 at 8.1% compared to 8% in 2009-10. Service sector growth, however, decelerated marginally from 10.1% seen in 2009-10 to 9.6% in 2010-11. Further, the high growth in 2010-11 was backed by not only domestic demand but also equally strong external demand. Indian exports during 2010-11 grew at 37.5%. The year 2010-11 was marked with significant fiscal consolidation. Impressive growth in both tax and non-tax revenue in 2010-11 helped the Government to contain fiscal deficit to 5.1% from the budgeted 5.5%. The year also witnessed significant FII inflows to the tune of US$23 bn. Concurrent with the FII inflows, Sensex rose by 11% during April 2010 and March 2011. The Bankex gained by a still higher 24% during the year reflecting the positive sentiment about the Indian banking sector amongst investors.

Along with high growth, the economy witnessed high levels of inflation throughout the year. The inflation for the most part of 2010-11 was driven by poor supply response in food items such as fruits and vegetables and protein rich food products and was aggravated by fluctuations in weather. The persistence of inflation at high levels prompted RBI to increase policy rates 8 times beginning with March 2010 to contain inflation and dampen inflationary expectations. However, actual Inflation numbers for March 2011 turned out to be much higher than RBI's inflation target of 8% at 8.98%.

The Reserve Bank of India adopted a noninterventionist approach in the forex market in 2010-11 and the rupee appreciated by 1.1% vis-a-vis the dollar during the year. The forex reserves of the country increased by US$28bn to touch US$305bn. Current account deficit for 2010-11 which initially was estimated to be more than 3% of GDP is expected to be contained around 2.5% of GDP given the high growth in exports recorded in the last quarter of the fiscal.

Economic Outlook for India

Going forward, the government has projected that the economy is likely to grow within a range of 8.75% to 9.25% in 2011-12. Intermittent forces on the supply side contributing to inflation have waned beginning with January 2011. However, the rising crude and commodity prices coupled with demand side pressures on inflation observed in the last couple of months, has rendered inflation management as key to sustainable growth of the economy in 2011-12. The

core inflation which reflects the demand side pressure and guides monetary policy formulation rose to 7.1% in March 2011. Notwithstanding the benign base effect, persistence of headline and core inflation at higher levels is likely to prompt a hawkish monetary policy stance and a rise in the key policy rates by at least 75 basis points during the course of 2011-12. The economy will have to grapple with high interest rates till inflation is brought to more moderate levels of around 6%. In the process, a few basis points of growth may be tucked off in 2011-12. Nonetheless, the knocked off growth number for 2011-12 will be around 8%, which will provide reasonable scope for business growth.

Banking sector developments and outlook

Despite an elevated interest rate scenario, especially during the latter part of the 2010-11, credit growth at 21.4% for the entire year outpaced the growth recorded in the previous year and also the target set by RBI; given the strong growth of the economy. However, deposits growth could not match the pace of credit and grew by 15.8% for the entire year compared to 17.2% in the previous year against the target of 18% set by the Reserve Bank of India. Reflecting the relatively higher credit growth, the C-D ratio for 2010-11 was seen at 75.68%, higher than the 72% recorded in 2009-10. The system witnessed liquidity shortage much above RBI's comfort level of 1% of NDTL for most part of the year. Both structural and frictional factors contributed to the liquidity shortage. To alleviate the liquidity shortage during 2010-11, RBI opened a second window of LAF in May 2010 which was in operation till the end of 2010-11 and also lowered the SLR to 24% in December 2010. Increase in policy rates coupled with tight liquidity position caused an upward movement in both lending as well as deposit rates towards the later part of the current financial year. However, banks have been able to protect their NIM in the reported results for the 3rd quarter of 2010-11.

Banking Sector Outlook

As per the rating agencies Fitch and Moody's, the outlook for Indian banks would be stable in 2011. The stable outlook reflects favourable operating conditions for banks, easing asset quality concerns, improving loan loss reserves position, solid capital levels, a strong retail deposit base, sound liquidity and infusions of common equity by the government.

Though lending rates have gone up, banks have post reasonably high growth in their loan portfolio in 2010-11 given the strong demand. Lending activity by the banks will remain buoyant in 2011-12 for a couple of reasons. First, the Indian Meteorological Department expects normal Monsoon for 2011-12. Increased plan allocation for agriculture by 20% in 2011-12 coupled with increased spending by the government in building the rural infrastructure and other welfare related programmes will give a boost to rural income levels catalyzing demand for retail loans in the rural sector. Second, the Union budget for 2011-12 has announced a number of measures for increasing agricultural production and agricultural supply chain logistics. Also an allocation of over ₹ 2,14,000 crore for infrastructure sector in 2011-12 will boost agricultural production related activities and would require bank financing of a higher level. Third, the Union Budget has pitched for lowering the borrowing of the Government in 2011-12. The fiscal consolidation envisaged in the Budget will increase availability of funds for the private enterprise. Fourth, the strong growth in exports envisaged by the Ministry of Commerce & Industry will create scope for additional bank finance to this sector. Further, the leading indicators in both manufacturing and services and business confidence indices also point to continued strong domestic demand. Thus, agriculture, manufacturing, infrastructure, retail and export sectors will be the main drivers of credit in 2011-12.

On the deposit front, frictional liquidity shortage seen in 2010-11 has already started to ease out as government has reduced its cash balances with the RBI. The structural liquidity problem is also going to be addressed as banks have increased deposit rates. Thus, overall deposit growth will remain healthy in the Indian Banking system.

BUSINESS REVIEW

DEPOSITS

Bank's deposits increased by ₹ 69,123.87 crore to ₹ 2,98,885.81 crore during the year recording a growth of 30.08%. The growth in domestic deposits was to the tune of ₹ 56,378.47 crore or 28.68% as against previous year's growth of 23.26%.

Non-Resident Deposits of the Bank stood at ₹ 12,250 crore which constituted 4.96% of aggregate domestic deposits.

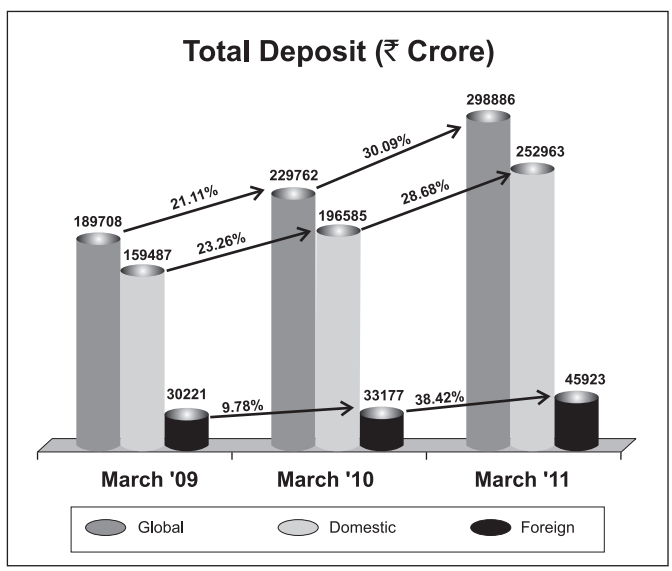

Savings Bank deposits grew by 22.93% and Current deposits logged a growth of 2.43%. The share of low cost deposits comprising of savings and current deposits to aggregate domestic deposits is 29.18%.

The Bank has a well diversified deposit base with 10% of domestic deposits coming from rural areas, 11% from semi urban, 17% from urban and 62% from metro areas. The bank's total clientele base of 45.05 million consisted of 42 million depositors and 3.05 million borrowers as at end of March, 2011.

ADVANCES

The gross domestic credit of the Bank registered a growth of 22.16% from ₹ 1,35,193.96 crore on 31.03.2010 to ₹ 1,65,147.16 crore. The growth rate in the last year was 17.20%. Robust sanctions / disbursement by Large Corporate, Mid Corporate, SME and Agriculture segments enabled the growth.

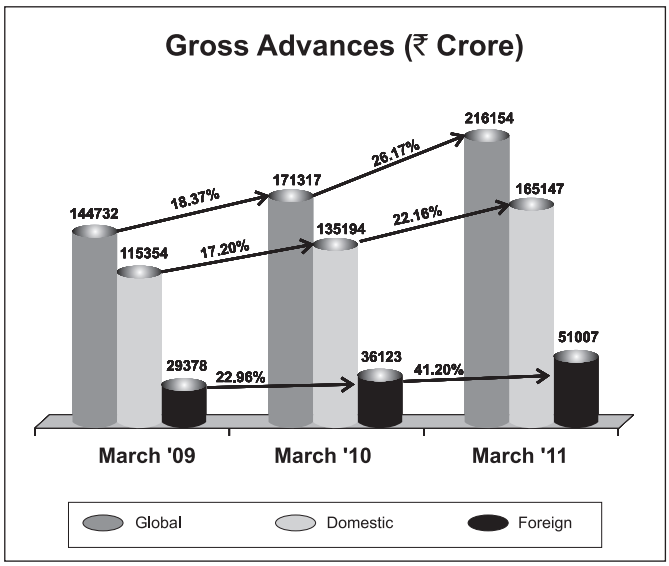

Under Large Corporate, the bank added 187 accounts. There are 8 Large Corporate Branches, 40 Mid Corporate Branches and 4 domestic overseas branches to cater exclusively to the specialised credit requirement of the Corporate borrowers/ exporters.

INFRASTRUCTURE FINANCE

During the year, the Bank sanctioned Fund Based ₹ 12,074 crore and Non-Fund Based ₹ 2,093 crore under infrastructure covering power generation, telecommunications, ports, roads, construction contractors etc.

EXPORT CREDIT

The Bank is very active in meeting the importers and exporter clients' financial requirements in domestic currency and also in foreign currency. Bank's 207 branches across the country are authorized to handle foreign exchange business and cater to the credit/ foreign exchange needs of importers & exporters. The Bank's export credit registered a growth of ₹ 898 crore i.e. 13.53% increase over March 2010 and reached a level of ₹ 7533 crore as on 31st March, 2011. The share of export credit to net adjusted bank credit as at March 2011 was 4.55%.

Financial requirements of both exporters and non- exporters are met through ECB at the Bank's overseas branches and Foreign Currency loans at domestic branches. The total amount of such advances as at 31-03-2011 was USD 1,116.25 million (Comprising of ECBs USD 130 Mn. and Foreign Currency Loan of USD 986.25 Mn.) equivalent to ₹ 4,984.06 crore. The bank also extended pre-shipment and post-shipment export credit in foreign currency and the amount outstanding as at 31st March, 2011 was USD 345.34 Mn. (equivalent to ₹ 1,541.94 crore).

PROJECT FINANCE AND SYNDICATIONS GROUP

Project Finance and Syndications Group of the bank is manned by highly experienced and qualified professionals. It undertakes appraisals of infrastructure and industrial projects.

It takes up assignments of technical appraisal, underwriting and syndication of loans. During FY11 financial closures were done with a project cost of ₹ 27,331 crore and syndicated debt of ₹ 9,353 crore. Bank of India achieved sixth position in syndication space as per the Bloomberg Lead tables for the calendar year 2010.

To strengthen the vertical further, the bank has recruited Engineers and MBAs from the Industry with diverse experience to strengthen the technical appraisal and syndication team of the Bank.

Bank is also acting as Mandated Lead Arranger (MLA) and Joint Book Runner (JBR) for Multicurrency International Syndication loans and arranged loans in USD, JPY, EURO and GBP currencies for Indian Corporates for their expansion/acquisition and Joint Ventures, covering a wide range of industries.

The technical appraisal department, which supports the syndication team, continued appraisal of industrial credit apart from that for syndicated loans, during this year also. The team comprising of professional engineers, evaluated technology related risks, enabling the bank to improve quality of industrial assets. The operations of the department translated into a fee based income of ₹ 19.34 crore for the year.

RETAIL CREDIT

The Bank during the year 2010-11, pursued the policy of building up healthy retail credit portfolio. In the post recessionary period 2010-11 the spring buds of reviving economy gave ample opportunity for retail credit and the Bank's retail credit portfolio increased from ₹ 15,536 crore to ₹ 16,649 crore. During this period the contours of retail credit were also redefined.

The Bank continues to pursue the Retail Hub concept and started the process of migration to Retail Business Centre model to expedite the processing of the Home Loans, Autofin loans proposals. During the year a special scheme was introduced for employees of Central Govt./PSUs/PSEs under Star Home Loans, Star Autofin Loans and Star Personal Loans schemes, wherein concessions in Rate of Interest and Processing charges were offered. Home Loan segment recorded a growth of ₹ 537 crore from ₹ 6,496 crore (March, 2010) to ₹ 7,033 crore (March, 2011). The Bank has formulated basic guidelines for entering tie-up with builders. In order to ensure that the tie-ups are encouraged only with builders with proven track record, the Zonal Managers have been empowered to scout and enter into tie-ups with builders of repute locally. The Bank is participating in the Central Government Sponsored special Interest Subvention scheme to stimulate demand for credit to Housing in the middle and lower income segment as announced in the Union Budget.

Education loan recorded growth of 13.14% increasing from ₹ 1,720 crore to ₹ 1,946 crore during the year. The Bank has embraced the Interest subsidy scheme, wherein borrowers who have availed education loans during academic year 2009-10 and hailing from Economically Weaker Section are eligible for education loan interest subsidy from Government of India, Ministry of HRD, through Nodal Bank. The Bank continues to give top priority for extending credit for pursuing higher education under the Star Education Loan scheme. Towards this end, the Zonal marketing teams are constantly making tie-up arrangements with local Institutions so that the students' requirements are speedily attended to by the Branches.

Autofin segment also recorded reasonable growth of 24.27% increasing from ₹ 1,133 crore to ₹ 1,048 crore during the year. The strategy of tie-up arrangement with various reputed Auto manufacturers like Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai Motors, TVS and Hero Honda continues to provide healthy retail leads to augment Autofin portfolio.

The growth in respect of important Retail loan schemes was as under:

Scheme	31.03.2010 Outstanding (₹ Crore)	31.03.2011 Outstanding (₹ Crore)	Growth	
			Amount (₹ Crore)	%
Star Home Loan Scheme	6,496	7,033	537	8.27
Star Education Loan Scheme	1,720	1,946	226	13.14
Star Auto fin loan Scheme	1,133	1,408	275	24.27

SANKALP 10,000 - *एक नये शिखर की ओर...*

REORGANISATION OF THE BANK

Keeping its growth aspirations in mind, the Bank has embarked upon a new bold vision Sankalp 10,000. This is a mammoth transformational exercise aiming at reviewing the structure, orientation, processes and the business focus itself. In this exercise Mckinsey and Co., the top-rated international consultants, have been engaged to help us identify proper growth opportunities, strategies, processes, manage the risks and, above all, suggest an efficient and vibrant organisational structure which will ensure Bank's sustained and continued growth for quite some time to come.

Sankalp 10,000 rests on the three pillars:

- **Customer First** – to make a fundamental shift away from credit centric model by deepening customer relationships, acquiring new customers and innovating
- **Building Winning Teams** – for well diversified and profitable future growth driven by superior skills and capabilities.
- **High performance Driven Culture** – using efficient processes, systems and controls enabled by best-in-class technology

Under Project Sankalp, the organizational structure of the Bank has been redesigned in September 2010 with its division in two distinctly separate groups of businesses i.e. (a) National Banking Group and (b) Wholesale and International Banking Group, in order to have a more focused attention to each business segment. The two groups are headed by the two Executive Directors of the Bank.

National Banking Group (Head Office) – The National Banking Group is comprised of the following Business Units:

- Rural Banking
- Financial Inclusion
- Retail Banking
- SME Banking

National Banking Group General Managers – There are 5 GMs, National Banking who head the five geographies that the country is divided into - Central, North, East, West and South. These five National Banking Group General Managers lead their respective geographies covering Rural, Retail and SME businesses of the Bank in the branches/zones.

Wholesale and International Banking Group (Head Office) - The Wholesale and International Banking Group are comprised of the following Business Units.

- Large Corporate Banking
- Mid-Corporate Banking
- Project Finance
- Transaction Banking
- International Banking
- Treasury

Doing away with multiple tiers, Verticals have been designed for Large Corporate and Mid-Corporate businesses to reduce Turn-Around-Time (TAT) effectively and to maximize the relationship for greater resource mobilization and augmenting fee based income also. Sourcing of Credit has been segregated from Credit appraisal and Sanction, for better risk management.

The Business Units are responsible for the entire business (end to end) and not only for credit to the respective customer/business segments. The responsibility extends to profitability of the business units and comprises of all types of banking businesses i.e. Deposits, Advances, fee income and sale of other/third party products.

Major highlights

- A top-level Strategy Conclave was held at Lavasa (near Pune), where the top 120 leaders of the bank gave a unanimous and firm commitment to achieve the Sankalp-10,000 mission.
- Similar Regional Strategy Conclaves were held at 10 regional centres, viz. Ahmedabad, Bhopal, Chennai, Kolkata, New Delhi, Patna, Bangalore, Pune, Lucknow and Mumbai, as well as at the Head Office.
- The new organization structure was put into place, with the National banking GMs of all five geographies (Central, North, East, West, South), as well as GMs of other newly created positions (Project finance, Transaction banking) having taken charge on October 14, 2010.
- All the 3294 eligible accounts have been successfully migrated to the destination branches as per the turnover norms which is a key strategy towards achieving the Sankalp 10,000 goals.
- A fresh wave of awareness programme being organized for the Managers, officers and key award staff of Rural/SU branches in select clusters across the country to not only make them fully aware of Sankalp's themes and its key initiatives but also infuse energy and enthusiasm.

RURAL BANKING

1. Priority Sector Advances

Advances to priority sector besides being a business opportunity, provides employment and business opportunities to the farmers, rural artisans, small road transport operators and other entrepreneurs in rural, semi-urban and urban areas. Bank has therefore laid emphasis to priority sector lending on a continuous basis.

The Bank has registered an outstanding level of ₹ 60909 crore under Priority Sector which is 46.27% of Adjusted Net Bank Credit as against the stipulated benchmark of 40% set by RBI.

Under Special Agricultural Credit Plan, Bank has set a disbursement budget of ₹ 14,300 crore for the current financial year. As against this, Bank could disburse ₹ 16,629 crore up to March 2011.

The position of priority sector advances under various segments is as under:

(₹ in crore)

	As on 31st March		Growth	
	2010	2011	Amount	Percentage
1. Agriculture	17,921	22,069	4,148	23.14
2. Small Enterprise	25,810	31,297	5,487	21.25
3. Education	1,716	1,927	211	12.29
4. Housing	6,343	5,616	(727)	(11.46)
Total Priority Sector	**51,790**	**60,909**	**9,119**	**17.60**

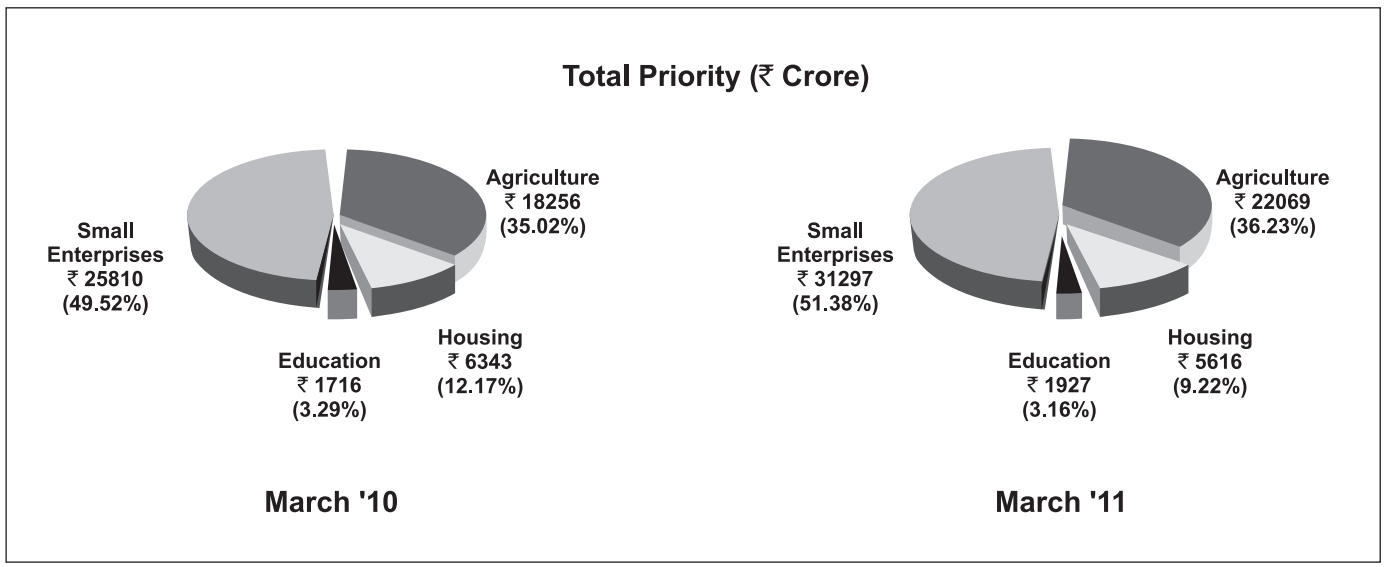

2. Centralized Processing Centres in focused districts:

As a part of implementation of Sankalp 10,000 initiatives, Centralized Processing Centres have been established in select zones with the objective of augmenting agriculture credit. So far, 15 CPCs have been opened and 35 more centres are proposed to be opened in the current year.

3. Star Kisan Sathi

During the year, Bank has introduced a new product Star Kisan Sathi so as to extend finance to Joint Liability groups formed by tenant farmers, share croppers, landless labourers scheme is being implemented on pilot basis through four zones. So far finance is extended to 339 Joint Liability Groups to the tune of ₹ 6.23 crore.

4. Kisan Credit Cards

Kisan Credit Card Scheme aims at providing need based and timely credit support to the farmers for their cultivation needs as well as non-farm activities with an objective to bring about flexible and operational freedom in credit utilization. During the year Bank has issued 3,17,024 new Kisan Credit Cards with aggregate limit of ₹ 2,188 crore. The Bank is having 8,62,815 active KCCs.

5. Debt Swap

Bank has designed the Scheme i.e. `Debt Swap' with an objective to help the indebted farmers to redeem their outstanding dues to money lenders and to mitigate acute distress faced by them due to heavy burden of debt from non-institutional lenders at unrealistic interest rates. Bank has made more than 146 villages as money lender free villages and also financed more than 12000 beneficiaries.

6. Differential Rate of Interest

A scheme for extending financial assistance at concessional rate of 4% to selected low income groups for productive endeavours under the name Differential Rate of Interest (DRI) Scheme is being implemented by the Bank. The present outstanding under the scheme is ₹ 26.51 crore in 10620 accounts.

7. Prime Minister's New 15 Point Programme for the welfare of Minority Communities

With the focused attention for the welfare of minority communities, Bank has been extending finance to the various minority communities like Sikhs, Muslims, Christians, Zorastrians and Buddhists. The outstanding position of finance extended to various minority communities was ₹ 9,148 crore as on 31.03.2011, which is 15.02% of Priority Sector advances.

8. Micro Finance/Micro Credit

There are 24 crore people below the poverty line in the country. The Scheme of Micro Credit has been found an effective instrument for lifting the poor above the level of poverty by providing them increased self employment opportunities and making them credit worthy.

The Bank has financed 29 micro finance institutions for onlending to SHG/JLGs with a sanctioned limit of ₹ 641 crore. Bank is having more than 1,94,681 SHGs credit linked with financial outlay of ₹ 1,557 crore. Out of this, more than 1,75,783 women Self Help Groups are credit linked to the Bank having financial outlay of ₹ 1,897 crore.

9. Solar Energy Home Lighting System

To address the problem of electricity, the Bank has formulated and launched a scheme on Solar Energy Home Lighting System. Bank will extend financial assistance to the prospective borrowers for purchase and installation of Solar Energy Home Lighting System. Bank has so far sanctioned 5,000 units with financial outlay of ₹ 15 crore.

10. Mega project – 101 villages

The project on integrated development of 101 villages was launched to develop self reliant villages through people's participation and Bank's assistance and voluntary agencies' support. So far, 140 villages spread across 17 States and 78 districts have been covered under the Scheme. Bank has financed to the tune of ₹ 415 crore under the scheme through 45000 accounts.

11. Farmers' Club

The mission of the farmers clubs is development of farmers through credit, technology transfer awareness and capacity building. It is an effective tool for development of bank business. Bank has formed more than 4006 farmers clubs through branches.

12. Nirmal Gram Yojana

The Bank launched rural sanitation scheme to provide civic and personal hygiene facility by providing assistance for construction of low cost toilets in rural areas. Bank has prepared two models costing ₹ 5,000/- and ₹ 6,500/- and sanctioned more than 38,000 rural households for construction of toilets and ensured 100% sanitation in 312 villages in the State of Maharashtra.

13. Lead Bank Responsibility

The Bank has been assigned with Lead Bank responsibility in 48 districts spread over five states viz. Jharkhand (15), Maharashtra (12), Madhya Pradesh (12), Uttar Pradesh (7) and Orissa (2). The Bank has been successfully discharging its duties of Lead Bank in all these lead districts. The Annual Credit Plan (ACP) for the year 2010-11 was launched in all the Lead Districts involving credit outlay of ₹ 5,936 crore for the Bank. The achievement of the Bank is ₹ 6,055 crore which is 102% of ACP achievement.

FINANCIAL INCLUSION

Financial Inclusion is integral to the inclusive growth process and sustainable development of the country. There has been a strategic shift in sustainable financial inclusion to the adoption of market oriented approach viewing financial inclusion as a viable business proposition. The paradigm has decidedly shifted from "CSR" to "economic viability". It has been made possible with the availability of ICT based solution to support secured and sufficiently low cost transactions required by the financial sector. The Bank is viewing these prospective banking service users through a prism of opportunity rather than obligation.

The Bank has carved out Financial Inclusion as a new Business Unit headed by a General Manager to drive board approved Financial Inclusion Plan (2010-13). Bank is committed to provide banking services through Business Correspondents and ICT based hand held devices (micro ATMs) to 29,000 villages, connect 125 lakh people through no frill accounts with inbuilt overdraft facilities to take care of their urgent consumption needs, extend entrepreneurship credit to eligible people to earn their sustainable livelihood, offer mobile based remittance facility to help mainly the migrant labour/self employed to remit money to their family members and facilitate access to Bank's third party products including Micro Insurance.

The progress under Financial Inclusion Plan (FIP) is summarized as under:-

- No. of No frill accounts opened : 50.07 lakh (18.11 lakh in 2010-11)
- No. of Smart Cards issued : 6.01 lakh
- GCC/KCC issued : ₹ 761 crore (2.73 lakh accounts)
- Business Correspondents : 1811
- Corporate BCs engaged : 8
- Channel Management Partners engaged : 61
- No. of Villages where 100% FI achieved : 2,992 (above 2000 population) and 5,077 (below 2000 population)

The Bank has achieved 100% FI in all 2,992 villages with population above 2000 as on 31.03.2011, ahead of targeted date of 31.03.2012 by GOI/RBI. Robust operational systems with adequate risk mitigants and best practices have been built up and are followed.

Star Swarojgar Prashikshan Sansthan (RSETIs)

With the aim of mitigating the unemployment problem among the rural youth, the Bank took initiative to form a dedicated trust named "STAR SWAROJGAR PRASHIKSHAN SANSTHAN (SSPS)" in 2005. Two SSPS (RSETIs) were established at Bhopal and Kolhapur immediately after formation of the trust. Ministry of Rural Development, Government of India found value in the initiative and proposed to support establishment of such institute in each district of the country to tap the rural BPL youth from the rural hinterland. The formation, nomenclature, sponsorship, management, programme structure, staffing and administration, MIS were defined. Bank was allotted 42 centres to establish institutes. Bank has established 41 such institutes in Jharkhand, Orissa, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal. 14,697 participants have been trained and 6,865 have been provided with credit inputs so far from these centres.

Bank has planned to upgrade/establish five integrated SSPS (RSETIs) at Ranchi (Jharkhand), Barabanki (Uttar Pradesh), Bhopal (Madhya Pradesh), Pen (Maharashtra) and Belgaum (Karnataka) for extending the scope of SSPS (RSETIs) to primary health care, adult literacy, comprehensive financial access and planning for growth, strengthening civil society organization, environmental sustainability. Bank would like to collaborate with and foster strategic partnership aiming at bringing diverse resources from the public, private and social sectors to bear on the challenges surrounding these areas.

Financial literacy and Credit Counseling Centres (ABHAY)

Bank has recognized the need of a common person for financial education to appreciate the complexities of financial dealing with financial intermediaries on matters relating to personal finances on a day to day basis. Further, those who suffer from financial problems due to unmanageable debts also need credit counseling to come out of the repayment obligations outside bankruptcy and also learn credit usages and improve their financial management. It is in this background that Bank has opened 5 (five) Credit counseling centres named ABHAY at Mumbai, Wardha, Gumla, Kolkata and Chennai and they are manned by senior and experienced bankers. Here apart from curative counseling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counseling through media, workshop and seminars are also given. So far 9,370 cases of counseling were taken and disposed off quickly bringing smile on the faces of the distressed people.

Regional Rural Banks

Bank has sponsored 5 (five) Regional Rural Banks (RRBs) namely Jharkhand Gramin Bank (Jharkhand State), Aryavarta Gramin Bank (Uttar Pradesh State), Baitarani Gramya Bank (Orissa State), Narmada Malwa Gramin Bank

(Madhya Pradesh State) and Wainganga Krishna Gramin Bank (Maharashtra State). All RRBs are profit making. All Branches and administrative offices of three RRBs viz. Aryavarta Gramin Bank, Narmada Malwa Gramin Bank and Wainganga Krishna Gramin Bank are now on CBS platform. Other two RRBs will also reach to this level by April 2011 against a targeted date of 30.09.2011 by RBI. Altogether 92% of the branches of RRBs with 95% business have been brought on CBS. These banks are also going to start RTGS and ATM services shortly. All RRBs taken together have a branch network of 1,030 and have garnered a business mix of ₹ 15,411 crore.

SME

The Bank has created a new SME vertical headed by a General Manager to cater to the specific business needs of the segment. A more inclusive definition has been given for SME business to include all business activities with a turnover of upto ₹ 100 crore. The vertical will look for growth not only on credit, but CASA, retail business, fee based income and third party products in the SME segment.

Strategies for SME business growth, as enunciated by the Bank are:

- All the zones grouped into 5 National Banking Groups
- All the 5 National banking Groups are headed by General Managers with adequate delegation for business growth
- SME City Centres being rolled out to act as processing hubs for all SME credit business of limits above ₹ 1 crore
- 12 SME City Centres have become operational before 31-03-2011.
- Credit origination and processing segregated in the City Centres as a risk management measure
- Dedicated team for credit processing and outbound sales team for lead generation and follow up for business acquisition put in place.
- Credit processes de-layered and delegation revised upward to ensure shorter TAT.
- Four new products launched to customise Bank's offering to SME customers.
- Pre-disbursement risk mitigation processes simplified to ensure faster disbursement.
- Simplified Application Form introduced for all SME customers irrespective of the size of limit.
- Master Check List formulated for obtaining information required for processing customer requests in one go.
- Tracking and Performance Management Systems introduced in the SME City Centres to bring about greater transparency in business processes.

New SME City Centres during 2011-12

It has been planned to launch 23 more SME City Centres during 2011-12 across the zones.

Performance of the Bank under MSME

- Advances to Micro & Small Sector as on 31-03-2011 is ₹ 31,297 crore
- Growth over FY-2009-10 is more than 21%
- Advances to MSME (including Medium Industries) is ₹ 35,586 crore
- This represents a growth of about 20% over 2010
- Growth has mainly been in Micro & Small segments in the MSME space
- Yield on MSME portfolio at 11.15% continues to be more than the yield on advances as a whole
- NPA at 6.50% as compared to overall NPA of 3.88% continues to be an area of concern
- The Bank has put in place an OTS scheme and exhort the zones/branches to make effective use of the scheme to reduce the NPA in the current year

Strategies for achieving growth under MSME

- Formation of clusters for cluster based lending. Each Zone to identify at least 2 clusters and formulate cluster specific schemes to increase credit flow to MSME sector
- Sensitising Branch Managers with high potential for MSME lending in order to boost credit flow to MSME sector, especially Micro and Small sectors
- Sensitising Managers and second line functionaries about CGTMSE cover
- Incentivising CGTMSE coverage so as to ensure accelerated credit flow to Micro sector
- Conducting workshops for sales officers of SME City Centres

FOREX BUSINESS

The forex business handled by the bank has shown good growth. During the year 2010-11, Export turnover was ₹ 44,124 crore and the Import turnover was ₹ 35,327 crore. The Bank continues to be a leading player in forex market. The aggregate turnover of Bank's Treasury Branch during the year was ₹ 5,86,326 crore.

TREASURY INVESTMENTS

The yield on benchmark 10 year G-Sec on 31.03.2010 which was 7.87% has since hardened to 8.01% as on 31.03.2011. However, movement of G-Sec yields was highly volatile and the same moved within a wide range of 7.37% to 8.25% during the year. The Bank maintained a higher level of investments keeping a balance between yield income and market risk. The Bank had maintained

SLR investments at higher level in excess of the required SLR investments of 24% of Net Demand & Time Liabilities so that the excess SLR can be utilised for borrowing from Repo/CBLO window. The SLR investments at gross basis were ₹ 67,859 crore, (82.28% of total investments) and Non-SLR investments stood at ₹ 14,611.16 crore, (17.72% of total investments).

The Investments are made in accordance with the comprehensive policy in this regard approved by the Board. The policy is reviewed periodically to respond to market developments/regulatory requirements.

TREASURY OPERATIONS

The Bank continued to play an active role in all segments of the market – Funds, Forex and Bonds during the year 2010-11. Taking advantage of G-sec rate movements, bank also churned its investment portfolio and earned profits from trading and sale of securities. The Bank has taken advantage of arbitrage opportunity within various market segments and could place the excess rupee funds in Certificate of Deposits (CD), Buy/Sell Foreign Exchange swaps, term money market thereof earning a spread of 2.5-3.5%. The Bank has built up a portfolio of ₹ 6,522.02 crore in CDs, lent ₹ 4,653.70 crore in domestic Money Market as on 31.03.2011, earning a spread of approximately 2.50%.The Bank has subscribed to IPOs of good companies in private and public sector and booked a profit of ₹ 19.64 crore. The Bank has also invested in equity linked growth funds of front line Mutual Funds and earned ₹ 8.40 crore profit. The Bank pursued the strategy of building up and churning of about 40-50 front line stocks of various sectors depending upon the ongoing market sentiments and sale of strategic stakes, thereby earning a profit of ₹ 36 crore as on 31.03.2011 (₹ 13.42 crore as on 31.03.2010).

INTERNATIONAL OPERATIONS

The Bank has presence across 4 continents and 18 countries covering all the major financial centres such as London, New York, Paris, Tokyo, Singapore and Hong Kong. As on 31.03.2011, bank has a network of 29 branches and offices abroad, including 5 representative offices.

The Bank has also received permission from RBI to expand its overseas operations in Bangladesh, Canada, China, Egypt, New Zealand, Madagascar, Qatar, South Africa, UK (Leeds and Coventry), UAE and Vietnam. In New Zealand, the subsidiary Bank of India (New Zealand) Limited has been registered as a bank by the local regulators RBNZ on 31st March 2011. The Bank has a Global Processing Centre (GPC) at Singapore with identical IT systems at Bank's foreign branches, thereby improving the Management Information system and the customer service.

Bank is acting as Mandated Lead Arranger (MLA) and Joint Book Runner (JBR) for Multicurrency International Syndication loans and has arranged loan in USD, JPY, EURO and GBP currencies for Indian Corporates for their expansion / acquisition and Joint Ventures, covering a wide range of industries.

Bank has opened Global Remittance Centre (GRC) in Mumbai. The inward remittances, SB accounts, NRE/NRO Account opening of NRI customers have been centralized at GRC. The bank has initiated the process for establishing a hub for the purpose of handling the documentation part of Trade Finance portfolio.

As at 31st March 2011, the level of Deposits at foreign branches stood at ₹ 45,922 crores. The level of Advances stood at ₹ 51,007 crore recording a rise of ₹ 14,884 crore (41.20%) over the last year. Investment at ₹ 4,093 crore has recorded a fall of ₹ 1,172 crore (22.26%) over March 2010.

Operating profit in foreign branches for the year ended March 2011 at ₹ 756 crore has shown a growth from ₹ 544 crore for the year ended March 2010. Correspondingly, Net profit at ₹ 495 crore has also increased by ₹ 200 crore (67.80%) over March 2010.

REVIEW OF OTHER PRODUCTS & SERVICES

Card Products

At present, the Bank offers Five Credit Card products. The Bank also has two affiliate banks viz. Bank of Maharashtra and Tamilnadu Mercantile Bank Ltd., which issue Credit Cards under the brand name "IndiaCard". During the year 2010-11, issuing turnover witnessed a growth of 37.30% and stood at about ₹ 405.09 crore.

The Bank has Four Debit cum ATM cards and one Prepaid Card (Gift Card) in its bouquet. Total Debit Cards issued as on 31.03.2011 stood at 68.22 lakh comprising of 24.43 lakh Starlinks International ATM cum Debit Cards (Visa Electron), 43.24 lakh BOI Global Debit cum ATM Cards (MasterCard), 54,000 Bingo Cards, 1,360 Gift Cards and 1,000 Platinum Debit Cards (MasterCard). Debit cards registered a growth 43.20% during the year 2010-11.

The Bank has in place bilateral and multilateral agreements with a cross-section of Banks for sharing of ATMs. Thus Bank's cardholders have the privilege of accessing around 50,000 ATMs throughout the country. The Bank continues to be the settlement bank for MasterCard in India, Cashtree and Bancs networks.

Bullion Banking

Bullion banking was introduced by the Bank in November 1997. Initially the scheme was introduced at SEEPZ and Ahmedabad branches and was subsequently introduced at other branches. As on date although 9 branches are authorized to undertake bullion business only 5 branches i.e SEEPZ, Ahmedabad (Main), Bullion Exchange, Chennai Bullion and Bow Bazar Branch are undertaking bullion business.

Under the business model gold is procured from Commerz Bank International S.A, UBS A.G and First Rand Bank on consignment basis for catering to the needs of Jewellery exporters and domestic jewellers. The Bank sold 13,723 kg of gold in the year 2010-11, with a turnover of ₹ 3,261 crore, thereby earning an income of ₹ 16.68 crore. The increase in the earning during the year was 37.63%.

STAR CASH MANAGEMENT SERVICES (STAR CMS)

The Bank has active presence in CMS space since 2000; but the entire CMS have been revamped by adopting latest state of the art WEB based technology which has been made operational since August, 2008. The Bank has also entered into correspondence banking arrangement with 4-5 other Banks. The Bank also has some of the corporate clients in its fold who are availing of the CMS services and are fully satisfied. Due to switch over to the WEB based software on ORACLE platform the Bank is well positioned to handle any number of transactions.

The Bank has a separate department for CMS at Head Office which monitors and controls the overall functioning of CMS. It is under the direct control of the General Manager (Transaction Banking). The CMS HUB located at M.G. Road, Mumbai takes care of the operational side of the initiative.

The Bank has 3,490 branches which are operating on CBS platform at more than 1000 cities and towns. All these branches can be made available for CMS clients for availing various CMS services.

Product-wise Capabilities

a. Local Collections:

The STAR CMS has the capability to provide location-wise daily MIS for realizations and returns. The Bank can also provide detailed listing of returns by encrypted e-mail and if needed hard copy can also be mailed.

b. Bulk Collections:

Bulk collections can be offered at ALL locations covered under local collections, but with prior approval since modalities/ systems are to be enabled. Soft copy of the details is needed for direct data upload.

c. Outstation Collections:

Day arrangements range from Day 0 – Day 21; which are always center specific.

d. Physical Cash:

Physical cash can be absorbed at all locations being offered for cash management; this facility is being rolled out under Door Step banking initiative. Day arrangement will be T+1.

e. Payments:

Positive pay facility is available across all locations for drafts drawn on the Bank. The Bank has the facility for Bulk Printing of drafts/cheques and the locations can be fixed as per requirements.

f. Electronic Settlements:

The Bank has system capabilities to offer Direct Credit and Direct Debit facility. In case of Direct Debits, mandate verification is must. TAT will depend upon the location.

g. Other additional services:

The Bank is open to offer services at its branches for collection of application forms for NFOs and Right Issues.

THIRD PARTY PRODUCTS

Tie-up for Life Insurance:

The Bank continued its Corporate Agency arrangement with its Joint Venture Life Insurance Company Star Union Dai-ichi Life Insurance Co Ltd. for sale of their life insurance products. The Bank has around 815 employees to act as 'Specified Person' for sale of insurance products in various centres.

During the current financial year, the Bank collected premium of ₹ 413 crore (Number of Policies – over 60,000) and contributed to more than 60% of the Joint Venture business.

The Bank continues to offer optional life insurance cover to its Star Home Loan and Star Education Loan borrowers under Group Policy wherein the borrowers pay reduced premium for life cover.

Tie-up for General Insurance (Non-life) with National Insurance Co Ltd. (NICL):

The existing tie-up arrangement with NICL was converted into Corporate Agency Distribution Model in compliance with IRDA's revised guidelines covering Bancassurance Business with banks as distributors. The Bank has a co-branded health insurance product - BOI National Swasthya Bima, which is a Family Floater Mediclaim Insurance Cover available only for Bank of India account holders, at a very low premium. The coverage is for the Account Holder, Spouse and Maximum of 2 Dependent Children. Entire family (Account holder, his/her spouse and their two dependent children) is covered to the extent of sum insured in as much as part of the sum insured can be availed at different times by family members. It has been a popular product and as on 31.03.2011 over 1, 10,000 Bank of India Account holders have taken this policy.

The total premium collected by the Bank for NICL during financial year 2010-11 has been ₹ 117 crore which earned a commission of ₹ 12.82 crore.

Mutual Funds Products:

The Bank continues to be a shop for all financial needs to the customers as it distributes various Mutual Fund products of the following 9 Asset Management Companies, viz., Birla Sun Life Mutual Fund, DSP BlackRock Mutual Fund, Franklin Templeton Investments, HDFC Mutual Fund, IDFC Mutual Fund, ING Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Reliance Mutual Fund and UTI Mutual Fund.

ASSETS RECOVERY & NPA MANAGEMENT

The Bank continued its journey in improving its performance in the area of NPA management in the year 2010-11 as well. Reduction of NPAs is given utmost priority at the Bank and this function has steadily grown in importance. Substantial measures were initiated to augment recovery and contain NPAs. Efforts were also made to maximise recovery in written off accounts and uncharged / unrealised interest in NPA accounts which contributes to the Bank's profits significantly.

The following table shows management of NPAs during last 3 years:

(₹ in crore)

Item	31.03.09 (Actual)	31.03.10 (Actual)	31.03.11 (Actual)
GROSS NPA (Opening)	**1,931**	**2,471**	4,883
Less:			
Cash-Recovery	676	622	895
Upgradations	325	204	1,038
Write-off	384	743	881
Agr.Debt Waiver/Debt Relief Scheme 2008	175	0	0
Total Reduction	**1,560**	**1,569**	**2,814**
Add:			
Slippages	2,100	4,162	2,908
Less Unrealised Interest (URI) (introduced from F.Y 2009-10)	–	181	166
GROSS NPA (Closing)	**2,471**	**4,883**	**4,811**
Recovery in W/Off A/cs, UCI/URI	352	300	383
Net NPA	**628**	**2,207**	**1,945**
% of Gross NPA to Gross Advances	**1.71**	**2.85**	2.23
% of Net NPA to Net Advances	**0.44**	**1.31**	0.91

During the year, on bid and Portfolio basis the Bank sold 9 impaired assets to various ARCs worth ₹ 21.69 crore on Cash basis.

To boost recovery in small accounts, two existing schemes have been modified during the year by the Bank as under:-

i) Star Sanjeevani Incentive Scheme for NPAs up to ₹ 50 lakhs

ii) Incentive Scheme for Upgradation of accounts up to ₹ 100 lakhs in sub-standard category.

The Schemes have been introduced with intention to motivate the field level staff and reduce the dependence on Professional Recovery Agents. This has paid rich dividends in the form of involvement of staff at every level and improving recoveries in these segments.

Performance under Star-Sanjeevani Incentive schemes was as below:

(₹ in crore)

Recovery during 2010-11	Amount
Recovery in LIVE NPAs	189.44
Recovery in written-off A/cs	29.12
Total Recovery	218.56

Recovery camps and participation in LOK ADALAT for speedy resolution of small NPAs has been undertaken in a big way at the Zones. The Bank has made recovery of ₹ 165 crore through LOK-ADALAT and Recovery Camps.

BRANCH NETWORK & EXPANSION

The Bank has a geographically well-spread branch network in India and abroad. The Bank had 3,490 branches in India as at the end of March 2011. In the foreign countries, 24 branches and 5 representative offices keep Bank's presence felt in all time zones and important financial centres of the globe.

During the year 2010-11, Bank opened 283 new branches including 2 Extension Counters converted into full-fledged branches. Distribution of these branches is Metropolitan – 32, Urban – 39, Semi-Urban – 142 and Rural – 70.

Composition of Bank's branch network is as follows:

Category	31.03.2010		31.03.2011	
	No. of Brs.	% to Total	No. of Brs.	% to Total
Metropolitan	628	19.58	660	18.91
Urban	607	18.93	645	18.49
Semi-Urban	701	21.86	841	24.09
Rural	1,271	39.63	1,344	38.51
Total Branches	**3,207**	**100**	**3,490**	**100**

The Bank has 279 specialised branches catering to the specific financial needs of certain categories in the domestic market. Break-up of such branches is given in the following table:

	Categories of Specialised Branches	31.03.2010	31.03.2011
1.	SME Branches	29	100
2.	Overseas Branches	04	03
3.	Corporate Banking Branches	13	00
4.	Large Corporate Banking Branches	02	10
5.	Mid-Corporate Branches	28	40
6.	N.R.I. Branches	06	04
7.	Recovery Branches	15	15
8.	Commercial & Personal Banking Brs.	36	30
9.	Treasury Branch	01	01
10.	Housing & Personal Finance Brs.@	27	33
11.	Government Business Branch	01	01
12.	Bullion Banking Branch	01	01
13.	Service Branches	37	40
14.	Centralised Pension Processing Branch	–	01
	TOTAL	**201**	**279**

@ - Including Retail Hubs

Falling in line with RBI liberalised policy of Branch Authorisation policy, some branches were shifted to alternate sites and extension counters showing good performance and those, which have locational advantage, were converted into full-fledged branches. It is intended to continue this policy for the coming year as well.

RBI has further liberalized its Branch Authorisation Policy w.e.f. 01.12.2009 allowing Banks to open branches in centres having population below 50,000, without obtaining prior approval from them. The Bank availed the opportunity and authorized Zones to open branches under this category in 181 centres.

POSITION AT A GLANCE

At the year end	31.03.2010	31.03.2011
Number of branches	3,236	3,519
Foreign	29	29
Indian	3,207	3,490
Of which :		
Metropolitan	628	660
Urban	607	645
Semi-Urban	701	841
Rural	1,271	1,344
Computerised Branches		
Fully computerised	3,207	3,490
Partially computerised	–	–
Specialised Branches	201	279
Extension counters	57	55

MARKETING & PUBLICITY

Major Initiatives:

- **Training**:
  Sales Force and Relationship Managers are being provided training from time to time either by the Training Centers or at Zonal Office. During the current year, training for all the Heads of Marketing and selected Sales Force and RSMs from each zone at MDI, Mumbai during April & May, 2010 has been imparted.

- **Sales Force Automation (SFA) Package:**
  Bank has launched IT enabled software package called Sales Force Automation (SFA) i.e. Lead Management System. The system will effectively capture, monitor, track, closed and analyze the leads generated at various levels. The system will also be used for administering the incentive scheme as well.

- **Quick Wins Campaign:**
  Massive Contact Programme to meet Diamond Customers. The Campaign was launched in 15 Centres for contacting Diamond Customers, updating their data, KYC compliance, opening of new value accounts, cross selling of various Bank's products and Third party Products. During the campaign, over one Lakh Diamond Customers have been contacted.

- **SUD Life Campaign** was launched in 5 zones on 14.01.2011 on Pilot basis for marketing of Life Insurance products.

- **Retail Business Centres** were launched in 5 zones on 14.01.2011 on Pilot basis to ensure quantitative and qualitative growth of Retail Lending business.

With a view to enhance corporate image and identity, the Bank has initiated media campaigns on the existing theme "Relationships beyond Banking". Towards this end, three TVCs were produced in line with the Relationship theme viz. Old Couple, Friends and Bus which were aired on both National as well as Regional Channels.

Bank has also been advertising the products in newspapers, magazines, television, hoardings, banners, bus panels, trains, glow signs at railway stations, events and sponsorships, leaflets and brochures. Bank's endeavour is focused on building brand image, increasing the visibility and better marketing of various products through effective publicity.

OPERATIONAL EXCELLENCE

Commitment towards Customers

The Bank reiterates its commitment to customer service through a customer centric approach to achieve the goals set under SANKALP 10,000.

The Bank has been a voluntary member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) since its inception in 2006 to emphasise its customer orientation and commitment to provide service of a high order in a transparent manner, supplying the customer with the necessary information to take an informed decision. BCSBI revised Code 2009 was promptly adopted by the Bank and displayed on website. Copies of the revised code are distributed among customers for their information.

The Bank has adopted various customer centric policies formulated by IBA - like Deposit Policy, Cheque Collection Policy, Grievance Redressal Policy, Compensation Policy, Recovery of Dues and Security Repossession Policy, Simplified procedures for settlement of dues in deceased depositors accounts and delivery of contents from Safe Custody and SDV lockers in case of deceased constituents.

The Bank took following initiatives during the year to enhance customer service at branches:

- A short film on desired staff behavior shot entirely within the Bank premises is being shown to all the participants of different training courses conducted at Staff Training Centres all over India
- Root cause analysis of complaints is being done at half yearly intervals to identify problem areas and initiate corrective steps promptly

- Zonal offices have been authorized to close complaints at their end and carry out root cause analysis. This move is expected to reduce the grievance redressal time, identify critical areas, take prompt corrective steps and thus help enhance customer satisfaction.
- With the increased emphasis on use of electronic mode of communication, the turn around time for complaints is being compressed to 10 days in majority of the cases.
- Web based Customer Complaint Management System (CCMS) is revamped to generate analytical reports to help reduce turn around time in grievance redressal and initiate remedial steps in time.
- Customer service and grievance redressal week has been celebrated twice during the year to draw the customers and staff closer and bring about changes if any, for improved customer service.
- Compliance with various customer friendly measures by branches is being periodically assessed through the visits of officers from Zonal Audit Offices and necessary corrective steps are being taken promptly thereafter.
- Clean note policy of RBI is being implemented through introduction of latest note sorting machines/note authentication machines.
- All customer centric information mandatorily required, is displayed on the website for the benefit of customers and is made available at the branches.
- Various channels are offered to customers for airing their grievances, including e-mail, phone, etc.

RISK MANAGEMENT & CONTROL

The recognition and management of risk is in the core of the business of banking. Risk management, hence, does not mean minimizing risk; rather the goal of risk management is to optimize risk-reward trade – off for the bank. With this perspective, the Bank has developed a robust and highly integrated Risk Management Framework to ensure that the Bank accepts only those risks that have been defined and can be adequately compensated by the system. Hence, it takes a holistic organisational overview of the risk and its mitigation exercises.

Risk Management is a Board driven function in the Bank with the Risk Management Committee of the Board at the apex level supported by operational level committees of top executives for managing various risks. The process of risk management consisting of various stages i.e. identification, measurement, monitoring and control, is covered in the policies for Enterprise Wide Risk Management, Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Derivatives, ALM, Foreign Exchange and Dealing room operations. These stages constitute a control cycle, which also involves feedback and feed forward loops.

The identification, definition and recording of all potential risks, in all activities and products is done through detailed analysis and vetting the same by the operational level risk committees and task forces. Risk profiling of the bank is also done on a quarterly basis. Various tools and systems like prudential limits, new Basel Compliant credit Rating Models, Credit Audit, VaR models for market risks, Self assessment exercise coupled with tracking of Key Risk Indicators for operational risk have been introduced for assessing/ measuring the identified risks. Data warehousing project to provide comprehensive data for analysis is implemented. The Bank is implementing Credit Risk Management Software which will help the bank in improving the data quality and completeness and upgrading its Risk Management systems.

The Bank has migrated to computation of capital adequacy under New Capital Adequacy Framework (Basel II) based on Standardised Approach for Credit and Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk as per RBI guidelines effective 31.03.2008.

The Bank undertakes Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a yearly basis for assessment/ measurement of various risks, the limits of its risk-bearing capacity and appropriate level of internal capital in relation to the risks and the Risk Appetite. Stress Testing Process is in place for enhancing risk assessment by providing the bank a better understanding of the likely impact even in extreme circumstances. Going forward, this exercise is expected to render an objective basis for decision making both to the risk control function and to the entire institution and also for assessing the performance of the independent control function.

The Bank is also preparing for migration to more sophisticated approaches for enhancing the effectiveness and robustness of risk management systems.

INFORMATION TECHNOLOGY

Branch Automation

All branches of the Bank are now under the Core Banking Solution (CBS) and new branches are directly being opened under the CBS platform. In addition to that, all these branches are RTGS/NEFT enabled. The Bank opened 105 new branches directly under CBS and also installed 105 new ATMs on Bank's Foundation day i.e. 07.09.2010.

Besides the regular banking modules, the Bank has ensured that even ancillary portfolios viz. Government Business, Safe Deposit Vault, PPF, SCSS (Senior Citizen Savings Scheme), Government bonds are seamlessly integrated under CBS platform ensuring one-stop-shop for everyone avoiding hopping between various systems. The Bank has implemented Straight Through Processing (STP) between CBS and various Payments Systems/other applications to eliminate the need for data entry at multiple systems & hence ensuring integrity & reliability of data. This has also ensured auto reconciliation of these entries within the system itself.

The following customer centric enhancements have been implemented:

- Calculation of interest on Savings Bank account from 1st April 2010 has been changed from monthly product basis to daily product basis.
- Welcome Kits introduced for NRI Customers opening NRE/ NRO accounts at foreign centers.
- Launched Marathi version of the Bank's website.
- As per Finance Ministry guidelines and recommendations, the Bank's corporate web-site (English) has been enabled for persons with Disabilities.
- The Bank has introduced a new format of Savings Bank Passbook (Horizontal Format) which will print all details of the transaction on the same page as against the existing format (Vertical Format) where the details are printed on two pages.
- As per Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) requirements, the Bank is printing helpline number on the passbook & statement of accounts.
- The Bank introduced issuance of insta-pin for Debit-cum-ATM Card. This will address the customer grievance for non-receipt of Re-pin and also save the effort and expense in generating and mailing Re-pins.
- Quarterly consolidated Statement of a/c is sent to the Diamond customers in A4 size PDF format via email.

Data Centre

ISO 27001:2005 certified Data Centre with 1:1 redundancy of physical hardware Infrastructure between primary site to secondary site with the Recovery Time Objective (RTO) of 15 minutes has been successfully established by the Bank. The primary site is situated at Mumbai and Disaster Recovery site (DR) situated at Bangalore. The Near Site (NR) has been established with primary site storage replication for zero data loss. The Data Centre handles on an average 43 lakh transactions per day. All offices, branches and data centres are connected in WAN network with 24 hours dual power supply from two DG-Sets through UPS.

The Data Centre deploys three tier architecture i.e. database, application and web, which are deployed in different high-end servers with latest version of operating systems, RDBMS and applications for better management and performance.

The Bank's security and network infrastructure is designed considering availability/capacity requirements. The data centre also has a strong physical security control with Bio metric authentication for critical areas of server and network farms. Dedicated resources working on 24X7X365 days equipped with latest Building Management Systems to control and optimise management of power cooling, Fire protection and data centre infrastructure system is in place. The entire premises are covered with surveillance cameras to monitor 24X7X365.

The Bank has a fully functional Disaster Recovery Site and Disaster Recovery Drills are planned and executed once every quarter to ensure readiness. The Bank has RTO of 15 minutes to switch over from Primary to DR site operations. One of the innovative ideas of the Bank was to use the Disaster Recovery set-up for MIS and Report generation purposes. This not only resulted in optimum utilization of both the DC and DR resources, but also ensures that all these resources also get constantly tested in the process.

The Bank also has a Global Processing Centre (GPC) at Singapore to connect all its overseas Branches to a central hub and enable processing for all its foreign branches. It is a 24x7 central hub catering IT related requirements of 24 foreign branches from Japan in the east to USA in the West. Disaster Recovery Hot Sites with identical hardware and suitable software that do online replication of data from Data Centre to DR Site have been setup. One disaster Recovery setup is in Singapore and the other is at Mumbai. The transactions are being replicated on real time basis at both DR sites. DR drills to ensure high availability of the system are being conducted on regular basis.

SMS Alerts - Star Sandesh

As a fraud prevention measure, SMS alerts are generated and provided to all customers who have registered their mobile number with the Bank for

- All Debit transactions from delivery channels (Internet banking/ATM/POS).
- All Debit clearing transactions of ₹ 25,000/- and above.
- All Customer induced debit transfer & cash payments of ₹ 10,000/- and above.
- All Debit ECS transactions of ₹ 10,000/- and above.
- All Debit RTGS transactions.
- Acknowledgment on accepting the cheque book issue request.

Internet Banking

A fast and secure internet banking facility is available to the Bank's customers for utility bill payments, air & rail ticket booking, online shopping, inter-bank and intra bank fund transfers, tax payments.

The Bank is the first PSU Bank in India to implement Two-factor Authentication (2FA) – Star Token for both Retail and Corporate internet banking customers as an additional security measure. The Bank's customers enjoy the convenience of "secured" Anytime, Anywhere, Anyhow hassle free Banking from the comfort of their homes and offices with a click of a mouse.

Some of the features introduced during the year are:

- Enabling internet banking customers to make online Fixed Deposit.
- Hot Listing/Reset/Unblock/Change of Debit Cum ATM card PIN using Internet Banking password.
- Viewing of Annual Tax Statement (Form 26AS).
- Star eTrade - Online share trading - Integration with Gupta Equities.
- Extended the facility of online e-Payment to the customers holding Bank's Debit-cum-ATM card. This will enable the customers to use their Debit-cum-ATM cards for e-payments in addition to credit card & Internet banking account.

Mobile Banking Services

Mobile Banking facility is introduced as the latest alternate delivery channel which allows customers to do banking activities virtually from the convenience of the Mobile phone at any time and from anywhere. This facility is extended to all Retail internet banking customers and includes features like Balance enquiry, last five transactions, Cheque status, Funds Transfer & Mobile Payments.

Other Online Services

The Bank offers following value added services:

- Online Interbank Fund Transfer across banks, through Star Connect Internet Banking Services, using RTGS/ NEFT.
- BOI Star e-Pay for Auto-pay or on-line payment of various utility services/ bills.
- e-Payment for Direct & Indirect, Central Excise & Service Tax.
- Star e-Share Trade to trade in shares.
- e-Freight Payment.
- Online Payment of Directorate General of Foreign Trade (DGFT) license fees.
- Online Booking of Rail & Air Tickets.
- Online Application for Education loan.
- Provision for online bid-cum-application for Application Supported by Blocked Amount (ASBA) IPO issues by Retail Internet Banking Customers having account with any DPO.

Automated Teller Machines (ATMs)

The Bank has joined National Financial Switch (NFS) which enables Customers to access more than 70,000 ATMs across the country. The Bank is also a member of CashTree, BANCS & SBI Group network. The Bank is aggressively installing new ATMs at various locations (both onsite & offsite). 605 new ATMs were installed during the year 2010-11 & as on 31.03.2011 the Bank has 1425 ATMs.

Implementation of CBS in Bank sponsored Regional Rural Banks (RRBs)

The Bank initiated the process of implementation of CBS in Bank sponsored 5 RRBs during the year to provide "Anytime, Anywhere, Anyhow" banking service to the rural clientele. Altogether 949 branches of 5 RRBs migrated to CBS out of 1,040 branches. Migration of 100% branches of Aryavart Gramin Bank, Narmada Malwa Gramin Bank & Wainganga Krishna Gramin Bank completed.

Other New Initiatives

Technology has been leveraged by the Bank in the following important projects:

- Financial Inclusion Project – Banking the unbanked sector.
- Solar Power Project – Eco-friendly – Technology Power for Rural Areas.
- V-sat Connectivity Project – Networking / connecting the Rural / Remote locations.
- Collaborative Communication –Virtual classroom sessions/ Installation of High definition Audio / Video equipments.
- Installation of Biometric ATMs and ATMs with easy accessibility for the physically handicapped.
- Credit application Processing Systems (CAPS).
- Human Resources Management Systems.
- Established Global Remittance Centre for centralizing some of the activities related to NRI Customers which would hasten turnaround time and product delivery and also enable proactive marketing strategies & grievance redressal mechanism.

Management Information System

To further reap the benefit of CBS, the Bank has also set up the Data Warehouse (DWH) with Data mining solution to enable Decision Support / Management Information System for the Bank and for achieving its Business Intelligence goals quickly and effectively. With the implementation of this solution, Bank's Data Warehouse is storing daily transactional data from Core Banking System. The Bank has simultaneously taken initiatives for improving the quality of the data and increasingly the Bank's MIS has become more sophisticated and accurate. The Bank is generating most of RBI returns, reports to Government of India, MIS reports for internal purpose based on the data from the DWH database. The Dashboard provided to the Top Management is effectively used for monitoring business growth & taking timely corrective actions wherever necessary. The Bank has also implemented a business analytical tool for achieving business intelligence goals.

INFORMATION SECURITY

RBI constituted the Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds. The Group examined various issues arising out of the use of Information Technology in banks and made its recommendations in nine broad areas of IT Governance, Information Security, IS Audit, IT Operations, IT Services Outsourcing, Cyber Fraud, Business Continuity Planning, Customer Awareness programmes and Legal aspects. RBI has mandated banks to ensure implementation of basic organizational framework and put in place policies and procedures which do not require extensive budgetary support, infrastructural or technology changes, by October 31, 2011.

To implement these guidelines, the Bank is in the process of setting up "IT Governance Framework" consisting of formation of IT Strategy Committee represented by the various departments, adopting industry standard processes for IT service management and IT service delivery, implementing COBIT (Control Objectives on IT) standard etc.

The above measures would facilitate the Bank in the implementation of RBI's recommendations meticulously in a phased manner. To improve the "Information Risk management processes", the Bank has taken several steps like getting PCI-DSS certification to secure customer's card related data. Initiating a project on Business continuity namely BS-25999 which would ensure that effective Business continuity for all critical IT assets and Treasury department is in place in a disastrous situation.

The bank is also in the process of setting up Enterprise wide identity and Access management system, Active Directory across all the branches so that banking operations are delivered seamlessly, quickly and securely using IT.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Human Resources Department is instrumental in creating a vibrant organizational culture in which employees are encouraged and motivated to perform their best. HRD, through its continuous training and development programmes and modules, acts as a catalyst in augmenting the competencies of employees and equip them with right skills and knowledge for meeting ever changing business needs of customers in different segments.

The Bank has six training colleges across the country. While the Management Development Institute (MDI), CBD Belapur, Navi Mumbai is Apex level training establishment, four Staff Training Colleges (STCs) are at strategic locations at Bhopal, Chennai, Noida and Kolkata besides one Information Technology Training Centre (ITTC) at Pune. During the year in all 22,644 employees of the Bank and 13,560 employees from other organizations were imparted training in 1,044programmes organized at these colleges.

During the last one year, 3,066 newly recruited direct recruit officers joined the Bank for whom exclusive Induction training programmes were held at MDI, Belapur, Navi Mumbai. These included programmes for Chartered Accountants, Marketing Executives, and Finance Executives recruited from campus. Each such batch was addressed by General Manager (HR) either at MDI Belapur or at Bank's BKC Auditorium. Induction programme for newly recruited Clerks was arranged at STC Bhopal, Noida Chennai and Kolkata. Pre-recruitment and pre-promotion training programmes were held for eligible persons. Special programmes for lady officers and clerks, retiring officers etc. were also held.

At Management Development Institute, Gurgaon, a five day programme for newly promoted DGMs was held. For newly promoted AGMs Leadership Development programme was held in 3 batches at Administrative Staff Training College of India, Hyderabad.

Programmes for other institutions were also conducted at Bank's training facilities. In bourse programme at MDI, Belapur, there was good participation from other Banks. MDI also conducted a programme for CBI officers.

The Bank deputed 53 officers to foreign branches for exposure in International Banking. 630 officers were nominated for training at outside institutions in India and 21 were deputed abroad to attend trainings, conferences and seminars.

540 students from different management institutions availed Summer Internship opportunity in the Bank. The Bank also sponsored 54 candidates for two years full time Postgraduate Programmes in Banking & Finance at NIBM, Pune.

The Bank has introduced e-learning which is expected to gain ground in the coming months. E-learning modules have been made available to Employees under Stardesk.

A significant achievement has been made in the Bank's training system by making training module live under Human Resource Management system. This has facilitated on line nomination to various training programmes in the Bank.

Incentive schemes are in place to encourage staff members to upgrade their knowledge and sharpen skills by passing various examinations conducted by the Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) and other reputed institutions.

The Global Human Resources talent in the Bank is consisting of 14,821 Officers, 17,216 clerks and 7,748 support staff as on 31.03.2011.

In- House Publications (Taarangan)

Bank's quarterly House Journal 'Taarangan' was conferred three awards by Association of Business Communicators of India (ABCI) in various categories Special Column (English)-Silver Trophy, Bilingual Publications-Bronze Trophy and Features (English)-Bronze Trophy at a grand Awards Night in Mumbai and received by Team Taarangan under the leadership of General Manager (HR).

Bank's House Journal has also been awarded "Best House Journal Award" for the year 2009-10 (received in Nov 2010) by "Aashirwad", a leading cultural & literary organisation of Mumbai.

Policies, Recruitment & Promotion

Human Resources play a vital role in accomplishment of corporate goals. In a service-oriented industry like Banking, success depends on introduction of innovative products on an ongoing basis to suit the constantly changing requirements of customers. Banking industry as a whole is facing acute shortage of staff and all Banks are making all out efforts to recruit employees both in Clerical and Officer cadre. While conscious attempts are being made to improve / infuse young employees to replace the super annuating employees, both directly from market as well as through campus, the Bank could partly succeed due to various inherent constraints such as reluctance of young candidates to accept rural postings, monetary compensation, simultaneous recruitment of staff by all Public Sector Banks.

The Bank initiated steps for recruitment of 2,000 General Banking Officers in JMGS I, and 2,467 Clerical Staff. The newly recruited Clerks and Officers including Specialist Officers are expected to report for duties in the first quarter of financial year 2011-12. Process for recruitment of 250 Agricultural Officers in JMGS I, 100 Marketing Officers in MMGS II, 100 Finance Executives in MMGS II, 200 Chartered Accountants in MMGS II, has already commenced and it is expected to be concluded shortly.

It is proposed to recruit 1,500 officers and 2,400 clerks during financial year 2011-12 to take care of projected branch business expansion as well as retirements / VRS. Furthermore, recruitment is planned for Specialist of Officers in various disciplines of Agriculture, Marketing, Finance, IT, Law, HR&IR, Technical (Evaluation) as per the requirement of functional and support departments.

The training colleges are tuned to conduct specially designed induction programmes to provide the required degree of skill and knowledge to the newly recruited staff members.

The other initiatives being taken on the HR front include:

- Scientific assessment of Manpower requirements of the Bank;
- Simplification of the Annual Performance Assessment system;
- Review the Promotion Policy to make it more objective and suitable as per the present requirements
- Inclusion and integration of more HRMS modules (activities) to provide full-fledged solution to all HR issues.
- Star Desk is being regularly visited by the General Manager (HR) for exchange of suggestions related to HR initiatives, improvising HR policies;
- Special drive for Recruitment of clerks from North Eastern Region;
- Introduced 'Talent Bank' by identifying Officers having special skills in areas like Credit, Forex, Marketing, Recovery;
- Introduction of superfast promotion process relaxing eligibility criteria for Officers;
- Various welfare measures being implemented for employees such as Group Savings Linked Insurance, Death Relief Scheme, Reimbursement of Education Expenses of wards of employees, Tie-up arrangement with various hospitals for cashless treatment, Medical Assistance for Retired Employees etc.

Compliance with Reservation Policy

The Bank is complying fully with the reservation policy of the Government of India. Special Recruitment and SC/ST Cells at Head Office / Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policy and redressal of grievances relating to SC/ST/OBC Employees.

Pre-Recruitment and Pre-Promotion Training from clerical cadre to General Banking Officers cadre and within the Officer cadre from Scale - I to Scale III are imparted to SC/ ST candidates / staff. Details of such pre-recruitment and pre-promotion trainings imparted to SC/ST employees during the year, 2010-11 are as under:

(Provisional)

Sr. No.	Cadre	Pre-Recruitment				Pre-Promotion			
		No. of Programmes conducted	Duration period of Programme	No. of Persons Trained		No. of Programmes conducted	Duration period of Programme	No. of Persons Trained	
				SCs	STs			SCs	STs
a)	Officers	12	6 days	1,394	495	–	–	–	–
b)	Clerks	22	6 days	7,251	2,362	2	6 days	62	11
c)	Sub-Staff	–	–	–	–	31	6 days	713	233

The Bank has designated two General Managers as Chief Liaison Officers for OBCs and SCs/STs respectively at Head Office. Officers belonging to SC/ST/OBC categories are designated as Liaison Officers / Cell Officers at Zonal Offices. In terms of the Government guidelines, Post-based Reservation Rosters maintained at Head Office/Zonal Offices are inspected annually. SC/ST Cells established at the Head Office and Zonal Offices are also associated with implementation of reservations in respect of other categories like Ex-servicemen / Persons with disability.

Representation of SC/ST/OBCs in Total Staff Strength (Indian)

(Provisional)

March 2010	Officers	Clerks	Sub-Staff	Total
SC	2,593	2,702	2798	8093
% to total Staff in Indian Offices	17.29	15.48	35.65	20.08
ST	1,126	1,270	810	3206
% to total Staff in Indian Offices	7.51	7.27	10.32	7.95
OBC	764	1,000	949	2,713
% to total Staff in Indian Offices	5.09	5.73	12.09	6.73

LEGAL

The Legal Department guides the Bank in the process of recovery by filing suits and/or through action under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act). In addition to the same, the Legal Department also monitors and guides the Zones and Branches for proper implementation of the Right to Information Act 2005.

The Bank has designated Central Public Information Officers (CPIO) and Appellate Authorities (AA) for its National Banking Group offices, Divisional Offices and Large Corporate Branches in addition to the existing CPIOs and AAs for its Zonal Offices and Branches under the respective Zones to attend to the requests and appeals of the Public in time.

The Bank also has a Central Public Information Officer and Appellate Authority at the Head Office to attend to requests received at Head Office. The vital information about Bank required under the Right to Information Act is placed on Bank's website. The Bank has been disposing of all applications and appeals received from parties within the time prescribed under the Act.

COMPLIANCE

Compliance in a regulatory context is of prime importance, perhaps because of an ever-increasing number of regulations and a fairly widespread lack of understanding about what is required for an organisation to be compliant. Compliance has, thus, increasingly become a concern of corporate governance.

A Compliance Function Policy for the Bank was adopted by the Board as per Reserve Bank of India guidelines. An independent Compliance department, headed by a Chief Compliance Officer (of the rank of General Manager), is in operation in the Bank. Compliance of statutory, regulatory and internal guidelines of the Bank is the scope of operation of the compliance function of the Bank.

The department has prepared Compliance Rules in the following areas of branch banking:

Return	Frequency	No. Of Rules
Know Your Customer/Anti-Money Laundering/Combating of Financing of Terrorism	Monthly	51
Deposits & Services	Quarterly	62
Advances	Quarterly	63
FEMA	Quarterly	119

Every zone submits the certification to the above rules at the prescribed frequency, which are also displayed on the Bank's website. Based on the rules, the department is conducting half-yearly compliance testing at select branches all over India. A report on the findings of such compliance testing is submitted to the Top Management.

At each Zonal Office, Compliance Officer has been identified for monitoring the compliance function of the respective Zone. In respect of foreign Branches, monitoring is done at cluster level.

Compliance department, inter-alia, submits the following to the Board/Top Management/Head Office departments:

- A quarterly report on the compliance function of the bank to the Board;
- Instances of compliance failures to H.O. departments for follow-up/rectification with the respective zones;
- A monthly note to Top Management, on the compliance risk faced by the bank;
- A gist of the circulars issued by RBI to the Board on a monthly basis;
- Compliance of the bank to the various circulars/instructions issued by RBI, to the Audit Committee of the Board on a quarterly basis;
- Monitors the Calendar of Reviews stipulated by RBI and submits a report to the Board on a quarterly basis on the same;
- In terms of Para 12 (xii) of the Compliance Function Policy, the department is to put up to the Board an Annual Report on its functioning;

The department is also vested with the responsibility of implementation/ monitoring Know Your Customer (KYC)/ Anti Money Laundering (AML) Measures / CFT Guidelines in the Bank. The department has taken up earnestly the task of ensuring compliance with KYC norms in all the existing accounts, as directed by RBI. A separate mandatory field is provided in the Finacle system to facilitate noting of KYC status in each account. Branches are in the process of identifying KYC non-compliant accounts, obtaining KYC documents and suitably updating the Finacle system.

As per the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PML Act) and the Rules made there under as well as the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) on KYC, branches are properly identifying every customer by obtaining recent photograph, proof of identity and proof of current address for KYC compliance. Opening of accounts of persons of low income group with simplified KYC norms have been introduced. All the customers have been classified into High, Medium or Low Risk category based on the Risk perception.

The Bank has implemented the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 as under

- The Principal Officer has been appointed (the Chief Compliance Officer is also the Money Laundering Reporting Officer [MLRO])

- The Bank is submitting monthly Cash Transaction Reports (CTRs) in respect of transactions over ₹ 10 lakhs to the Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND), New Delhi
- The Bank is also submitting Suspicious Transactions Reports (STRs) and Counterfeit Currency Reports (CCRs) to the FIU-IND, as and when the same are identified
- Maintaining and preserving the records as per the provisions of the PML Act.

The bank has procured Anti Money Laundering Software (AMLOCK) for identifying suspicious transactions under the Prevention of Money Laundering Act. On an average, this software is generating about 4000 alerts daily. These alerts are scrutinised by the department. Follow-up is made with the zones/branches wherever necessary and in case the bank is not satisfied with the zone/branch clarification, a Suspicious Transaction Report (STR) is filed with the FIU-IND.

The department handles the Annual Financial Inspection (AFI) by RBI. The AFI reports are scrutinised and compliance is submitted to RBI. The AFI for the year 2009-10 concluded on 3.9.2010 and the replies/compliance to the Action Points was submitted to RBI on 7.1.2011.

The department is also the single point of contact for all the regulatory agencies for communication with the bank.

VIGILANCE

The Vigilance machinery of the Bank is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) of the rank of General Manager appointed with concurrence of the Ministry of Finance and the Central Vigilance Commission. The CVO is assisted by committed officers having knowledge/background of investigation and disciplinary action matters as well as banking, for tendering advice to Disciplinary Authorities/Controlling Authorities in all vigilance cases. The Vigilance Department also focuses on initiation and dissemination of preventive vigilance measures.

INSPECTION & AUDIT

During the year 2010-11, the department carried out Risk Based Internal Audit, Information System Audit & Revenue Audit at branches, currency chests & Depository Participant Office and Risk Based Management Audit at HO Departments, Zonal Offices, Zonal Audit Offices, Staff Training Centres, MDI, LDM Offices and RRBs. Concurrent Audit was being carried out at 680 domestic branches (including Treasury Branch) & Estate Department, H.O. (for Centralized Payments) by FCAs and at 24 Foreign Branches, Card Products Department, Comptrollers' Department & Data Centre by in-house officers. The total coverage of concurrent audit is 68.04% of total global advances and 56.06% of total global deposits of the Bank against the stipulated level of 50% each. During conduct of various audits at branches, the department detected revenue leakage to the extent of ₹ 48.43 crore.

Under the project STARBOOST, Audit Exception Reports (AERs) of 2,624 branches were generated and sent to the branches that are subject to RBIA. These reports are sent to the concerned branches 2 months in advance so as to enable the branches to initiate necessary corrective measures before commencement of audit which would facilitate to rank for a good audit rating.

Policies of Risk Based Internal Audit of Domestic branches, Risk Based Management Audit (Domestic) and Concurrent Audit were reviewed/revised suitably to cover/elaborate the areas that were pointed out in the previous AFI by RBI (Approval accorded by ACB on 20.04.2010). Long Form Audit Report of the Bank for the year 2009-10 was attended in time and compliance was reported to Board & ACB. Compliance of Action Points emanated at the meetings of Board/ACB was submitted to ACB/Board in time.

Discretionary Audit was conducted at branches that were rated under 'High Risk and above' to ensure compliance of exceptions. Snap Audit of accounts migrated to LCC/MCC branches consequent to implementation of SANKALP 10,000 was conducted to ensure proper transfer of documents. Assessment of impact of preventive vigilance measures was undertaken at branches that were audited (this is being carried out on an ongoing basis). Credit Audit & Loan Review Mechanism was conducted in 2,558 accounts spread over to 489 branches.

GM & DGM attended various Zonal Audit Committee meetings and Meetings with Chief Incumbent of High risk Rated Branches and rendered suitable guidance in the matter of ensuing timely compliance/closure of audit reports and improving audit rating. Meeting of concurrent auditors/ internal auditors at Zones was conducted wherein GM & DGM emphasized the need for quality reporting of audit findings and also timely submission of reports.

Full time in-house concurrent auditor was appointed for Data Centre and is assigned, among other duties, the job of verification of interest parameters, application of interest process and checking of interest in sample accounts. The observations of the concurrent auditor are forwarded to IT Department, for compliance. The compliance received from them is put up to Head Office (Audit) Sub-Committee for their noting and further direction, if any.

Regular reporting on all important Audit findings are being made to Top Management, HO (Audit) Sub Committee and ACB as prescribed and the directions thereof are being complied.

OFFICIAL LANAGUAGE

The Bank has continued its vigorous efforts to achieve the various targets set in Annual Implementation Programme

2010-11, issued by Government of India. For effective implementation of Official Language Policy, the Bank has conducted review meetings for all Official Language Officers to boost the implementation of Hindi. The bank has also successfully organized various customer related programmes in Hindi as per directives of Reserve Bank of India and Government of India, Ministry of Finance.

Total 60 Hindi workshops were conducted during the year in which 1,293 Officers/Clerks were trained to use Hindi in day to day banking functions. The Bank received various awards for implementation of Official Language policy. Prominent among them are Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) prizes to Patna, Pune, Khandwa, Ujjain, Bhubaneshwar and Ludhiana zones. Bank has also received Consolation prize from State Level Bankers committee, Pune & RBI Governer Rajbhasha Sheild for Region 'B' respectively.

All the information in Bank's website is being published in Hindi also. The facility of Hindi has also been provided in ATM for ATM users.

BANK'S SUBSIDIARIES / ASSOCIATES

BOI Shareholding Ltd. (BOISL)

Bank's association with the Capital Market spans a period of nine decades. The clearing and settlement function of Bombay Stock Exchange (BSE) was being handled by the Bank since 1921. In 1989, Bank set-up "BOI Shareholding Ltd. (BOISL)", joint venture with BSE, to manage the clearing house activities of the Stock Exchange. The Bank is holding 51% of its paid up capital of ₹ 2 crore.

The company has been carrying out the rolling and weekly settlements of trades executed by member brokers operating on the Exchange, BOISL is also a Depository Participant (DP) of both the Depositories viz. the National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) and provides depository services to the clearing members and investors. BOISL is the first Securities Clearing House in the country to have been awarded the ISO 9001-2000 ISO Certification.

BOISL earned a net profit of ₹ 498.94 lakh (unaudited) during 2010-11.

Securities Trading Corporation of India Ltd. (STCI)

STCI Ltd. is one of the leading Primary Dealers in the country. It was established in 1999 with the objectives of widening the gilt and other debt security market through development of a vibrant secondary market. Bank of India with 29.96% holding is the single largest stakeholder in STCI having Paid-up Capital of ₹ 380 crore. The Company is an associate company of the Bank in terms of Accounting Standards 21 (AS-21) of the Institute of Chartered Accountants of India.

With growing perception that Primary Dealership by itself is no longer an attractive business, STCI decided to hive off the Primary Dealership business to its new subsidiary namely STCI Primary Dealer Ltd. which commenced its operations from 25th June 2007. The Subsidiary which started on a cautious note has made steady progress since then.

After formation of subsidiary, STCI took up activities of IPO funding, margin funding, commodity future trading, Asset Management, investments in short term corporate loans / CP, equity trading.

During FY 2010-11 the PAT was at ₹ 45.80 crore as compared to a PAT of ₹ 32.80 crore for the entire 2009-10.

Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. (SUDLife)

Bank of India, Union Bank of India and Dai-ichi Mutual Life Insurance Company, Japan have formed "Star Union Dai-ichi Life Insurance Company" to take advantage of the growing insurance market and to provide quality assured insurance to its clients spread across the length and breadth of the country. The company has commenced insurance business since February 2009. BOI holds 48% in the Company's paid up Capital of ₹ 250.00 crore.

Union Bank holds 26% stake and Dai-ichi Mutual Life Insurance Company, Japan holds 26% in addition to the Bank's stake. In terms of the Joint Venture Agreement, the Bank has transferred its 3% stake in favour of Union Bank.

ASREC (India) Ltd. (Associate)

The Company was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India to undertake securitization and asset reconstruction activities. The company was granted Certificate of Registration by RBI under the SARFAESI Act, 2002 in the second half of FY 2004-05 and has since commenced full-fledged operation. Currently the Bank is holding 26.02% stake, in the equity capital of the company which is ₹ 27.06 crore.

Indo Zambia Bank Ltd. (IZB)

IZB is a joint venture of three Indian Banks viz. Bank of India, Bank of Baroda, Central Bank of India and Government of Zambia. Each of the Indian Banks holds 20% of the share capital, whereas Government of Zambia holds 40% of the share capital. Indo-Zambia Bank Ltd is fine example successful joint venture. It enjoys the patronage of two friendly republics, the Government of Republic of Zambia and Government of India.

PT Bank Swadeshi Tbk, Indonesia

During FY 2007-08 the bank acquired a stake of 76% in PT Bank Swadeshi Tbk at a total consideration of Indian ₹ 3.77 crore. The Bank has three Directors on the Board of PT Bank Swadeshi Tbk.

Bank of India (Tanzania) Ltd.

Bank of India (Tanzania) Ltd. is wholly owned subsidiary of the Bank and commenced operations on 16th June 2008 with first branch at Dar-Es-Saleam.

Bank of India (New Zealand) Ltd.

Bank of India (New-Zealand) Ltd. is wholly owned subsidiary of the Bank with ₹ 176.95 crore paid up capital. The Bank has received a license to operate as a Bank from Reserve Bank of New Zealand on 31-03-2011. The operations are likely to start shortly.

STRATEGIC INVESTMENTS / ALLANCES

Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)

The Company was promoted in 1997 by the Bombay Stock Exchange, Mumbai and Bank of India along with other Banks. The main objective of promoting CDSL was to accelerate the pace of dematerialization of scrips, bring wide participation of investors in the capital market and to create a competitive environment as country's second depository. Bank now holds 5.57% stake in the paid-up capital of ₹ 104.50 crore of CDSL. During the year the Bank has divested it's 4% stake in CDSL in favour of BSE, thereby reducing the present stake of 9.57% to 5.57%. (Divesting 41,80,000 shares to BSE). CDSL has paid 10% dividend in FY 2007-08 & 2008-09 and 12% dividend for 2009-10.

Credit Information Bureau (India) Ltd. (CIBIL)

CIBIL is the first credit information bureau in the country, incorporated in August, 2000 for providing credit information and risk analysis services to the Banking and Financial services sectors. The company launched its consumer bureau operations in FY 2004-05 and commercial bureau operations during 2006-07. Bank holds a stake of 5% in the equity share capital of the company.

Multi Commodity Exchange of India Ltd. (MCX)

MCX is a new generation multi commodity exchange undertaking future trading in multi commodities at the national level. The Exchange commenced operation during FY 2004-05 and within a short span has come up as India's No. 1 Commodity Exchange. It now figures in the world's Top Bullion and Base Metal Exchange. Bank has a nominal stake of 2% by way of equity participation in the capital of MCX with a view to be associated with one of the major commodity exchanges. Bank also handles clearing bank functions of the exchange through Bullion Exchange Branch.

National Collateral Management Services Ltd. (NCMSL)

National Collateral Managements Services Ltd. is promoted by the National Commodity and Derivates Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.9.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. It offers various services for the development of trades on commodity exchange such as valuation, grading, insuring, securing, storing, distributing, clearing and forwarding of securities and commodities etc. Bank holds a stake of 10.17% (₹ 3 crore) in the equity capital of the company, thus providing opportunities to the bank to harness its association with NCMSL for credit lines to its members and clients.

SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)

SMERA was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Bradstreet, one of the leading credit rating agencies. SMERA's primary objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easier flow of credit to SME sector. The Bank has a nominal stake of 4% in the equity capital of the company.

Other Strategic Investments

Apart from the above listed major Strategic Investments Bank also has strategic investments in MCX Stock Exchange Ltd (₹ 25 crore), United Stock Exchange Ltd. (₹ 7.50 crore), Equifax Credit Information Services Ltd. (₹ 1.75 crore), U. V. Asset Reconstruction Co. Ltd. (₹ 15 lakh), Clearing Corporation of India (₹ 0.50 crore), Agricultural Finance Corporation Ltd. (₹ 1.26 crore), SIDBI (₹ 45.30 crore), Tourism Finance Corporation Limited (₹ 2.67 crore), Central Ware Housing Corporation Ltd (₹ 1.11 crore), MPCON (₹ 0.16 crore), HIMCON (₹ 15,00/-), HARDICIN (₹ 10,000/-), MITCON (₹ 40,000/-), NITCON (₹ 20,000/-) etc.

Bank's Depository Services

Bank has been offering Depository Services to its customers from all the Branches by leveraging Core Banking Solutions. With a view to adding value to the banking services and making available the numerous benefits of depository services, the Bank is offering the services of both the depositories i.e. NSDL and CDSL. In order to offer better services, the DP operations have now been centralised at Mumbai. To achieve synergies and better utilization of Human resources, Bank's CDSL DPO which was earlier situated at Andheri (West) has been shifted to spacious premises of Mumbai (Main) Branch during the year.

The number of active Demat Accounts with the DPOs was 90,012 as on 31.03.2011, against 87,448 accounts as on 31.03.2010. During the year 2010-11 the Bank earned a gross Income of 448 lakh as against ₹ 374 lakh earned during 2009-10. Income Budget for FY 2011-12 has been kept at ₹ 640 lakh.

Star Share Trade (Online Share Trading)

During the recent years Online Share Trading (OLST) has been gaining popularity among Investors in the Stock Makets and the volumes traded has been on an increase. With a view to meet the growing needs of Bank's customers and in order to provide them the comfort of trading in securities on a mouse click, over phone, the Bank had launched Star Share Trade (Online Share Trading) facility by integrating Bank Account, Demat Account and Trading Account of the customers under Tie up arrangement with leading Stock Brokers M/s. Asit C Mehta Investement Interrmediates Limited (ACMIIL), the OLST facility is being offered since 2005. This facility has also been made available to the NRI clients and for filing of IPOs.

In order to offer wider choice to the customers and to reach the customers spread across wide geographical area, tie up arrangement with following three more Broking Companies was launched during the year. Several products are being offered through this Tie up arrangement:

- Ajcon Global Services Limited (AGSL)
- GEPL Capital Private Limited (GCPL)
- Karvy Stock Broking Limited (KSBL)

Application supported by Blocked Amount (ASBA)

The Bank has been registered with SEBI as a Self Certified Syndicate Bank (SCSB) and IPO applications received under ASBA (physical application) are processed through the designated Branches. The number of designated Branches has increased to 361 as on 31.03.2011, from 149 as on 31.03.2010. Bank's Stock Exchange Branch is the nodal Branch for ASBA.

In addition to the above designated Branches. Customers of other branches who have availed Internet Banking facility can also enjoy the facility of making Online Bid cum Application to ASBA IPO from Star connect Retail Internet Banking.

The following Investors are eligible to apply for IPOs through ASBA:

i) **In Public Issues**: All Investors are eligible to apply through ASBA in Public Issues

ii) **In Rights Issues**: All shareholders of the Issuer company Issues as on date provided :

   a) Are holding shares in Demat form and have applied for entitlements and/or additional shares in the Issue in Demat form

   b) Have not renounced entitlements in full or in part

   c) Are not a renounce to the Issue.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2011,

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended on March 31, 2011;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India, and
- The accounts have been prepared on a "going concern" basis.

CORPORATE GOVERNANCE

A detailed report on Corporate Governance, being a part of Directors' Report is appearing from page no. 59 to 76.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board express its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchanges Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board places on record its deep appreciation for the services and contributions made by Shri M. Narendra (Ex Executive Director), Shri K.S. Sampath, Shri A.V. Sardesai, Shri Amit K. Motayed, Shri Indresh V. Singh, all Directors of the Bank, who have relinquished office during the year. The Board also thanks financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders and also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated services and contribution for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai
Date : 02.05.2011

(Alok K Misra)
Chairman & Managing Director

कार्पोरेट शासन प्रणाली

शासन प्रणाली कूट पर बैंक का दर्शन :

अपने कारोबार संचलन में नैतिक परिपाटी के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता पर बैंक की कार्पोरेट शासन प्रणाली दर्शन संरचित है जबकि प्रयास शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि है। बोर्ड, कार्यपालकों तथा अन्य पदाधिकारियों का पारस्परिक संबंध इस तरह गठित है कि जिसमें स्पष्टतया उनकी विशिष्ट भूमिकाएं चिन्हित हैं तथा विकसित कार्पोरेट कार्य निष्पादन है। बैंक उच्च प्रकटन मानकों तथा पारदर्शिता के अनुसरण में भी प्रतिबद्ध है। बेहतर परिपाटी के अनुसरण में बैंक ने कारोबार के प्रत्येक पक्ष की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत बैंक का गठन किया गया है। सामान्य पर्यवेक्षण, बैंक का कारोबार तथा कामकाज का प्रबंधन तथा निदेशन बोर्ड के निदेशक मंडल के पास है जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं।

अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। समीक्षागत वर्ष के अंतर्गत बोर्ड का संयोजन निम्नलिखित था :

श्री आलोक मिश्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री बी. ए. प्रभाकर	कार्यपालक निदेशक
श्री एम. नरेन्द्र (31.10.2010 तक)	कार्यपालक निदेशक
श्री एन. शेषाद्री (01.11.2010 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री तरुण बजाज	केंद्रीय सरकार के नामिती
श्री ए.वी.सरदेसाई (31.07.2010 तक)	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती
श्री जी. महालिंगम (03.08.2010 से)	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती
श्री के.एस.संपत (31.12.2010 तक)	अंशकालिक अशासकीय निदेशक
श्री इंद्रेश वी. सिंह (01.01.2011 तक)	अंशकालिक अशासकीय निदेशक
डॉ. शांता चावडा	अंशकालिक अशासकीय निदेशक
श्री ए. के. मोतायद (31.01.2011 तक)	गैर कामगार कर्मचारी निदेशक
श्री हरविंदर सिंह (01.02.2011 से)	गैर कामगार कर्मचारी निदेशक
श्री एम. एन. गोपीनाथ	शेयरधारक निदेशक
श्री प्रकाश पी. माल्या	शेयरधारक निदेशक
श्री पी. एम. सिराजुद्दीन	शेयरधारक निदेशक

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy on code of Governance :

The Bank's corporate governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value. The interrelation between the Board, the executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

Board of Directors :

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended from time to time. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.

The Chairman & Managing Director and the Executive Director are appointed by the Central Government. During the year under review the Composition of the Board was as under:-

Shri Alok K Misra	Chairman & Managing Director
Shri B.A. Prabhakar	Executive Director
Shri M. Narendra (upto 31.10.2010)	Executive Director
Shri N. Seshadri (From 01.11.2010)	Executive Director
Shri Tarun Bajaj	Nominee of the Central Government
Shri A.V. Sardesai (upto 31.07.2010)	Nominee of Reserve Bank of India
Shri G. Mahalingam (From 03.08.2010)	Nominee of Reserve Bank of India
Shri K.S. Sampath (upto 31.12.2010)	Part-Time Non-Official Director
Shri Indresh Vikram Singh (Upto 01.01.2011)	Part-Time Non-Official Director
Dr. Shanta Chavda	Part-Time Non-Official Director
Shri Amit Kumar Motayed (upto 31.01.2011)	Non-Workmen Employee Director
Shri Harvinder Singh (From 01.02.2011)	Non-Workmen Employee Director
Shri M.N. Gopinath	Shareholder Director
Shri Prakash P. Mallya	Shareholder Director
Shri P.M. Sirajuddin	Shareholder Director

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर मंडल में शेष सभी निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अंशकालिक अशासकीय निदेशकों के अलावा केंद्रीय सरकार और शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक व रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रतिनिधि निदेशक सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अर्थ के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक हैं। कोई भी निदेशक अन्य किसी निदेशक का संबंधी नहीं है।

वर्ष के दौरान बैंक में कार्य ग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री एन. शेषाद्री, कार्यपालक निदेशक

श्री एन. शेषाद्री, 58 वर्ष, हमारे बैंक के दिनांक 01.11.2010 से कार्यपालक निदेशक हैं। वर्तमान नियुक्ति से पूर्व श्री एन. शेषाद्री केनरा बैंक में महाप्रबंधक थे। उनका जन्म 30 अप्रैल, 1953 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1975 में अधिकारी के रुप में केनरा बैंक में कार्य ग्रहण किया। 35 वर्षों के प्रदीर्घ करियर में उन्होने बैंक में कई शीर्ष पदों पर कार्य किया है। एमबीए और सीएआईआईबी उपाधि धारी श्री एन. शेषाद्री ने संपूर्ण देश भर तथा विदेशों में भी कार्य किया है।

श्री जी. महालिंगम

श्री जी. महालिंगम, 54 वर्ष, विज्ञान (सांख्यिकी) में स्नातकोत्तर, बर्मिंघम बिझनेस स्कूल, यू.के. से अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व वित्त में एमबीए हैं। वे भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक हैं। केंद्रीय सरकार ने दिनांक 03.08.2010 से उन्हें बैंक के निदेशक के रुप में नियुक्त किया है।

श्री हरविंदर सिंह

बैंक दिनांक 01.02.2011 से श्री हरविंदर सिंह को गैर-कामगार कर्मचारी निदेशक के रुप में नियुक्त किया है। श्री हरविंदर सिंह, बैंक ऑफ़ इंडिया अधिकारी संघ के फेडरेशन के महासचिव हैं। वे वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम.कॉम) हैं तथा उन्होंने एलएलबी तक शिक्षा ग्रहण की हैं।

All directors, other than the Chairman & Managing Director and the Executive Directors, are non-executive Directors on the Board. The Directors representing shareholders of the Bank other than the Central Government and the part time non official Directors appointed by the Central Government and nominee of Reserve Bank of India are independent directors within the meaning of Clause 49 of the Listing Agreement. None of the Directors is a relative of other Director.

BRIEF PROFILE OF THE DIRECTORS WHO JOINED THE BANK DURING THE YEAR

Shri N. Seshadri, Executive Director

Shri N. Seshadri, 58 years, is the Executive Director of our Bank with effect from 01.11.2010. Shri N. Seshadri was General Manager at the Canara Bank prior to the current Assignment. Born on 30th April, 1953, he had joined Canara Bank as an officer in 1975, he had held several distinguished position in the Bank's hierarchy in a career spanning 35 years. MBA and certified Associate of the Indian Institute of Bankers, Shri Seshadri has worked extensively throughout the country and abroad.

Shri G. Mahalingam

Shri G. Mahalingam, 54 years, is a Post Graduate in Science (Statistics), M.B.A. in International Banking and Finance from Birmingham Business School, U.K. He is a Chief General Manager of Reserve Bank of India. He has been appointed by the Central Government as a Director of Bank with effect from 03.08.2010.

Shri Harvinder Singh

Shri Harvinder Singh is the Non workmen Employee Director appointed by the Bank with effect from 01.02.2011. Shri Harvinder Singh is the General Secretary of the Federation of Bank of India Officer's Association. He is Commerce Post graduate (M.Com) and also done LLB.

निदेशकों के अन्य विवरण
OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS

निदेशकों के नाम Name of Directors	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समिति के सदस्य Member of Board Committees	
					सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
1. श्री आलोक मिश्रा Shri Alok K Misra	400	05.08.2009	बैंकिंग Banking	i) भारतीय आयात-निर्यात बैंक ii) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. i) Export Import Bank Of India ii) BOI Shareholding Ltd.	–	–

निदेशकों के नाम Name of Directors	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समिति के सदस्य Member of Board Committees	
					सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
2. श्री बी. ए. प्रभाकर Shri B.A. Prabhakar	–	15.10.2008	बैंकिंग Banking	i) एएसआरईसी (इंडिया) लि. ii) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. iii) बीओआई तंजानिया लि. iv) स्टार-यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. v) पी.टी. बैंक स्वदेशी टीबीके i) ASREC (India) Ltd. ii) BOI Shareholding Ltd. iii) BOI Tanzania Ltd. iv) Star Union Dai-ichi L.I.C. Ltd. v) P.T. Bank Swadeshi, Tbk.	2	–
3. श्री एन. शेषाद्री Shri N. Seshadri	–	01.11.2010	बैंकिंग Banking	1. इंडो जांबिया बैंक लि. 2. नैशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. 1. Indo Zambia Bank Ltd. 2. National Payment Corporation of India Ltd.	2	–
4. श्री तरुण बजाज Shri Tarun Bajaj	–	05.07.2007	प्रशासन Administration	1. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं.लि. 2. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. 3. इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेस फाइनान्स कारपोरेशन लि. 4. जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया 5. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं.लि. 1. New India Assurance Co. Ltd. 2. Agriculture Insurance Company of India Ltd. 3. Irrigation and water resources Finance Corporation Ltd. 4. General Insurance Corporation of India 5. United India Insurance Co. Ltd.	1	1
5. श्री जी. महालिंगम Shri G. Mahalingam	–	03.08.2010	बैंकिंग Banking	–	1	–
6. डॉ. शांता चावड़ा Dr. Shanta Chavda	–	19.01.2009	साहित्य Literature	–	–	–
7. श्री हरविंदर सिंह Shri Harvinder Singh	600	01.02.2011	बैंकिंग Banking	–	–	–
8. श्री एम.एन. गोपीनाथ Shri M.N. Gopinath	100	25.10.2008	बैंकिंग Banking	आयसीआयसीआय प्रुडेनशियल ट्रस्ट लि. ICICI Prudential Trust Ltd.	1	–
9. श्री प्रकाश पी.माल्या Shri Prakash P. Mallya	500	25.10.2008	बैंकिंग Banking	1. आईएफसीआई लि. 2. स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लि. 1. IFCI Ltd. 2. Stock Holding Corporation of India Ltd.	1	1
10. श्री पी. एम. सिराजुद्दीन Shri P.M. Sirajuddin	600	25.10.2008	प्रशासन Administration	जखान साल्ट कं.प्रा.लि. Jakhan Salt Co. Pvt. Ltd.	1	–

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुपालन में बैंक ने केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया है।

बोर्ड की बैठकों का संचालन :

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की कुल 14 बैठकें आयोजित की गई :

In compliance of Clause 49 of the Listing Agreement the Bank has considered the Chairmanship/Membership of the Audit Committee and the Investor's/Shareholder's Grievance committee alone.

Conduct of Board Meetings :

During the year, 14 Board Meetings were held on the following dates:

21.04.2010	07.05.2010	26.05.2010	30.06.2010	14.07.2010	31.07.2010
12.08.2010	06.09.2010	22.10.2010	16.11.2010	29.12.2010	21.01.2011
01.02.2011	30.03.2011				

बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are as follows:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Recorded	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure
श्री आलोक मिश्रा	Shri Alok K Misra	14	14
श्री बी.ए. प्रभाकर	Shri B.A. Prabhakar	14	14
श्री एम. नरेन्द्र	Shri M. Narendra	9	9
श्री एन. शेषाद्री	Shri N. Seshadri	5	5
श्री तरूण बजाज	Shri Tarun Bajaj	8	14
श्री ए.वी. सरदेसाई	Shri A.V. Sardesai	6	6
श्री जी. महालिंगम	Shri G. Mahalingam	8	8
श्री के.एस. संपत	Shri K.S. Sampath	9	11
श्री इंद्रेश वी. सिंह	Shri Indresh V. Singh	9	11
डॉ. शांता चावडा	Dr. Shanta Chavda	14	14
श्री ए.के. मोतायद	Shri A.K. Motayed	12	12
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	2	2
श्री एम.एन. गोपीनाथ	Shri M.N. Gopinath	12	14
श्री प्रकाश पी माल्या	Shri Prakash P. Mallya	12	14
श्री पी.एम. सिराजुद्दीन	Shri P.M. Sirajuddin	14	14

बोर्ड की प्रबंधन समिति

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है और वह वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टा प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। यथा दिनांक 31.03.2011 को इस समिति में 7 सदस्य थे जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 2 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती और 3 अंशकालिक अशासकीय निदेशक शामिल हैं।

Management Committee of the Board :

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/ appeals etc. As on 31.3.2011 it comprised of 7 members consisting of the Chairman and Managing Director, 2 Executive Directors, nominee of RBI and 3 part time non-official Directors.

वर्ष के दौरान बोर्ड प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 31 बैठकें हुई :

The Management Committee of the Board met 31 times during the year on the following dates:

08.04.2010	21.04.2010	28.04.2010	08.05.2010	17.05.2010
26.05.2010	08.06.2010	22.06.2010	30.06.2010	09.07.2010
19.07.2010	30.07.2010	09.08.2010	18.08.2010	30.08.2010
15.09.2010	25.09.2010	09.10.2010	19.10.2010	30.10.2010
16.11.2010	02.12.2010	16.12.2010	08.01.2011	19.01.2011
01.02.2011	18.02.2011	01.03.2011	10.03.2011	18.03.2011
26.03.2011				

प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित अनुसार हैः

Attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि (से-तक) Period (From – To)
श्री आलोक मिश्रा	Shri Alok K Misra	30	31	01.04.2010 से / to 31.03.2011
श्री बी.ए. प्रभाकर	Shri B.A. Prabhakar	31	31	01.04.2010 से / to 31.03.2011
श्री एम. नरेन्द्र	Shri M. Narendra	20	20	01.04.2010 से / to 31.10.2010
श्री एन. शेषाद्री	Shri N. Seshadri	10	11	01.11.2010 से / to 31.03.2011
श्री ए.वी. सरदेसाई	Shri A.V. Sardesai	12	12	01.04.2010 से / to 31.07.2010
श्री जी. महालिंगम	Shri G. Mahalingam	13	19	03.08.2010 से / to 31.03.2011
श्री इंद्रेश वी. सिंह	Shri Indresh V. Singh	8	8	01.04.2010 से / to 28.05.2010 29.11.2010 से / to 01.01.2011
डॉ. शांता चावडा	Dr. Shanta Chavda	14	14	22.07.2010 से / to 21.01.2011
श्री ए.के. मोतायद	Shri A.K. Motayed	11	11	01.04.2010 से / to 21.07.2010
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	5	5	02.02.2011 से / to 31.03.2011
श्री एम.एन. गोपीनाथ	Shri M.N. Gopinath	8	13	01.08.2010 से / to 31.01.2011
श्री प्रकाश पी माल्या	Shri Prakash P. Mallya	18	21	29.05.2010 से / to 28.11.2010 22.01.2011 से / to 31.03.2011
श्री पी.एम. सिराजुद्दीन	Shri P.M. Sirajuddin	20	20	01.04.2010 से / to 31.07.2010 02.01.2011 से / to 31.03.2011

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा किया गया गया है। यह एसीबी निदेश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण भी करती है।

लेखा परीक्षा समिति में 6 सदस्य हैं, अर्थात कार्यपालक निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामिती निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 2 अंशकालिक अशासकीय निदेशक। श्री तरुण बजाज बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीख़ों को लेखा परीक्षा समिति की 11 बैठकें हुईः

Audit Committee of the Board :

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

The Audit Committee comprises of 6 members viz. Executive Directors, Government Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 non official part time directors. Shri Tarun Bajaj is the present Chairman of the Audit Committee of the Board. During the year, the Audit Committee met 11 times on the following dates:

20.04.2010	07.05.2010	26.05.2010	31.07.2010	13.08.2010
06.09.2010	09.10.2010	22.10.2010	22.12.2010	21.01.2011
30.03.2011				

प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

The attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि Period
श्री बी.ए. प्रभाकर	Shri B.A. Prabhakar	11	11	01.04.2010 से / to 31.03.2011
श्री एम. नरेन्द्र	Shri M. Narendra	8	8	01.04.2010 से / to 31.10.2010
श्री एन. शेषाद्री	Shri N. Seshadri	3	3	01.11.2010 से / to 31.03.2011
श्री तरूण बजाज	Shri Tarun Bajaj	8	11	01.04.2010 से / to 31.03.2011
श्री ए.वी. सरदेसाई	Shri A.V. Sardesai	4	4	01.04.2010 से / to 31.07.2010
श्री जी. महालिंगम	Shri G. Mahalingam	6	7	03.08.2010 से / to 31.03.2011
श्री के.एस संपत	Shri K.S. Sampath	8	9	01.04.2010 से / to 31.12.2010
श्री एम.एन. गोपीनाथ	Shri M.N. Gopinath	2	6	01.01.2011 से / to 31.03.2011

बैंक के तिमाही गैर-लेखा परीक्षित परिणामों और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और बोर्ड द्वारा स्वीकार किए जाने हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए।

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to the placing before the Board of Directors for adoption.

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति

कार्पोरेट नियंत्रण पर सेबी के दिशानिर्देशों के तहत स्टॉक एक्सचेंज के सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र की अप्राप्ति, लाभांश की अप्राप्ति इत्यादि से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए शेयरधारकों/निवेशकों की एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया था। वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त सभी शिकायतों/संदर्भों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया। संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद प्रायः सात दिनों के अंदर निवेशकों की शिकायतें हल कर दी जाती हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक हैं। बैंक के शेयरधारक निदेशक श्री प्रकाश पी.माल्या इस समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री राजीव भाटिया, कंपनी सचिव, इस उद्देश्य के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीख़ों पर समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईः

Shareholders'/Investors' Grievances Committee :

In compliance of SEBI guidelines on Corporate Governance as provided in clause 49 of the Listing Agreement, Shareholders'/ Investors' Grievances Committee has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Balance sheet, non-receipt of dividends etc. All the references/complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Executive Directors and two independent Directors. It is headed by Shri Prakash P.Mallya, Shareholder Director of the Bank.

Shri Rajeev Bhatia, Company Secretary, is the Compliance officer of the Bank for this purpose.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

08.06.2010	16.11.2010	29.12.2010	10.03.2011

प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है

The attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि Period
श्री प्रकाश पी. माल्या	Shri Prakash P. Mallya	4	4	01.04.2010 से / to 31.03.2011
श्री. बी.ए. प्रभाकर	Shri B.A. Prabhakar	4	4	01.04.2010 से / to 31.03.2011
श्री एम. नरेन्द्र	Shri M. Narendra	1	1	01.04.2010 से / to 31.10.2010
श्री एन. शेषाद्री	Shri N. Seshadri	2	3	01.11.2010 से / to 31.03.2011
श्री पी.एम. सिराजुद्दीन	Shri P.M. Sirajuddin	4	4	01.04.2011 से / to 31.03.2011

गत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

दिनांक 14.07.2010 को आयोजित पिछली अर्थात चौदहवीं वार्षिक आम बैठक में सभी निदेशकों के साथ ऑडिट कमिटी बोर्ड के अध्यक्ष उपस्थित रहे।

शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

शेयर अंतरण, लाभांश और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी कार्यकलापों पर कार्रवाई हमारे पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायत/कठिनाईयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्नलिखित पते पर रजिस्ट्रारों से संपर्क करने का अनुरोध है :

शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि. यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया, 13, ए बी, समहिता वेयरहाउसिंग कॉम्पलेक्स, दूसरी मंजिल,साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज के पास, अंधेरी कुर्ला रोड़, साकीनाका, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 072 फोन 022-67720300, फैक्स- 022-28591568, E-mail : boi@shareproservices.com
अथवा
शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि,. निवेशक संपर्क केन्द्र, 912, रहेजा सेंटर, फ्री प्रेस जर्नल हाउस, नरीमन पॉईंट मुंबई - 400 021.

उपर्युक्त के अलावा निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं:

स्टार हाउस, 8वीं मंजिल, पूर्व स्कंध, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051, फोन 022-66684444, फैक्स- 022-66684491, ई-मेल l: headoffice.share@bankofindia.co.in

शेयरों के अंतरण एवं हस्तांतरण को अनुमोदित करने का प्राधिकार बैंक के निदेशकों की शेयर अंतरण समिति को प्रत्यायोजित किया गया है। बैंक ऑफ़ इंडिया (शेअर और बैठकें) विनियमन, 2007 के संशोधित प्रावधानों के अनुसरण में इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक और दो अन्य निदेशक होते हैं। इस समिति की वर्ष के दौरान 26 बैठकें हुईं। शेयर अंतरण हेतु दिनांक 31.03.2011 तक प्राप्त सभी शेयर प्रमाण पत्रों पर कार्रवाई की गई और वह प्रेषित किए गए।

आम सभा की बैठकें :

Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting

All the Directors including the Chairman of the Audit Committee of the Board attended the last i.e., Fourteenth Annual General Meeting of the Bank held on 14.07.2010

Share Transfers and Redressal of Shareholders`/Investors` Grievances :

Share Transfers, Dividend/interest payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgement of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders and investors are requested to contact

Sharepro Services (India) Pvt. Ltd., Unit-Bank of India, 13AB, Samhita Warehousing Comlex 2nd Floor, Near Sakinaka Telephone Exchange, Off. Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (East), Mumbai - 400 072 Phone : 022-67720300, Fax : 022-28591568, E-mail : boi@shareproservices.com
OR at
Sharepro Services (India) Pvt. Ltd., Investor Relation Centre, 912, Raheja Centre, Free Press Journal House, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Share Department at

Star House, 8th Floor, East Wing, C-5, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, Phone : 022-66684444, Fax : 022-66684491, E-mail : headoffice.share@bankofindia.co.in

The authority to approve transfer and transmission of shares, is delegated to a Share Transfer Committee comprising the Chairman & Managing Director and in his absence Executive Director of the Bank and two other directors in terms of the provisions of. Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2007. The Committee met 26 times during the year. All the share certificates received for transfer up to 31.03.2011 have been processed and dispatched.

General Body Meetings :

	बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue
1	असाधारण आम बैठक Extra Ordinary General Meeting	17.03.2011 दोपहर 3.30 बजे 3.30 P.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051. Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
2	चौदहवीं वार्षिक आम बैठक Fourteenth Annual General Meeting	14.07.2010 दोपहर 3.00 बजे 3.00 P.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051. Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
3	तेरहवीं वार्षिक आम बैठक Thirteenth Annual General Meeting	11.07.2009 प्रातः 11.00 बजे 11.00 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051. Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
4	असाधारण आम बैठक Extra-Ordinary General Meeting	23.10.2008 प्रातः 11.00 बजे 11.00 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051. Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
5	बारहवीं वार्षिक आम बैठक Twelfth Annual General Meeting	11.07.2008 दोपहर 2.30 बजे 2.30 P.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051. Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai - 400 051.

प्रकटन :

बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 से नियंत्रित होता है। सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि सूचीकृत संस्थाएं जो कंपनियां नहीं है लेकिन अन्य संविधियों के अंतर्गत निगमित निकाय हैं (उदाहरणार्थ- निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां आदि) पर सूचीकरण करार का खंड 49 केवल उस सीमा तक लागू होगा जिस सीमा तक वह उनकी संदर्भगत संविधि और उनके नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी तत्संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करें।

i) निदेशकों का पारिश्रमिक :

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक अशासकीय निदेशकों को बैठक शुल्क, जो कि निम्नलिखित है, के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता हैः

बोर्ड बैठकों के लिए : ₹ 5,000/- प्रति बैठक

समिति बैठकों के लिए : ₹ 2,500/- प्रति बैठक

ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो। बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रवृत्ति है कि निदेशक, मंडल और मंडल की उप समितियों की चर्चा में भाग नहीं लेते जब उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो।

iii) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमान्य निर्गमों आदि की आगम राशियों इत्यादि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 1009.99 करोड़ की बैंक की टियर। पूंजी बढ़ाने के लिए इक्विटी शेयर में प्रिफेरशिंयल इश्यू के माध्यम से भारत सरकार को ₹ 464.07 प्रतिशेयर के प्रीमियम पर ₹ 10/- प्रत्येक के 2,13,04,870 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। इसके साथ-साथ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने प्राइवेट प्लेसमेंट से निम्नलिखित ऋणपत्र जारी किएः

Disclosures :

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporates (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies etc.) incorporated under other statutes, clause 49 of the listing agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities.

i) Remuneration of Directors :

The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the independent directors excepting sitting fees which is as under:

For Board Meeting : ₹ 5,000/- per meeting

For Committee Meeting : ₹ 2,500/- per meeting

ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii) Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review, the. Bank has issued 2,13,04,870 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 464.07 per share to Government of India by way of Preferential issue of Equity Shares for raising Bank's Tier I Capital of ₹ 1009.99 crore. In addition to that during the year under review, the Bank has also raised the following debts through private placement.

क्र. सं. Sr. No.	निर्गम की तारीख Date of Issue	बॉंड का विवरण Description of Bonds	वर्तमान कूपन दर Present Coupon Rate	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crores)
1	11.06.2010	बीओआई अप्पर टियर II बॉंड सिरीज़ VI BOI Upper Tier II Bond Series VI	8.48%	1000
2	09.09.2010	बीओआई इनोवेटिव परपेच्यूअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट सिरीज़ VI BOI Innovative Perpetual Debt instruments Series VI	9.05%	300
			कुल / TOTAL	**1300**

रकम उठाने का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात सुदृढ़ करने हेतु टियर I और II पूंजी प्राप्त करना और बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को सुधारना और इस रकम को इसी उद्देश्य के लिए लगाया है।

iv) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी अथवा किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

v) स्टॉक एक्सचेंज के साथ बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा सूचीकरण करार की धारा 47(सी) के अंतर्गत किए गए करार के द्वारा स्थानीकरण प्रभाव, प्रेषण, उप विभाजन समेलन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर इक्विटी शेयर्स के विनिमय के संबंध में जानकारी के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव से प्रत्येक छः माह में एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। यह प्रमाण पत्र बीएसई और एनएसई को 30 दिनों के भीतर जहां इक्विटी शेयर सूची बद्ध है, प्रेषित किए जाते हैं तथा संचालक मंडल के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

vi) सेबी के परिपत्र सं.डीएवं सीसी/एफआइटीटीसी/सीआइआर-16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार निक्षेपागारों के साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ अभ्यासीक कंपनी सचिव की फर्म द्वारा तिमाही आधार पर एक सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की जाती है। इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूची बद्ध रहते हैं।

संप्रेषण के साधन :

तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम (गैर - लेखा परीक्षित परंतु सांविधिक लेखा परीक्षकों की समीक्षा के अध्यधीन और लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम अंग्रेजी में इकॉनॉमिक टाइम्स/बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन और मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में सकाळ/नवशक्ति तथा हिंदी भाषा में नवभारत टाइम्स/नवभारत समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट **www.bankofindia.co.in.** पर भी प्रदर्शित किए गए। संस्थागत निवेशकों को की गई प्रस्तुतियां भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सेबी द्वारा यथा वांछित एवं करारों के सूचीकरण में स्टॉक एक्सचेंज को प्रत्यक्ष प्रस्तुतीकरण एवं नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) द्वारा संप्रेषित ऑन दी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्फर्मेशन फाइलिंग एवं रिट्रीवल (ईडीआइएफएआर) वेबसाइट के अतिरिक्त कोरपफाइलिंग प्रणाली के माध्यम से बैंक ऑफ़ इंडिया अपनी वित्तीय एवं अन्य जानकारी ऑनलाइन फाइल करता है।

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-I&II Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long-term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

iv) No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

v) As required under clause 47[c] of the listing agreements entered into by Bank of India with stock exchanges a certificate is obtained every six months from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares in the within one month of the lodgement. The certificates are forwarded to BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance and also placed before the Board of Directors.

vi) In terms of SEBI's circular No.D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of capital Report is conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretary, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositaries and in the physical form with the total issued/paid up equity capital Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.

Means of Communication :

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the Economic Times/Business Standard/Financial Express/Business Line in English, Sakal/Navshakti in Marathi (Regional language) and Navbharat Times/Navbharat in Hindi. The results were also displayed on the Bank's website at **www.bankofindia.co.in.** The presentations made to institutional investors are also available on Bank's website

As required by SEBI and in the Listing Agreements, Bank of India, files its financial and other information online through Corpfiling system in addition to the physical submission to the Stock Exchange.

वित्तीय कैलेंडर -1 अप्रैल 2011 से
Financial Calendar : From 1st April, 2011

बैंक के वित्तीय परिणामों पर विचार करने और लाभांश की सिफारिश करने के लिए बोर्ड की बैठक Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India and recommendation of dividend	सोमवार, 2 मई, 2011 Monday, 2nd May 2011
15वीं वार्षिक आम बैठक का दिनांक, समय, स्थान Date, Time, Venue of 15th AGM	14.7.2011 सायं 3.30 बजे सर सीताराम एवं लेडी शांताबाई पाटकर कॉनवोकेशन हॉल, 1, नाथीबाई ठाकरसी रोड, क्वीन्स रोड, मुंबई - 400 020. 14.7.2011 at 3.30 p.m. Sir Sitaram & Lady Shantabai Patkar Convocation Hall, 1, Nathibai Thakersey Road, Queens Road, Mumbai - 400 020.
वार्षिक रिपोर्ट के डाक प्रेषण की तारीख Posting of Annual Report	9.6.11 से / to 19.6.2011
बही बंद करने की तारीख़ें Book Closure dates	9.7.2011 से / to 14.7.2011
परोक्षी फार्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख *Last Date for receipt of proxy forms*	*9th जुलाई / July, 2011*
लाभांश के भुगतान की तारीख (यदि घोषित हुआ) Date of payment of dividend (if Declared)	25th जुलाई / July, 2011
प्रथम 3 तिमाहियों के लिए गैर-लेखा परीक्षित परिणामों पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	संबंधित तिमाही से 45 दिनों के भीतर Within 45 days after the relevant quarter ended.

स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीकरण

बैंक के शेयरों का बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि., नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक शेयर कोड निम्नानुसार हैं:

Listing on Stock Exchanges

The shares of the Bank are listed on Bombay Stock Exchange Ltd. and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई)	Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)	532149 / BOI
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA EQ
आईएसआईएन क्रमांक	ISIN Number	INE084A01016

उक्त दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2011-2012 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

Annual listing fee for 2011-12 has been paid to both of the stock exchanges.

बैंक ने समय-समय पर वचन पत्र के स्वरूप में अपरिवर्तनीय बांड (चरण I एवं II पूंजी) जारी किये हैं उनसे संबंधित ब्योरा निम्नानुसार है:

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

बैंक ऑफ़ इंडिया चरण I एवं चरण II पूंजी बॉडस स्थिति यथा 31.03.2011
BANK OF INDIA – TIER I And TIER II CAPITAL BOND POSITION AS ON 31.03.2011

क्र. सं. Sr.No.	श्रृंखला का विवरण PARTICULARS OF THE ISSUE		कुल मूल्य (₹ करोड में) TOTAL VALUE (₹ in Crores)	आईएसआईएन नं. ISIN NO.
1.	5.88% बीओआई श्रृंखला - V-2014	5.88% BOI Series – V-2014	350.00	आईएनई / INE084A09050
2.	5.90% बीओआई श्रृंखला - VI-2014	5.90% BOI Series – VI-2014	200.00	आईएनई / INE084A09068
3.	7.10% बीओआई श्रृंखला - VII-2014	7.10% BOI Series – VII-2014	300.00	आईएनई / INE084A09076
4.	7.50% बीओआई श्रृंखला - VIII-2014	7.50% BOI Series – VIII-2014	750.00	आईएनई / INE084A09084
5.	8.00% बीओआई श्रृंखला - IX-2016	8.00% BOI Series – IX-2016	200.00	आईएनई / INE084A09100

क्र. सं. Sr.No.	श्रृंखला का विवरण PARTICULARS OF THE ISSUE		कुल मूल्य (₹ करोड में) TOTAL VALUE (₹ in Crores)	आईएसआईएन नं. ISIN NO.
6.	9.35% उच्च चरण II श्रृंखला - 2016	9.35% Upper Tier II Series – I-2016	732.00	आईएनई / INE084A09118
7.	11.15% उच्च चरण II श्रृंखला - II-2018	11.15% Upper Tier II Series – II-2018	500.00	आईएनई / INE084A09159
8.	8.45% उच्च चरण II श्रृंखला - III-2019	8.45% Upper Tier II Series – III-2019	500.00	आईएनई / INE084A09175
9.	8.50% उच्च चरण II श्रृंखला - IV-2019	8.50% Upper Tier II Series – IV-2019	500.00	आईएनई / INE084A09183
10.	8.54% उच्च चरण II श्रृंखला - V-2020	8.54% Upper Tier II Series – V-2020	1000.00	आईएनई / INE084A09209
11.	8.48% उच्च चरण II श्रृंखला - VI-2020	8.48% Upper Tier II Series – VI-2020	1000.00	आईएनई / INE084A09217
12.	10.55% आईपीडीआई बांड - श्रृंखला I	10.55% IPDI Bonds-Series I	400.00	आईएनई / INE084A09126
13.	10.45% आईपीडीआई बांड - श्रृंखला II	10.45% IPDI Bonds-Series II	100.00	आईएनई / INE084A09134
14.	10.40% आईपीडीआई बांड - श्रृंखला III	10.40% IPDI Bonds-Series III	155.00	आईएनई / INE084A09142
15.	8.90% आईपीडीआई बांड - श्रृंखला IV	8.90% IPDI Bonds-Series IV	400.00	आईएनई / INE084A09167
16.	9.00% आईपीडीआई बांड - श्रृंखला V	9.00% IPDI Bonds-Series V	325.00	आईएनई / INE084A09191
17.	9.05% आईपीडीआई बांड - श्रृंखला VI	9.05% IPDI Bonds-Series VI	300.00	आईएनई / INE084A09225
	कुल	**TOTAL**	**7712.00**	

इन सभी बॉंडों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इं.लि. पर सूचीकरण किया गया है तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2011-2012 का वार्षिक शुल्क अदा किया है।

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd and the Bank has paid the Annual listing fee for 2011-2012 to the Stock Exchange.

ऋण श्रेणी निर्धारण

ऋण श्रेणी निर्धारण बाहरी एजेंसी के द्वारा यथा 31 मार्च, 2011 निम्नानुसार हैं:

CREDIT RATINGS

Credit rating got from outside agencies as at March 31st, 2011 are given below:

एजेंसी / Agency	रेटिंग / Rating
मूडीस इन्वेस्टर सर्विस (मूडीस) Moody's Investor Service (Moody's)	बीएए 2 Baa 2
स्टॅन्डर्ड एवं पूअर (एस एवं पी) Standard & Poor's (S&P)	बीबीबी(-) BBB (-)
क्रेडिट एनालिसिस एवं रिसर्च लि.(सीएआरई) Credit Analysis & Research Limited (CARE)	सीएआरईएएए CAREAAA
सावधि जमा कार्यक्रम हेतु निवेश सूचना एवं ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसी (आइसीआरए) Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) for Term Deposit Programme	एमएएए MAAA
बांडस हेतु निवेश सूचना एवं ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसी (आईसीआरए) Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) for Bonds	एलएए+ LAA+
सीआरआइएसआइएल (क्रिसिल) लि. बॉंड्स हेतु CRISIL Limited – For Bonds	एएए AAA
सीआरआइएसआइएल (क्रिसिल) लि.- जमा प्रमाण पत्र हेतु CRISIL Limited – For Certificate of Deposits	पी1+ P1+
ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा. लि. इश्यूअर रेटिग Brickwork Ratings India Pvt Limited – Issuer Rating	बीडब्ल्यूआर एएए BWR AAA
ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा.लि. बांड्स हेतु Brickwork Ratings India Pvt Limited – For Bonds	बीडब्ल्यूआर एएए BWR AAA

शेयरों का अमूर्तीकरण

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डिमेट) रूप में किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि.(एनएसडील) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ समझौता किया है।

शेयरधारकों का यथा दिनांक 31.03.2011 को प्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप से धारित शेयरों का ब्यौरा इस प्रकार हैः

Dematerialisation of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2011 are as under:

		शेयरधारकों की संख्या No. of share holders	शेयरों की संख्या No. of shares	शेयरधारण का % % shareholding
मूर्त / प्रत्यक्ष	Physical	117855	17913330	3.28
एनएसडीएल	NSDL	67568	165003354	30.19
सीडीएसएल	CDSL	27913	363563686	66.53
कुल	**Total**	**213336**	**546480370**	**100.00**

शेयरधारिता का स्वरुप दर्शानेवाला विवरण
STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING PATTERN

प्रवर्ग कूट Category Code	शेयरधारकों का प्रवर्ग	Category of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या Number of Share-holders	शेयरों की संख्या Total No. of shares	डिमेट स्वरूप में शेयरों की संख्या Number of shares held in demated form	कुल शेयरों की संख्या पर कुल शेयरधारिता का प्रतिशत के प्रतिशत के रूप में Total shareholding as a percentage of total number of shares As a percentage of		बंधक अथवा भारग्रस्त शेयर Shares pledged or otherwise encumbered	
						(क+ख)1 (A+B) 1	(क+ख+ग) (A+B+C)	शेयरों की सं. Number of Shares	% के रुप में As a %
(I)		(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)=(VIII) / (IV)*100
(क)	प्रर्वतक और प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता	(A) Shareholding of Promoter and Promoter Group							
	(1) भारतीय	(1) Indian							
	(क) व्यक्तिगत /हिं. अ.प.	(a) Individuals/H.U.F	0	0	0	0.00	0.00	0	
	(ख) केन्द्रीय/राज्य सरकार	(b) Cental/State Government (s)	1	359884870	359884870	65.86	65.86	0	0.00
	(ग) कारपोरेट निकाय	(c) Bodies Corporate							
	(घ) वित्तीय संस्थाएं/बैंक	(d) Financial Institutions/Banks							
	(ड) कोई अन्य (निर्दिष्ट करें)	(e) Any Other (specify)							
	उप-जोड (क)(1)	**Sub-Total (A) (1)**	**1**	**359884870**	**359884870**	**65.86**	**65.86**	**0.00**	**0.00**
	(2) विदेशी	**(2) Foreign**							
	(क) अनिवासी वैयक्तिक / विदेशी नागरिक	(a) Non Resident Individuals / Foreign Nationals							
	(ख) कारपोरेट निकाय	(b) Bodies Corporate							
	(ग) संस्थान	(c) Institutions							
	(घ) कोई अन्य (निर्दिष्ट करें)	(d) Any Other (specify)							
	उप-जोड (क) (2)	**Sub-Total (A) (2)**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की कुल धरिता (क)=(क)(1)+(क)(2)	**Total holding of Promoter and Promoter Group(A)=(A)(1)+(A)(2)**	**1**	**359884870**	**359884870**	**65.86**	**65.86**	**0.00**	**0.00**

प्रवर्ग कूट Category Code	शेयरधारकों का प्रवर्ग	Category of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या Number of Share-holders	शेयरों की संख्या Total No. of shares	डिमेट स्वरूप में शेयरों की संख्या Number of shares held in demated form	कुल शेयरों की संख्या पर कुल शेयरधारिता का प्रतिशत के प्रतिशत के रूप में Total shareholding as a percentage of total number of shares As a percentage of		बंधक अथवा भारग्रस्त शेयर Shares pledged or otherwise encumbered	
						(क+ख)1 (A+B) 1	(क+ख+ग) (A+B+C)	शेयरों की सं. Number of Shares	% के रुप में As a %
(I)		(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)=(VIII) / (IV)*100
(ख)	सार्वजनिक शेयरधारिता 3	(B) Public Shareholding 3							
	(1) संस्थान	(1) Institutions							
	(क) म्यूचुअल फंड/यूटीआइ	(a) Mutual Fund/UTI	45	10126382	10125682	1.85	1.85	–	–
	(ख) वित्तीय संस्थाएं/बैंक	(b) Financial Institutions/Banks	22	1181871	1181071	0.21	0.21	–	–
	(ग) केन्द्रीय / राज्य सरकार	(c) Central/State Government(s)	1	500	500	0.00	0.00	–	–
	(घ) उद्यम पूंजी निधि	(d) Venture Capital Funds							
	(ड) बीमा कंपनियां	(e) Insurance Companies	24	57004962	57004962	10.43	10.43	–	–
	(च) विदेशी संस्थागत ऋण	(f) Foreign Institutional Investors	232	78012421	78007421	14.28	14.28	–	–
	(छ) विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक	(g) Foreign Venture Cap. Inv							
	उप जोड (ख)(1)	Sub-Total (B) (1)	**324**	**146326136**	**146319636**	**26.77**	**26.77**	–	–
	(2) गैर संस्थाएं	(2) Non Institutions							
	(क) कारपोरेट निकाय	(a) Bodies Corporate	1843	7476716	7101016	1.37	1.37	–	–
	(ख) व्यक्तिगत	(b) Individuals							
	i) रुपये 1 लाख तक सामान्य शेयर पूंजी धारक	(i) Holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	209744	29483403	12777573	5.40	5.40	–	–
	ii) रुपये 1 लाख से अधिक सामान्य शेयर पूंजी धारक	(ii) Holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh	26	870051	870051	0.16	0.16	–	–
	(ग) कोई अन्य निर्दिष्ट करें)	(c) Any Other (specify)							
	ओवरसीज कारपोरेट निकाय	Overseas Corporate Bodies	3	160200	0	0.03	0.03	–	–
	अनिवासी व्यक्तिगत	Non Resident Individuals	1395	2278994	1613894	0.41	0.41	–	–
	कोई अन्य	Any Other							
	उप जोड़ (ख)(2)	Sub-Total (B) (2)	**213011**	**40269364**	**22362534**	**7.37**	**7.37**	–	–
	कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	Total Public shareholding (B) = (B) (1) + (B) (2)	**213335**	**186595500**	**168682170**	**34.14**	**34.14**	**–**	**–**
	कुल (क)+(ख)	TOTAL (A) + (B)	**213336**	**546480370**	**528567040**	**100.00**	**100.00**	**–**	**–**
(ग)	कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर और जिसके विरूद्ध डिपाजिटरी रसीदें जारी की गई हैं	(C) Shares held by Custodians and against which Depository Receipts have been issued	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह	1 Promoter and Promoter Group	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. सार्वजनिक	2 Public	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल जोड़ (क) + (ख) + (ग)	GRAND TOTAL (A) + (B) + (C)	**213336**	**546480370**	**528567040**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**

I) (ख) प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों की शेयरधारिता दर्शाने वाला विवरण

(I) (b) Statement showing Shareholding of persons belonging to the category

'प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह'
"Promoter and Promoter Group"

शेयर कोड : 532149 SCRIP CODE : 532149				तिमाही समाप्ति 31.03.2011 Quarter ended 31.03.2011		
क्र. सं. Sr. No.	शेयरधारक का नाम Name of the shareholder	शेयरों की संख्या Number of shares	कुल शेयरों की संख्या पर प्रतिशत शेयर (अर्थात उपर्युक्त पैरा (1) (क) के विवरण के अनुसार (क) + (ख) + (ग) का कुल जोड़ Shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand total of (A)+(b)+(C) indicated in statement at para (I) (a) above)	बंधक अथवा भारग्रस्त शेयर Shares pledged or otherwise encumbered		
				शेयरों की संख्या Number of Shares	% के रूप में As a %	कुल जोड (क+ख+ग) के % के रूप में उप खंड (1) (क) के अनुसार As a % of grand total (A+B+C) sub-clause (I) (a)
1	भारत के राष्ट्रपति PRESIDENT OF INDIA	359884870	65.86	0.00	0.00	0.00
	कुल / Total	**359884870**	**65.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(I) (ग) 'पब्लिक' प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों की शेयरधारिता दर्शाने वाला विवरण
कुल शेयरों में से 1 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले

(I) (c) Statement showing Shareholding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares

क्र.सं. Sr. No.	शेयर कोड : 532149 SCRIP CODE : 532149 शेयरधारक का नाम Name of the shareholder	शेयरों की संख्या Number of shares	कुल शेयरों की संख्या पर प्रतिशत शेयर (अर्थात उपर्युक्त पैरा (1) (क) के विवरण के अनुसार (क) + (ख) + (ग) का कुल जोड़ Shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand total of (A)+(b)+(C) indicated in statement at para (I) (a) above)
1	भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	45409021	8.31
2	लाजार्ड एसेट मॅनजमेंट एलएलसी खाता लाजार्ड LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC A/C LAZARD	25030889	4.58
	कुल / Total	**70439910**	**12.89**

(I) (घ) लॉक किए गए शेयरों के ब्योरे दर्शानेवाला विवरण

(I) (d) Statement showing details of locked-in shares

शेयर कोड : 532149 SCRIP CODE : 532149				कुल शेयरों की संख्या से लॉक किए गए शेयरों का प्रतिशत (अर्थात उपर्युक्त पैरा (1) (क) के विवरण के अनुसार (क + ख + ग) का कुल जोड़) Locked-in shares as a percentage of total number of shares {i.e.Grand Total of (A) + (B) + (C) indicated in Statement at para (I)(a) above}
क्र. सं. Sr. No.	शेयरधारक का नाम Name of the shareholder	शेयर धारक का प्रवर्ग प्रवर्तक / आम जनता Category of shareholders Promoters/Public	लॉक किए गए शेयरों की संख्या Number of locked-in shares	
1	भारत के राष्ट्रपति President of India	प्रवर्तक Promoters	359884870	65.86

यथा दिनांक 31 मार्च, 2011 को शेयरधारिता का संवितरण
Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2011

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या No of Equity Shares held	फोलियो / Folio		शेयर / Shares	
	संख्या / Nos.	प्रतिशत / %age	संख्या / Nos.	प्रतिशत / %age
Upto 500 तक	207452	97.24	25166649	4.61
501 से/to 1000	4143	1.94	2925938	0.54
1001 से/to 5000	1216	0.58	2633741	0.48
5001 से/to 10000	153	0.07	1115593	0.20
10001 एवं इससे अधिक / & above	372	0.17	514638449	94.17
कुल / Total	**213336**	**100.00**	**546480370**	**100.00**

शेयर मूल्य /मात्रा : एनएसई में मासिक रूप से उच्च एवं निम्न भाव (कोटेशन) एवं शेयरों के लेन-देन की मात्रा निम्नानुसार हैः-
Share Price/Volume : The monthly high and low quotation and the volume of Shares traded on NSE are as under:-

अवधि	Period	अधिकतम रुपये Highest ₹	न्यूनतम रुपये Lowest ₹	शेयरों के लेन-देन की मात्रा Volume of shares traded
अप्रैल, 2010	April, 2010	400.00	341.25	13121633
मई, 2010	May, 2010	385.90	310.60	15492126
जून, 2010	June, 2010	353.90	320.50	11534735
जुलाई, 2010	July, 2010	415.00	346.10	22585218
अगस्त, 2010	August, 2010	476.40	415.80	24096699
सितंबर, 2010	September, 2010	528.60	443.35	24005490
अक्तूबर, 2010	October, 2010	589.00	478.20	33113756
नवंबर, 2010	November, 2010	529.85	388.35	30309676
दिसंबर, 2010	December, 2010	499.15	413.50	29312269
जनवरी, 2011	January, 2011	489.90	408.90	23839345
फरवरी, 2011	February, 2011	465.90	392.00	14334696
मार्च, 2011	March, 2011	485.90	442.60	18158865

यथा 31.03.2011 की बंदी मूल्य	Closing Price as on 31.03.2011	₹ 475.35 (एनएसई) / (NSE)
बाजार पूंजीकरण	Market Capitalisation	₹ 25977 करोड़ / crore

व्यापकता आधार वाले संकेतकों की तुलना में कार्यनिष्पादन
Performance in Comparison to Broad Based Indices

बैंक ऑफ़ इंडिया का शेयर मूल्य तथा निफ्टी
Bank of India Share Price and Nifty
दिनांक (from 1.4.2010 से/to 31.3.2011)

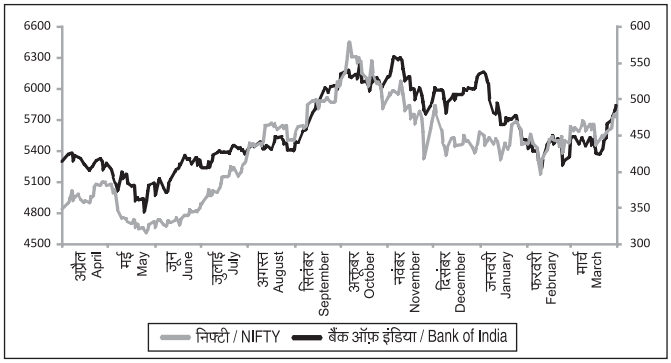

बैंक ऑफ़ इंडिया का शेयर मूल्य एवं सेंसेक्स
Bank of India Share Price and Sensex
दिनांक (from 1.4.2010 से/to 31.3.2011)

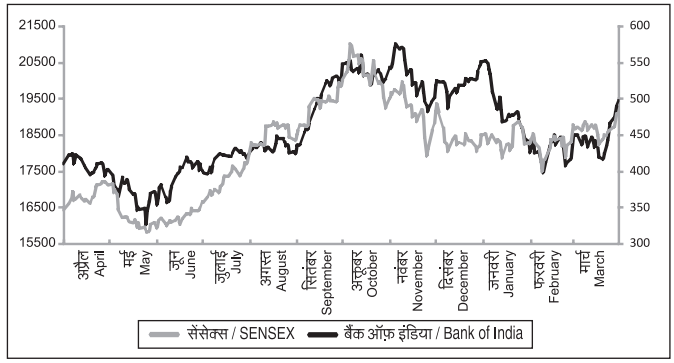

कार्पोरेट नियंत्रण के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन का प्रमाणपत्र

शेयर बाजार के साथ सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

सूचीबद्ध समझौता के खंड 49 के अनुलग्नक -1 डी में निर्धारित निम्नलिखित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को बैंक ने अपनाया है :

i) बैंक के निदेशक मंडल के स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की अवधि 9 वर्षों से अधिक नहीं होती।

ii) बैंक ने 4 निदेशकों की मंडल स्तरीय पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। यह सभी गैर-कार्यपालक निदेशक हैं।

iii) चयनित गैर-कार्यपालक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए बैंक ने मंडल स्तरीय नामांकन समिति का गठन किया है। इस समिति के संदर्भ के निबंधन राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडल के चयनित निदेशकों हेतु दुरूस्त और उचित मानदंड भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार है।

बोर्ड के निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

ए. के. मिश्रा

स्थान : मुंबई
दिनांक : 02.05.2011

(आलोक मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Certificate of compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, regarding compliance of mandatory stipulations of corporate governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.

The Bank has adopted the following non-mandatory requirements set out in Annexure-1D to the Clause 49 of the Listing Agreement.

i) The tenure of Independent Directors on the Board of the Bank is not exceeding in the aggregate, a period of nine years.

ii) The Bank is having a Board Level remuneration committee of 4 directors. All of them are Non-Executive directors.

iii) The Bank has formed a Board level Nomination Committee to evaluate the performance of elected Non-Executive directors. The terms of reference of the committee is as per the Reserve Bank of India's directions of 'Fit & Proper" Criteria for elected Directors on the Board of Nationalised Banks.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai
Date : 02.05.2011

(Alok K Misra)
Chairman & Managing Director

बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमापूँजी

प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.

घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचरण संहिता निर्धारित की है, जिसका सार बैंक की वेबसाइट पर दिया गया है। निदेशकों तथा कोर प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2011 की समाप्ति के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ए. के. मिश्रा

स्थान : मुंबई
दिनांक : 02.05.2011

(आलोक मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DECLARATION

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the directors and Core Management of the Bank, the text of which posted on the Bank's website. The Directors and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2011.

Place : Mumbai
Date : 02.05.2011

(Alok K Misra)
Chairman & Managing Director

कार्पोरेट नियंत्रण पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र
AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

प्रति,
सदस्यगण,
बैंक ऑफ़ इंडिया, स्टार हाउस, सी-5, जी-ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पू), मुंबई - 400 051.

बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ स्टॉक एक्सचेंज के सूचीकरण करार के खंड 49 में यथा विनिर्दिष्ट कार्पोरेट नियंत्रण की शर्तों का 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा किए अनुपालन का हमने परीक्षण किया है।

कार्पोरेट नियंत्रण की शर्तों का अनुपालन संबंधित प्रबंधन वर्ग की जिम्मेदारी है। कार्पोरेट नियंत्रण की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अंगीकृत कार्यप्रणाली तथा उसके कार्यान्वयन तक हमारा परीक्षण सीमित था। यह लेखा परीक्षा नहीं है और न ही बैंक के वित्तीय विवरण पर मत प्रदर्शन है।

हमारे अधिमत एवं उचित जानकारी तथा हमारे प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक द्वारा उल्लिखित सूचीकरण करार में निर्धारित कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शक टिप्पणी के अपेक्षानुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि शेयरधारक तथा निवेशक शिकायत निवारण समिति द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार बैंक के खिलाफ कोई भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है।

हम यह भी कहते हैं कि यह अनुपालन बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में और जिस दक्षता और प्रभावशीलता से प्रबंध वर्ग ने बैंक के कार्यकलापों का संयोजन किया है उसके बारे में आश्वासन नहीं है।

The Members of Bank of India,
Star House, C-5, 'G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051.

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of India for the year ended 31st March, 2011 as stipulated in Clause 49 of the listing agreement of the said Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the bank for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

As required by the Guidance Note issued by the Institute of Chartered Accountants of India, we have to state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the bank as per the records maintained by the Shareholders' and Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते **सुंदरम एंड श्रीनिवासन**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी.सं.004207एस)

(सी.नरेश)
भागीदार
सदस्यता सं. 28684

कृते **अग्रवाल एंड सक्सेना**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी.सं.002405सी)

(अनिल के. सक्सेना)
भागीदार
सदस्यता सं. 71600

कृते **कर्नावट एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी.सं.104863W)

सुनील हीरावत
भागीदार
सदस्यता सं. 033951

कृते **एल.बी.झा एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी.सं.301088E)

(के.के. भांजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 14722

कृते **शंकरन एंड कृष्णन**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी.सं.003582S)

(एस.चन्द्रन)
भागीदार
सदस्यता सं. 8646

कृते **चतुर्वेदी एंड शाह**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी.सं.101720W)

(एच.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 33523

मुंबई
2 मई, 2011

For **Sundaram & Srinivasan**
Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 004207S)

(C. Naresh)
Partner
M. No. 28684

For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 002405C)

(Anil K. Saxena)
Partner
M. No. 71600

For **Karnavat & Co.**
Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 104863W)

(Sunil Hirawat)
Partner
M. No. 033951

For **L.B. Jha & Co.**
Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 301088E)

(K.K. Bhanja)
Partner
M. No. 14722

For **Sankaran & Krishnan**
Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 003582S)

(S. Chandran)
Partner
M. No. 8646

For **Chaturvedi & Shah**
Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 101720W)

(H.P. Chaturvedi)
Partner
M. No. 33523

Mumbai,
2nd May, 2011

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र एवं 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

Balance Sheet As at 31st March, 2011 & Profit and Loss Account For the year ended 31st March, 2011

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2011

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

			अनुसूची संख्या Schedule No	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
I.	पूंजी और देयताएं	CAPITAL AND LIABILITIES			
	पूंजी	Capital	1	**5,472,195**	5,259,146
	आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves & Surplus	2	**167,434,602**	137,040,792
	जमाराशियाँ	Deposits	3	**2,988,858,063**	2,297,619,439
	उधार	Borrowings	4	**220,213,756**	223,998,955
	अन्य देयताएँ तथा प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	**129,746,875**	85,746,253
	जोड़	**TOTAL**		**3,511,725,491**	2,749,664,585
II.	आस्तियाँ	ASSETS			
	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	**217,824,332**	156,026,240
	बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	Balances with Banks and money at call and short notice	7	**155,275,558**	156,275,098
	निवेश	Investments	8	**858,724,176**	670,801,795
	अग्रिम	Advances	9	**2,130,961,817**	1,684,907,098
	अचल आस्तियाँ	Fixed Assets	10	**24,807,363**	23,518,088
	अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	**124,132,245**	58,136,266
	जोड़	**TOTAL**		**3,511,725,491**	2,749,664,585
	आकस्मिक देयताएँ	Contingent Liabilities	12	**1,635,305,789**	1,350,987,825
	वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		**126,748,343**	118,101,637

ऊपर बताई गई अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'ए' के अनुसार तुलन-पत्र तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

निदेशक DIRECTORS

आलोक मिश्रा
Alok K Misra
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

तरुण बजाज **Tarun Bajaj**
एम. एन. गोपीनाथ **M. N. Gopinath**
हरविंदर सिंह **Harvinder Singh**
जी. महालिंगम **G. Mahalingam**
प्रकाश पी. माल्या **Prakash P. Mallya**
डॉ. शांताबेन चावडा **Dr. Shantaben Chavda**
पी. एम. सिराजुद्दीन **P. M. Sirajuddin**

बी. ए. प्रभाकर
B. A. Prabhakar

एन. शेषाद्री
N. Seshadri

कार्यपालक निदेशक
Executive Directors

सम तिथि के अनुसरण में हमारी रिपोर्ट संलग्न है।
In terms of our report of even date attached

सुंदरम एंड श्रीनिवासन
Sundaram & Srinivasan
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 004207एस)
(Firm Reg No. 004207S)
(सी. नरेश)
(C. Naresh)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 28684
Membership No. 28684

अग्रवाल एंड सक्सेना
Agarwal & Saxena
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 002405सी)
(Firm Reg No. 002405C)
(अनिल के. सक्सेना)
(Anil K. Saxena)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 71600
Membership No. 71600

कर्णावत एंड कंपनी
Karnavat & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 104863डब्ल्यू)
(Firm Reg No. 104863W)
(सुनिल हीरावत)
(Sunil Hirawat)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 033951
Membership No. 033951

एल. बी. झा एवं कंपनी
L B Jha & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 301088ई)
(Firm Reg No. 301088E)
(के. के. भांजा)
(K. K. Bhanja)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 14722
Membership No. 14722

शंकरन एवं कृष्णन
Sankaran & Krishnan
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 003582एस)
(Firm Reg No. 003582S)
(एस. चन्द्रन)
(S. Chandran)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 8646
Membership No. 8646

चतुर्वेदी एवं शाह
Chaturvedi & Shah
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 101720डब्ल्यू)
(Firm Reg No. 101720W)
(एच. पी. चतुर्वेदी)
(H. P. Chaturvedi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 33523
Membership No. 33523

मुंबई, 2 मई, 2011
Mumbai, 2nd May, 2011

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2011

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

			अनुसूची संख्या Schedule No.	को समाप्त वर्ष हेतु For the Year ended 31-03-2011 ₹	को समाप्त वर्ष हेतु For the Year ended 31-03-2010 ₹
I.	**आय**	**INCOME**			
	अर्जित ब्याज	Interest earned	**13**	**217,517,238**	178,779,879
	अन्य आय	Other income	**14**	**26,417,749**	26,166,363
	जोड़	**TOTAL**		**243,934,987**	204,946,242
II.	**व्यय**	**EXPENDITURE**			
	व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	**15**	**139,410,323**	121,220,429
	प्रचालनगत व्यय	Operating expenses	**16**	**50,682,387**	36,678,137
	प्रावधान और आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		**28,955,213**	29,636,987
	जोड़	**TOTAL**		**219,047,923**	187,535,553
III.	**लाभ**	**PROFIT**			
	वर्ष का निवल लाभ	Net Profit for the period		**24,887,064**	17,410,689
	जोड़ः लाभ आगे लाया गया	Add: Profit brought forward		**–**	–
	जोड़	**TOTAL**		**24,887,064**	17,410,689
IV.	**विनियोग**	**APPROPRIATIONS**			
	कानूनी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		**6,250,000**	4,500,000
	राजस्व आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		**12,158,730**	6,255,641
	पूंजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		**49,817**	379,149
	विशेष आरक्षिति से अंतरण-करेंसी स्वैप	Transfer (from)/to Special Reserve-Currency Swap		**(14,437)**	(10,566)
	अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		**4,442,954**	4,286,465
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act,1961		**2,000,000**	2,000,000
	जोड़	**TOTAL**		**24,887,064**	17,410,689
	प्रति शेयर उपार्जन (₹)	Earnings Per Share (₹)		**47.35**	33.15

ऊपर बताई गई अनुसूचियाँ लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।
The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.
बैंककारी वियिमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'बी' के अनुसार लाभ हानि खाता तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

निदेशक DIRECTORS

आलोक मिश्रा
Alok K Misra
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

तरुण बजाज **Tarun Bajaj**
एम. एन. गोपीनाथ **M. N. Gopinath**
हरविंदर सिंह **Harvinder Singh**
जी. महालिंगम **G. Mahalingam**
प्रकाश पी. माल्या **Prakash P. Mallya**
डॉ. शांताबेन चावडा **Dr. Shantaben Chavda**
पी. एम. सिराजुद्दीन **P. M. Sirajuddin**

बी. ए. प्रभाकर
B. A. Prabhakar

एन. शेषाद्री
N. Seshadri

कार्यपालक निदेशक
Executive Directors

सम तिथि के अनुसरण में हमारी रिपोर्ट संलग्न है। In terms of our report of even date attached

सुंदरम एंड श्रीनिवासन **Sundaram & Srinivasan**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 004207एस)
(Firm Reg No. 004207S)
(सी. नरेश) **(C. Naresh)**
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 28684
Membership No. 28684

अग्रवाल एंड सक्सेना **Agarwal & Saxena**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 002405सी)
(Firm Reg No. 002405C)
(अनिल के. सक्सेना) **(Anil K. Saxena)**
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 71600
Membership No. 71600

कर्णावत एंड कंपनी **Karnavat & Co.**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 104863डब्ल्यू)
(Firm Reg No. 104863W)
(सुनिल हीरावत) **(Sunil Hirawat)**
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 033951
Membership No. 033951

एल. बी. झा एवं कंपनी **L B Jha & Co**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 301088ई)
(Firm Reg No. 301088E)
(के. के. भांजा) **(K. K. Bhanja)**
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 14722
Membership No. 14722

शंकरन एवं कृष्णन **Sankaran & Krishnan**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 003582एस)
(Firm Reg No. 003582S)
(एस. चन्द्रन) **(S. Chandran)**
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 8646
Membership No. 8646

चतुर्वेदी एवं शाह **Chaturvedi & Shah**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 101720डब्ल्यू)
(Firm Reg No. 101720W)
(एच. पी. चतुर्वेदी) **(H. P. Chaturvedi)**
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 33523
Membership No. 33523

मुंबई, 2 मई, 2011
Mumbai, 2nd May, 2011

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची - 1 : पूंजी	**SCHEDULE - 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
₹ 10 प्रत्येक के ₹ 300,00,00,000 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 300,00,00,000)	300,00,00,000 (Previous year 300,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	**30,000,000**	30,000,000
जारी और अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
केंद्र सरकार द्वारा रखे गए ₹ 359.88 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 338.58 करोड़) की संपूर्ण वर्ष प्राप्त राशि के ₹ 10 प्रत्येक के ₹ 35,98,84,870 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 33,85,80,000) के साथ ₹ 10 प्रत्येक के 54,76,57,470 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 52,63,52,600)	54,76,57,470 Equity Shares (Previous year 52,63,52,600) of ₹ 10 each including 35,98,84,870 Equity Shares (Previous year 33,85,80,000) of ₹ 10 each fully paid up amounting to ₹ 359.88 crores (Previous year ₹ 338.58 crores) held by Central Government;	**5,476,575**	5,263,526
जोड़	**TOTAL**	**5,476,575**	5,263,526
प्रदत्त पूंजी	**PAID-UP CAPITAL**		
संपूर्ण प्रदत्त ₹ 10 प्रत्येक के 54,64,80,370 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 52,51,75,500) (इक्विटी शेयर के प्रिफ्रेंशियल इश्यू के माध्यम से वर्ष से दौरान जारी 35,98,84,870 इक्विटी शेयर सहित)	54,64,80,370 Equity Shares (Previous year 52,51,75,500) of ₹ 10 each fully paid-up (including 2,13,04,870 Equity shares issued during the year by way of preferential issue of equity shares)	**5,464,804**	5,251,755
जोडः जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	**7,391**	7,391
जोड़	**TOTAL**	**5,472,195**	5,259,146
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I. सांविधिक आरक्षितियाँ :	**I. Statutory Reserve :**		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**39,751,686**	35,251,686
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	**6,250,000**	4,500,000
जोड़ (I)	**TOTAL (I)**	**46,001,686**	39,751,686
II. पूंजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves :**		
ए) पूनर्मूल्यन आरक्षिति:	A) Revaluation Reserve :		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**14,286,186**	17,102,902
घटाएं संपत्ति का पुर्नमूल्यांकन	Add: Revaluation of Property	**–**	–
पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास / समायोजन	Less: Depreciation/adjustments on account of revaluation	**1,091,513**	2,816,716
जोड़ (ए)	**Total of (A)**	**13,194,673**	**14,286,186**
बी) अन्य	B) Others		
i) निवेश की बिक्री पर लाभ - ''परिपक्वता तक धारित''	i) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**8,282,242**	7,903,093
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	**49,817**	379,149
उप जोड़ (i)	Sub-total of (i)	**8,332,059**	8,282,242
ii) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	ii) Foreign Currency Translation Reserve		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**3,453,777**	6,410,560
जोड़े/घटाएंः वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add / (Less) : Adjustments during the year (Net)	**1,154,261**	(2,956,783)
उप जोड़ (ii)	Sub-total of (ii)	**4,608,038**	3,453,777

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची - 2: आरक्षितियां और अधिशेष *(जारी)*		
iii) विशेष आरक्षिति-मुद्रा स्वैप अथशेष		
वर्ष के दौरान कटौती		
उप जोड़ (iii)		
जोड़ (बी)		
जोड़ (II)		
III. शेयर प्रीमियम :		
अथशेष		
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन (इक्विटी शेयर का प्रेफिंश्यल इश्यु)		
जोड़ेः जब्त किए गए शेयर		
जोड़ (III)		
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितियाँः		
i) राजस्व आरक्षितियाँः		
आरंभिक शेष		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
IV(i) उप जोड़		
ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1 (viii) (के अंतर्गत विशेष आरक्षिती)		
आरंक्षिक शेष		
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन		
IV(ii) का उप जोड़		
जोड़ (IV)		
V. लाभ-हानि खाते में शेषः		
जोड़ (I से V)		
SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS *(Contd.)*		
iii) Special Reserve - Currency Swaps		
Opening Balance	**50,032**	60,598
Deductions during the year	**(14,437)**	(10,566)
Sub-total of (iii)	**35,595**	50,032
Total of (B)	**12,975,692**	11,786,051
TOTAL (II)	**26,170,365**	26,072,237
III. Share Premium :		
Opening Balance	**18,455,796**	18,455,795
Additions during the year (Preferential Issue of Equity shares)	**9,886,952**	–
Add: On forfeited shares annulled	**–**	1
TOTAL (III)	**28,342,748**	18,455,796
IV. Revenue and Other Reserves :		
i) Revenue Reserve :		
Opening Balance	**47,561,073**	41,305,433
Additions during the year	**12,158,730**	6,255,640
Sub-total of IV(i)	**59,719,803**	47,561,073
ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
Opening Balance	**5,200,000**	3,200,000
Additions during the year	**2,000,000**	2,000,000
Sub-total of IV(ii)	**7,200,000**	5,200,000
TOTAL (IV)	**66,919,803**	52,761,073
V. Balance in Profit and Loss Account :	**–**	–
TOTAL (I TO V)	**167,434,602**	137,040,792

अनुसूची - 3 : जमाराशियाँ				
ए.	**I.**	**माँग जमा**		
	i)	बैंक से		
	ii)	अन्य से		
		जोड़ (I)		
	II.	**बचत बैंक जमा**		
	III.	**मियादी जमाः**		
	i)	बैंक से		
	ii)	अन्य से		
		जोड़ (III)		
		जोड़ ए (I, II, III)		
बी.	i)	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ		
	ii)	भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ		
		जोड़ (बी)		
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS				
A.	**I.**	**Demand Deposits :**		
	i)	From Banks	**8,463,286**	3,031,718
	ii)	From Others	**160,245,197**	155,840,485
		TOTAL (I)	**168,708,483**	158,872,203
	II.	**Savings Bank Deposits**	**590,967,985**	480,758,297
	III.	**Term Deposits :**		
	i)	From Banks	**175,678,693**	119,340,643
	ii)	From Others	**2,053,502,902**	1,538,648,296
		TOTAL (III)	**2,229,181,595**	1,657,988,939
		TOTAL A (I, II, III)	**2,988,858,063**	2,297,619,439
B.	i)	Deposits of branches in India	**2,529,633,133**	1,965,848,359
	ii)	Deposits of branches outside India	**459,224,930**	331,771,080
		TOTAL (B)	**2,988,858,063**	2,297,619,439

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची - 4 : उधार		
I. भारत में उधारः		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक		
ii) अन्य बैंक		
क. टियर-I पूंजी (आईपीडीआई)		
ख. अपर टियर-II पूंजी		
ग. प्रतिभूतिरहित गैर परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर-II पूंजी के लिए गौण ऋण)		
घ. अन्य		
जोड़ (ii)		
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण		
क. टियर-I पूंजी (आईपीडीआई)		
ख. अपर टियर-II पूंजी I		
ग. प्रतिभूतिरहित गोपनीय बंधपत्र (टियर-II पूंजी के लिए गौण ऋण)		
घ. अन्य		
जोड़ (iii)		
जोड़ (I)		
II. भारत के बाहर से उधार		
क. टियर I पूंजी (आईपीडीआई)		
ख. अपर टियर-II पूंजी		
ग. अन्य		
जोड़ (II)		
जोड़ (I,II)		
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूत उधार		
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS		
I. Borrowings in India :		
i) Reserve Bank of India	**–**	–
ii) Other Banks		
a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**6,316,000**	4,825,000
b. Upper Tier II Capital	**725,000**	825,000
c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	**1,083,000**	1,103,000
d. Others	**1,784,144**	917,801
Total (ii)	**9,908,144**	7,670,801
iii) Other Institutions and Agencies		
a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**10,484,000**	8,975,000
b. Upper Tier II Capital	**41,595,000**	31,495,000
c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	**16,917,000**	21,397,000
d. Others	**6,759,312**	59,982,266
Total (iii)	**75,755,312**	121,849,266
Total (I)	**85,663,456**	129,520,067
II. Borrowings outside India		
a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**3,778,684**	3,811,399
b. Upper Tier II Capital	**10,699,038**	10,772,970
c. Others	**120,072,578**	79,894,519
Total (II)	**134,550,300**	94,478,888
Total (I,II)	**220,213,756**	223,998,955
Secured borrowings included in above	**–**	–
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान		
I. देय बिल	**11,250,661**	11,716,454
II. अंतर-कार्यालय समायोजन-(निवल)	**–**	7,170,146
III. उपार्जित ब्याज	**8,028,658**	7,282,177
IV. आस्थगित कर देयता	**7,064,252**	5,743,200
V. अन्य	**103,403,304**	53,834,276
जोड़	**129,746,875**	85,746,253
SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. Bills Payable	**11,250,661**	11,716,454
II. Inter-office adjustments (net)	**–**	7,170,146
III. Interest accrued	**8,028,658**	7,282,177
IV. Deferred Tax Liabilities	**7,064,252**	5,743,200
V. Others	**103,403,304**	53,834,276
TOTAL	**129,746,875**	85,746,253
अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष		
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट और स्वर्ण सम्मिलित है)	**7,673,536**	6,507,161
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेषः		
i) चालू खाते में	**210,150,796**	149,519,079
ii) अन्य खातों में	**–**	–
जोड़ (II)	**210,150,796**	149,519,079
जोड़ (I, II)	**217,824,332**	156,026,240
SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	**7,673,536**	6,507,161
II. Balances with Reserve Bank of India :		
i) In Current Account	**210,150,796**	149,519,079
ii) In Other Accounts	**–**	–
TOTAL (II)	**210,150,796**	149,519,079
TOTAL (I, II)	**217,824,332**	156,026,240

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
I. भारत में:		
i) बैंक में शेष		
क) चालू खातों में	**4,886,335**	4,321,698
ख) अन्य जमा खातों में	**30,865,988**	54,986,796
ii) मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
क) बैंकों के साथ	**24,355,780**	–
ख) अन्य संस्थाओं में	**–**	19,486,920
जोड़ (I)	**60,108,103**	78,795,414
II. भारत के बाहर:		
i) चालू खातों में	**2,409,287**	5,890,144
ii) अन्य जमा खातों में	**67,904,652**	46,011,212
iii) मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	**24,853,516**	25,578,328
जोड़ (II)	**95,167,455**	77,479,684
जोड़ (I, II)	**155,275,558**	156,275,098
SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. In India :		
i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	**4,886,335**	4,321,698
b) in Other Deposit Accounts	**30,865,988**	54,986,796
ii) Money at call and short notice		
a) With Banks	**24,355,780**	–
b) With Other Institutions	**–**	19,486,920
TOTAL (I)	**60,108,103**	78,795,414
II. Outside India :		
i) In Current Accounts	**2,409,287**	5,890,144
ii) In Other Deposit Accounts	**67,904,652**	46,011,212
iii) Money at call and short notice	**24,853,516**	25,578,328
TOTAL (II)	**95,167,455**	77,479,684
TOTAL (I, II)	**155,275,558**	156,275,098
अनुसूची - 8 : निवेश		
I. भारत में निवेश:		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	**673,433,016**	568,693,360
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	**3,127,611**	4,660,651
iii) शेयरों में	**8,497,104**	7,924,776
iv) डिबेंचरो और बंधपत्रों में	**27,686,707**	21,361,763
v) सहायक कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं	**2,787,171**	2,586,171
vi) अन्य	**102,086,130**	15,718,493
जोड़ (I)	**817,617,739**	620,945,214
सकल ₹ 821141430 (विगत वर्ष ₹ 625242684)		
घटाएं: मूल्यह्रास ₹ 3523691 (विगत वर्ष ₹ 4297470)		
II. भारत के बाहर निवेश:		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	**19,686,062**	25,857,586
ii) सहायक कंपनी और/या विदेश में संयुक्त उपक्रम	**3,541,493**	1,772,417
iii) अन्य निवेशों में	**17,878,882**	22,226,578
जोड़ (II)	**41,106,437**	49,856,581
सकल ₹ 44489965 (विगत वर्ष ₹ 54444214)		
घटाएं: मूल्यह्रास एवं विनिमय घट-बढ़ ₹ 3383528 (विगत वर्ष ₹ 4587633)		
जोड़ (I, II)	**858,724,176**	670,801,795
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS		
I. Investments in India :		
i) Government Securities	**673,433,016**	568,693,360
ii) Other approved Securities	**3,127,611**	4,660,651
iii) Shares	**8,497,104**	7,924,776
iv) Debentures and Bonds	**27,686,707**	21,361,763
v) Subsidiaries and Associates	**2,787,171**	2,586,171
vi) Others	**102,086,130**	15,718,493
TOTAL (I)	**817,617,739**	620,945,214
Gross ₹ 821141430 (Previous year ₹ 625242684)		
Less: Depreciation ₹ 3523691 (Previous year ₹ 4297470)		
II. Investments outside India :		
i) Government Securities (including local authorities)	**19,686,062**	25,857,586
ii) In Subsidiaries and/or joint ventures abroad	**3,541,493**	1,772,417
iii) Other Investments	**17,878,882**	22,226,578
TOTAL (II)	**41,106,437**	49,856,581
Gross ₹ 44489965 (Previous year ₹ 54444214)		
Less : depreciation and amortisation ₹ 3383528 (Previous year ₹ 4587633)		
TOTAL (I, II)	**858,724,176**	670,801,795

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची - 9 : अग्रिम		
ए. i) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल		
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण		
iii) मीयादी ऋण		
ऋण (क)		
बी. अग्रिमों का विवरणः		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के विरुद्ध अग्रिम शामिल है)		
ii) बैंक/सरकारी प्रत्यभूतियों द्वारा सुरक्षित		
iii) अप्रतिभूत		
जोड़ (बी)		
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरणः		
I. भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		
ii) सार्वजनिक क्षेत्र		
iii) बैंक		
iv) अन्य		
जोड़ (सी-I)		
II. भारत के बाहर अग्रिमः		
i) बैंकों से देय		
ii) अन्यों से देय		
क) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल		
ख) सामूहिक ऋण		
ग) अन्य		
जोड़ (सी-II)		
जोड़ (सी-I, सी-II)		
SCHEDULE - 9 : ADVANCES		
A. i) Bills Purchased and Discounted	**367,437,669**	254,734,079
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**945,644,936**	706,463,601
iii) Term Loans	**817,879,212**	723,709,418
TOTAL (A)	**2,130,961,817**	1,684,907,098
B. Particulars of Advances :		
i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	**1,257,282,746**	1,038,392,752
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	**370,068,958**	276,692,021
iii) Unsecured	**503,610,113**	369,822,325
TOTAL (B)	**2,130,961,817**	1,684,907,098
C. Sectoral Classification of Advances :		
I. Advances in India		
i) Priority Sector	**548,830,581**	429,288,969
ii) Public Sector	**166,622,200**	150,675,520
iii) Banks	**3,198,900**	16,840,360
iv) Others	**905,438,763**	729,616,015
TOTAL (C-I)	**1,624,090,444**	1,326,420,864
II. Advances outside India :		
i) Due from Banks	**210,883,571**	91,130,871
ii) Due from others		
a) Bills Purchased and Discounted	**72,753,106**	86,075,400
b) Syndicated Loans	**94,525,045**	73,559,029
c) Others	**128,709,651**	107,720,934
TOTAL (C-II)	**506,871,373**	358,486,234
TOTAL (C - I, C - II)	**2,130,961,817**	1,684,907,098
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां		
I. परिसरः		
लागत पर अथशेष		
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन		
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन		
उप-जोड़		
इस तारीख का पुनर्मूल्यन प्रावधान के कारण पुनर्मूल्यन जमा की तारीख तक		
घटाएंः इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन के कारण 6419305 सहित-विगत वर्ष में ₹ 5467781)		
जोड़ - (I)		
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS		
I. PREMISES :		
Opening Balance at cost	**6,788,559**	5,815,790
Additions / Adjustments during the year	**1,090,302**	1,042,078
Less: Deductions / Adjustments during the year	**144,499**	69,309
Sub-total	**7,734,362**	6,788,559
Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	**19,753,966**	19,753,966
Less : Depreciation to date (including ₹ 6419305 on account of revaluation - Previous year end ₹ 5467781)	**8,425,689**	7,219,119
TOTAL - (I)	**19,062,639**	19,323,406

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां *(जारी)*		
II. अन्य अचल आस्तियांः (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित है)		
लागत पर अथशेष		
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन		
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन		
उप-जोड़		
घटाएंः इस तारीख को मूल्यह्रास		
जोड़ (II)		
III. निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य		
जोड़ (I, II, III)		
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS *(Contd.)*		
II. OTHER FIXED ASSETS : (including Furniture and Fixtures)		
Opening Balance at cost	**11,365,550**	10,212,580
Additions / Adjustments during the year	**2,381,647**	1,520,492
Less: Deductions / Adjustments during the year	**1,034,288**	367,522
Sub-total	**12,712,909**	11,365,550
Less: Depreciation to date	**8,116,255**	7,821,601
TOTAL (II)	**4,596,654**	3,543,949
III. CAPITAL WORK IN PROGRESS	**1,148,070**	650,733
TOTAL (I, II, III)	**24,807,363**	23,518,088

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियाँ		
I. आंतर कार्यालय समायोजन (निवल)		
II. उपार्जित ब्याज		
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / (निवल)		
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प		
V. आस्थगित कर आस्तियाँ		
VI. अन्य		
जोड़		
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS		
I. Inter-office adjustments (net)	**33,518,027**	–
II. Interest accrued	**14,895,146**	13,416,197
III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	**30,211,779**	27,647,923
IV. Stationery and Stamps	**19,722**	18,261
V. Deferred Tax Assets	**120,212**	157,906
VI. Others	**45,367,359**	16,895,979
TOTAL	**124,132,245**	58,136,266

अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएँ		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं		
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं		
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
क) भारत में		
ख) भारत के बाहर		
V. स्वीकृतियां पृष्ठांकन और अन्य दायित्व		
VI. ब्याज दर की अदला-बदली		
VII. अन्य मदें जिनमे लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है		
जोड़		
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES		
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	**7,093,168**	5,004,171
II. Liability for partly paid Investments	**3,200**	3,200
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**863,357,325**	673,100,301
IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
a) In India	**159,630,208**	158,120,186
b) Outside India	**68,004,077**	46,763,148
V. Acceptances, endorsements and other obligations	**198,310,417**	165,625,912
VI. Interest Rate Swaps	**332,129,487**	300,544,560
VII. Other items for which the Bank is contingently liable	**6,777,907**	1,826,347
TOTAL	**1,635,305,789**	1,350,987,825

लाभ व हानि खाते की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		31-03-2011 को समाप्त वर्ष हेतु Year ended ₹	31-03-2010 को समाप्त वर्ष हेतु Year ended ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज	**SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED**		
I. अग्रिमों / विनिमय पत्रों पर ब्याज / बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	**155,002,340**	131,032,261
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	**51,717,128**	44,643,037
III. भारतीय, रिज़र्व बैंक और अन्य अन्तर-बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	**7,854,315**	2,493,955
IV. अन्य	IV. Others	**2,943,455**	610,626
जोड़	**TOTAL**	**217,517,238**	178,779,879
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**		
I. कमीशन, विनिमय और दलालों	I. Commission, exchange and brokerage	**11,810,509**	10,965,305
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ-निवल	II. Profit on sale of Investments - net	**3,218,485**	5,936,029
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ-निवल	III. Profit on sale of land, buildings and other assets - net	**–**	–
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ-निवल	IV Profit on exchange transactions - net	**5,024,808**	3,717,975
V. सहायक कंपनियों / कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries/ companies and/or joint ventures	**264,735**	188,539
VI. विविध आय	VI Miscellaneous Income	**6,099,212**	5,358,515
जोड़	**TOTAL**	**26,417,749**	26,166,363
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**		
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits	**121,785,701**	108,121,859
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	**8,128,946**	5,556,356
III. गौण ऋणों आईआरएस आदि पर ब्याज	III. Interest on subordinated debts, IRS etc.	**9,495,676**	7,542,214
जोड़	**TOTAL**	**139,410,323**	121,220,429
अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	**34,754,433**	22,960,722
II. किराया, कर और बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	**2,768,002**	2,439,620
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	**456,689**	386,158
IV. विज्ञापन और प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	**586,489**	474,742
V. बैंक की सम्पति पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन आरक्षितियों पर निवल मूल्यह्रास)	V. Depreciation on Bank's property (Net of Depreciation on Revaluation Reserve)	**1,405,552**	1,012,873
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	**858**	983
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (includes for branch auditors)	**357,998**	324,478
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	**158,062**	103,675
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**398,185**	321,489
X. मरम्मत और रख-रखाव	X. Repairs and Maintenance	**452,669**	437,889
XI. बीमा	XI. Insurance	**1,885,640**	1,638,888
XII. अन्य व्यय	XII. Other Expenditure	**7,457,810**	6,576,620
जोड़	**TOTAL**	**50,682,387**	36,678,137

अनुसूची -17 :

महत्वपूर्ण लेखा नीतियॉं

1. लेखांकन पद्धति

संलग्न समेकित वित्तीय विवरण प्रचलित विचारधारा का पालन करते हुए, ऐतिहासिक लागत आधार पर तथा भारत में सामान्यतः अपनाए जाने वाले लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) पर तैयार किए गए हैं जो लागू सांविधिक उपबंधों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और निर्णय तथा भारतीय बैंकिंग उद्यम में अपनायी जाने वाली लेखांकन प्रथा के अनुरूप हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबंधों तथा लेखांकन पद्धतियों का पालन किया गया है।

वित्तीय विवरण को तैयार करने में यह आवश्यक होता है कि वित्तीय विवरणी की तिथि को रिपोर्ट किए गए आस्ति तथा देयताओं में सुविचारित अनुमानों तथा धारणा को प्रबंधन पूरा करें। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान यथोचित तथा ठीक हैं।

2. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध

विदेशी मुद्रा वाले लेन देन के लिए लेखांकन लेखा मानक (एएस) 11 के अनुरूप विदेशी विनिमय दरों में प्रभावी परिवर्तन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए अनुसार किया गया है।

2.1 समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण

i. विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करनेवाली भारतीय शाखाओं को समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. मौद्रिक विदेशी मुद्रा की आस्तियॉं एवं देयताओं का मूल्य हर वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार आंका गया है और गैर-मौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि पर विद्यमान दर पर आंका/स्पष्ट किया गया है।

iii. विदेशी मुद्रा में सकार, पृष्ठांकन तथा दायित्व एवं गारंटियां वर्ष समाप्ति में फेडाई द्वारा अधिसूचित संवरण दरों पर अंकित की गई है। निपटान के समय उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मौद्रिक मदों के स्पष्टीकरण को जिस अवधि से वह संबंधित है उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है।

SCHEDULE - 17:
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1) ACCOUNTING CONVENTION

The accompanying financial statements have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions & accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

2.1 Translation in respect of Integral Foreign operations:

i) Indian branches having foreign currency transactions have been classified as integral foreign operations.

ii) Monetary Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the year end and non-monetary items are translated at the rates prevailing on the transaction date.

iii) Acceptances, endorsements, other obligations and guarantees in foreign currencies are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end. Exchange differences arising on settlement and translation of monetary items at the end of the financial year are recognised as income or expenses in the period in which they arise.

2.2 समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण

विदेशी शाखाओं को समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके वित्तीय विवरण पत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

i. आस्तियों और देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित संवरण दरों के आधार पर आंका/स्पष्ट किया जाता है।

ii. आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा सूचित तिमाही औसतन लेखाबंदी दर पर स्पष्ट किया जाता है।

iii. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व में संचित किया जाता है।

2.3 वायदा विनिमय संविदाएंः

फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं एएस-11 के अनुसार प्रत्येक मुद्रा में बकाया वादा विनिमय संविदाओं को संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के लिए तुलनपत्र की तारीख पर तदनुरूपी वादा दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित राशि एवं संविदा राशि के बीच भिन्नता को जैसी स्थिति हो, उसके अनुसार लाभ अथवा हानि के रूप में मान्य किया जाता है।

मुद्रा वादा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

3. निवेश

निवेश का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'कारोबार के लिए रखे गए' श्रेणियों में किया जाता है। बैंकिंग विनिमय अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए की अपेक्षाओं के अनुरूप इनका वर्गीकरण छः समूहों : सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, शेयर, डिबेंचर और बन्धपत्र, सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश और अन्य निवेश में किया जाता है।

3.1 वर्गीकरण का आधार

निवेशों का वर्गीकरण सामान्यतः उसकी खरीद के समय किया जाता हैः

क. परिपक्वता के लिए निर्धारित

ऐसे निवेशों का समूह जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखता है।

ख. कारोबार के लिए निर्धारित

ऐसी प्रतिभूतियां जिन्हें मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री के लिए रखा जाता है, उन्हें इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

2.2 Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarter.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments in the respective foreign branches.

2.3 Forward Exchange Contracts:

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS-11, outstanding forward exchange contracts in each currency are revalued at the Balance Sheet date at the corresponding forward rates for the residual maturity of the contract. The difference between revalued amount and the contracted amount is recognized as profit or loss, as the case may be.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

3) INVESTMENTS:

Investments are classified under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per Reserve Bank of India (RBI) guidelines. In conformity with the requirements in Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, these are classified under six groups – Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Investments in Subsidiaries/ Joint Ventures and Other Investments.

3.1 Basis of classification

Classification of an investment is normally done at the time of its acquisition:

(a) Held to Maturity

These comprise investments the Bank intends to hold on to maturity.

(b) Held for Trading

Investments acquired with the intention to trade within 90 days from the date of purchase are classified under this head.

ग. बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण परिपक्वता के लिए निर्धारित अथवा कारोबार के लिए निर्धारित रूप में नहीं किया गया है उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

3.2 मूल्यांकन का तरीका

निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

क. परिपक्वता हेतु निर्धारित

इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अधिग्रहण लागत पर किया गया है, इनके अधिग्रहण पर भुगतान की गई प्रीमियम की राशि, यदि कोई हो तो, उसे सतत अर्जन प्रणाली उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है।

ख. कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध

1. इस श्रेणी में प्रतिभूतियों का स्क्रिपवार मूल्यांकन किया गया है। प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि/ मूल्य-ह्रास को उनके वर्गानुसार जोड़ा/घटाया गया है और निवल मूल्य- ह्रास को लाभ व हानि खातों की मान्य पद्धतियों के अनुरूप लगाया गया है जबकि निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया गया है।
2. "कारोबार के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध प्रवर्ग" में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन हेतु बाजार दर/स्टॉक एक्सचेंज भाव/भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) / निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है -

सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूति	परिपक्वता आधार के ऊपज पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (12 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी 1 रुपया
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आधार के ऊपज पर
पीएसयू बॉंड्स	परिपक्वता आधार के ऊपज पर समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीयन सतत 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो ₹ 1 प्रति वीसीएफ

(c) Available for Sale

Investments which are not classified either as "Held to Maturity" or as "Held for Trading" are classified under this head.

3.2 Method of valuation

Investments are valued in accordance with the RBI guidelines.

(a) Held to Maturity

Investments included in this category are carried at their acquisition cost. Premium, if any, paid on acquisition is amortised using constant yield method over the remaining period of maturity.

(b) Held for Trading / Available for Sale

1. Investments under these categories are valued scrip-wise. Appreciation / depreciation is aggregated for each class of securities and net depreciation as per applicable norms is recognised in the Profit and Loss account, whereas net appreciation is ignored.
2. For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used. Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

Government / Approved securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise ₹ 1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU Bonds	on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at ₹ 1/- per VCF

ग. विदेशी शाखाओं में धारितः

विदेशी शाखाओं के निवेशों को संबंधित विदेशी केन्द्रों पर प्रचलित सांविधिक प्रावधानों या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य से कम मूल्य पर नियत किया गया है।

घ. प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरणः

उपर्युक्त (क) से (ग) तक विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के मध्य किसी प्रतिभूति के अंतरण का अंतरण दिवस पर अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम है के रूप में लेखा किया जाए तथा मूल्य-ह्रास, यदि है तो ऐसे अंतरण पर पूर्ण प्रावधान किया जाए।

ङ. निवेशों की बिक्री में लाभ अथवा हानिः

किसी भी प्रवर्ग में निवेशों की बिक्री में लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया जाता है। तथापि, परिपक्वता के लिए निर्धारित शीर्ष के अंतर्गत निवेशों की बिक्री में लाभ की स्थिति में समान राशि करों का तथा संविधिक आरक्षिती में अंतरित राशि की निवल आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित की जाती है।

च. प्रावधानीकरण तथा आय पहचान - अकार्यशील निवेश (एनपीआई):

अकार्यशील निवेश के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

छ. रेपो/रिवर्स रेपो

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो तथा रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लिए (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन संव्यवहारों के अतिरिक्त) निर्धारित की गई लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है। रेपो संव्यवहार अर्थात प्रतिभूति की बिक्री (खरीदी) द्वारा निधियों को उधार (उधार देना) रेपो सहभागी की बहीयों में रिफ्लेक्ट होता है, संपार्श्विकृत उधार और उधार लेना संव्यवहार के रूप में, सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद अनुबंध सहित उसका लेखांकन लागत व राजस्व ब्याज व्यय/आय के लिए, जैसा भी मामला हो, किया जाए। रेपो/रिवर्स रेपो खाते की शेष निवेश खाते की शेष के विरूद्ध समायोजित की जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एलएएफ के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियॉं निवेश खाते में नामे/जमा की जाती है और संव्यवहारों की परिपक्वता पर रिवर्स की जाती है। उस पर अर्जित/खर्च किए गए ब्याज का लेखांकन खर्च/राजस्व के रूप में किया जाए।

ज. व्युत्पन्न

वर्तमान में बैंक ब्याज दर एवं करेंसी व्युत्पन्न का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर व्युत्पन्न रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, अग्रणी दर करार तथा ब्याज

(c) Held at Foreign Branches

Investments held at foreign branches are carried at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

(d) Transfer of Securities between Categories

The transfer of a security between categories specified in (a) to (c) above are accounted for at the acquisition cost / book value /market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

(e) Profit or loss on sale of investment

Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

(f) Provisioning and income recognition – Non performing Investments (NPIs):

In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per Reserve Bank of India Guidelines.

(g) Repo / Reverse Repo

The Bank has adopted the Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. The economic essence of repo transactions, viz., borrowing (lending) of funds by selling (purchasing) securities is reflected in the books of repo participants, by accounting the same as collateralized lending and borrowing transaction, with an agreement to repurchase, on the agreed terms. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo/ Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.

Securities purchased/ sold under LAF with RBI are debited/ credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

h) Derivative

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives

दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किया जा रहा मुद्रा व्युत्पन्न विकल्प, मुद्रा स्वैप तथा मुद्रा फ्यूचर है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, व्युत्पन्न को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता हैः

हैज/गैर हैज (मार्किट मेकिंग) संव्यवहार अलग से रिकार्ड की जाएगी। हैज़िग व्युत्पन्न एक्यूरल आधार पर लेखांकित होती है। ट्रेडिंग व्युत्पन्न स्थानों को बाजार को चिन्हित किया जाता है और परिणामतः हानि, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो, को निपटान तिथि से संबद्ध किया जाता है। ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय/व्यय के रुप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि अथवा पदनामित आस्तियाँ/ देयताओं की बकाया कम अवधि से संबद्ध किया जाता है।

4. अग्रिम :

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा अग्रिम की मूल/ब्याज की वसूली के आधार पर उत्पादक अथवा अनुत्पादक आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को आगे उप-मानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मानक आस्तियों हेतु प्रावधान किया जाता है।

ग. अनुत्पादक आस्तियों के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है :

प्रवर्ग	**प्रावधान**
अवमानक आस्ति	20% (प्रतिभूति के मूल्य के सापेक्ष)
31.03.09 तक संदिग्ध आस्तियां	100% (प्रतिभूति के मूल्य के सापेक्ष)
31.03.09 के बाद संदिग्ध आस्तियां	
क) सुरक्षित भाग	
1 वर्ष तक	50%
1 वर्ष से 3 वर्ष	60%
3 वर्ष से अधिक	100%
ब) असुरक्षित भाग	100%
हानि आस्तियां	100%

dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivative are accounting on an accrual basis. Trading derivative positions are marked to market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognised on the settlement date. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

4) ADVANCES:

(a) In terms of guidelines issued by the RBI, advances to borrowers are classified into "Performing" or "Non-Performing" assets based on recovery of principal/ interest. Non-Performing Assets (NPAs) are further classified as Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets.

(b) Provision for standard assets is made as per RBI norms.

(c) Provision in respect of NPAs is made as under:

Category	**Provision made**
Sub Standard Assets	20% (irrespective of the value of security)
Doubtful assets upto 31.03.2009	100% (irrespective of the value of security)
Doubtful assets after 31.03.2009	
a) Secured portion	
Upto 1 year	50%
One year to three years	60%
More than three years	100%
b) Unsecured portion	100%
Loss Assets	100%

घ. विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के संबंध में सांविधिक आवश्यकतानुसार संबंधित विदेशी देश अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार जो भी अधिक हो, प्रावधान रखे गए है।

ड. भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम जानने हेतु अनुत्पादक आस्तियॉं, अवसूलीकृत ब्याज, इसीजीसी दावा निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान कुल अग्रिमों में से घटाए जाते हैं।

च. पुनर्निर्धारित/पुनः संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित ब्याज पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम जानने हेतु यह प्रावधान घटाया जाता है।

छ. यदि वित्तीय आस्तियॉं आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिव रण कंपनी (एससी) को बेच दी जाती है, यदि बिक्री के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से नीचे है तो, स्थिति में अंतर को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य के एनबीवी से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त प्रावधान को रिटर्न नहीं किया जाता है बल्कि एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री में होनेवाली कमी/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है।

5. स्थिर आस्तियां :

क. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित होने के अतिरिक्त, स्थिर आस्तियों को परंपरागत लागत में बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया गया है।

ख. परिसर में स्वयं की एवं पट्टाधारी भूमि दोनों की लागत शामिल है।

6. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास

i. मूल्यह्रास

क. आस्तियों पर (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को मिलाकर) बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य पर प्रभारित किया गया है, कम्प्यूटरों को छोड़कर। कम्प्यूटरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधे रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लगाया है।

ख. इसमें परिवर्धन को पूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है तथा इसमें आस्ति के उपयोग करने की तारीख को ध्यान में नहीं रखा गया है।

ग. आस्ति के वर्ष में बिक्री/निपटान को प्रावधान में नहीं लिया गया है।

घ. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व खाते में समायोजित किया गया है।

ii. जहॉं भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं की जा सकती है, संपूर्ण लागत पर मूल्यह्रास का प्रावधान भवन को लागू दर पर किया गया है।

iii. पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम पट्टे की अवधि में परिशोधित है।

(d) In respect of advances at foreign offices/branches, provision is made as per the statutory requirements prevailing at the respective foreign countries, or as per RBI guidelines, whichever is higher.

(e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

(f) In respect of Rescheduled/Restructured accounts, provision is made for the sacrifice of interest/ diminution in the value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

(g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), the shortfall is debited to the Profit and Loss account. If the sale value is higher than the NBV, the surplus provision is not reversed but will be utilised to meet the shortfall/ loss on account of sale of other financial assets to SC/ ARC.

5) FIXED ASSETS:

(a) Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

(b) Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

6) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

(i) Depreciation

(a) on assets (including revalued assets), is charged on the Written Down Value at the rates determined by the Bank, except in respect of computers where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by the RBI;

(b) on additions is provided for the full year, irrespective of the date on which the assets were put to use;

(c) is not provided in the year of sale/disposal of an asset;

(d) on the revalued portion of assets, is adjusted against the Revaluation Reserve.

(ii) Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

(iii) Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.

iv. घरेलू परिचालन के संबंध में आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

क्र. सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर
1.	परिसर	5%
2.	अन्य स्थिर आस्तियां	
	क. फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	10%
	ख. एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीने	15%
	ग. मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	20%
	घ. कम्प्यूटर तथा कंप्यूटर साफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग है।	33.33%

v. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग नहीं है उसको खरीद के वर्ष के दौरान पूर्णतः मूल्यह्रासित किया गया है।

vi. भारत के बाहर स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान विनियामक की आवश्यकताओं/अथवा संबंधित देशों/उद्यम में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार किया गया है।

7. राजस्व पहचानः

क. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुत्पादक आस्तियों, जहॉ आय का निर्धारण वसूली पर होता है, को छोड़कर आय/व्यय का लेखांकन सामान्यतया प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

ख. अनुत्पादक खातों की वसूली को सर्वप्रथम अवसूलीकृत ब्याज/आय/मूल देयता में समायोजित किया गया है और तत्पश्चात अप्रभारित ब्याज में समायोजित किया गया है।

ग. लाभांश आय, सरकारी कारोबार पर कमीशन, अन्य पक्ष उत्पादों पर कमीशन का वास्तविक वसूली आधार पर लेखा किया जाता है।

घ. आयकर धन वापसी पर ब्याज का लेखा कर निर्धारण आदेश की प्राप्ति के वर्ष में किया जाता है।

8. कर्मचारी लाभ :

क. भविष्य निधि योगदान को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

ख. स्टाफ उपदान, पेंशन तथा संचित छुट्टी नकदीकरण लाभ तथा अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया गया है।

ग. 31.03.2007 तक स्थानांतरिय देयताओं का प्रभाव, जैसा कि संशोधित एएस 15 द्वारा अपेक्षित है, को मूल बैंक द्वारा 5 वर्षों की अवधि हेतु स्ट्रेटलाइन आधार पर व्ययों के रूप में स्वीकार किया गया है।

घ. विद्यमान कर्मचारियों ने पहले पेंशन का विकल्प नहीं दिया था उन्हें पेंशन का विकल्प खुला करने और ग्रेच्यूटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार ग्रेच्यूटी में वृद्धि के कारण अतिरिक्त

(iv) Depreciation on assets in respect of domestic operations are provided as under:

Sr. No.	Particulars	Rate of Depreciation
1.	Premises	5%
2.	Other Fixed Assets	
	a) Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	10%
	b) Air-conditioning plants, etc. and business machines	15%
	c) Motor cars, Vans & Motor cycles	20%
	d) Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%

v) Computer Software, not forming integral part of hardware, is depreciated fully during the year of purchase.

vi) Depreciation on fixed assets outside India is provided as per the regulatory requirements / or prevailing practices of respective country / industry.

7) REVENUE RECOGNITION:

(a) Income/Expenditure is generally accounted for on accrual basis, except in the case of income on NPAs which is recognised on realisation, in terms of the RBI guidelines issued from time to time.

(b) The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/ income, principal dues and thereafter towards uncharged interest.

(c) Dividend Income, Commission on Government Business, Commission on Third Party Products are accounted on actual realisation basis.

(d) Interest on Income-tax refunds is accounted for in the year of receipt of the assessment order.

8) EMPLOYEE BENEFITS:

a) Contribution to the Provident Fund is charged to Profit and Loss Account.

b) Contribution to recognised Gratuity Fund, Pension Fund and the provision for encashment of accumulated leave and additional retirement benefits are made on actuarial basis and charged to Profit and Loss account.

c) The effect of transitional liability till 31.03.2007 as required by Revised AS 15 has been recognised as an expense on straight line basis over a period of five years.

d) The additional liability on account of reopening of pension option for existing employees who had not opted for pension earlier and the enhancement of gratuity limits as per Payment of Gratuity Act, 1972 has been amortised over a

देयता को 31.03.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होने वाले 5 वर्षों में संक्रामित किया है।

9. पट्टाकृत आस्तियॉं:

पट्टों की आय की पहचान पट्टे की प्राथमिक अवधि पर आंतरिक प्रतिफल दर पद्धति के अनुसार की जाती है और उसका लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक (एएस) 19 "पट्टों का लेखांकन" के अनुसार किया गया है।

10. प्रति शेयर अर्जन :

बैंक इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 20 (अर्जन प्रति शेयर) के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एवं भिन्न अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति इक्विटी शेयर कूल अर्जन की उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर कूल अर्जन की उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल से भाग कर गणना की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर निम्न आय कर इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर गणना की गयी है।

11. आय पर करः

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) पर हानियों द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुरूप आयकर में वर्ष के दौरान वर्तमान कर प्रावधान और आस्तियों या देयताओं पर आस्थगित कर में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। आय व व्यय की मदें जो एक समय आती हैं और जो परवर्ती एक या अधिक वर्षों में रिवर्सल की जा सकती है के संबंध में आस्थगित कर के लिए विवेकपूर्ण विचार करने के अध्यधीन मान्यता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयता का मापन कर दरों तथा कर विधियों से किया जाता हैं जो तुलन पत्र की तिथि पर या बाद में लागू किए जाते है।

12. आस्तियों की हानिः

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को शामिल करते हुए) पर हानियों (यदि कोई हो) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 28 "आस्तियों की हानि" के अनुसार मान्य किया गया है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक (एएस) 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां" के अनुसार मूल संगठन प्रावधानों को भी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो, यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि, इसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण की बात आ सकती है जबकि की वह कभी भी वसूल नहीं हो पाती।

period of five years beginning with the financial year ending 31.03.2011.

9) LEASED ASSETS:

Lease Income is recognised based on the Internal Rate of Return method over the primary period of the lease and is accounted for in accordance with the Accounting Standard (AS) 19 on “Accounting for Leases”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

10) EARNING PER SHARE:

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS) 20 “Earnings per share” issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

11) TAXES ON INCOME

Income Tax comprises the current tax provision and net change in deferred tax assets or liabilities during the year, in accordance with the Accounting Standard (AS) 22, “Accounting for Taxes on Income” issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Deferred Tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent years. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

12) IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with the Accounting Standard (AS) 28 “Impairment of Assets” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

13) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per the Accounting Standard (AS) 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

अनुसूची-18 :

लेखे पर टिप्पणियां

1. वर्ष के दौरान बैंक ने अंकित मूल्य प्रत्येक ₹ 10/- के शून्य (पिछले वर्ष के 200) शेयरों के समपहरण को रद्द किया। फलस्वरुप ₹ शून्य की राशि (पिछले वर्ष ₹ 2000) समपहरण शेयर खाते से चुकता पूंजी में जोड़ी गई है।

2. अनपूरक खाता लेखे का तुलन और लेखा समाधान विदेशी शाखा और नोस्ट्रो खातों से पुष्टि/लेखा समाधान और उचंत, देय-ड्राफ्ट, समाशोधन भिन्नता आदि में प्रविष्टियों का समायोजन चालू प्रक्रिया के रूप में प्रगति पर है। विचाराधीन अंतिम समाशोधन / उपरोक्त का समायोजन एवं उसका पूरा प्रभाव यदि खाते में कोई हो तो प्रबंधन के विचार से उसका कोई मतलब नहीं है। 15.03.2011 तक अंतर शाखा कारोबार के विषय में प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान किया गया है। शेष प्रविष्टियों के मिलान/समाधान हेतु प्रभावी रूप में अनुवर्ती कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त अंतिम निपटान/समायोजन का प्रबंधन की राय में लेखों पर समग्र प्रभाव नगण्य रहेगा।

3. निम्नलिखित जानकारी का भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन किया गया है:

क) पूंजी :

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.03.2011	31.03.2010
i)	**सीआरएआर (%)**		
	बासेल-I	11.42%	12.63%
	बासेल-II	12.17%	12.94%
ii)	**सीआरएआर - टियर I पूंजी (%)**		
	बासेल-I	7.80 %	8.29%
	बासेल-II	8.33%	8.48%
iii)	**सीआरएआर - टियर II पूंजी (%)**		
	बासेल-I	3.62 %	4.34%
	बासेल-II	3.84%	4.46%
iv)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	65.86%	64.47%
v)	वर्ष के दौरान टियर- I पूंजी के रूप में वर्धित नवोन्मेषकारी सतत ऋण (आईपीडीआई)	300.00	325.00
vi)	वर्ष के दौरान वर्धित प्रवर टियर- II लिखतों की राशि	1000.00	2000.00

SCHEDULE - 18:

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. During the year, the Bank annulled the forfeiture in respect of Nil (previous year 200) equity shares of face value of ₹ 10 each. Consequently, an amount of ₹ Nil (previous year ₹ 2000) has been transferred from forfeited Shares Account to paid up capital.

2. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts and confirmation / reconciliation of balances with foreign branches and NOSTRO Accounts, and adjustment of entries in Suspense, Drafts Payable, Clearing Difference, etc. is in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

   Initial matching of debit & credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 15.03.2011 for the purpose of reconciliation, which, is in progress. Pending final clearance/adjustment of the above, including foreign branches the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

3. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

a) Capital:

(₹ in crore)

	Items	31.03.2011	31.03.2010
i)	**CRAR (%)**		
	Basel-I	11.42%	12.63%
	Basel-II	12.17%	12.94%
ii)	**CRAR - Tier I Capital (%)**		
	Basel-I	7.80 %	8.29%
	Basel-II	8.33%	8.48%
iii)	**CRAR – Tier II Capital (%)**		
	Basel-I	3.62 %	4.34%
	Basel-II	3.84%	4.46%
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India	65.86%	64.47%
v)	Amount of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) raised as Tier I capital during the year	300.00	325.00
vi)	Amount of Upper Tier-II instruments raised during the year	1000.00	2000.00

बैंक ने निम्नलिखित नवोन्मेष सतत ऋण लिखत पूँजी आवश्यकता को बढ़ाने के लिए किया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष के दौरान उत्थित राशि	प्रकृति	राशि	वर्ष के दौरान उत्थित राशि सीआरएआर परिकलन वर्धित के प्रयोजन हेतु गणना (भारिबैं के दिशा निर्देशानुसार)
2006-07	नवोन्मेष सतत ऋण लिखतें (आईपीडीआई)	377.87 (यूएस डालर 85 मिलियन) की न्यूनतम विदेशी मुद्रा प्रकर राशि	377.87 (यूएस डालर 85 मिलियन) (टियर I)
2007-08	आइपीडीआई	655.00	655.00
2008-09	आइपीडीआई	400.00	400.00
2009-10	आइपीडीआई	325.00	325.00
2010-11	आइपीडीआई	300.00	300.00

टियर I लिखतों के अतिरिक्त पूँजी आवश्यकता संवर्धन के लिए बैंक ने टियर II लिखतों में वृद्धि की है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष के दौरान उत्थित राशि	प्रकृति	राशि	वर्ष के दौरान उत्थित राशि सीआरएआर परिकलन वर्धित के प्रयोजन हेतु गणना (भारिबैं के दिशा निर्देशानुसार)
2006-07	अपर टियर II	₹ 1069.90 करोड़ (यूएस डालर 240 मिलियन) की न्यूनतम विदेशी मुद्रा प्रकर राशि	1069.90
2006-07	अपर टियर II	732.00	732.00
2008-09	अपर टियर II	500.00	500.00
2009-10	अपर टियर II	2000.00	2000.00
2010-11	अपर टियर II	1000.00	1000.00
2003-04	लोअर टियर II	550.00	330.00
2004-05	लोअर टियर II	300.00	180.00
2005-06	लोअर टियर II	950.00	800.00

(ख) अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)

31 मार्च, 2010 को शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए की प्रतिशतता 0.91% (विगत वर्ष 1.31%) रही।

(ग) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए गए ''प्रावधान एवं आकस्मिकताओं'' का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

मदें	2010-11	2009-10
अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान	1054.30	1754.25
निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास	136.91	243.47
कराधान हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	1006.68	752.76
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	149.55	31.27
अन्य प्रावधान (अस्थायी प्रावधान)	548.08	181.95
कुल ज़ोड़	**2895.52**	**2963.70**

The bank has raised following Innovative Perpetual Debt Instruments to augment capital requirements:

(₹ in crores)

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (as per RBI guidelines)
2006-07	Innovative perpetual debt instruments (IPDI)	377.87 (USD 85 Mn. raised in foreign currency)	377.87 (USD 85 Mn.) (Tier I)
2007-08	IPDI	655.00	655.00
2008-09	IPDI	400.00	400.00
2009-10	IPDI	325.00	325.00
2010-11	IPDI	300.00	300.00

In addition to Tier I instruments, the bank has raised following Tier II Instruments to augment capital requirements

(₹ in crores)

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (as per RBI guidelines)
2006-07	Upper Tier II	₹ 1069.90 crore (USD 240 Mn. raised in foreign currency)	1069.90
2006-07	Upper Tier II	732.00	732.00
2008-09	Upper Tier II	500.00	500.00
2009-10	Upper Tier II	2000.00	2000.00
2010-11	Upper Tier II	1000.00	1000.00
2003-04	Lower Tier II	550.00	330.00
2004-05	Lower Tier II	300.00	180.00
2005-06	Lower Tier II	950.00	800.00

(b) Non-performing assets (NPAs)

The percentage of net NPAs to net advances as at 31st March, 2011 is 0.91% (Previous year 1.31%).

(c) Provisions & Contingencies:

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Profit and Loss Account is as under:

(₹ in crore)

Items	2010-11	2009-10
Provision for NPA	1054.30	1754.25
Depreciation in Value of Investments	136.91	243.47
Provision for Taxation (including deferred tax)	1006.68	752.76
Provision on Standard Assets	149.55	31.27
Other Provisions (including floating provisions)	548.08	181.95
Grand Total	**2895.52**	**2963.70**

(घ) कारोबार अनुपातः

	मदें	31.03.2011	31.03.2010
(i)	औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का प्रतिशत	6.95%	7.14%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय का प्रतिशत	0.84%	1.05%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.72%	1.88%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	0.79%	0.70%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ लाखों में) (अंतर बैंक जमाराशियों को छोड़कर और अग्रिमों को जोड़कर)	1284	1011
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	6.20	4.39

(d) Business Ratios :

	Items	31.03.2011	31.03.2010
(i)	Interest Income as a percentage to average working funds	6.95%	7.14%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to average working funds	0.84%	1.05%
(iii)	Operating Profit as a percentage to average working funds	1.72%	1.88%
(iv)	Return on Assets	0.79%	0.70%
(v)	Business per employee (₹ in lakh) (deposits excluding inter-bank, plus advances)	1284	1011
(vi)	Profit per employee (₹ in lakh)	6.20	4.39

(ङ) आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता प्रकारः

(e) Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ करोड़ में / ₹ in crores)

मदें	Items	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 महीने तक 29 days to 3 months	3 महिनों से अधिक एवं 6 महिनों तक Over 3 months & upto 6 months	6 महिनों से अधिकं एवं 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्षों तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्षों से अधिक एवं 5 वर्षों तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	जोड़ Total
जमाराशियां	Deposits	16104.82	10880.77	5263.18	13759.05	36725.62	43863.46	51072.53	39910.53	27433.96	53871.88	298885.80
अग्रिम	Advances	19136.68	3994.52	3358.81	7634.66	50604.37	23420.33	18880.40	25347.90	24387.84	36330.68	213096.18
निवेश	Investments	23.20	2071.30	913.63	1400.90	7761.21	1900.99	1355.30	7253.53	8858.92	54333.44	85872.42
उधार	Borrowings	2482.62	114.76	2.02	581.27	1320.24	658.21	107.22	1985.70	4955.47	9813.87	22021.38
विदेशी मुद्रा आस्तियां	Foreign Currency assets	2260.68	3562.93	1653.32	4074.70	13727.96	10464.87	7639.24	7002.70	5616.52	6548.00	62550.92
विदेशी मुद्रा देयताएं	Foreign Currency liabilities	4805.92	7174.43	2277.91	6463.82	18659.45	11088.25	9062.99	3195.05	4013.56	4728.08	71469.46

वर्ष के दौरान आस्ति एवं देयताओं का परिपक्वता प्रकार डाटा को प्रायोगाश्रित अध्ययन के आधार पर संशोधित किया गया है।

उपर्युक्त आंकड़ो का समेकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और प्रबंधन द्वारा लगाए गए अनुमान के आधार पर किया गया है और लेखा परीक्षकों द्वारा मान्य किया गया है।

During the year, maturity pattern assumptions of assets and liabilities have been modified based on empirical studies of the data.

The above data has been compiled on the basis of the guidelines of RBI and above mentioned modified assumptions of the management, which have been relied upon by Auditors.

(च) आस्ति गुणवत्ता : अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

मदें	2010-11	2009-10
(i) शुद्ध अग्रिमों में से शुद्ध एनपीए (%)	0.91%	1.31%
(ii) एनपीए (सकल) का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	4882.65	2470.88
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2908.38	4161.66
ग) वर्ष के दौरान कमी	2979.48	1749.89
घ) इति शेष	4811.55	4882.65

(f) Asset Quality: Non-Performing Assets

(₹ in crore)

Items	2010-11	2009-10
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	0.91%	1.31%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening balance	4882.65	2470.88
b) Additions during the year	2908.38	4161.66
c) Reductions during the year	2979.48	1749.89
d) Closing balance	4811.55	4882.65

मदें	2010-11	2009-10
(iii) शुद्ध एनपीए का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	2207.45	628.21
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	94.82	2411.77
ग) वर्ष के दौरान कमी	357.28	832.53
घ) इति शेष	1944.99	2207.45
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	2199.38	1386.89
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	1139.36	1763.54
ग) वर्ष के दौरान कमी	1113.78	951.05
घ) इति शेष	2224.96	2199.38

31.03.2011 तक बैंक का प्रावधान कवरेज दर 72.18% है। (पिछले वर्ष 65.51%)

(छ) अनर्जक निवेशः

(₹ करोड़ में)

मदें	2010-11	2009-10
(i) शुद्ध निवेश पर शुद्ध एनपीआई (%)	0.00	(0.01)
(ii) एनपीआई का प्रवाह (सकल)		
क) प्रारंभिक शेष	275.21	283.66
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2.47	72.99
ग) वर्ष के दौरान कमी	15.35	81.44
घ) अंतिम शेष	262.33	275.21
(iii) शुद्ध एनपीआई का उतार-चढ़ाव		
क) प्रारंभिक शेष	(8.01)	48.36
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.34	(3.90)
ग) वर्ष के दौरान कमी	(10.46)	52.47
घ) अंतिम शेष	2.79	(8.01)
(iv) एनपीआई (*) हेतु प्रावधान का उतार-चढ़ाव		
क) प्रारंभिक शेष	283.22	235.31
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2.13	76.89
ग) वर्ष के दौरान कमी	25.81	28.98
घ) अंतिम शेष	259.54	283.22

(*) आइआरएस पर प्रावधान बही मूल्य से अधिक का प्रावधान निवेश के विरूद्ध किया गया है।

(ज) संवेदनशील क्षेत्र के लिए उधार देना

रियल इस्टेट क्षेत्र के लिए एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र. प्रवर्ग	यथा 31.03.11	यथा 31.03.10
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर	16495.47	14741.94
i) आवासीय बंधक	9678.42	7813.98
- जिसमें से ₹ 20 लाख तक आवास ऋण	6034.69	5049.66
ii) व्यावसायिक रियल इस्टेट	6814.43	6923.87

Items	2010-11	2009-10
(iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening balance	2207.45	628.21
b) Additions during the year	94.82	2411.77
c) Reductions during the year	357.28	832.53
d) Closing balance	1944.99	2207.45
(iv) Movement of provision for NPAs (excluding provision on Standard Assets)		
a) Opening balance	2199.38	1386.89
b) Additions during the year	1139.36	1763.54
c) Reductions during the year	1113.78	951.05
d) Closing balance	2224.96	2199.38

The provision coverage ratio of the Bank as on 31.03.2011 is 72.18% (Previous year 65.51%)

(g) Non performing Investments

(₹ in crores)

Items	2010-11	2009-10
(i) Net NPIs to Net Investment (%)	0.00	(0.01)
(ii) Movement of NPIs (Gross)		
a) Opening balance	275.21	283.66
b) Additions during the year	2.47	72.99
c) Reductions during the year	15.35	81.44
d) Closing balance	262.33	275.21
(iii) Movement of Net NPIs		
a) Opening balance	(8.01)	48.36
b) Additions during the year	0.34	(3.90)
c) Reductions during the year	(10.46)	52.47
d) Closing balance	2.79	(8.01)
(iv) Movement of provision for NPIs (*)		
a) Opening balance	283.22	235.31
b) Additions during the year	2.13	76.89
c) Reductions during the year	25.81	28.98
d) Closing balance	259.54	283.22

(*) Provision more than book value in the previous year on account of provision on IRS done against investment.

(h) Lending to Sensitive Sector

Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Sl. Category	As at 31.03.11	As at 31.03.10
a) Direct exposure	16495.47	14741.94
i) Residential Mortgages	9678.42	7813.98
- out of which housing loans up to ₹ 20 Lakh	6034.69	5049.66
ii) Commercial Real Estate	6814.43	6923.87

क्र.	प्रवर्ग	यथा 31.03.11	यथा 31.03.10
	iii) गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर में निवेश	2.62	4.09
	क) आवासीय	2.62	4.09
	ख) व्यावसायिक रियल इस्टेट	0.00	0.00
ख)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर बाजार में निवेश	4316.46	4424.77
	रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर	20811.93	19166.71

पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रवर्ग	2010-11	2009-10
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फण्ड में निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया गया।	1078.53	1170.20
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ / ईएसओपीएस सहित) परिवर्तनीय बॉण्ड / परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम;	11.60	27.24
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	7.53	7.38
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूति शेयरों / परिवर्तनीय बाण्डों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम;	436.62	643.93
v)	स्टाक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ;	1713.15	1515.68
vi)	स्रोतों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण;	0.00	0.00

Sl.	Category	As at 31.03.11	As at 31.03.10
	iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised Exposures	2.62	4.09
	a) Residential	2.62	4.09
	b) Commercial real estate	0.00	0.00
b)	Indirect Exposure		
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	4316.46	4424.77
	Total exposure to Real Estate Sector	20811.93	19166.71

Exposure to Capital Market

(₹ in crores)

S.No.	Category	2010-11	2009-10
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1078.53	1170.20
ii)	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds/convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	11.60	27.24
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	7.53	7.38
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	436.62	643.93
v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	1713.15	1515.68
vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00

क्र.सं.	प्रवर्ग	2010-11	2009-10
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण;	0.00	0.00
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	0.00	0.00
ix)	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	0.00	0.00
x)	उद्यम के लिए पूंजी निधि हेतु सभी निवेशों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) को इक्विटी के बराबर माना जाएगा और इस प्रकार पूंजी बाजार निवेश सीमा(प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) के अनुसार गणना की जाएगी।	0.00	0.00
	पूंजी बाजार में कुल निवेश	3247.43	3364.43

पूंजी बाजार में ₹ 3247.43 करोड़ कर निवेश, ₹ 4982.40 करोड़ की सीमा के भीतर है (अर्थात 31.03.2010 को बैंक के निवल ₹ 12456.00 करोड़ का 40%) पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष निवेश ₹ 1170.20 करोड़ है और बैंक के निवल मूल्य के 20% के भीतर है (31.03.2010 को ₹ 2491.20 करोड़)

(I) i) पुनर्गठन की शर्त पर ऋण आस्तियों का विवरणः

(₹ करोड़ में)

		सीडीआर मेकेनिजम	एमएमई ऋण पुनर्गठन	अन्य
पुनर्गठित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	5	624	21344
	बकाया राशि	154.77	204.52	2131.99
	घाटा (मूल्यह्रास)	19.43	0.23	81.59
पुनर्गठित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	300
	बकाया राशि	29.79	0	12.35
	घाटा (मूल्यह्रास)	0	0	0.30
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	1	1	0
	बकाया राशि	54.13	0.27	0
	घाटा (मूल्यह्रास)	1.88	0.17	0
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	7	625	21644
	बकाया राशि	238.69	204.79	2144.34
	घाटा(मूल्यह्रास)	21.31	0.40	81.89

S.No.	Category	2010-11	2009-10
vii)	Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	0.00	0.00
	Total Exposure to Capital Market	**3247.43**	**3364.43**

The exposure to capital market ₹ 3247.43 crore is within the limit of ₹ 4982.40 crores (i.e. 40% of Bank's Net Worth ₹ 12456.00 crores as on 31.03.2010). The direct exposure to capital market is ₹ 1078.53 crores and is within 20% of bank's Net Worth (₹ 2491.20 crores as on 31.03.2010)

(I) i) Details of Loan Assets subjected to Restructuring

(₹ in crores)

		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of borrowers	5	624	21344
	Amount Outstanding	154.77	204.52	2131.99
	Sacrifice (diminution in the value)	19.43	0.23	81.59
Sub Standard advances restructured	No. of borrowers	1	0	300
	Amount Outstanding	29.79	0	12.35
	NPV Sacrifice (diminution in the value)	0	0	0.30
Doubtful advances restructured	No. of borrowers	1	1	0
	Amount Outstanding	54.13	0.27	0
	NPV Sacrifice (diminution in the value)	1.88	0.17	0
Total	No. of borrowers	7	625	21644
	Amount Outstanding	238.69	204.79	2144.34
	Sacrifice (diminution in the value)	21.31	0.40	81.89

(I) ii) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा समेकित पुनर्गठन की शर्त पर ऋण आस्तियों का विवरणः (विपत्तिकालीन स्थिति वाले किसानों के पुनर्गठित खातों के संबंध में सूचना)

(₹ करोड़ में)

		सीडीआर मेकेनिजम	एसएमई ऋण पुनर्गठन	2010-11 अन्य	2009-10 अन्य
पुनर्गठित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	N.A.	N.A	32016	5064
	बकाया राशि	N.A.	N.A.	268.42	114.40
	घाटा (मूल्यह्रास)	N.A.	N.A.	0.09	0.06
पुनर्गठित अव मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	N.A.	N.A	37	88
	बकाया राशि	N.A.	N.A.	0.20	3.32
	घाटा (मूल्यह्रास)	N.A.	N.A.	0.00	0.00
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	N.A.	N.A	5	0
	बकाया राशि	N.A.	N.A.	0.11	0.00
	घाटा (मूल्यह्रास)	N.A.	N.A.	0.00	0.00
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	N.A.	N.A	32058	5152
	बकाया राशि	N.A.	N.A.	268.73	117.72
	घाटा (मूल्यह्रास)	N.A.	N.A.	0.09	0.06

(जे) आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2010-11	2009-10
1	खातों की संख्या	9	3
2	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों से घटाकर)	2.29	31.50
3	कुल प्रतिफल	9.72	52.29
4	विगत वर्षों में अंतरित खातों मे वसूल किया हुआ अतिरिक्त प्रतिफल	0	0.00
5	निवल बही मूल्य पर कुल आय/(हानि)	7.43	20.79

के) खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरणः

ए) <u>खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :</u>

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2010-11	2009-10
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	NIL	NIL
	(ख) कुल बकाया	NIL	NIL
2.	(क) इनमें से वर्ष के दौरान कितने खातों का पुनर्गठन किया गया	NIL	NIL
	(ख) कुल बकाया	NIL	NIL

(I) ii) Details of Loan assets subjected to restructuring (Information in respect of restructured accounts of farmers in distress) as compiled by management during the year

(₹ in crore)

		CDR Mecha-nism	SME Debt Restruc-turing	2010-11 Others	2009-10 Others
Standard advances restructured	No. of borrowers	N.A.	N.A	32016	5064
	Amount Outstanding	N.A.	N.A.	268.42	114.40
	Sacrifice (diminution in the value)	N.A.	N.A.	0.09	0.06
Sub Standard advances restructured	No. of borrowers	N.A.	N.A	37	88
	Amount Outstanding	N.A.	N.A.	0.20	3.32
	Sacrifice (diminution in the value)	N.A.	N.A.	0.00	0.00
Doubtful advances restructured	No. of borrowers	N.A.	N.A	5	0
	Amount Outstanding	N.A.	N.A.	0.11	0.00
	Sacrifice (diminution in the value)	N.A.	N.A.	0.00	0.00
Total	No. of borrowers	N.A.	N.A	32058	5152
	Amount Outstanding	N.A.	N.A.	268.73	117.72
	Sacrifice (diminution in the value)	N.A.	N.A.	0.09	0.06

(j) Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crore)

No.	Particulars	2010-11	2009-10
1	Number of Accounts	9	3
2	Aggregate Value (Net of Provisions) of accounts sold to SC/RC	2.29	31.50
3	Aggregate consideration	9.72	52.29
4	Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
5	Aggregate Gain/(Loss) over Net Book Value	7.43	20.79

k) Details of Non-Performing financial assets purchased/sold from/to Other Banks

a) <u>Details of Non-Performing financial assets purchased:</u>

(₹ in crore)

	Particulars	2010-11	2009-10
1.	(a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2.	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

बी) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2010-11	2009-10
1.	वर्ष के दौरान बेचे गए खातों की संख्या	Nil	Nil
2.	कुल बकाया	Nil	Nil
3.	प्राप्त कुल प्रतिफल	Nil	Nil

(l) वर्ष के दौरान पुनः खरीद/प्रतिवर्ती पुनः खरीद सौदों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्युनतम बकाया	वर्ष के दौरान न्युनतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2011
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (सरकारी प्रतिभूतियां)	0.00	10000	2613.62	0.00
प्रतिवर्ति पुनः खरीद के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (सरकारी प्रतिभूतियां)	0.00	9495	604.94	0.00

इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत किए गए सौदे शामिल है (मार्जिन को छोड़कर)

(एम) निवेश

(₹ करोड़ में)

	मदें	यथा दिनांक 31.03.11	यथा दिनांक 31.03.10
1	निवेश का मूल्य		
	i) निवेश का कुल मूल्य	86563.13	67968.68
	ए) भारत में	82114.14	62524.27
	बी) भारत के बाहर	4448.99	5444.41
	ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	689.45	886.13
	ए) भारत में	352.37	429.75
	बी) भारत के बाहर	337.08	456.38
	iii) परिशोधन	1.27	2.37
	ए) भारत में	0.00	0.00
	बी) भारत के बाहर	1.27	2.37
	iv) निवेशों का शुद्ध मूल्य	85872.41	67080.18
	ए) भारत में	81761.77	62094.52
	बी) भारत के बाहर	4110.64	4985.66
2	निवेश का मूल्यह्रास के समक्ष किए हुए प्रावधानों की स्थिति		
	आरंभिक शेष	886.13	705.99
	जोड़ेः वर्ष के दौरान किए हुए प्रावधान	235.24	418.90
	घटाएं : बट्टे खाते डालना/अतिरिक्त का प्रतिलेखन प्रावधान	431.92	238.76
	अंतिम शेष	689.45	886.13

b) Details of Non-Performing financial assets sold :

(₹ in crore)

	Particulars	2010-11	2009-10
1.	No. of accounts sold	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3.	Aggregate consideration received	Nil	Nil

(l) Details of Repo / Reverse Repo deals done during the year

(₹ in crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on March 31, 2011
Securities sold under Repo (Government Securities)	0.00	10000	2613.62	0.00
Securities purchased under reverse Repo (Government Securities)	0.00	9495	604.94	0.00

The above include deals done under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI (net of margin).

(m) Investments

(₹ in crore)

	Items	As at 31.03.11	As at 31.03.10
1	Value of Investments		
	i) Gross Value of Investments	86563.13	67968.68
	a) In India	82114.14	62524.27
	b) Outside India	4448.99	5444.41
	ii) Provision for Depreciation	689.45	886.13
	a) In India	352.37	429.75
	b) Outside India	337.08	456.38
	iii) Amortisation	1.27	2.37
	a) In India	0.00	0.00
	b) Outside India	1.27	2.37
	iv) Net Value of Investments	85872.41	67080.18
	a) In India	81761.77	62094.52
	b) Outside India	4110.64	4985.66
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	Opening balance	886.13	705.99
	Add: Provisions made during the year	235.24	418.90
	Less: Write-off/ write-back of excess provisions	431.92	238.76
	Closing balance	689.45	886.13

(एन) गैर एसएलआर निवेश संविभाग के जारीकर्ताओं की संख्या

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी तौर पर शेयर आबंटन	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूति आबंटन	'अश्रेणीकृत' प्रतिभूति आबंटन	'असूचीबद्ध' प्रतिभूति आबंटन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	361.29	80.22	0.00	0.00	0.00
2	वित्तीय संस्थाएं	791.32	471.71	0.00	0.00	150.49
3	बैंक	1736.19	494.35	0.00	0.00	862.06
4	निजी कार्पोरेट	3079.64	2621.52	183.54	28.66	281.82
5	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम	634.73	634.73	0.00	0.00	0.00
6	अन्य	10131.52	7053.46	0.00	0.00	156.85
7	जोड़े	16734.69	11355.99	183.54	28.66	1451.22
	घटाएं : मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान	486.48				
	कुल	**16248.21**	**11355.99**	**183.54**	**28.66**	**1451.22**

(ओ) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
प्रारंभिक शेष	275.20	281.55
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2.38	72.99
वर्ष के दौरान कटौतियां	15.35	79.34
इतिशेष	262.23	275.20
धारित कुल प्रावधान	259.52	284.21

(पी) बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर	स्वीकृत सीमा	31.03.11 को बकाया
1.	एकल उधारकर्ता			
	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)	3140.00	3545.30	3545.30
2.	सामूहिक उधारकर्ता			
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ऋण जोखिम की गणना, स्वीकृत सीमा या शेष बकाया जो भी अधिकतम हो, के अनुसार की गई है।

(n) Issuer Composition of Non-SLR Investments Portfolio

(₹ in crore)

Sr. No.	Issuer	Amount	Extent of Private placement	Extent of 'below investment grade' securities	Extent of 'unrated' securities	Extent of 'un-listed' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	361.29	80.22	0.00	0.00	0.00
2	FIs	791.32	471.71	0.00	0.00	150.49
3	Banks	1736.19	494.35	0.00	0.00	862.06
4	Private Corporates	3079.64	2621.52	183.54	28.66	281.82
5	Subsidiaries/ Joint Ventures	634.73	634.73	0.00	0.00	0.00
6	Others	10131.52	7053.46	0.00	0.00	156.85
7	**Total**	**16734.69**	**11355.99**	**183.54**	**28.66**	**1451.22**
	Less: Provisions held towards Depreciation	486.48				
	NET	**16248.21**	**11355.99**	**183.54**	**28.66**	**1451.22**

(o) Non-performing Non-SLR Investments

(₹ in crore)

Particulars	2010-11	2009-10
Opening balance	275.20	281.55
Additions during the year	2.38	72.99
Reductions during the year	15.35	79.34
Closing balance	262.23	275.20
Total provisions held	259.52	284.21

(p) Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

(₹ in crores)

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.11
1.	Single Borrower			
	Small Industries Development Bank of India (SIDBI)	3140.00	3545.30	3545.30
2.	Group Borrower			
	NIL	NIL	NIL	NIL

(Exposure is reckoned as Sanctioned Limit or Balance outstanding whichever is higher.)

(क्यू) एक्सपोजर की श्रेणी के अनुसार देश का जोखिम और तत्संबधी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जोखिम श्रेणी	यथा दिनांक 31.03.11		यथा दिनांक 31.03.10	
		देश का जोखिम	धारित प्रावधान	देश का जोखिम	धारित प्रावधान
1	नगण्य	19917.89		19295.11	
2	निम्न	4912.39		3606.98	
3	साधारण	1816.49		1291.24	
4	उच्च	344.03		653.62	
5	बहुत उच्च	1514.74		36.24	
6	प्रतिबंधित	1.39		2.70	
7	ऑफ क्रेडिट	0.54		0.07	
	कुल	**28507.47**	**20.00**	**24885.96**	**20.00**

(आर) डेरिवेटिव

वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	मदें	यथा दिनांक 31.03.11	यथा दिनांक 31.03.10
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	30114.03	25607.84
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	503.42	624.37
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक प्रतिभूति	टिप्पणी ए	(ए)
iv)	स्वैप से आए क्रेडिट जोखिम का संकेद्रण	टिप्पणी बी	(बी)
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	314.73	85.83

टिप्पणी : स्वैप के अंतर्गत या तो स्थिर ब्याज प्राप्त करने और फ्लोटिंग दर की अदायगी अथवा स्थिर ब्याज की अदायगी और फ्लोटिंग दर प्राप्त करने तथा इन ब्याज आधारित आस्तियों और देयता/ट्रेडिंग उद्देश्य के लिए प्रतिरक्षा ब्याज दर से है।

ए) स्वैप के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता या तो बैंक अथवा प्रीमियर कार्पोरेट से समकक्ष रूप में नहीं थी।

बी) वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न कर्ज जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।

(एस) विनियम व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव :

(₹ करोड़ में)

सं.	विवरण	राशि
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखत वार) क) ख) ग)	 7.34

(q) Risk Category wise Country Exposures and Provisions there against

(₹ in crores)

Sr. No.	Risk Category	As at 31.03.11		As at 31.03.10	
		Country Exposure	Provision held	Country Exposure	Provision held
1	Insignificant	19917.89		19295.11	
2	Low	4912.39		3606.98	
3	Moderate	1816.49		1291.24	
4	High	344.03		653.62	
5	Very High	1514.74		36.24	
6	Restricted	1.39		2.70	
7	Off credit	0.54		0.07	
	Total	**28507.47**	**20.00**	**24885.96**	**20.00**

(r) Derivatives

Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ in crore)

Sr. No.	Items	As at 31.03.11	As at 31.03.10
i)	The notional principal of swap agreements	30114.03	25607.84
ii)	Losses which would be incurred if counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	503.42	624.37
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	Note A	(A)
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	Note B	(B)
v)	The fair value of the swap book	314.73	85.83

Note: The terms of swaps are either to receive fixed interest and pay floating rate or to pay fixed interest and receive floating rate. A few floating to floating deals are undertaken to hedge interest rate risk on interest bearing assets and liabilities/trading purposes.

(A) No collaterals were required for the swaps as counterparty was either banks or premier corporates.

(B) There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year.

(s) Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in crore)

No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) b) c)	 7.34

स.	विवरण	राशि
(ii)	यथा 31 मार्च, 2011 को विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखत वार) क) ख) ग)	 0
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि और जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हो (लिखत वार) क) ख) ग)	 0
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का बाजार वेधित मूल्य और जो ''उच्च प्रभावी' नहीं हो (लिखत वार) क) ख) ग)	 0

(टी) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर

i. गुणात्मक प्रकटन

बैंक तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली और मुद्रा तथा परस्पर लेन देन की मुद्रा का विकल्प या व्यापार के उद्देश्यों हेतु ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा ऐसे संव्यवहारों से आय बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता हैं, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं की निरंतर आधार पर अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। डेरिवेटिव परिचालन में व्यापार क्रिया कलापों के ऋण जोखिमों की पर्याप्त जानकारी है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षतां में बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है।

No.	Particulars	Amount
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2010 (instrument-wise) a) b) c)	 0
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) a) b) c)	 0
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) a) b) c)	 0

(t) Risk Exposure in Derivatives

i. Qualitative Disclosure

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate swaps, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an ongoing basis by means of management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.

Hedging swaps are accounted for an accrual basis

प्रतिरक्षा अदला-बदली का लेखांकन उपचय के आधार पर किया जाता है सिवाय आस्ति तथा देयता के साथ अभिहित अदला-बदली को बाजार मूल्य अथवा लागत/बाजार मूल्य से कम में लिया जाता है। ऐसे मामलों में अदला-बदली की स्थिति बाजार मूल्य पर होती है और उसके परिणामस्वरुप प्राप्त लाभ अथवा हानि को अभिहित आस्ति और देयता के बाजार मूल्य के साथ समायोजन के रुप में रिकार्ड किया जाएगा। अभिहित आस्ति अथवा देयताओं पर लाभ अथवा हानि में प्रति संतुलन दिखाये जाने पर ब्याज दरों की अदला-बदली के लाभ अथवा हानि को दिखाया जाएगा। इसका अर्थ है ब्याज दरों की अदला-बदली की समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि आस्थगित रखी जाएगी और अदला-बदली के शेष बचे करार-आयु अथवा आस्ति/देयता के शेष आयु पर अल्पकालिक दिखाया जाएगा।

कारोबारी डेरिवेटिव की स्थिति बाजार मूल्य पर होती है और यदि कोई हानि हो, तो उसे लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है। यदि कोई लाभ हो, तो नहीं दिखाया जाता। डेरिवेटिव संविदा से संबंधित आय व्यय को निपटान तिथि से दिखाया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर लाभ और हानि को तत्काल आय और व्यय में रिकार्ड किया जाता है।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है। इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। डेरिवेटिव लेन-देन समवर्ती, आंतरित, सांविधिक और नियामक लेखा परीक्षा के शर्तों के अध्यधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक और प्रीमियर कार्पोरेट्स हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने डेरिवेटिव लेन-देनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान ऋण जोखिम विधि अपनाई है।

वर्तमान जोखिम विधि के अंतर्गत, वर्तमान प्रतिस्थापन लागत पाने के लिए ऋण जोखिम/डेरिवेटिव उत्पाद के ऋण समतुल्य राशि को उत्पाद के बाजार मूल्य के आधार पर आवधिक अभिकलन किया जाता है। इस प्रकार डेरिवेटिव संविदा का ऋण समतुल्य निम्नलिखित दो संघटकों का जोड़ हैः

क) कुल प्रतिस्थापन लागत इस संविदाओं के बाजार मूल्य के सकारात्मक अंक से प्राप्त (अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है)

ख) संभावी आगामी ऋण जोखिम के लिए राशि इन संविदाओं के कुल कल्पित मूल राशि संविदा के शेष परिपक्वता के अनुसार निम्नलिखित ऋण परिवर्तनकारक तत्व से गुणा करके प्राप्त।

except for swap designated with an asset and liability that is carried at market value or lower of cost / market value. In such cases, the swaps are mark to market and the resulting gain or loss is recorded as on adjustment to the market value of the designated assets or liability. Gains or losses on the termination of swaps are recognised when the offsetting gain or loss is recognised on the designated asset or liability. This implies that any gain or loss on the terminated swap would be deferred and recognised over the shorter of the remaining contracting life of the swap or the remaining life of the asset/ liability.

Trading derivative positions are mark to market (MTM) and resulting losses, if any, are recognised in the profit or loss account. Profit, if any, are not recognised. Income and expenses relating to the derivative contracts are recognised on the settlement date. Gains or losses on the termination of trading swaps are recorded as immediate income or expenses.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of derivative transactions.

Under the current exposure method, the credit risk exposure/ credit equivalent amount of derivative products is computed periodically on the basis of the market value of the product to arrive at its current replacement cost. Thus, the credit equivalent of the derivative contract would be the sum of the following two components.

A) The total replacement cost – obtained by "marking to market" of all the contracts with positive value (i.e. when the Bank has to receive money from the counter party): and

B) An amount for 'potential future exposure-calculated by multiplying the total notional principal amount of the contract by the following credit conversion factor according to the residual maturity of the contract.

	कुल अनुमानित मूल राशि पर लागू परिवर्तनकारक तत्व	
अवशिष्ट परिपक्वता	ब्याज संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष से कम	0.50%	2.00%
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	1.00%	10.00%
पांच वर्ष से अधिक	3.00%	15.00%

ऋण जोखिम की गणना करते समय 'बिक्रीगत विकल्पों' को वहां छोड़ दिया जाता है जहां कहीं प्रीमियम/शुल्क या किसी रुप में आय प्राप्त/वसूली होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर ऋण जोखिम की गणना की जाती है। इस पर ''मानक'' श्रेणी के ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान जरुरतें भी लागू है। वर्तमान में जोखिमवाली आस्तियों पर 0.4% प्रावधान किया जाना है। हमारे खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण डेरिवेटिव	मुद्रा ब्याजदर		डेरिवेटिव आईएनआर)	
1	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि)	74636.82		301114.08	
	क) बचाव हेतु	4764.13		17814.08	
	ख) कारोबार हेतु	69872.69		12300.00	
2	ब्याज दर पर स्थितियां	689.73		(370.59)	
	क) आस्ति (+)	693.96		363.07	
	ख) देयता (-)	3.80		48.44	
3	ऋण जोखिम (एक्सपोजर)	3457.90		368.48	
4	ब्याज दर में 1% के परिवर्तन से होने वाला संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)	0.51		131.28	
	क) बचाव व्युत्पन्न	1.43		128.79	
	ख) कारोबारी डेरिवेटिव पर	(0.92)		(3.54)	
5	वर्ष के दौरान देखी गई 100*पीवी01	Max.	Min.	Max.	Min.
	क) बचाव पर	3.34	1.43	136.03	128.79
	ख) कारोबार पर	0.92	0.02	3.54	1.36

उक्त आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी सं बीओ/बीसी/72/21.04.018/2004-05 दिनांक 3.3.2005 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(यू) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

मद	यथा 31.03.11	यथा 31.03.10
मानक आस्तियों पर प्रावधान	869.24	720.67

	Conversion factor to be applied on Notional Principal Amount	
Residual Maturity	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.50%	2.00%
Over one year to five year	1.00%	10.00%
Over five years	3.00%	15.00%

While computing the credit exposure, "sold options" are excluded wherever the entire premium / fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the "Standard" category, of the concerned counterparty. At present the provision is to be maintained at 0.4% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in our books

ii. Quantitative Disclosure

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives (INR)	
1	Derivatives (Notional Principal Amount)	74636.82		301114.08	
	a) For Hedging	4764.13		17814.08	
	b) For Trading	69872.69		12300.00	
2	Mark to Market Positions	689.73		(370.59)	
	a) Asset (+)	693.96		363.07	
	b) Liability (-)	3.80		48.44	
3	Credit Exposure	3457.90		368.48	
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	0.51		131.28	
	a) On Hedging Derivatives	1.43		128.79	
	b) On Trading Derivatives	(0.92)		(3.54)	
5	Maximum & Minimum of 100* PV01 observed during the year	Max.	Min.	Max.	Min.
	a) On Hedging	3.34	1.43	136.03	128.79
	b) On Trading	0.92	0.02	3.54	1.36

The above data have been compiled in accordance with the guidelines contained in RBI circular DBOD No. BO.BC.72/21.04.018/2004-05 dtd. 03.03.2005.

(u) Provision on Standard Assets

(₹ in crore)

Item	As at 31.03.11	As at 31.03.10
Provision towards Standard Assets	869.24	720.67

(वी) वर्ष के दौरान आयकर हेतु प्रावधान की राशि

(₹ करोड़ में)

मद	2010-11	2009-10
आयकर के लिए प्रावधान	869.31	504.54
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	137.37	248.22
कुल	**1006.68**	**752.76**

(डब्ल्यू) अस्थिर प्रावधानों का विवरण (काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर)

(₹ करोड़ में)

ब्योरा	2010-11	2009-10
आरंभिक शेष	385.92	385.92
वर्ष के दौरान अभिवृद्धियाँ	158.00	0.00
वर्ष के दौरान कमियां (यदि कमी है तो कारण बताएं)	0.00	0.00
इति शेष	543.92	385.92

(एक्स) शिकायतों का प्रकटनः

i) ग्राहक शिकायतें

(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	1
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	2870
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	2800
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	71

ii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयः

(क)	वर्ष के प्रारंभ में लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	55
(ग)	वर्ष के दौरान लागू किए गए निर्णयों की संख्या	53
(घ)	वर्ष के अंत में लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या	2

(वाई) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटनः वर्ष :2010-11 के दौरान बैंक पर बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 अथवा इस अधिनियम के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों या किसी नियम की किसी आवश्यकता के गैर-अनुपालन अथवा उल्लंघन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया।

(जेड) आरक्षिति मे आहरण द्वारा कमीः

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार विशेष आरक्षिति मुद्रा स्वैप में से रु. 1.44 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1.06 करोड़) की राशि बैंक द्वारा आहरित कर कमी की गई।

(v) Amount of Provisions made for Income-tax during the year

(₹ in crore)

Item	2010-11	2009-10
Provision for Income Tax	869.31	504.54
Provision for Deferred Tax	137.37	248.22
Total	**1006.68**	**752.76**

(w) Details of Floating Provisions (Countercyclical provisioning buffer)

(₹ in crore)

Particulars	2010-11	2009-10
Opening Balance	385.92	385.92
Additions during the year	158.00	0.00
Reductions during the year (purpose of draw down to be given, if any)	0.00	0.00
Closing Balance	543.92	385.92

(x) Disclosures of Complaints:

i) Customer Complaints:

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	1
(b)	No. of complaints received during the year	2870
(c)	No. of complaints redressed during the year	2800
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	71

ii) Awards passed by the Banking Ombudsman:

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	55
(c)	No. of Awards implemented during the year	53
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	2

(y) Disclosures of Penalties imposed by RBI: During the financial year 2010-11, the Bank has not been subjected to any penalty for contravention or non-compliance with any requirement of the Banking Regulation Act, 1949, or any rules or conditions specified by the Reserve Bank of India in accordance with the said Act.

(z) Draw down from Reserves:

During the year, the bank has drawn down an amount of ₹ 1.44 crores (Previous year ₹ 1.06 Crores) from special reserve currency swaps in terms of RBI guidelines

(एए) आयकर :

i) आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में दावों की अभिस्वीकृति नहीं ली गई है। जिसके अंतर्गत रु.530.59 करोड़ का विवादित आय कर/ ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं। इनको अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत भुगतान / समायोजित तथा सम्मिलित कर लिया गया है। इन दावों के मामलों में पूर्व में अभिनिर्धारित विभिन्न न्यायिक विवादों के आधार पर आवश्यक कर के प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार के विवादित मामलों में प्रबंधन द्वारा किसी देयताओं पर ध्यान नहीं दिया गया।

ii) कुछ विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार किये जाने के बाद वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान किया गया हैं।

(एबी) सहायक संस्थाओं के संबंध में बैंक द्वारा जारीः चुकौती आश्वासन पत्र (प्रबंधन द्वारा संकलित अनुसार) - वर्ष के दौरान अपने पूर्णतया स्वामित्व की सहायक संस्था बीओआई (न्यूजीलेंड) लि. के लिए न्यूजीलेंड के रॉयल बैंक के पक्ष में बैंक ने अभिभावकीय गारंटी जारी किया है। चूंकि सहायक संस्था ने अभी तक परिचालन आरम्भ नहीं किया है इसलिए वित्तीय प्रभाव शून्य है।

(एसी) अग्रिम राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ ली गई हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
कुल अग्रिम राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे-अधिकारी प्रभार, लाइसेंस, प्राधिकारी आदि को लिया गया है।	563.46	889.38
ऐसी अमूर्त कॉलेटरल का अनुमानित मूल्य	105.95	272.96

(एडी) प्रतिभूतियों की शिफ्टिंगः

वर्ष 31-03-2011 की समाप्ति पर, बैंक ने एचटीएम से एएफएस प्रवर्ग से ₹ 4818.27 करोड़ की प्रतिभूति राशि को शिफ्ट किया है और रुपये 12.56 करोड़ हानि हुई है। बैंक ने एचटीएम से एएफएस प्रवर्ग से ₹ 9016.80 करोड़ की प्रतिभूति राशि को शिफ्ट किया है और ₹ 317.52 करोड़ हानि हुई है।

वर्ष 31-03-2011 की समाप्ति पर, बैंक ने एचटीएम से एएफएस प्रवर्ग से ₹ 100.37 करोड़ की प्रतिभूति राशि को शिफ्ट किया है एवं ट्रांसफर पर कोई हानि नहीं हुई है एवं ऐसे ट्रांसफर पर ₹ 16.67 करोड़ हानि का प्रावधान किया गया।

(एई) जमाओं का संकेंद्रण : (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
बीस बड़े जमाकर्ताओं का कुल जमा	28219.12	22535.82
बैंक की कुल जमाराशि में से बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का प्रतिशत	9.44%	9.81%

(aa) Income Tax:

I) Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax / interest tax liabilities of ₹ 530.59 crore for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions for past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

II) Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the various judicial decisions on certain disputed issues.

(ab) Letter of comfort issued by Bank in respect of subsidiaries (As compiled by Management) – During the year the Bank has issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for our wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. The financial impact is Nil, as subsidiary has not yet commenced operation.

(ac) Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

(₹ in crores)

Particulars	2010-11	2009-10
The total amount of Advances for which intangible Securities such as charge over the rights, licenses, Authority, etc. has been taken	563.46	889.38
Estimated value of such intangible collaterals	105.95	272.96

(ad) Shifting of securities:

For the year ended 31-03-2011, Bank has shifted securities amounting to ₹ 4818.27 crores from HTM to AFS category and ₹ 12.56 crores loss has been booked. Further, securities amounting to ₹ 9016.80 crores was shifted from AFS to HTM category and ₹ 317.52 crores loss has been booked upon such transfer

For the year ended 31-03-2011, Bank has shifted securities amounting to ₹ 100.37 crores from HFT to AFS category and loss on such transfer amounting to ₹ 16.67 crores has been provided for during the year.

(ae) Concentration of Deposits: (As compiled by Management)

(₹ in crores)

Particulars	2010-11	2009-10
Total Deposits of twenty largest depositors	28219.12	22535.82
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	9.44%	9.81%

(एएफ) अग्रिम संकेंद्रणः (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
कुल बीस बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	28617.91	33471.53
बैंक की कुल अग्रिमों में से बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	7.06%	10.07%

(एजी) ऋण जोखिम संकेंद्रणः (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
कुल बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल ऋण जोखिम	38333.19	33631.81
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल ऋण जोखिम में से बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के ऋण जोखिम का प्रतिशत	7.80%	8.40%

(एएच) एनपीए संकेंद्रणः (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
4 शीर्ष एनपीए खातों का कुल ऋण जोखिम	808.04	1179.74

(एआई) क्षेत्रवार एनपीएः (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

अ. क्र.	क्षेत्र	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का प्रतिशत	
	2010-11	2009-10	
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	2.94	2.36
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बडे)	2.56	3.09
3	सेवाएं	2.29	4.74
4	वैयक्तिक ऋण	4.30	4.16

(एजे) एनपीए मूवमेंट

विवरण	(₹ करोड़ में)
01.04.2010 पर सकल एनपीए	4882.65
वर्ष के दौरान (नए एनपीए) परिवर्धन	2908.38
उप-जोड़(ए)	7791.03
घटाएंः	
(i) अपग्रेडेशन	1037.82
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूली के अतिरिक्त)	895.32
(iii) बटटे खाते डालना	880.42
(iv) एनपीए खातों पर यूआरआई	165.92
उप-जोड़ (ब)	2979.48
31.03.2011 तक सकल एनपीए (ए-बी)	4811.55

(af) Concentration of Advances: (As compiled by Management)

(₹ in Crore)

Particulars	2010-11	2009-10
Total Advances of twenty largest borrowers	28617.91	33471.53
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	7.06%	10.07%

(ag) Concentration of Exposures : (As compiled by Management)

(₹ in Crore)

Particulars	2010-11	2009-10
Total Exposures to twenty largest borrowers/customers	38333.19	33631.81
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	7.80%	8.40%

(ah) Concentration of NPAs : (As compiled by Management)

(₹ in crores)

Particulars	2010-11	2009-10
Total Exposure to top four NPA accounts	808.04	1179.74

(ai) Sector-wise NPAs : (As compiled by Management)

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
		2010-11	2009-10
1	Agriculture and allied activities	2.94	2.36
2	Industry (Micro and small, medium and Large)	2.56	3.09
3	Services	2.29	4.74
4	Personal Loans	4.30	4.16

(aj) Movement of NPAs:

Particulars	₹ in Crores
Gross NPAs as on 01.04.2010	4882.65
Additions (Fresh NPAs) during the year	2908.38
Sub-total (A)	7791.03
Less:-	
(i) Up gradations	1037.82
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	895.32
(iii) Write-offs	880.42
(iv) URI on NPA accounts	165.92
Sub-total (B)	2979.48
Gross NPAs as on 31.03.2011 (A-B)	4811.55

(एके) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
कुल आस्तियां	61577.06	59198.51
कुल एनपीए	454.95	405.27
कुल राजस्व	2075.36	2068.81

(एएल) ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी स्पोन्सर्ड (जो लेखा मानकों के अनुसार समेकित किए जाने आवश्यक है)

एसपीवी प्रायोजक का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

(एएम) बैंकएश्योरेंस कारोबार से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक

31.03.2011 को समाप्त वर्ष हेतु, बैंक ने बैंकएश्योरेंस से रू. 33.96 करोड़ (पिछले वर्ष 32.36 करोड़) की आय प्राप्त की।

(एएन) एसएलआर प्रतिभूतियां

(₹ करोड़ में)

	यथा 31.03.2011		यथा 31.03.2010	
विवरण	बही मूल्य	बाजार मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य
सरकारी प्रतिभूतियां / एसएलआर (सीजी, एसजी, टीबी)	69513.05	67632.32	59818.63	58352.19
अनुमोदित प्रतिभूतियां / एसएलआर	315.42	332.70	466.06	498.97

(एओ) 'परिपक्वता तक धारित' प्रवर्ग के अंतर्गत धारित निवेश की विक्री पर लाभ ₹ 9.95 करोड़ लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है और उसके पश्चात करों का निवल ₹ 4.98 करोड़ की राशि आरक्षित पूंजी में समायोजित की गई और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अंतर्गत संविधिक प्रारक्षित में अंतरित किया गया।

(एपी) वर्ष के दौरान बैंक ने उसकी एक सहायक कंपनी स्टार यूनियन दाई-इंची लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लि. में से 3% शेयर्स बेच दिये परिणामस्वरुप बैंक का हिस्सा 48% तक कम हुआ तदनुसार इस कंपनी को इसकी अनुषंगी के रुप में अमान्य किया गया

4. लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अन्य प्रकटन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप निम्नलिखित सूचना प्रकट की गई है :

(ak) Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in crores)

Particulars	2010-11	2009-10
Total Assets	61577.06	59198.51
Total NPAs	454.95	405.27
Total Revenue	2075.36	2068.81

(al) Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

(am) Fees, remuneration received from bancassurance business:

For the year ended 31.03.2011, the bank received income of ₹ 33.96 Crore (Previous year Rs 32.36 crores) from Bancassurance business.

(an) SLR Securities

(₹ in crore)

	As at 31.03.2011		As at 31.03.2010	
Particulars	Book Value	Market Value	Book Value	Market Value
Government Securities SLR (CG,SG, TB)	69513.05	67632.32	59818.63	58352.19
Approved securities - SLR	315.42	332.70	466.06	498.97

(ao) Profit on sale of Investments held under "Held to Maturity" category amounting to ₹ 9.95 crores has been taken to the Profit & Loss Account and thereafter an amount of ₹ 4.98 crores has been appropriated to the Capital Reserve, net of taxes and transfer to Statutory Reserve under section 17 of the Banking Regulation Act, 1949.

(ap) During the year, Bank has sold 3% stake in one of its subsidiary – Star Union Daichi Life Insurance Co. Ltd., resulting which Bank's stake has reduced to 48%. Accordingly, this Company has been de-recognized as its subsidiary.

4. Other Disclosures required by Accounting standards

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

क) लेखांकन मानक 15 (संशोधित) कर्मचारी लाभ

a) Accounting Standard 15 (Revised) – Employee Benefits

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

			2010-2011		2009-2010	
			ग्रेच्यूटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्यूटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक धारणा :**	**Principal actuarial assumptions used :**				
	वर्तमान छूट दर	Discount Rate Current	8.50%	8.50%	8.00%	8.00%
	वर्तमान आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर	Rate of Return on Plan Assets Current	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Current	4.00%	4.00%	5.00%	5.00%
	वर्तमान ह्रास दर	Attrition Rate Current	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका :**	**Table showing change in benefit obligation :**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the period	904.65	2,177.49	858.29	2,045.48
	ब्याज लागत	Interest Cost	70.72	166.72	69.74	160.60
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	54.51	79.24	37.44	37.57
	सेवा उपरांत लागत (निहित लाभ)	Past Service cost (Amortised)	428.96	2,212.15	–	–
	अन्य ट्रस्ट से अन्तरित देयताएं	Past Service Cost (Vested Benefit)	–	707.75	–	–
	देयता अंतरण आगम	Liability transferred in from other trust	–	1,539.00	–	–
	देयता अंतरण-निर्गम	Liability transferred out	–	–	–	–
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	(150.38)	(345.42)	(48.06)	(151.21)
	दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	141.21	355.13	(12.76)	85.05
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	1,449.67	6,892.06	904.65	2,177.49
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका :**	**Table of Fair value of Plan Assets :**				
	अवधि के प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	875.28	1,764.02	793.89	1,624.14
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	67.80	145.28	66.52	138.18
	अंशदान	Contributions	47.37	224.70	61.70	178.73
	अन्य कम्पनी से अन्तरण	Transfer from other trust	–	1,539.00	–	–
	अन्य कम्पनी को अन्तरण	Transfer to other company	–	–	–	–
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	(150.38)	(345.42)	(48.06)	(151.21)
	दायित्वों पर बीमांकित लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(2.22)	244.03	1.23	(25.82)
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट् का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	837.85	3,571.61	875.28	1,764.02
	मानने योग्य कुल बीमांकित लाभ/(हानि)	Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised	(143.43)	(111.10)	13.98	(110.88)
(iv)	**संक्रमणकालीन देयता की मान्यता :**	**Recognition of Transitional Liability :**				
	प्रारंभ में संक्रमणकालीन देयता	Transitional Liability at start	2.00	188.77	3.00	283.15
	वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता	Transition Liability recognised during the year	1.00	94.38	1.00	94.38
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	Transition Liability at end	1.00	94.39	2.00	188.77
(v)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :**	**Actual return on Plan Assets :**				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	67.80	145.28	66.52	138.18
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(2.22)	244.03	1.23	(25.82)
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	Actual return on Plan Assets	65.58	389.31	67.75	112.36
(vi)	**तुलन पत्र में मान्य राशि :**	**Amount recognised in the Balance Sheet :**				
	अवधि अंत में देयता	Liability at the end of the period	1,449.67	6,892.06	904.65	2,177.49
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	837.85	3,571.61	875.28	1,764.02
	अंतर	Difference	(611.82)	(3,320.45)	(29.37)	(413.47)
	अमान्य विगत सेवा लागत	Unrecognised Past Service Cost (Amortised)	343.17	1,769.72	–	–
	अमान्य संक्रमणकालीन देयता	Unrecognised Transition Liability	1.00	94.39	2.00	188.77
	तुलन पत्र में मान्य राशि	Amount Recognised in the Balance Sheet	(267.65)	(1,456.34)	(27.37)	(224.70)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

			2010-2011		2009-2010	
			ग्रेच्यूटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्यूटी Gratuity	पेंशन Pension
(vii)	**आय विवरण में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income Statement :**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	54.51	79.24	37.44	37.57
	ब्याज लागत	Interest Cost	70.72	166.72	69.74	160.60
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(67.80)	(145.28)	(66.52)	(138.18)
	मान्य सेवा विगत लागत (अनिहित लाभ)	Past Service Cost (Amortised) recognised	85.79	442.43	–	–
	मान्य सेवा विगत लागत (निहित लाभ)	Past Service Cost (Vested Benefit) recognised	–	707.75	–	–
	संक्रमणकालीन देयता की मान्यता	Recognition of Transition Liability	1.00	94.38	1.00	94.38
	बीमांकित लाभ या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	143.43	111.10	(13.98)	110.87
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	**Expense Recognised in P & L**	287.65	1,456.34	27.67	265.24
(viii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation :**				
	प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	27.37	224.70	61.40	138.22
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	287.65	1,456.34	27.67	265.24
	अन्य कंपनी निवल से अंतरण	Transfer from other Company Net	–	–	–	–
	अन्य कंपनी निवल से अंतरण	Transfer to other Company Net	–	–	–	–
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(47.37)	(224.70)	(61.70)	(178.76)
	तुलन पत्र में मान्य राशि	Amount Recognised in Balance Sheet	267.65	1,456.34	27.37	224.70
(ix)	**अन्य विवरण :**	**Other Details :**				
	अधिकतम 50% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए पेंशन, वेतन के 1/66 की दर से देय है	Pension is payable at the rate of 1/66 salary for each year of service subject to maximum of 50%				
	रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक दी गई कंपनी की योजना के अनुसार अथवा अधिकतम ₹ 10000/- के अध्यधीन प्रत्येक वर्ष की सेवा हेतु 15 दिनों के वेतन दर पर देय ग्रेच्युटि घटना वर्ष में लेखाकृत बीमार्किक लाभ/हानि	Gratuity is payable at the rate of 15 day's salary for each year of service subject to a maximum of ₹ 10,00,000/or as per company scheme as detailed in report. Actuarial gain/loss is accounted for in the year of occurrence				
	सदस्यों की संख्या	No. of members	39,948	36,950	39,389	15,085
	वेतन प्रतिमाह	Salary P.M.	127.70	121.92	103.55	33.72
	अगली अवधि के लिए अंशदान	Contribution for next period	127.65	395.02	–	76.88
(x)	**आस्तियों के प्रवर्ग :**	**Category of Assets :**				
	भारत सरकार की आस्तियां	Government of India Assets	193.05	703.20	190.75	358.23
	कार्पोरेट बांड्स	Corporate Bonds	232.93	968.94	–	–
	विशेष जमा योजना	Special Deposits Scheme	–	–	–	–
	राज्य सरकार	State Government	227.43	901.40	130.33	334.91
	सम्पत्ति	Property	–	–	–	–
	अन्य	Other	16.80	69.10	554.20	1,070.88
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	Insurer managed funds	167.64	928.97	–	–
	कुल	**Total**	837.85	3,571.61	875.28	1,764.02
(xi)	**अनुभव समायोजन :**	**Experience Adjustment :**				
	प्लान एसेट पर (लाभ)/हानि	**On Plan Liability (Gain)/Loss**	217.38	1,417.88	(12.76)	85.05
	प्लान एसेट पर(हानि)/लाभ	**On Plan Asset (Loss)/Gain**	(2.22)	244.03	1.23	(25.82)

i) 31.03.2007 तक परिवर्तन देयता का प्रभाव 17.10.2007 को मानक के सीमित संशोधन के अनुसार पाँच साल की अवधि में सीधी रेखा आधार पर एक व्यय के रूप में मान्य किया गया। तदनुसार ₹ 125.27 करोड़ की राशि 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए कुल परिवर्तन देयता का 1/5 होने के कारण लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की गई है। ₹ 125.27 करोड़ की राशि आनेवाले वर्षों में लाभ व हानि खातों में प्रभारित करने हेतु आगे ले जाई गई।

ii) पुरानी प्रथा के अनुसार बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक के दौरान बैंक ने ऐसी निधि के लिए जो एक निर्धारित अंशदान योजना है, में ₹ 56.83 करोड़ (पूर्व वर्ष ₹ 68.64 करोड़) का अंशदान किया है।

iii) वर्ष के दौरान, बैंक ने पेंशन विकल्प को पुनः खोला। यह विकल्प ऐसे कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना का विकल्प नहीं लिया था। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरुप ₹ 2,212.15 करोड़ की देयता खर्च की है। आगे, वर्ष के दौरान, ग्रेच्यूटी अधिनियम, 1972 के भुगतान में संशोधन के अनुपालन में बैंक के कर्मचारियों को देय ग्रेच्यूटी की सीमा बढ़ी है। इसके परिणामस्वरुप बैंक की ग्रेच्यूटी देयता बढ़कर ₹ 428.96 करोड़ हो गई है।

लेखांकन मानक (एएस) 15, कर्मचारी लाभ की आवश्यकताओं की शर्तों के अनुसार ₹ 2641.11 करोड़ (अर्थात ₹ 2215.15 करोड़ + ₹ 498.96 करोड़) की संपूर्ण राशि लाभ एवं हानि खातों को प्रभारित की जानी है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प खोलने एवं ग्रेच्यूटी सीमा में बढ़ोतरी - प्रूडेंशियल रेग्युलेटरी ट्रीटमेंट, दिनांक 9 फरवरी, 2011 परिपत्र संख्या (डीबीओडी. बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11) जारी किया है। उक्त कथित परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, बैंक पांच वर्षों के अवधि में ₹ 2641.11 की राशि का ऋण चुकाएगी। तदनुसार ₹ 528.22 करोड़ (₹ 2,641.11 करोड़ के पांचवे हिस्से को प्रदर्शित करती है) की राशि लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्र की आवश्यकताओं की शर्तों के अनुसार, आगे ले जाई गई बकाया राशि अर्थात ₹ 2112.89 करोड़ (₹ 2641.11 करोड़ - ₹ 528.22 करोड़) में सेवानिवृत्त/ छोड़कर गए कर्मचारियों से संबंधी कोई राशि सम्मिलित नहीं की गई है।

यदि ऐसा कोई परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निकाला जाता तो बैंक का लाभ एएस15 के आवश्यकताओं के अनुपालन में ₹ 2112.89 करोड़ के नीचे रहता।

The effect of transitional liability till 31.03.2007 as required by the accounting standard has been recognised as an expense on straight line basis over a period of five years pursuant to limited revision of Standard on 17.10.2007. Accordingly, an amount of ₹ 125.27 crore has been charged to the Profit and Loss account for the year ended 31.03.2011 being 1/5th of the total transitional liability. An amount of ₹ 125.27 crore is being carried forward to be charged to Profit & Loss account of next year.

ii) As per the past practice, the bank has recognised contribution to employee provident fund as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 56.83 crores (previous year ₹ 68.64 crores) towards such fund which is a defined contribution plan.

iii) During the year, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of which by 22,338 employees, the bank has incurred a liability of ₹ 2,212.15 Crores. Further, during the year, the limit of gratuity payable to the employees of the banks was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result the gratuity liability of the Bank has increased by ₹ 428.96 Crores.

In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, the entire amount of ₹ 2,641.11Crores (i.e. ₹ 2,215.15 Crores + ₹ 428.96 Crores) is required to be charged to the Profit and Loss Account. However, the Reserve Bank of India has issued a circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11) on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011. In accordance with the provisions of the said Circular, the Bank would amortise the amount of ₹ 2,641.11 over a period of five years. Accordingly, ₹ 528.22 Crores (representing one-fifth of ₹ 2,641.11 Crores) has been charged to the Profit and Loss Account. In terms of the requirements of the aforesaid RBI circular, the balance amount carried forward, i.e., ₹ 2,112.89 Crores (₹ 2,641.11 Crores – ₹ 528.22 Crores) does not include any amount relating to the employees separated/ retired.

Had such a circular not been issued by the RBI, the profit of the bank would have been lower by ₹ 2112.89 Crores pursuant to application of the requirements of AS 15.

(ख) लेखांकन मानक 17 खण्ड रिपोर्ट करना / (b) Accounting Standard 17 - Segment Reporting :

भाग कः कारोबार खण्ड / Part A: Business Segment

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		कुल Total	
		2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
सकल राजस्व	Gross Revenue	6801.23	5701.77	10285.30	8838.66	7033.76	5825.67	24120.29	20366.10
अनांबटित राजस्व	Un allocated revenue							313.46	78.58
अंतर खंड राजस्व कम करके	Less Inter Segment Revenue							40.25	(49.94)
शुद्ध राजस्व	Net Revenue							24393.50	20494.62
परिणाम	Results	39.43	195.11	3089.16	2155.23	515.06	839.64	3643.65	3189.98
गैर अनाबंटित आय खर्च को छोडकर	Unallocated Income Net of Expenses							(148.27)	(696.15)
परिचालनगत लाभ	Operating Profit							3495.38	2493.83
आय कर	Income Tax							1006.67	752.76
शुद्ध लाभ	Net Profit							2488.71	1741.07
अन्य जानकारी	Other Information								
खंड आस्तियां	Segment Assets	115527.65	94889.53	160056.78	120965.63	68470.14	54340.21	344054.57	270195.37
गैर आबंटित आस्तियां	Unallocated Assets							7117.98	4771.09
कुल आस्तियां	Total Assets							351172.55	274966.46
खण्ड देयताएं	Segment Liabilities	109771.66	90486.18	152015.19	114922.59	65169.57	51819.10	326956.42	257227.87
गैर आबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities							6925.45	3508.60
कुल देयताएं	Total Liabilities							333881.87	260736.47
नियोजित पूंजी (खंड आस्तियां-खंड देयताएं)	Capital employed (Segment Assets-Segment Liabilities	5755.99	4403.35	8041.59	6043.04	3300.57	2521.11	17098.15	12967.50
गैर आबंटित पूंजी	Un allocated							192.53	1262.49
कुल नियोजित पूंजी	Total Capital employed							17290.68	14229.99

भाग-ख : भौगोलिक खण्ड / Part B : Geographical Segment

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

भौगोलिक खंड	Geographical Segments	स्वदेशी Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण	Particulars	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
राजस्व	Revenue	22318.14	18669.04	2075.36	1825.58	24393.50	20494.62
आस्तियां	Assets	289524.85	227799.22	61647.70	47167.24	351172.55	274966.46

1. लेखा मानक 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशोंसहित, बैंक ने व्यावसायिक खंडों को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड तथा भौगोलिक खंडों को गौण खंडों के रूप में पहचाना है।

प्राथमिक खंड : कारोबार खंड

क) कोषागार परिचालन : खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों के साथ पूंजी बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं।

ख) थोक बैंकिंग : थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

1. The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

Primary Segment: Business Segments

a) Treasury Operations: 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) Wholesale Banking: Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

ग) **खुदरा बैंकिंग :** खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) ऋण निवेश अधिकतम कुल निवेश ₹ 5 करोड़ तक।

ii) कुल वार्षिक कारोबार ₹ 50 करोड़ से कम है यथा वर्तमान कंपनियों के मामले में पिछले तीन वर्षों का औसत तथा नई कंपनियों के मामले में अनुमानित कुल कारोबार।

अंतर-खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का विनियोजन

क) विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

ख) विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

गौण खण्डः भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

ग) **लेखांकन मानक 18 संव्यवहारों से संबंधित पक्षकार (मूल बैंक):**

I) संबंधित पक्षकारों की सूची

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	श्री आलोक मिश्रा
कार्यपालक निदेशक	:	श्री बी. ए. प्रभाकर
		श्री एम. नरेन्द्र (31.10.2010 तक)
		श्री एन. शेषाद्रि (01.11.2010 से)

(ख) सहायक कंपनियांः

(i) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.
(ii) पीटी बैंक स्वदेशी
(iii) बीओआई तंजानियां लि.
(iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलंड) लि.

(ग) सहयोगी :

(i) भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि.
(ii) स्टार यूनियन दाई ईची जीवन बीमा कंपनी लि.
(iii) एएसआरइसी (इंडिया) लि.

c) Retail Banking: Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5 Crore

ii) The total annual turnover is less then ₹ 50 crore i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

Allocation of Costs

a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees / business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

(c) Accounting Standard 18 - Related Party Transactions:

I) List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personnel :

Chairman & Managing Director	:	Shri Alok K Misra
Executive Directors	:	Shri B.A. Prabhakar
		Shri M. Narendra (till 31.10.2010)
		Shri N. Seshadri (from 01.11.2010)

(b) Subsidiaries :

(i) BOI Shareholding Ltd.
(ii) PT Bank Swadesi
(iii) BOI Tanzania Ltd.
(iv) Bank of India (New Zealand) Ltd.

(c) Associates :

(i) Securities Trading Corporation of India Ltd.
(ii) Star Union Dai – ichi Life Insurance Company Ltd.
(iii) ASREC (India) Ltd.

(iv) इंडो-जाम्बिया बैंक लि.

(v) बैंक द्वारा प्रायोजित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, वैतरणी ग्रामीण बैंक, झारखण्ड ग्रामीण बैंक, नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक;

(iv) Indo-Zambia Bank Ltd.

(v) 5 Regional Rural Banks sponsored by the Bank

Aryavart Gramin Bank; Baitarni Gramya Bank; Jharkhand Gramin Bank; Narmada Malwa Gramin Bank; Wainganga Krishna Gramin Bank;

II. (क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथासमेकित) / (a) Transactions with Related Parties (As compiled by the management)

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

मदें / संबंधित पक्ष	Items / Related Party	सहयोगी / संयुक्त उद्यम Associates/Joint ventures		मुख्य प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel		कुल Total	
		2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
जमा	Deposit	28.92	22.17	0.41	0.44	0.00*	0.01	29.33	22.63
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	68.67	73.24	0.53	0.50	0.01	0.01	69.21	73.75
जमाराशियों का नियोजन	Placement of deposits	306.71	–	–	–	–	–	306.71	–
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	57.66		–	–	–	–	57.66	–
निवेश	Investments	–		–	–	–	–		–
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	–		–	–	–	–		–
मांग/सूचना/मीयादी मुद्रा में उधार देना	Lending in Call Notice / Term Money	–		–	–	–	–		–
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	–		–	–	–	–		–
अन्य उधार देना	Other Lending	99.99	–	–	–	–	–	99.99	–
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	–	–	–	–	–	–		–
मांग/सूचना/मीयादी मुद्रा में उधार देना	Borrowings in Call / Notice / Term Money	–		0.02	0.00	–	–	0.02	0.00
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	100.67		0.08	0.04	–	–	100.75	0.04
सरकारी प्रतिभूति / ट्रेज़री बिलों / बांडों की बिक्री	Sale of Govt. Securities / Treasury Bills/Bonds	144.19	29.89	–	–	–	–	144.19	29.89
सरकारी प्रतिभूति / ट्रेज़री बिलों / बांडों की खरीद	Purchase of Govt. Securities / Treasury Bills / Bonds	320.39	40.30	–	–	–	–	320.39	40.30
गैर-निधिक वायदे	Non-funded commitments	–	–	–	–	–	–		–
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	–	–	–	–	–	–		–
प्रदत्त ब्याज	Interest paid	1.18	0.01	0.02	–		0.00*	1.20	0.01
प्राप्त ब्याज	Interest received	2.00	–	–	–	0.00*	–	2.00	–
प्राप्त गैर-वित्तीय खर्चे	Non financial expense recd.	0.16	0.15	–	–	–	–	0.16	0.15
प्रदत्त लाभांश	Dividend Paid	–	–	–	–	–	0.00*		–
प्राप्त लाभांश	Dividend Received	1.31	–	–	–	–	–	1.31	
प्रदान सेवाएं	Services rendered	21.15						21.15	
प्राप्त सेवाएं	Services received	11.67						11.67	
प्रबंधन संविदा	Management contracts	–							
अन्य प्राप्य प्रभार	Other Charges receivable	0.27	0.01	–	–	–	–	0.27	0.01
कोई अन्य	Any Others	2.68	–		–	–	–	2.68	–

* वास्तविक राशि ₹ 50,000 से कम होने के कारण दर्शायी नहीं गयी है।

* Actual amount being less than ₹ 50,000/-, the same is not furnished.

(ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक	
			चालू वर्ष (₹)	विगत वर्ष (₹)
1	श्री आलोक मिश्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	13,87,200	7,99,690
2	श्री बी. ए. प्रभाकर	कार्यपालक निदेशक	11,87,143	14,46,459
3	श्री एम. नरेंद्र	कार्यपालक निदेशक	6,75,525	13,46,752
4	श्री एन. शेषाद्री	कार्यपालक निदेशक	4,71,250	–

राज्य नियंत्रित होने के कारण सहायक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संव्यवहार, एएस-18 के पैरा 9 की दृष्टि में प्रकटन नहीं किए गए है जोकि आईसीएआई द्वारा संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए जारी किए है जिसमें इन पार्टियों के दूसरे पक्षकारों के साथ, जो भी राज्य नियंत्रित है, संव्यवहारों को प्रकटन न करने की छूट है।

(घ) लेखांकन मानक 19 - पट्टा वित्तपोषण :

(i) पट्टा वित्तपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वताएं, जो अग्रिमों में शामिल की गई हैं का उल्लेख नीचे किया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2011	31-03-2010
क)	सकल निवेश	0.62	2.64
ख)	प्राप्य पट्टा भुगतान		
	(i) 1 वर्ष से अधिक नहीं	0.62	2.64
	(ii) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	0.00	0.00
	(iii) 5 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
	कुल	**0.62**	**2.64**
ग)	अनर्जित वित्त आय	0.00	0.03
घ)	**निवल निवेश (क-ग)**	**0.62**	**2.61**

(ii) निरंक पट्टा आय (विगत वर्ष ₹ 0.19 करोड़) को अर्जित ब्याज में शामिल गया हैं।

(ङ) लेखांकन मानक 20 – प्रति शेयर अर्जन :

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2009-2010
1.	आधारभूत और अपमिश्रित *	₹ 47.35	₹ 33.15

आधारभूत एवं औसत ई.पी.एस. की गणना

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2009-2010
(ए)	इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (करोड़)	2488.71	₹ 1741.07
(बी)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (करोड़)	52.56	52.52
(सी)	मूलभूत प्रति शेयर अर्जन (ए/बी)	47.35	₹ 33.15
(डी)	प्रति शेयर अंकित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

* आधारभूत एवं औसत ई.पी.एस. समान ही हैं क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है।

(b) Key Management Personnel :

Sl. No.	Name	Designation	Remuneration	
			Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Shri Alok K Misra	Chairman & Managing Director	13,87,200	7,99,690
2	Shri B.A. Prabhakar	Executive Director	11,87,143	14,46,459
3	Shri M. Narendra	Executive Director	6,75,525	13,46,752
4	Shri N. Seshadri	Eexecutive Director	4,71,250	–

The transactions with the Subsidiaries and Regional Rural banks, being state controlled, have not been disclosed in view of para 9 of AS-18 on Related party disclosure issued by the ICAI exempting state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

(d) Accounting Standard 19 – Lease Financing:

(i) The contractual maturities of the Bank's investment in lease financing and its components, which are included in advances, are set out below:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31-03-2011	31-03-2010
a)	Gross Investments	0.62	2.64
b)	Lease payment receivables		
	(i) not later than 1 year	0.62	2.64
	(ii) later than 1 year but not later than 5 years	0.00	0.00
	(iii) later than 5 years	0.00	0.00
	TOTAL	**0.62**	**2.64**
c)	Unearned finance income	0.00	0.03
d)	**Net investments [a – c]**	**0.62**	**2.61**

(ii) Lease income of Nil (Previous year ₹ 0.19 crore) is included under Interest earned.

(e) Accounting Standard 20 – Earnings Per Share:

Sr. No.	Particulars	2010-11	2009-2010
1.	Basic & Diluted *	₹ 47.35	₹ 33.15

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.

Sr. No.	Particulars	2010-11	2009-2010
(A)	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (in crores)	2488.71	₹ 1741.07
(B)	Weighted Average Number of Equity shares (in crores)	52.56	52.52
(C)	Basic Earnings per Share (A/B)	47.35	₹ 33.15
(D)	Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

* Basic & Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

(ङ) आय पर कर के लिए लेखांकन (एएस 22) :

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
	आस्थगित कर आस्ति		
i)	प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	352.70	310.86
ii)	अन्य	68.05	74.63
	कुल आस्थगित कर आस्ति	**420.75**	**385.49**
	आस्थगित कर देयता		
i)	बही मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास के बीच समय अन्तर के कारण	26.40	28.93
ii)	निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	658.85	507.93
iii)	प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं के कारण	426.99	365.16
iv)	अन्य	3.61	41.20
	कुल आस्थगित कर देयताएं	**1115.85**	**943.22**
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति/(देयता)	**(695.10)**	**(557.73)**

(च) लेखा मानक 29 के अनुसार प्रावधानों की गतिविधियों का विस्तृत वर्णन, ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' :

क. देयताओं हेतु प्रावधानों की गतिविधि (अन्य के प्रावधानों को निकाल कर) :

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं
1 अप्रैल, 2010 का शेष	1.20
वर्ष के दौरान प्रावधान	216.49
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	211.08
31 मार्च, 2011 को शेष	6.61
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन

ख. आकस्मिक देयताएं :

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय, मध्यस्थता करने, न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमशः निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

(f) Accounting for Taxes on Income (AS 22):

The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
	Deferred Tax Assets		
i)	On account of timing difference towards provisions	352.70	310.86
ii)	Others	68.05	74.63
	Total Deferred Tax Assets	**420.75**	**385.49**
	Deferred Tax Liabilities		
i)	On account of Depreciation on fixed assets	26.40	28.93
ii)	On account of Depreciation on investment	658.85	507.93
iii)	On account of interest accrued but not due	426.99	365.16
iv)	Others	3.61	41.20
	Total Deferred Tax Liabilities	**1115.85**	**943.22**
	Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)	**(695.10)**	**(557.73)**

(g) Details of movement in provisions in accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

A. Movement of Provisions for liabilities (excluding provision for others)

(₹ in crore)

Particulars	Legal cases/contingencies
Balances as at 1st April 2010	1.20
Provided during the year	216.49
Amounts used during the year	211.08
Balance as at 31st March 2011	6.61
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement/Crystallization

B. Contingent Liabilities

Such Liabilities as mentioned are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such case.

(छ) लेखा मानक 3 - नकदी प्रवाह का विवरण / (h) Accounting Standard 3 – Cash Flow statement

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण		Particulars	वर्षान्त / Year ended 31.03.2011	वर्षान्त / Year ended 31.03.2010
क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाहः	**A.**	**Cash Flow from Operating Activities:**		
कर के पहले शुद्ध लाभ		**Net Profit before taxes**	**34,953,830**	**24,938,296**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः		**Adjustments for:**		
निवेश पर मूल्यह्रास/परिशोधन		Amortisation/Depreciation on Investments	2,669,978	4,473,325
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on Fixed Assets	1,405,552	1,012,873
अन्य मदों के लिए प्रावधान		Provision for Other Items	17,519,294	19,674,703
गौण बांड आईपीडीआई, अपर टियर II बांड पर ब्याज का भुगतान/प्रावधान		Payment/Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI. Upper Tier II Bonds	7,309,933	57,15,423
प्राप्त लाभांश		Dividend received	(264,735)	(188,539)
निम्नलिखित के लिए समायोजनः		**Adjustments for:**		
जमा राशियों में बढ़/(घट)		Increase/(Decrease) in Deposits	691,238,624	400,534,642
उधार में बढ़/(घट)		Increase/(Decrease) in Borrowings	(12,178,552)	45,924,823
अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)		Increase/(Decrease)in Other Liabilities and Provisions	36,758,024	10,591,780
निवेश में (बढ़)/(घट)		(Increase)/Decrease in Investments	(188,547,583)	(148,796,037)
अग्रिम में (बढ़)/(घट)		(Increase)/Decrease in Advances	(456,597,715)	(2,73,355,851)
अन्य आस्तियों में (बढ़)/(घट)		(Increase)/Decrease in Other Assets	(63,469,817)	4,903,899
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी		Direct Taxes (Paid)/Refund	(11,328,854)	(11,031,209)
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**59,467,979**	**84,398,128**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाहः	**B.**	**Cash Flow from Investing Activities :**		
अचल सम्पत्ति की खरीद		Purchase of Fixed Assets	(3,969,286)	(2,108,763)
अचल सम्पत्ति की बिक्री		Sale of Fixed Assets	182,945	80,432
सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों/अनुषंगियों में अतिरिक्त निवेश		Additional investment in Subsidiaries/ Joint Ventures/Associates	(2,044,776)	(407,292)
प्राप्त लाभांश		Dividend received	264,735	188,539
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(5,566,382)**	**(2,247,084)**
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहः	**C.**	**Cash Flow from Financing Activities:**		
शेयर पूंजी		Share Capital	213,049	0.00
शेयर प्रीमियम		Share Premium	9,886,952	0.00
आईपीडीआई, गौण बांड तथा अपर टियर II बांड (निवल)		IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	8,393,353	21,342,331
लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम) भुगतान		Dividend (Interim & Final) paid	(4,286,466)	(3,072,144)
आईपीडीआई/गौण बांड अप्पर टियर II बांड पर ब्याज भुगतान		Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(7,309,933)	(5,732,449)
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**6,896,955**	**12,537,738**
नकद और नकदी समतुल्य में निवल बढ़त (क) + (ख) + (ग)		**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A) + (B) + (C)**	**60,798,552**	**94,688,782**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य का अथशेष		**Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year**	**312,301,338**	**217,612,556**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**373,099,890**	**312,301,338**

5. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया वहां पिछले वर्ष के आंकडों का पुनर्समूहन/पुनर्व्यवस्थित किया गया।

5. Previous year's figures have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.

बैंक ऑफ़ इंडिया के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

भारत के राष्ट्रपति

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया के संलग्न यथा 31 मार्च, 2011 के तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के उससे संलग्न लाभ एवं हानि खाते की लेखा परीक्षा की है। जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं (कोषागार शाखा सहित), अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2796 भारतीय शाखाओं और 24 विदेशी शाखाओं की विवरणियों का समावेश है जो स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित है। बैंक ने हमारे द्वारा लेखा परीक्षित एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। तुलनपत्र एवं लाभ-हानि लेखे में उन 674 शाखाओं की विवरणियों का भी समावेश है जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थी। इन गैर-लेखा परीक्षित शाखाओं में 1.23% अग्रिम, 2.43% जमाराशियाँ, 0.97% ब्याज आय और 2.48% ब्याज व्यय का लेखा है। हमने तुलन पत्र के साथ नकदी प्रवाह विवरण की भी लेखा परीक्षा की है जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लेखों की टिप्पणियाँ हैं। ये वित्तीय विवरण बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि इन वित्तीय विवरणों पर आधारित हमारी लेखा परीक्षा पर हम अपना मत व्यक्त करें।

2. सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा का संचालन किया है। आवश्यक मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा इस तरह आयोजित और कार्यान्वत की है कि हम इस बारे में पर्याप्त आश्वस्त हैं कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं है। लेखा परीक्षा में परीक्षण तथा साक्ष्य के आधार पर राशियों से संबंधित प्रमाणों की जांच करना और वित्तीय विवरण में प्रकट करना शामिल होता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमान तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल होता हैं। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3. तुलन पत्र एवं लाभ एवं हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फार्म ''ए" तथा ''बी" में तैयार किए गये हैं।

4. हमारी राय के प्रतिबंध के बिना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प पुनः खोलना तथा ग्रेच्यूटी सीमा में वृद्धि के संबंध में विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/ 21.04.018/2010-11 दिनांकित फरवरी 9, 2011 के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लेखा मानक (एएस) 15 कर्मचारी लाभ के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रदान किए गए छूट के अनुसरण में हम वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की नोट 4 (क) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो बैंक की पेंशन व ग्रेच्यूटी देयता ₹ 2112.89 करोड़ के स्थगन का वर्णन करता है।

5. उक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित सीमाओं और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अध्यधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :

REPORT OF THE AUDITORS OF BANK OF INDIA

To,

The President of India,

1. We have audited the attached Balance Sheet of BANK OF INDIA as at 31st March, 2011, the Profit and Loss Account and the Cash Flow for the year ended on that date annexed thereto in which are incorporated the returns of 20 branches (including Treasury Branch) audited by us, 2796 branches audited by other auditors and 24 foreign branches audited by local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss Account are the returns from 674 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 1.23% percent of advances, 2.43% percent of deposits, 0.97% percent of interest income and 2.48% percent of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4. Without qualifying our opinion, we draw attention to Note no.4(a) of Schedule 18 to the financial statements, which describes deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of ₹ 2112.89 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits vide its circular no. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 09, 2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment.

5. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, we report that:

क) हमारी राय और जानकारी के अनुसार एवं हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरणों और बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार :

(i) तुलन पत्र जो लेखांकन नीति के साथ दिये हैं और अन्य टिप्पणियाँ जो तुलन पत्र में पूर्ण व आवश्यक विवरण दर्शा रहे हैं, सही ढंग से तैयार किये गये हैं जो 31 मार्च, 2011 को बैंक के कार्यकलापों का सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं।

(ii) लाभ और हानि खाता जिसे महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पढ़ा जाएगा और अन्य नोट, वर्ष के लिए लाभ का सही शेष दर्शा रही हैं; और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह का सही व उचित दृश्य प्रस्तुत कर रहा है जो वर्ष के विवरण में दिया गया है।

ख) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण जो हमारी सही जानकारी और विश्वास के लिए आवश्यक तथा लेखा परीक्षा के उद्देश्य से जरूरी था, प्राप्त कर लिया है और उन्हें संतोषजनक पाया है।

ग) बैंक का लेन-देन जो हमारी जानकारी में आया हैं वह बैंक के अधिकार क्षेत्र के भीतर है।

घ) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई।

a) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and as shown by the books of the Bank:

(i) The Balance Sheet read together with the Significant Accounting Policies and Notes forming part of Accounts is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars, and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March, 2011;

(ii) The Profit and Loss Account read together with the Significant Accounting Policies and Notes forming part of Accounts shows a true balance of Profit in conformity with accounting principles generally accepted in India for the year covered by the accounts; and

(iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year covered by the Statement.

b) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

c) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

d) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

कृते **सुंदरम एंड श्रीनिवासन**
For **Sundaram & Srinivasan**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं.004207एस)
(Firm Reg. No. 004207S)

(सी.नरेश)
(C. Naresh)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 28684
M. No. 28684

कृते **एल.बी.झा एंड कंपनी**
For **L.B. Jha & Co.**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं.301088E)
(Firm Reg. No. 301088E)

(के. के. भांजा)
(K.K. Bhanja)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 14722
M. No. 14722

कृते **अग्रवाल एंड सक्सेना**
For **Agarwal & Saxena**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं.002405सी)
(Firm Reg. No. 002405C)

(अनिल के. सक्सेना)
(Anil K. Saxena)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 71600
M. No. 71600

कृते **शंकरन एंड कृष्णन**
For **Sankaran & Krishnan**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं.003582S)
(Firm Reg. No. 003582S)

(एस.चन्द्रन)
(S. Chandran)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 8646
M. No. 8646

कृते **कर्नावट एंड कंपनी**
For **Karnavat & Co.**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं.104863W)
(Firm Reg. No. 104863W)

सुनील हीरावत
(Sunil Hirawat)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 33951
M. No. 33951

कृते **चतुर्वेदी एवं शाह**
For **Chaturvedi & Shah**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं.101720W)
(Firm Reg. No. 101720W)

(एच.पी. चतुर्वेदी)
(H.P. Chaturvedi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 33523
M. No. 33523

मुंबई, 2 मई, 2011
Mumbai, 2nd May, 2011

बैंक ऑफ़ इंडिया
समेकित वित्तीय विवरणियाँ
2010-11

Bank of India
Consolidated Financial Statements
2010-11

समेकित तुलन-पत्र 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2011

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

			अनुसूची संख्या Schedule No	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
I.	पूंजी और देयताएं	CAPITAL AND LIABILITIES			
	पूंजी	Capital	1	**5,472,195**	5,259,146
	आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves & Surplus	2	**170,888,599**	139,191,150
	अल्प संख्यक हित	Minorities Interest	2A	**512,363**	3,192,251
	जमाराशियाँ	Deposits	3	**2,995,594,011**	2,304,082,106
	उधार	Borrowings	4	**220,213,756**	223,998,955
	अन्य देयताएँ तथा प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	**137,637,567**	92,615,184
	जोड़	**TOTAL**		**3,530,318,491**	2,768,338,792
II.	आस्तियाँ	ASSETS			
	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	**218,600,696**	156,579,623
	बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	Balances with Banks and money at call and short notice	7	**158,362,937**	157,911,119
	निवेश	Investments	8	**866,765,912**	681,126,918
	अग्रिम	Advances	9	**2,137,083,554**	1,690,310,111
	अचल आस्तियाँ	Fixed Assets	10	**24,994,283**	23,789,166
	अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	**124,511,109**	58,621,855
	जोड़	**TOTAL**		**3,530,318,491**	2,768,338,792
	आकस्मिक देयताएँ	Contingent Liabilities	12	**1,635,989,279**	1,351,569,147
	वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		**126,753,757**	118,108,338
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
	लेखा पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'ए' के अनुसार तुलन-पत्र तैयार किया गया है।

The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

निदेशक DIRECTORS

आलोक मिश्रा
Alok K Misra
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

तरुण बजाज / **Tarun Bajaj**
के.के. नायर / **K.K. Nair**
पी. एम. सिराजुद्दीन / **P. M. Sirajuddin**
जी. महालिंगम / **G. Mahalingam**
एम. एन. गोपीनाथ / **M. N. Gopinath**
हरविंदर सिंह / **Harvinder Singh**
डॉ. शांताबेन चावड़ा / **Dr. Shantaben Chavda**
प्रकाश पी. माल्या / **Prakash P. Mallya**

सम तिथि के अनुसरण में हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

In terms of our report of even date attached

बी. ए. प्रभाकर
B. A. Prabhakar

एन. शेषाद्री
N. Seshadri

कार्यपालक निदेशक
Executive Directors

सुंदरम एंड श्रीनिवासन	**अग्रवाल एंड सक्सेना**	**कर्णावत एंड कंपनी**
Sundaram & Srinivasan	**Agarwal & Saxena**	**Karnavat & Co.**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 004207एस)	(फर्म पंजी.सं. 002405सी)	(फर्म पंजी.सं. 104863डब्ल्यू)
(Firm Reg No. 004207S)	(Firm Reg No. 002405C)	(Firm Reg No. 104863W)
(सी. नरेश)	**(अनिल के. सक्सेना)**	**(सुनिल हीरावत)**
(C. Naresh)	**(Anil K. Saxena)**	**(Sunil Hirawat)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
Partner	Partner	Partner
सदस्यता सं. 28684	सदस्यता सं. 71600	सदस्यता सं. 033951
Membership No. 28684	Membership No. 71600	Membership No. 033951
एल. बी. झा एंड कंपनी	**शंकरन एंड कृष्णन**	**चतुर्वेदी एंड शाह**
L B Jha & Co.	**Sankaran & Krishnan**	**Chaturvedi & Shah**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 301088ई)	(फर्म पंजी.सं. 003582एस)	(फर्म पंजी.सं. 101720डब्ल्यू)
(Firm Reg No. 301088E)	(Firm Reg No. 003582S)	(Firm Reg No. 101720W)
(के. के. भांजा)	**(एस. चन्द्रन)**	**(एच. पी. चतुर्वेदी)**
(K. K. Bhanja)	**(S. Chandran)**	**(H. P. Chaturvedi)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
Partner	Partner	Partner
सदस्यता सं. 14722	सदस्यता सं. 8646	सदस्यता सं. 33523
Membership No. 14722	Membership No. 8646	Membership No. 33523

मुंबई, 25 मई, 2011
Mumbai, 25th May, 2011

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि खाता

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2011

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

			अनुसूची संख्या Schedule No.	Year ended 31-03-2011 को समाप्त वर्ष हेतु ₹	Year ended 31-03-2010 को समाप्त वर्ष हेतु ₹
I.	आय	INCOME			
	अर्जित ब्याज	Interest earned	13	**218,584,283**	179,962,490
	अन्य आय	Other income	14	**26,418,262**	26,006,635
	जोड़	TOTAL		**245,002,545**	205,969,125
II.	व्यय	EXPENDITURE			
	व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	**139,809,281**	121,632,675
	प्रचालनगत व्यय	Operating expenses	16	**51,213,502**	37,186,684
	प्रावधान और आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		**29,092,648**	29,764,213
	जोड़	TOTAL		**220,115,431**	188,583,572
	सहयोगी संस्थाओं में अर्जन/(हानि) का हिस्सा	Share of earnings/(loss) in Associates	16 A	**592,454**	458,270
	अल्पसंख्यक के हित की कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' interest		**25,479,568**	17,843,823
	घटाएः अल्पसंख्यक का हित	Less: Minorities' Interest		**55,397**	(27,730)
	वर्ष के लिए समूह के संबंधित शुद्ध लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year attributable to the group		**25,424,171**	17,871,553
	जोड़ेंः समूह के अग्रेनीत समेकित लाभ/(हानि)	Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		**–**	–
	जोड़	TOTAL		**25,424,171**	17,871,553
III.	विनियोग	APPROPRIATIONS			
	कानूनी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		**6,250,000**	4,500,000
	राजस्व आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		**12,694,151**	6,714,811
	पूंजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		**49,817**	379,149
	विशेष आरक्षिति से अंतरण-करेंसी स्वैप	Transfer (from)/to Special Reserve-Currency Swap		**(14,437)**	(10,566)
	अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		**4,442,954**	4,286,465
	अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Dividend Tax - for Subsidiary		**1,686**	1,694
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act,1961		**2,000,000**	2,000,000
	समेकित तुलन-पत्र में अग्रेनीत शेष	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		**–**	–
	जोड़	TOTAL		**25,424,171**	17871553
	प्रति शेयर उपार्जन (₹)	Earnings Per Share (₹)		**48.37**	34.03
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
	लेखा पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियाँ लाभ-हानि का अभिन्न अंग हैं। / The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.
बैंककारी वियिमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'बी' के अनुसार लाभ हानि खाता तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

निदेशक DIRECTORS

आलोक मिश्रा
Alok K Misra
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

तरुण बजाज / **Tarun Bajaj**
के.के. नायर / **K.K. Nair**
पी. एम. सिराजुद्दीन / **P. M. Sirajuddin**
जी. महालिंगम / **G. Mahalingam**
एम. एन. गोपीनाथ / **M. N. Gopinath**
हरविंदर सिंह / **Harvinder Singh**
डॉ. शांताबेन चावड़ा / **Dr. Shantaben Chavda**
प्रकाश पी. माल्या / **Prakash P. Mallya**

सम तिथि के अनुसरण में हमारी रिपोर्ट संलग्न है। / In terms of our report of even date attached

बी. ए. प्रभाकर
B. A. Prabhakar

एन. शेषाद्री
N. Seshadri

कार्यपालक निदेशक
Executive Directors

सुंदरम एंड श्रीनिवासन
Sundaram & Srinivasan
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 004207एस)
(Firm Reg No. 004207S)

(सी. नरेश)
(C. Naresh)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 28684
Membership No. 28684

अग्रवाल एंड सक्सेना
Agarwal & Saxena
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 002405सी)
(Firm Reg No. 002405C)

(अनिल के. सक्सेना)
(Anil K. Saxena)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 71600
Membership No. 71600

कर्णावत एंड कंपनी
Karnavat & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 104863डब्ल्यू)
(Firm Reg No. 104863W)

(सुनिल हीरावत)
(Sunil Hirawat)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 033951
Membership No. 033951

एल. बी. झा एंड कंपनी
L B Jha & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 301088ई)
(Firm Reg No. 301088E)

(के. के. भांजा)
(K. K. Bhanja)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 14722
Membership No. 14722

शंकरन एंड कृष्णन
Sankaran & Krishnan
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 003582एस)
(Firm Reg No. 003582S)

(एस. चन्द्रन)
(S. Chandran)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 8646
Membership No. 8646

चतुर्वेदी एंड शाह
Chaturvedi & Shah
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं. 101720डब्ल्यू)
(Firm Reg No. 101720W)

(एच. पी. चतुर्वेदी)
(H. P. Chaturvedi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 33523
Membership No. 33523

मुंबई, 25 मई, 2011
Mumbai, 25th May, 2011

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची - 1 : पूंजी	**SCHEDULE - 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
₹ 10 प्रत्येक के ₹ 300,00,00,000 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 300,00,00,000)	300,00,00,000 (Previous year 300,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	**30,000,000**	30,000,000
जारी और अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
केंद्र सरदार द्वारा रखे गए ₹ 359.88 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 338.58 करोड़) की संपूर्ण वर्ष प्राप्त राशि के ₹ 10 प्रत्येक के ₹ 35,98,84,870 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 33,85,80,000) के साथ ₹ 10 प्रत्येक के 54,76,57,470 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 52,63,52,600)	54,76,57,470 Equity Shares (Previous year 52,63,52,600) of ₹ 10 each including 35,98,84,870 Equity Shares (Previous year 33,85,80,000) of ₹ 10 each, fully paid up amounting to ₹ 359.88 crore (Previous year ₹ 338.58 crores) held by Central Government	**5,476,575**	5,263,526
जोड़	**TOTAL**	**5,476,575**	5,263,526
प्रदत्त पूंजी	**PAID-UP CAPITAL**		
संपूर्ण प्रदत्त ₹ 10 प्रत्येक के 54,64,80,370 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 52,51,75,500) (इक्विटी शेयर के प्रिफ्रेंशियल इश्यू के माध्यम से वर्ष के दौरान जारी 2,13,04,870 इक्विटी शेयर सहित)	54,64,80,370 Equity Shares (Previous year 52,51,75,500) of ₹ 10 each fully paid-up (including 2,13,04,870 Equity shares issued during the year by way of preferential issue of equity shares)	**5,464,804**	5,251,755
जोड़ेः जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of Shares forfeited	**7,391**	7,391
जोड़	**TOTAL**	**5,472,195**	5,259,146
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I. कानूनी आरक्षितियाँ :	**I. Statutory Reserve :**		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**39,751,686**	35,251,686
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	**6,250,000**	4,500,000
जोड़ (I)	**TOTAL (I)**	**46,001,686**	39,751,686
II. पूंजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves :**		
ए) पूनर्मूल्यांकन आरक्षिति:	A) Revaluation Reserve :		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**14,286,186**	17,102,902
जोड़ेः संपत्ति का पुर्नमूल्यांकन	Add: Revaluation of Property	**–**	–
घटाएंः पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास / समायोजन	Less: Depreciation/adjustments on account of revaluation	**1,091,513**	2,816,716
जोड़ (ए)	**Total of (A)**	**13,194,673**	**14,286,186**
बी) अन्य	B) Others		
i) निवेश की बिक्री पर लाभ - ''परिपक्वता तक धारित''	i) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**8,282,242**	7,903,093
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	**49,817**	379,149
जोड़ (i)	Total (i)	**8,332,059**	8,282,242
ii) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	ii) Foreign Currency Translation Reserve		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**3,551,717**	6,410,560
जोड़े/घटाएंः वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add / (Less) : Adjustments during the year (Net)	**1,102,533**	(2,858,843)
जोड़ (ii)	Total (ii)	**4,654,250**	3,551,717

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

अनुसूची - 2: आरक्षितियां और अधिशेष *(जारी)*	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS *(Contd.)*	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
iii) विशेष आरक्षिति-मुद्रा स्वैप	iii) Special Reserve - Currency Swaps		
अथशेष	Opening Balance	**50,032**	60,598
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान कटौती	Add/(Less):Deductions during the year	**(14,437)**	(10,566)
जोड़ (iii)	Total (iii)	**35,595**	50,032
जोड़ (बी)	**Total of (B)**	**13,021,904**	11,883,991
जोड़ (II)	**TOTAL (II)**	**26,216,577**	26,170,176
III. शेयर प्रीमियमः	**III. Share Premium :**		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**18,455,796**	18,455,795
वर्ष के दौरान परिवर्धन (इक्विटी शेयरों का प्रिफरेंशियल निर्गम)	Additions during the year (Preferential Issue of Equity shares)	**10,702,952**	–
जोड़ेः विलोपित जब्त शेयर	Add: On forfeited shares annulled	**–**	1
जोड़ (III)	**TOTAL (III)**	**29,158,748**	18,455,796
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितियाँः	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षितियाँः	i) Revenue Reserve :		
अथशेष	Opening Balance	**49,613,492**	42,921,699
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	**12,694,151**	6,714,811
जोड़/(घटाएं) समायोजन	Add / (Less): Adjustments	**3,945**	(23,018)
IV जोड़	Total of (i)	**62,311,588**	49,613,492
ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1 (viii) (के अंतर्गत विशेष आरक्षिति)	ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
अथशेष	Opening Balance	**5,200,000**	3,200,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	**2,000,000**	2,000,000
(ii) का जोड़	Total of (ii)	**7,200,000**	5,200,000
जोड़ (IV)	**TOTAL (IV)**	**69,511,588**	**54,813,492**
V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष	**V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account**	**–**	–
जोड़ (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**170,888,599**	139,191,150

अनुसूची - 2A : अल्पसंख्यक हित	SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST		
उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी - सहायक कंपनी संबंध अस्तित्व में व्यय	Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	**137,220**	186,220
परवर्ती वृद्धि / (घटती)	Subsequent increase / (decrease)	**375,143**	3,006,031
तुलन पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित	Minority interest on the date of Balance sheet	**512,363**	3,192,251

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

			यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची - 3 : जमाराशियाँ		**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए.	**I. माँग जमा**	**A. I. Demand Deposits :**		
	i) बैंक से	i) From Banks	**8,451,557**	3,003,794
	ii) अन्य से	ii) From Others	**160,837,497**	155,832,378
	जोड़ (I)	**TOTAL (I)**	**169,289,054**	158,836,172
	II. बचत बैंक जमा	II. Savings Bank Deposits	**591,490,542**	481,302,744
	III. मियादी जमाः	III. Term Deposits :		
	i) बैंक से	i) From Banks	**175,817,958**	119,495,543
	ii) अन्य से	ii) From Others	**2,058,996,457**	1,544,447,647
	जोड़ (III)	**TOTAL (III)**	**2,234,814,415**	1,663,943,190
	जोड़ ए (I से III)	**TOTAL A (I to III)**	**2,995,594,011**	2,304,082,106
बी.	i) भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	**B.** i) Deposits of branches in India	**2,529,343,658**	1,965,012,021
	ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ	ii) Deposits of branches outside India	**466,250,353**	339,070,085
	जोड़ (बी)	**TOTAL (B)**	**2,995,594,011**	2,304,082,106

अनुसूची - 4 : उधार		**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I.	**भारत में उधारः**	**I. Borrowings in India :**		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	**–**	–
	ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks		
	क. टियर-I पूंजी (आईपीडीआई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**6,316,000**	4,825,000
	ख. अपर टियर-II पूंजी	b. Upper Tier II Capital	**725,000**	825,000
	ग. प्रतिभूतिरहित गैर परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर-II पूंजी के लिए गौण ऋण)	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	**1,083,000**	1,103,000
	घ. अन्य	d. Others	**1,784,144**	917,801
	जोड़ (ii)	**Total (ii)**	**9,908,144**	7,670,801
	iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण	iii) Other Institutions and Agencies		
	क. टियर-I पूंजी (आईपीडीआई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**10,484,000**	8,975,000
	ख. अपर टियर-II पूंजी I	b. Upper Tier II Capital	**41,595,000**	31,495,000
	ग. प्रतिभूतिरहित गोपनीय बंधपत्र (टियर-II पूंजी के लिए गौण ऋण)	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	**16,917,000**	21,397,000
	घ. अन्य	d. Others	**6,759,312**	59,982,266
	जोड़ (iii)	**Total (iii)**	**75,755,312**	121,849,266
	जोड़ (I)	**Total (I)**	**85,663,456**	129,520,067
II.	**भारत के बाहर से उधार**	**II. Borrowings outside India**		
	क. टियर I पूंजी (आईपीडीआई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**3,778,684**	3,811,399
	ख. अपर टियर-II पूंजी	b. Upper Tier II Capital	**10,699,038**	10,772,970
	ग. अन्य	c. Others	**120,072,578**	79,894,519
	जोड़ (II)	**Total (II)**	**134,550,300**	94,478,888
	जोड़ (I और II)	**Total (I & II)**	**220,213,756**	223,998,955
	ऊपर सम्मिलित प्रतिभूत उधार	Secured borrowings included in above	–	–

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	**11,280,404**	11,754,056
II. अंतर-कार्यालय समायोजन-(निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	**–**	7,170,146
III. उपार्जित ब्याज	III. Interest accrued	**8,064,677**	7,316,562
IV. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax Liabilities	**7,064,389**	5,743,200
V. अन्य	V. Others	**111,228,097**	60,631,220
जोड़	**TOTAL**	**137,637,567**	92,615,184
अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट और स्वर्ण सम्मिलित है)	**I. Cash in hand** (including foreign currency notes and gold)	**7,788,852**	6,626,220
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेषः	**II. Balances with Reserve Bank of India :**		
i) चालू खाते में	i) In Current Account	**210,737,579**	149,890,070
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	**74,265**	63,333
जोड़ (II)	**TOTAL (II)**	**210,811,844**	149,953,403
जोड़ (I, II)	**TOTAL (I, II)**	**218,600,696**	156,579,623
अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. भारत में:	**I. In India :**		
i) बैंक में शेष	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	**5,090,284**	4,509,680
ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	**31,154,902**	55,318,610
ii) मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	ii) Money at call and short notice		
क) बैंकों के साथ	a) With Banks	**24,355,780**	–
ख) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	**67,607**	19,486,920
जोड़ (I)	**TOTAL (I)**	**60,668,573**	79,315,210
II. भारत के बाहरः	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	**2,601,881**	5,952,060
ii) अन्य जमा खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	**69,606,765**	46,164,704
iii) मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	iii) Money at call and short notice	**25,485,718**	26,479,145
जोड़ (II)	**TOTAL (II)**	**97,694,364**	78,595,909
जोड़ (I, II)	**TOTAL (I, II)**	**158,362,937**	157,911,119

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची - 8 : निवेश		
I. भारत में निवेशः		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में		
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में		
iii) शेयरों में		
iv) डिबेंचरो और बंधपत्रों में		
v) सहयोगियों में निवेश		
vi) अन्य		
जोड़ (I)		
II. भारत के बाहर निवेशः		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)		
ii) डिबेंचर और बॉंड		
iii) सहयोगियों में निवेश		
iv) अन्य		
जोड़ (II)		
जोड़ (I और II)		
III. भारत में निवेश		
i) निवेश का सफल मूल्य		
ii) अवमूल्यन हेतु कुल प्रावधान		
iii) निवल निवेश		
IV. भारत के बाहर निवेश		
i) निवेश का सकल मूल्य		
ii) अवमूल्यन हेतु कुल प्रावधान		
iii) निवल निवेश		
जोड़ (III और IV)		
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS		
I. Investments in India :		
i) Government Securities	**674,762,938**	570,640,020
ii) Other approved Securities	**2,783,365**	4,482,763
iii) Shares	**12,317,239**	10,722,479
iv) Debentures and Bonds	**29,004,830**	23,065,599
v) Investment in Associates	**5,155,221**	4,232,886
vi) Others	**103,519,487**	17,440,165
TOTAL (I)	**827,543,080**	630,583,912
II. Investments outside India :		
i) Government Securities (including local authorities)	**20,476,384**	27,512,613
ii) Debentures & Bonds	**380,332**	363,660
iii) Investment in Associates	**351,493**	330,676
iv) Others	**18,014,623**	22,336,057
TOTAL (II)	**39,222,832**	**50,543,006**
TOTAL (I & II)	**866,765,912**	681,126,918
III. Investments in India :		
i) Gross value of Investments	**831,066,771**	634,881,382
ii) Aggregate provisions for depreciation	**3,523,691**	4,297,470
iii) Net Investments	**827,543,080**	630,583,912
IV Investments outside India :		
i) Gross value of Investments	**42,623,287**	55,135,418
ii) Aggregate provisions for depreciation	**3,400,455**	4,592,412
iii) Net Investments	**39,222,832**	50,543,006
TOTAL (III & IV)	**866,765,912**	681,126,918

अनुसूची - 9 : अग्रिम			
ए. i) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल			
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण			
iii) मीयादी ऋण			
ऋण (क)			
बी. अग्रिमों का विवरणः			
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के विरुद्ध अग्रिम शामिल है)			
ii) बैंक/सरकारी प्रत्यभूतियों द्वारा सुरक्षित			
iii) अप्रतिभूत			
जोड़ (बी)			
SCHEDULE - 9 : ADVANCES			
A. i) Bills Purchased and Discounted		**367,442,634**	254,747,317
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand		**945,940,431**	710,607,593
iii) Term Loans		**823,700,489**	724,955,201
TOTAL (A)		**2,137,083,554**	1,690,310,111
B. Particulars of Advances :			
i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)		**1,263,403,748**	1,043,784,338
ii) Covered by Bank/Government Guarantees		**370,068,958**	276,692,021
iii) Unsecured		**503,610,848**	369,833,752
TOTAL (B)		**2,137,083,554**	1,690,310,111

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची - 9 : अग्रिम *(जारी)*		
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरणः		
I. भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**548,830,581**	429,288,969
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	**166,622,200**	150,675,520
iii) बैंक	**3,198,900**	16,840,360
iv) अन्य	**905,438,763**	729,616,015
जोड़ (सी-I)	**1,624,090,444**	1,326,420,864
II. भारत के बाहर अग्रिमः		
i) बैंकों से देय	**210,883,571**	91,130,871
ii) अन्यों से देय		
क) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	**72,753,106**	86,075,400
ख) सामूहिक ऋण	**94,525,045**	73,559,029
ग) अन्य	**134,831,388**	113,123,947
जोड़ (सी-II)	**512,993,110**	363,889,247
जोड़ (सी-I, सी-II)	**2,137,083,554**	1,690,310,111
SCHEDULE - 9 : ADVANCES *(Contd.)*		
C. Sectoral Classification of Advances :		
I. Advances in India		
i) Priority Sector	**548,830,581**	429,288,969
ii) Public Sector	**166,622,200**	150,675,520
iii) Banks	**3,198,900**	16,840,360
iv) Others	**905,438,763**	729,616,015
TOTAL (C-I)	**1,624,090,444**	1,326,420,864
II. Advances outside India :		
i) Due from Banks	**210,883,571**	91,130,871
ii) Due from others		
a) Bills Purchased and Discounted	**72,753,106**	86,075,400
b) Syndicated Loans	**94,525,045**	73,559,029
c) Others	**134,831,388**	113,123,947
TOTAL (II)	**512,993,110**	363,889,247
TOTAL (I & II)	**2,137,083,554**	1,690,310,111
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां		
I. परिसरः		
लागत पर अथशेष	**6,900,453**	5,895,789
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	**1,115,822**	1,073,973
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन	**155,825**	69,309
उप-जोड़	**7,860,450**	6,900,453
इस तारीख का पुनर्मूल्यांकन प्रावधान के कारण पुनर्मूल्यांकन जमा की तारीख तक	**19,753,966**	19,753,966
घटाएंः इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन के कारण 6419305 सहित-विगत वर्ष में ₹ 5467781)	**8,474,773**	7,263,928
जोड़ - (I)	**19,139,643**	19,390,491
II. अन्य अचल आस्तियांः (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित है)		
लागत पर अथशेष	**11,775,706**	10,560,408
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	**2,419,407**	1,622,048
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	**1,182,019**	406,750
उप-जोड़	**13,013,094**	11,775,706
घटाएंः इस तारीख को मूल्यह्रास	**8,315,257**	8,027,861
जोड़ (II)	**4,697,837**	3,747,845
III. निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	**1,156,803**	650,830
जोड़ (I से III)	**24,994,283**	23,789,166
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS		
I. PREMISES :		
Opening Balance at cost	**6,900,453**	5,895,789
Additions / Adjustments during the year	**1,115,822**	1,073,973
Less: Deductions / Adjustments during the year	**155,825**	69,309
Sub-total	**7,860,450**	6,900,453
Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	**19,753,966**	19,753,966
Less : Depreciation to date (including ₹ 6419305 on account of revaluation - Previous year end ₹ 5467781)	**8,474,773**	7,263,928
TOTAL (I)	**19,139,643**	19,390,491
II. OTHER FIXED ASSETS : (including Furniture and Fixtures)		
Opening Balance at cost	**11,775,706**	10,560,408
Additions / Adjustments during the year	**2,419,407**	1,622,048
Less: Deductions / Adjustments during the year	**1,182,019**	406,750
Sub-total	**13,013,094**	11,775,706
Less: Depreciation to date	**8,315,257**	8,027,861
TOTAL (II)	**4,697,837**	3,747,845
III. CAPITAL WORK IN PROGRESS	**1,156,803**	650,830
TOTAL (I to III)	**24,994,283**	23,789,166

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियाँ / **SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. आंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / I. Inter-office adjustments (net)	**33,518,027**	–
II. उपर्जित / II. Interest accrued	**14,991,418**	13,525,405
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / (निवल) / III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	**30,185,811**	27,650,341
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प / IV. Stationery and Stamps	**56,543**	51,135
V. आस्थगित कर आस्तियाँ / V. Deferred Tax Assets	**136,476**	167,994
VI. अन्य / VI. Others	**45,622,834**	17,226,980
जोड़ / **TOTAL**	**124,511,109**	58,621,855
अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएँ / **SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	**7,093,168**	5,004,171
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं / II. Liability for partly paid Investments	**3,200**	3,200
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं / III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**863,609,290**	673,103,889
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ / IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
क) भारत में / a) In India	**159,630,208**	158,120,186
ख) भारत के बाहर / b) Outside India	**68,167,301**	46,924,062
V. स्वीकृतियां पृष्ठांकन और अन्य दायित्व / V. Acceptances, endorsements and other obligations	**198,428,256**	165,738,821
VI. ब्याज दर की अदला-बदली / VI. Interest Rate Swaps	**332,129,487**	300,544,560
VII. अन्य मदें जिनमे लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है / VII. Other items for which the Bank is contingently liable	**6,928,369**	2,130,258
जोड़ / **TOTAL**	**1,635,989,279**	1,351,569,147

समेकित लाभ व हानि खाते की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		वर्षात For the Year ended 31-03-2011 ₹	वर्षात For the Year ended 31-03-2010 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज	**SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED**		
I. अग्रिमों / विनिमय पत्रों पर ब्याज / बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	**155,696,186**	131,695,900
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	**51,951,990**	44,897,567
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अन्तर-बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	**7,981,967**	2,615,989
IV. अन्य	IV. Others	**2,954,140**	753,034
जोड़	**TOTAL**	**218,584,283**	179,962,490
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	**11,858,237**	11,002,929
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ-निवल	II. Profit on sale of Investments - net	**3,236,157**	5,993,586
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ-निवल	III. Profit on sale of land, buildings and other assets - net	**278**	957
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ-निवल	IV Profit on exchange transactions - net	**5,042,678**	3,734,261
V. सहायक कंपनियों / कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V Income earned by way of dividend etc., on subsidiaries/ companies and/or / joint ventures	**166,022**	117,692
VI. विविध आय	VI Miscellaneous Income	**6,114,890**	5,157,211
जोड़	**TOTAL**	**26,418,262**	26,006,635
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**		
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits	**122,184,485**	108,533,480
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	**8,129,121**	5,556,981
III. गौण ऋणों आईआरएस आदि पर ब्याज	III. Interest on subordinated debts, IRS etc.	**9,495,675**	7,542,214
जोड़	**TOTAL**	**139,809,281**	121,632,675
अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	**34,920,128**	23,087,487
II. किराया, कर और बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	**2,790,895**	2,462,568
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	**460,631**	389,687
IV. विज्ञापन और प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	**609,304**	525,124
V. बैंक की सम्पति पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन आरक्षितियों पर निवल मूल्यह्रास)	V. Depreciation on Bank's property (Net of Depreciation on Revaluation Reserve)	**1,448,561**	1,099,592
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	**16,452**	12,587
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (includes for branch auditors)	**360,413**	326,599
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	**160,119**	105,145
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**417,011**	336,110
X. मरम्मत और रख-रखाव	X. Repairs and Maintenance	**461,697**	446,305
XI. बीमा	XI. Insurance	**1,808,331**	1,593,642
XII. अन्य व्यय	XII. Other Expenditure	**7,759,960**	6,801,838
जोड़	**TOTAL**	**51,213,502**	37,186,684
अनुसूची - 16ए : सहयोगी संस्थाओं में अर्जन/हानि का अंश	**SCHEDULE - 16A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES**		
I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	I. Regional Rural Banks (RRBs)	413,781	394,054
II. अन्य	II. Others	178,673	64,216
जोड़	**TOTAL**	**592,454**	458,270

अनुसूची - 17 :
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार :

संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) प्रचलित विचारधारा का पालन करते हुए, ऐतिहासिक लागत आधार पर तथा भारत में सामान्यतः अपनाए जाने वाले लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) पर तैयार किए गए हैं जो लागू सांविधिक उपबंधों के अनुरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), कंपनी अधिनियम, 1956, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)/ मार्गदर्शी टिप्पणियाँ तथा भारतीय बैंकिंग उद्यम में अपनायी जाने वाली लेखांकन प्रथा के अनुरूप हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबंधों तथा लेखांकन पद्धतियों का पालन किया गया है जब तक कि अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।

अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण को तैयार करने में यह आवश्यक होता है कि वित्तीय विवरणी की तिथि को रिपोर्ट किए गए आस्ति तथा देयताओं की राशि में (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्ट किए गए अवधि हेतु आय व व्यय में सुविचारित अनुमानों तथा धारणा को प्रबंधन पूरा करें। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान यथोचित तथा ठीक हैं।

ख समेकन का आधार :

समूह **(4 सहायक कंपनियां,एक संयुक्त उपक्रम एवं 8 अनुषंगी)** के समेकित वित्तीय विवरण इस आधार पर तैयार किए गए हैं:

1. मूल बैंक एवं इसकी सहायक कंपनियों की वित्तीय विवरणियों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-21, ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार आंतर समूह लेन-देन,शेष और गैर उगाहीकृत लाभ-हानि का विलोपन करके एवं एक समान लेखा नीतियों के समरूपता स्थापित करने के लिए जहाँ कहीं जरूरी हुआ, आवश्यक समायोजन करके आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों जैसी मदें एक साथ जोड़कर पंक्ति दर पंक्ति आधार पर सम्मिलित किया गया है। विदेशी अनुषंगियों/सहायकों को छोड़कर जहाँ वित्तीय विवरणियाँ स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं / अंतर्राष्ट्रीय विनियामक आवश्यकताओं (आईएफआरएस) पर आधारित तैयार की जाती हैं। इसका प्रभाव समेकित वित्तीय विवरणी में नहीं दिया गया है क्योंकि यह निश्चयात्मक नहीं है। सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को उनके मूल बैंक की तरह उसी तिथि में यथा 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तैयार किया गया है।
2. अनुषंगियों में इसके निवेश के मूल प्रमुख की लागत तथा अनुषंगियों के इक्विटी के मूल प्रमुख के भाग के बीच अंतर की

SCHEDULE 17:
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. BASIS OF PREPARATION:

The accompanying Consolidated Financial Statements (CFS) have been prepared by following the going concern concept, generally on a historical cost basis. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise of statutory provisions, guidelines issued by the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Companies Act, 1956, Accounting Standards/Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the accounting practices prevailing in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with, except as otherwise stated.

Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

B. BASIS OF CONSOLIDATION:

Consolidated financial statements of the group **(comprising of 4 Subsidiaries, 1 Joint Venture and 8 Associates)** have been prepared on the basis of:

1. The financial statements of the parent bank and its subsidiaries are prepared in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/ loss and making necessary adjustments wherever required to conform to uniform accounting policies except in case of overseas subsidiaries/associates, where, the financial statements are prepared based on local regulatory requirements/International Financial Reporting Standards (IFRS). Impact of the same is not given in Consolidated Financial Statements as the same is not likely to be material. The financial statements of the subsidiaries are drawn upto the same reporting date as that of parent i.e. 31st March 2011.
2. The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognised as

साख/पूंजी आरक्षित के रूप में पहचानी जाती है। साख, यदि है, तो उसे पहचाने जाने पर तत्काल बट्टा खाते लिखा जाता है।

3. समेकित वित्तीय विवरण में अल्पसंख्यक हित के अन्तर्गत सहायक कंपनियों की निवल इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयर धारकों के शेयरों के रूप में जुड़ा है।

4. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-23, ''समेकित वित्तीय विवरणियों में सहयोगी कंपनियों में लेखांकन'' के अनुरूप इक्विटी प्रणाली के अंतर्गत सहयोगी कंपनियों में निवेश का लेखांकन किया जाता है।

5. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-27, ''संयुक्त उपक्रमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग'' में निर्धारित किए अनुसार संयुक्त उपक्रमों में निवेश का लेखांकन ''आनुपातिक आधार पर '' समेकित किया जाता है।

ग मूल लेखांकन नीतियां

1. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध लेन-देन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''विदेशी विनिमय दरों में प्रभावी परिवर्तनों'' लेखा मानक (एएस) 11 के अनुरूप विदेशी विनिमय आवेष्टित लेन-देन हेतु लेखाकरण किया गया है।

1.1 समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण

क. विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने वाली भारतीय शाखाओं को समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख. मौद्रिक विदेशी मुद्रा की आस्तिया एवं देयताओं का मूल्य हर वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार आंका गया है और गैर-मौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि पर विद्यमान दर पर आंका/स्पष्ट किया गया है।

ग. विदेशी मुद्रा में सकार, पृष्ठांकन तथा दायित्व एवं गारंटियां वर्ष समाप्ति में फेडाई द्वारा अधिसूचित संवरण दरों पर अंकित की गई है। निपटान के समय उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मौद्रिक मदों के स्पष्टीकरण को जिस अवधि से वह संबंधित है उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है।

1.2 समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण

विदेशी शाखाओं,सहायक कंपनियों/अनुषंगियों को समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

क. आस्तियों और देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित संवरण दरों के आधार पर आंका/स्पष्ट किया जाता है।

ख. आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई

goodwill/capital reserve. Goodwill if any, is written off immediately on its recognition.

3. Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.

4. Accounting for Investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

5. Accounting for Investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

C. PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

1. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1.1 Translation in respect of Integral Foreign operations:

a) Indian branches having foreign currency transactions have been classified as integral foreign operations.

b) Monetary Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the year end and non-monetary items are translated at the rates prevailing on the transaction date.

c) Acceptances, endorsements, other obligations and guarantees in foreign currencies are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end. Exchange differences arising on settlement and translation of monetary items at the end of the financial year are recognised as income or expense in the period in which they arise.

1.2 Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Foreign branches/subsidiaries/associates are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

a) Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

b) Income and expenses are translated at the quarterly

द्वारा सूचित तिमाही औसतन लेखाबंदी दर पर स्पष्ट किया जाता है।

ग. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते 'विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिज़र्व' में संचित किया जाता है।

1.3 वायदा विनिमय संविदाएं

फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं एएस-11 के अनुसार प्रत्येक मुद्रा में बकाया वादा विनिमय संविदाओं को संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के लिए तुलनपत्र की तारीख पर तदनुरूपी वादा दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित राशि एवं संविदा राशि के बीच भिन्नता को जैसी भी स्थिति हो, उसके अनुसार लाभ अथवा हानि के रूप में मान्य किया जाता है।

मुद्रा वादा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

2. निवेश

निवेश का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता के लिए धारित, 'कारोबार के लिए निर्धारित और बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों में किया जाता है। बैंकिंग विनिमय अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए की अपेक्षाओं के अनुरूप इनका वर्गीकरण छः समूहों - सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, शेयर, डिबेंचर और बन्धपत्र, सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश और अन्य निवेश में किया जाता है।

2.1 वर्गीकरण का आधार

निवेशों का वर्गीकरण सामान्यतः उसकी खरीद के समय किया जाता हैः

क. परिपक्वता के लिए निर्धारित

ऐसे निवेशों का समूह जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखता है।

ख. कारोबार के लिए निर्धारित

ऐसी प्रतिभूतियां जिन्हें मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री के लिए रखा जाता है, उन्हें इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

ग. बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण 'परिपक्वता के लिए निर्धारित' अथवा 'कारोबार के लिए निर्धारित' रूप में नहीं किया गया है, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

2.2 मूल्यांकन का तरीका

निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

क. परिपक्वता हेतु निर्धारण

इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अधिग्रहण लागत पर किया गया है, इनके अधिग्रहण पर भुगतान की गई प्रीमियम की राशि, यदि कोई हो, तो

average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarter.

c) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments in the respective foreign branches.

1.3 Forward Exchange Contracts:

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS-11, outstanding forward exchange contracts in each currency are revalued at the Balance Sheet date at the corresponding forward rates for the residual maturity of the contract. The difference between revalued amount and the contracted amount is recognized as profit or loss, as the case may be.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the Profit and Loss account.

2. INVESTMENTS:

Investments are classified under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per Reserve Bank of India (RBI) guidelines. In conformity with the requirements in Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, these are classified under six groups – Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Investments in Subsidiaries/Joint Ventures and Other Investments.

2.1 Basis of classification:

Classification of an investment is normally done at the time of its acquisition:

a) Held to Maturity:

These comprise investments the Bank intends to hold on to maturity.

b) Held for Trading:

Investments acquired with the intention to trade within 90 days from the date of purchase are classified under this head.

c) Available for Sale:

Investments which are not classified either as "Held to Maturity" or as "Held for Trading" are classified under this head.

2.2 Method of valuation:

Investments are valued in accordance with the RBI guidelines.

a) Held to Maturity:

Investments included in this category are carried at their acquisition cost. Premium, if any, paid on acquisition is amortised using constant yield method

उसे सतत अर्जन प्रणाली उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन अनुसूची- 13-''अर्जित ब्याज मद II - निवेशों पर आय'' में किया जाता है।

ख. कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्धः

1. इस श्रेणी में प्रतिभूतियों का स्क्रिपवार मूल्यांकन किया गया है। प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि/ मूल्य-ह्रास को उनके वर्गानुसार जोड़ा/घटाया गया है और निवल मूल्य- ह्रास को लाभ व हानि खातों की मान्य पद्धतियों के अनुरूप लगाया गया है, जबकि निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया गया है।
2. "कारोबार के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध प्रवर्ग" में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन हेतु बाजार दर/स्टॉक एक्सचेंज भाव/भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ(पीडीएआई) / निर्धारित आय मुद्रा बाजार(एफआईएमएमडीए) और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज़) संघ द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं हैं उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार हैं -

प्रतिभूति का स्वरुप	मूल्यांकन की पद्धति
सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूति	परिपक्वता आधार के ऊपज पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू	अद्यतन तुलन पत्र (12 महीनों से
और न्यासी शेयर्स	अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी ₹ 1
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आधार के ऊपज पर
पीएसयू बॉड्स	परिपक्वता आधार के ऊपज पर समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में निधि द्वारा घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीयन सतत 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो ₹ 1 प्रति वीसीएफ

ग. विदेशी शाखाओं में धारितः

विदेशी शाखाओं के निवेशों को संबंधित विदेशी केन्द्रों पर प्रचलित सांविधिक प्रावधानों या समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य से कम मूल्य पर नियत किया गया है।

घ. प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण :

उपर्युक्त 3.1 (क) से (ग) तक विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के मध्य किसी

over the remaining period of maturity. In terms of RBI directions, amortisation of premium on HTM securities is deducted from Schedule 13 "Interest Earned - Item II- Income on Investments".

b) Held for Trading/Available for Sale:

1. Investments under these categories are valued scrip-wise. Appreciation/depreciation is aggregated for each class of securities and net depreciation as per applicable norms is recognised in the Profit and Loss Account, whereas net appreciation is ignored.
2. For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates/quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI)/ Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

Type of Security	Method of Valuation
Government/ Approved securities	On Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	At book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise ₹ 1 per company.
Preference Shares	On Yield to Maturity basis
PSU Bonds	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up
Units of Mutual Funds	At the latest repurchase price/ NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months continuously then at ₹ 1/- per VCF

c) Held at Foreign Branches:

Investments held at foreign branches are carried at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

d) Transfer of Securities between Categories:

The transfer of a security between categories

प्रतिभूति के अंतरण का अंतरण दिवस पर अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम है के रूप में लेखा किया जाए तथा मूल्य-ह्रास, यदि है, तो ऐसे अंतरण पर पूर्ण प्रावधान किया जाए।

ङ. निवेशों की बिक्री में लाभ अथवा हानिः

किसी भी प्रवर्ग में निवेशों की बिक्री में लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया जाता है। तथापि, 'परिपक्वता के लिए निर्धारित' शीर्ष के अंतर्गत निवेशों की बिक्री में लाभ की स्थिति में समान राशि करों का तथा संविधिक आरक्षिती में अंतरित राशि की निवल "आरक्षित पूंजी खाते" में विनियोजित की जाती है।

च. प्रावधानीकरण तथा आय पहचान - अकार्यशील निवेश (एनपीआई) :

अकार्यशील निवेश के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

छ. रेपो/रिवर्स रेपो

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो तथा रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लिए (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन संव्यवहारों के अतिरिक्त) निर्धारित की गई लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है। रेपो संव्यवहार अर्थात प्रतिभूति की बिक्री (खरीदी) द्वारा निधियों को उधार (उधार देना) रेपो सहभागी की बहीयों में रिफ्लेक्ट होता है, संपार्श्विकृत उधार और उधार लेना संव्यवहार के रूप में, सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद अनुबंध सहित उसका लेखांकन लागत व राजस्व ब्याज व्यय/आय के लिए, जैसा भी मामला हो, किया जाए। रेपो/रिवर्स रेपो खाते की शेष निवेश खाते की शेष के विरूद्ध समायोजित की जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एलएएफ के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियॉं निवेश खाते में नामे/जमा की जाती है और संव्यवहारों की परिपक्वता पर रिवर्स की जाती है। उस पर अर्जित/खर्च किए गए ब्याज का लेखांकन खर्च/राजस्व के रूप में किया जाए।

ज. व्युत्पन्न

वर्तमान में मूल बैंक ब्याज दर एवं करेंसी व्युत्पन्न का कार्य देखता है। मूल बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर व्युत्पन्न, रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, अग्रणी दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किया जा रहा मुद्रा व्युत्पन्न विकल्प, मुद्रा स्वैप तथा मुद्रा फ्यूचर है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार व्युत्पन्न को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता हैः

हैज/गैर हैज (मार्किट मेकिंग) संव्यवहार अलग से रिकार्ड की जाएगी। हैज़िग व्युत्पन्न एक्यूरल आधार पर लेखांकित होती है। ट्रेडिंग व्युत्पन्न स्थानों को बाजार को चिन्हित किया जाता

specified in 3.1 (a) to (c) above are accounted for at the acquisition cost/book value/market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

e) Profit or loss on sale of investment:

Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit & Loss account. However, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

f) Provisioning and income recognition – Non performing Investments (NPIs):

In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.

g) REPO/REVERSE REPO

The Bank has adopted the Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. The economic essence of repo transactions, viz., borrowing (lending) of funds by selling (purchasing) securities is reflected in the books of repo participants, by accounting the same as collateralized lending and borrowing transaction, with an agreement to repurchase, on the agreed terms. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo/Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.

Securities purchased/sold under LAF with RBI are debited/credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended/ earned thereon is accounted for as expenditure/ revenue.

h) Derivatives:

The Parent Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Parent Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/non hedge (market making) transactions

है और परिणामतः हानि, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो, को अनदेखा किया जाता है और ब्याज दर स्वैप को निपटान तिथि से संबद्ध किया जाता है। ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय/व्यय के रुप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि अथवा पदनामित आस्तियाँ/देयताओं की बकाया कम अवधि से संबद्ध किया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उस पर प्रावधान :

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा अग्रिम का मूल/ब्याज की वसूली के आधार पर "उत्पादक" अथवा "अनुत्पादक" आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को आगे उप-मानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मानक आस्तियों हेतु प्रावधान किया जाता है।

3.3 अनुत्पादक आस्तियों के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है :

प्रवर्ग	प्रावधान
अवमानक आस्ति	20% (प्रतिभूति के मूल्य के सापेक्ष)
31.03.09 तक संदिग्ध आस्तियां	100% (प्रतिभूति के मूल्य के सापेक्ष)
31.03.09 के बाद संदिग्ध आस्तियां	
क) सुरक्षित भाग	
1 वर्ष तक	50%
1 वर्ष से 3 वर्ष	60%
3 वर्ष से अधिक	100%
ब) असुरक्षित भाग	100%
हानि आस्तियां	100%

3.4 विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के संबंध में सांविधिक आवश्यकतानुसार संबंधित विदेशी देश अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार जो भी अधिक हो, प्रावधान रखे गए है।

3.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम जानने हेतु अनुत्पादक आस्तियॉं, अवसूलीकृत ब्याज, इसीजीसी दावा निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान कुल अग्रिमों में से घटाए जाते हैं।

3.6 पुनर्निर्धारित/पुनः संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित ब्याज पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम जानने हेतु यह प्रावधान घटाया जाता है।

3.7 यदि वित्तीय आस्तियॉं आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिक रण कंपनी (एससी) को बेच दी जाती है, यदि बिक्री के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से नीचे है, तो स्थिति में अंतर को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य के एनबीवी से अधिक होने

are recorded separately. Hedging derivative are accounted on an accrual basis. Trading derivative positions are marked to market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognised on the settlement date. Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

3. LOANS/ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

3.1 In terms of guidelines issued by the RBI, advances to borrowers are classified into “Performing” or “Non-Performing” assets based on recovery of principal/ interest. Non-Performing Assets (NPAs) are further classified as Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets.

3.2 Provision for standard assets is made as per RBI norms.

3.3 Provision in respect of NPAs is made as under:

Category	Provision made
Sub Standard Assets	20% (irrespective of the value of security)
Doubtful assets upto 31.03.2009	100% (irrespective of the value of security)
Doubtful assets after 31.03.2009	
a) Secured portion	
Upto 1 year	50%
One year to three years	60%
More than three years	100%
b) Unsecured portion	100%
Loss Assets	100%

3.4 In respect of advances at foreign offices/branches, provision is made as per the statutory requirements prevailing at the respective foreign countries, or as per RBI guidelines, whichever is higher.

3.5 Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

3.6 In respect of Rescheduled/Restructured accounts, provision is made for the sacrifice of interest/diminution in the value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

3.7 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), the shortfall is debited to the Profit and Loss account. If the

की स्थिति में अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स नहीं किया जाता है बल्कि एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री में होनेवाली कमी/हानि की पूर्ति हेतु उसका उपयोग किया जाता है।

4. स्थिर आस्तियां :

4.1 आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित होने के अतिरिक्त, स्थिर आस्तियों को परंपरागत लागत में बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया गया है।

4.2 परिसर में स्वयं की एवं पट्टाधारी भूमि दोनों की लागत शामिल है।

5. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास

5.1 मूल्यह्रास

क. आस्तियों पर (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को मिलाकर) बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य पर प्रभारित किया गया है, कम्प्यूटरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधे रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लगाया है।

ख. इसमें परिवर्धन को पूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है तथा इसमें आस्ति के उपयोग करने की तारीख को ध्यान में नहीं रखा गया है।

ग. आस्ति के बिक्री/निपटान के वर्ष में प्रावधान नहीं किया गया है।

घ. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व खाते में समायोजित किया गया है।

5.2 जहॉ भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं की जा सकती है, संपूर्ण लागत पर मूल्यह्रास का प्रावधान भवन को लागू दर पर किया गया है।

5.3 पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम पट्टे की अवधि में परिशोधित किया गया है।

5.4 भारत के बाहर स्थिर आस्तियों और सहायक कंपनियों/अनुषंगियों की स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान विनियामक की आवश्यकताओं/अथवा संबंधित देशों/उद्यम में प्रचलित पद्धति के अनुसार किया गया है।

5.5 मूल बैंक के घरेलू परिचालन के संबंध में आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया हैः

क्र.सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर
1.	परिसर	5%
2.	अन्य स्थिर आस्तियां	
क.	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	10%
ख.	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीने	15%
ग.	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	20%
घ.	कम्प्यूटर तथा कंप्यूटर साफ्टवेयर जो हॉर्डवेयर का अंगभूत भाग है।	33.33%

sale value is higher than the NBV, the surplus provision is not reversed but will be utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

4. FIXED ASSETS:

4.1 Fixed assets are stated at historical cost, except in the case of assets which have been revalued. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

4.2 Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

5. DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

5.1 Depreciation :

a) on assets (including revalued assets), is charged on the Written Down Value at the rates determined by the Bank; and on computers, where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by the RBI;

b) on additions is provided for the full year, irrespective of the date on which the assets were put to use;

c) is not provided in the year of sale/disposal of an asset;

d) on the revalued portion of assets, is adjusted against the Revaluation Reserve.

5.2 Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

5.3 Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.

5.4 Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of Subsidiaries/Associates is provided as per regulatory requirements/or prevailing practices of respective country/industry.

5.5 Depreciation on assets in respect of domestic operations of Parent bank are provided as under:

Sr. No.	Particulars	Rate of Depreciation
1.	Premises	5%
2.	Other Fixed Assets	
a)	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	10%
b)	Air-conditioning plants, etc. and business machines.	15%
c)	Motor cars, Vans & Motor cycles	20%
d)	Computers and Computer Software forming integral part of hardware.	33.33%

5.6 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग नहीं है उसको खरीद के वर्ष के दौरान पूर्णतः मूल्यह्रासित किया गया है।

6. राजस्व पहचान

6.1 बैंकिंग संस्थाएं

क. भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुत्पादक आस्तियों, जहाँ आय का निर्धारण वसूली पर होता है, को छोड़कर आय/व्यय का लेखांकन सामान्यतया प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

ख. अनुत्पादक खातों की वसूली को सर्वप्रथम अवसूलीकृत ब्याज/आय/मूल देयता में समायोजित किया गया है और तत्पश्चात अप्रभारित ब्याज में समायोजित किया गया है।

ग. लाभांश आय, सरकारी कारोबार पर कमीशन, अन्य पक्ष उत्पादों पर कमीशन का वास्तविक वसूली आधार पर लेखा किया जाता है।

घ. आयकर धन वापसी पर ब्याज का लेखा कर निर्धारण आदेश की प्राप्ति के वर्ष में किया जाता है।

6.2 गैर-बैंकिंग संस्थाः

बीमा :

क) प्रीमियम आय :

प्रीमियम (सेवा कर का निवल) जब देय हो तब आय के रूप में पहचानी जाती है। संबद्ध कारोबार के लिए सहायक इकाईयां निर्मित की जाती हैं तब प्रीमियम की पहचान की जाती है। पूर्ण प्रीमियमों को एकल प्रीमियम के रूप में जाना जाता है।

व्यपगत पालिसियों को प्रीमियम आय के रूप में पहचाना जाता है जब इस प्रकार की पालिसियाँ पुनः प्रारंभ हो जाती है।

पुनर्बीमा सत्तान्तरित पर प्राप्त कमीशन की आय को उस अवधि की आय माना जाता है जिसमें पुनर्बीमा प्रीमियम सत्तान्तरित हुई है।

ख) संबद्ध निधियों से आय :

संबद्ध निधियों से आय वह हैं जिनमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासकीय प्रभार, मृत्यु दर प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार आदि सम्मिलित हैं जिसे जारी पालिसियों की निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार संबद्ध निधियों से उपचित आधार पर वसूल किया जाता है।

ग) पुनर्बीमा प्रीमियम :

पुनः बीमाकर्ता के साथ सिद्धांतः समझौता अथवा संधिपत्र के अनुसार प्रीमियम आय की पहचान के समय सत्तान्तरित पुनर्बीमा का लेखाकरण होता है। पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन को पुनर्बीमा के प्रीमियम के साथ समायोजन किया जाता है।

घ) प्रदत्त लाभ (दावों सहित):

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ तथा दावा समझौता लागत, यदि कोई हो, जुड़ा है।

5.6 Computer Software, not forming integral part of hardware, is depreciated fully during the year of purchase.

6. REVENUE RECOGNITION:

6.1 Banking entities:

a) Income/Expenditure is generally accounted for on accrual basis, except in the case of income on NPAs which is recognised on realisation, in terms of the RBI guidelines issued from time to time.

b) The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income, principal dues and thereafter towards uncharged interest.

c) Dividend Income, Commission on Government Business, Commission on Third Party Products are accounted on actual realisation basis.

d) Interest on Income-tax refunds is accounted for in the year of receipt of the assessment order.

6.2 Non Banking entities:

Insurance:

a) Premium Income:

Premium (net of service tax) is recognised as income when due. For linked business, premium is recognised when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Commission received on reinsurance ceded is recognised as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

b) Income from linked funds:

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds on accrual basis and in accordance with the terms and conditions of policies issued.

c) Reinsurance Premium:

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

d) Benefits paid (including claims):

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

मृत्यु, सवार तथा अभ्यर्पण दावे सूचना की प्राप्ति पर लेखाकृत किए जाते हैं।

उत्तरजीविता तथा परिपक्वता लाभ दावे सूचना की प्राप्ति पर लेखाकृत किए जाते हैं।

जब सहयोगी इकाईयां निरस्त हो जाती हैं तब संबंधित योजनाओं में पॉलिसी संबद्ध आहरण तथा सुपुर्दगी का लेखाकरण किया जाता है। संबंधित दावों के उसी अवधि में दावों पर पुनर्बीमा वसूली का लेखाकरण किया जाता है।

ङ) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो अलग-अलग होती है और बीमा करार के अभिग्रहण से प्रमुखता संबंधित होती है तथा जिस अवधि में होती है, खर्च की जाती है।

प्रथम वर्ष प्रदत्त कमीशन हेतु भविष्य में यदि कोई कर लगाकर वसूली होता है, तो जिस वर्ष में वह वसूल किया जाता है उसी वर्ष में लेखाकरण किया जाएगा।

च) जीवन बीमा हेतु देयताएंः

प्रभावी जीवन बीमा हेतु बीमांकिक देयताएं तथा वह पॉलिसी जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है किंतु देयताएं हैं, भारतीय सनदी बीमांकिकी संस्थान के नियमों तथा आईआरडीए विनियम बीमा अधिनियम,1938 की आवश्यकताओं, स्वीकृत बीमांकिकी व्यवहार्य के अनुसरण में अप्राप्त बीमा आरक्षित प्रणाली समूह कारोबार के मामले में सकल प्रीमियम प्रणाली का उपयोग करते हुए नियुक्त बीमांकिकी द्वारा देयताएं निर्धारित की जाएंगी।

संबद्ध देयताओं में पॉलिसी का निधि मूल्य इकाई देयता और बीमा दावा इत्यादि के लिए गैर इकाई देयता शामिल हैं।यह नियुक्त बीमांकिकी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

7. कर्मचारी लाभ :

7.1 भविष्य निधि योगदान को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

7.2 स्टाफ उपदान, पेंशन तथा संचित छुट्टी नकदीकरण लाभ तथा अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया गया है और लाभ एवं हानि खाते में उसका लेखा किया जाता है।

7.3 31.03.2007 तक स्थानांतरीय देयताओं का प्रभाव, जैसा कि संशोधित एएस 15 द्वारा अपेक्षित है, को मूल बैंक द्वारा 5 वर्षों की अवधि हेतु स्ट्रेटलाइन आधार पर व्ययों के रूप में स्वीकार किया गया है।

7.4 जिन विद्यमान कर्मचारियों ने पहले पेंशन का विकल्प नहीं दिया था उन्हें पेंशन का विकल्प खुला करने और ग्रेच्यूटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार ग्रेच्यूटी में वृद्धि के कारण मूल बैंक की अतिरिक्त देयता को 31.03.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होने वाले 5 वर्षों में संक्रामित किया है।

Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due.

Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

e) Acquisition Costs

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

Claw back in future, if any, for the first year commission paid, will be accounted for in the year in which it is recovered.

f) Liability for life policies:

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims etc. This is based on an actuarial valuation carried out by the Appointed Actuary.

7. EMPLOYEE BENEFITS:

7.1 Contribution to the Provident Fund is charged to Profit and Loss Account.

7.2 Contribution to recognised Gratuity Fund, Pension Fund and the provision for encashment of accumulated leave and additional retirement benefits are made on actuarial basis and charged to Profit and Loss Account.

7.3 The effect of transitional liability till 31.03.2007 as required by Revised AS 15 has been recognised as an expense on straight line basis over a period of five years by the Parent bank.

7.4 The additional liability of Parent bank on account of reopening of pension option for existing employees who had not opted for pension earlier and the enhancement of gratuity limits as per Payment of Gratuity Act, 1972 has been amortised over a period of five years beginning with the financial year ending 31.03.2011.

8. पट्टाकृत आस्तियाँ :

पट्टों की आय की पहचान पट्टे की प्राथमिक अवधि पर आंतरिक प्रतिफल दर पद्धति के अनुसार की जाती है और उसका लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक एएस 19 "पट्टों का लेखांकन" के अनुसार किया गया है।

9. प्रति शेयर अर्जन :

बैंक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 20 "अर्जन प्रति शेयर" के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या द्वारा निवल से भाग कर गणना की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर गणना की गयी है।

10. आय पर करः

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुरूप आयकर में वर्ष के दौरान वर्तमान कर प्रावधान और आस्तियों या देयताओं पर आस्थगित कर में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। आय व व्यय की मदें जो एक समय आती हैं और जो परवर्ती एक या अधिक वर्षों में रिवर्सल की जा सकती है के संबंध में आस्थगित कर के लिए विवेकपूर्ण विचार करने के अध्यधीन मान्यता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयता का मापन कर दरों तथा कर विधियों से किया जाता है जो तुलन पत्र की तिथि पर या बाद में लागू किए जाते हैं।

11. आस्तियों की हानिः

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को शामिल करते हुए) पर हानियों (यदि कोई हो) को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 28 "आस्तियों की हानि" के अनुसार मान्य किया गया है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां" के अनुसार मूल संगठन प्रावधानों को भी मान्यता देता है। जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो, यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमनों के दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि, इसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण की बात आ सकती है जबकि वह कभी भी वसूल नहीं हो पाती।

8. LEASED ASSETS:

Lease Income is recognised based on the Internal Rate of Return method over the primary period of the lease and is accounted for in accordance with the Accounting Standard 19 on “Accounting for Leases”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

9. EARNINGS PER SHARE:

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard 20 “Earnings Per Share” issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share are computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

10. TAXES ON INCOME:

Income Tax comprises the current tax provision and net change in deferred tax assets or liabilities during the year, in accordance with the Accounting Standard (AS) 22, “Accounting for Taxes on Income” issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Deferred Tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent years. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

11. IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 “Impairment of Assets” issued by Institute of Chartered Accountants of India.

12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per the Accounting Standard 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Parent bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

अनुसूची -18

समेकित वित्तीय विवरण से संबंधित टिप्पणियां

1. ऐसी सहायक कंपनियों के ब्योरे जिनकी वित्तीय विवरणियां बैंक की एकल वित्तीय विवरणी से समेकित की गयी है (मूल से) निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	सहायक कंपनियों का नाम	शामिल देश	31.03.2011 को मूल के पास स्वामित्व का हिस्सा
देशी सहायक कंपनियां:			
क)	बीओआई शेयर होल्डिंग लि. (गैर बैंकिंग)	भारत	51%
विदेशी सहायक कंपनियां:			
क)	पीटी बैंक स्वदेशी(बैंकिंग)	इंडोनेशिया	76%
ख)	बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (बैंकिंग)	तंजानिया	100%
ग)	बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (बैंकिंग)	न्यूजीलैंड	100%

2. सीएफएस में शामिल माने गए सहायक कंपनियों के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

(i) सहायक कंपनी :

क्र. सं.	सहयोगियों के नाम	शामिल देश	स्वामित्व का हिस्सा
क)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -		
	i) झारखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35%
	ii) नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35%
	iii) वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारत	35%
	iv) वैतरणी ग्राम्य बैंक	भारत	35%
	v) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	भारत	35%
ख)	डंडो जांबिया बैंक लि.	जांबिया	20%
ग)	भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि. (एसटीसीआई)	भारत	29.96%
घ)	एएसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत	26.02%

(ii) संयुक्त उद्यम:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम के नाम	शामिल देश	स्वामित्व का हिस्सा
क)	स्टार यूनियन दाई ईची जीवन बीमा कं.लि. (*)	भारत	48%

(*) वर्ष के दौरान मूल बैंक ने स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन कंपनी लिमिटेड से अपना शेयर 51% से 48% तक घटा दिया। तदनुसार दिनांक 3 जुलाई, 2010 से कंपनी को संयुक्त उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है।

3% शेयर ₹ 7.50 करोड़ विक्री मूल्य पर बेच दिए गए, परिणाम स्वरूप ₹ 3.78 करोड़ की हानि हुई।

3. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमो, एवं सहयोगियों की वित्तीय विवरणियों, जिनका समकेन में उपयोग किया गया है, मूल समेकन के समान ही उसी रिपोर्टिंग तारीख अर्थात् 31 मार्च, 2011 से लिए गए हैं।

SCHEDULE 18

NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the bank (the Parent) are as under:

Sr. No.	Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent as on 31.03.2011
Domestic Subsidiaries:			
a)	BOI Shareholding Ltd. (Non-Banking)	India	51%
Overseas Subsidiaries:			
a)	PT Bank Swadesi (Banking)	Indonesia	76%
b)	Bank of India (Tanzania) Ltd. (Banking)	Tanzania	100%
c)	Bank of India (New Zealand) Ltd. (Banking)	New Zealand	100%

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

(i) Associates:

Sr. No.	Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
a)	Regional Rural Banks –		
	i) Jharkhand Gramin Bank	India	35%
	ii) Narmada Malwa Gramin Bank	India	35%
	iii) Wainganga Krishna Gramin Bank	India	35%
	iv) Baitarani Gramya Bank	India	35%
	v) Aryavart Gramin Bank	India	35%
b)	Indo Zambia Bank Limited	Zambia	20%
c)	Securities Trading Corporation of India Ltd. (STCI)	India	29.96%
d)	ASREC (India) Ltd.	India	26.02%

(ii) Joint Venture:

Sr. No.	Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
a)	Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited (*)	India	48%

(*) During the year, the Parent Bank has reduced its stake in Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited from 51% to 48%. Accordingly the entity has been recognised as Joint Venture w.e.f. 3rd July 2010.

The 3% stake has been disposed at a sale price of ₹ 7.50 Crores resulting into a loss of ₹ 3.78 Crores.

3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2011.

4. देशी सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों के मामले में मूल बैंक तथा सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों के द्वारा विभिन्न लेखांकन नीतियां अपनाने के कारण लेखा समायोजन उत्पन्न होते हैं उसे सहयोगियों/ संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

5. समेकित वित्तीय विवरणी को निम्न आधार पर तैयार किया गया है

   i) पीटी स्वदेशी बैंक के यथा 31.03.2011 के वित्तीय विवरण को उनके बोर्ड ऑफ कमिशनर द्वारा प्रमाणित किया गया हैं और एक स्वतंत्र समीक्षाकर्ता द्वारा समीक्षा की गई है। पीटी बैंक स्वदेशी के वित्तीय विवरण यथा 31.12.2010 की शामिल देश की उनकी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार लेखा परीक्षा की गयी है।

   ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के वित्तीय विवरण यथा 31.03.2011 को उनके निदेशक बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है और एक स्वतंत्र समीक्षाकर्ता द्वारा समीक्षा की गई है। बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. के वित्तीय विवरण को शामिल देश की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार यथा 31.12.2010 की लेखा परीक्षा की गई है।

   iii) नये गठित बैंक, जिसे बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. के नाम से 31.03.2011 को पंजीकृत किया गया है, उसके वित्तीय विवरण यथा 31.03.2011 को उनके निदेशक बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है और एक स्वतंत्र समीक्षाकर्ता द्वारा समीक्षा की गई है।

   IV) बीओआई शेयर होल्डिंग लि. स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कं.लि., इंडो जांबिया बैंक, भारतीय प्रतिभूति निगम एवं पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लेखा परीक्षित विवरण 31.03.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के विवरण हैं।

   V) 31.03.2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के बिना लेखा परीक्षित एएसआरईसी (इंडिया) के वित्तीय विवरण उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए हैं।

6. वर्ष के दौरान ₹ 10 प्रत्येक अंकित मूल्य के शून्य (पिछले वर्ष 200) ईक्विटी शेयरों के संबंध में मूल बैंक ने दंड को निरस्त कर दिया है।

7. अनुपूरक खाता लेखे का तुलन और लेखा समाधान विदेशी शाखा और नोस्ट्रो खातों पुष्टि/लेखा समाधान और उचंत, देय-ड्राफ्ट समाशोधन भिन्नता आदि में प्रविष्टियों का समायोजन चालू प्रक्रिया के रुप में प्रगति पर है। शेष प्रविष्टियों के मिलान/समाधान हेतु प्रभावी रुप से अनुवर्ती कार्य किया जा रहा है। प्रबंधन की राय में उपरोक्त अंतिम निपटान/ समायोजन का लेखों पर समग्र प्रभाव नगण्य रहेगा।

   आंतर कार्यालय समायोजन में सम्मिलित विभिन्न खातों के शीर्षों में नामे जमा बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान को समाधान के उद्देश्य

4. In case of Domestic associates/joint ventures/ subsidiaries, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by Parent Bank and associates/joint ventures/subsidiaries have been carried out on the basis of data provided by associates/ joint ventures/subsidiaries.

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :

   (i) Financial statements of PT Bank Swadesi as on 31.03.2011 certified by their Board of Commissioners and reviewed by an independent reviewer. The Financial Statements as at 31.12.2010 of PT Bank Swadesi has been audited as per the local requirements of the country of incorporation.

   (ii) Financial statements of Bank of India (Tanzania) as on 31.03.2011 certified by their Board of Directors and reviewed by an independent reviewer. The Financial Statements as at 31.12.2010 of Bank of India (Tanzania) Ltd. has been audited as per the local requirements of the country of incorporation.

   (iii) Financial statements of newly formed bank, registered on 31.03.2011 namely, Bank of India (New Zealand) Ltd. as on 31.03.2011 certified by their Board of Directors and reviewed by an independent reviewer.

   (iv) Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., Indo Zambia Bank Ltd., Securities Trading Corporation of India Ltd., and the five Regional Rural Banks for the financial year ended 31.03.2011.

   (v) Unaudited financial statements of ASREC (India) Ltd., for the financial year ended 31.03.2011 certified by their management.

6. During the year, the Parent Bank annulled the forfeiture in respect of Nil (previous year 200) equity shares of face value of ₹ 10 each. Consequently, an amount of ₹ Nil (previous year ₹ 2,000) has been transferred from Forfeited shares account to Paid-up capital.

7. In respect of Parent Bank, balancing of Subsidiary Ledger Accounts and confirmation/reconciliation of balances with foreign branches and NOSTRO Accounts, and adjustment of entries in Suspense, Drafts Payable, Clearing Difference, etc. is in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

   Initial matching of debit & credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 15.03.2011

से 15.03.2011 तक पूरा कर लिया गया है। यह कार्य प्रगति पर है। उपर्युक्त के अंतिम निपटान/समायोजन का लेखों पर यदि कोई प्रभाव होता है तो प्रबंधन की राय में वह नगण्य होगा।

8. समेकित वित्तीय विवरण से संबंधित निम्नलिखित जानकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार जारी किया गया :

क) पूंजी

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.03.2011	31.03.2010
i)	सीआरएआर (%)		
	बासेल I	11.51%	12.72%
	बासेल II	12.24%	13.00%
ii)	सीआरएआर-टियर I पूंजी (%)		
	बासेल I	7.90%	8.39%
	बासेल II	8.42%	8.57%
iii)	सीआरएआर-टियर II पूंजी (%)		
	बासेल I	3.61%	4.33%
	बासेल II	3.82%	4.43%
iv)	मूल बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	65.86%	64.47%
v)	नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखत मूल बैंक के द्वारा वर्ष के दौरान टियर I पूंजी के रूप में जुटाई गई राशि (₹ करोड़ में)	300.00	325.00
vi)	मूल बैंक के द्वारा वर्ष के दौरान अपर टियर II लिखतों से जुटाई गई राशि (₹ करोड़ में)	1,000.00	2,000.00

ख) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए गए रूप में प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

मदें	2010-11	2009-10
अनुत्पादक आस्तियों हेतु प्रावधान	1,058.08	1,755.36
निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास	136.91	243.47
कराधान हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	1,015.97	763.55
मानक आस्तियों पर प्रावधान	149.55	31.27
अन्य प्रावधान (अस्थायी प्रावधान सहित))	548.75	182.77
कुल	2,909.26	2,976.42

for the purpose of reconciliation, which, is in progress. Pending final clearance/adjustment of the above, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

8. The following information in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

a) Capital:

(₹ in crores)

	Items	31.03.2011	31.03.2010
i)	CRAR (%)		
	Basel-I	11.51%	12.72%
	Basel-II	12.24%	13.00%
ii)	CRAR - Tier I Capital (%)		
	Basel-I	7.90%	8.39%
	Basel-II	8.42%	8.57%
iii)	CRAR – Tier II Capital (%)		
	Basel-I	3.61%	4.33%
	Basel-II	3.82%	4.43%
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India in the Parent Bank.	65.86%	64.47%
v)	Amount of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) raised as Tier I capital during the year by the Parent Bank (₹ In crores)	300.00	325.00
vi)	Amount of Upper Tier-II instruments raised during the year by the Parent Bank (₹ in crores)	1,000.00	2,000.00

b) Provisions & Contingencies:

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Consolidated financial statements is as under:

(₹ in crores)

Items	2010-11	2009-10
Provision for NPA	1,058.08	1,755.36
Depreciation in Value of Investments	136.91	243.47
Provision for Taxation (including deferred tax)	1,015.97	763.55
Provision on Standard Assets	149.55	31.27
Other Provisions (including floating provisions)	548.75	182.77
Total	**2,909.26**	**2,976.42**

ग) **अस्थायी प्रावधानों का विवरण**
(मूल बैंक)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
प्रारंभिक शेष	385.92	385.92
वर्ष के दौरान परिवर्धन	158.00	0.00
वर्ष के दौरान कमी (कम होने का कारण दिया जाए, यदि कोई हो)	0.00	0.00
अंतिम शेष	543.92	385.92

घ) **आय कर**

(i) मूल बैंक के संबंध में आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रुप में दावों की अभिस्वीकृति नहीं ली गई है। जिसके अंतर्गत ₹ 236.33 करोड़ का विवादित आय कर/ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं। इनको अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत भुगतान/समायोजित तथा सम्मिलितकर लिया गया है। इन विवादों के मामलों में पूर्व में निर्धारित विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर आवश्यक कर प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार के विवादित मामलों में प्रबंधन द्वारा किसी देयताओं पर ध्यान नहीं दिया गया।

ii) कुछ विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार किये जाने के बाद वर्ष के लिए आय कर का प्रावधान किया गया है।

ई) **सहायक संस्थाओं** (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित) **के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र**

वर्ष के दौरान रॉयल बैंक ऑफ न्यूज़ीलैंड के पूर्णतया स्वामित्व की सहायक इकाई, बैंक ऑफ़ इंडिया, (न्यूज़ीलैंड) लि. के पक्ष में अभिभवकीय गारंटी जारी किया हे। वित्तीय प्रभाव शून्य है क्योंकि सहायक संस्था ने अब तक परिचालन आरम्भ नहीं किया है।

c) **Details of Floating Provisions (Countercyclical provisioning buffer)** (Parent Bank)

(₹ in crores)

Particulars	2010-11	2009-10
Opening Balance	385.92	385.92
Additions during the year	158.00	0.00
Reductions during the year (purpose of draw down to be given, if any)	0.00	0.00
Closing Balance	543.92	385.92

d) **Income-Tax**

(i) In respect of Parent Bank, the Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 530.59 crores for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions for past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

(ii) Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the various judicial decisions on certain disputed issues.

e) **Letter of comfort issued by the Parent Bank in respect of subsidiaries** (As compiled by Management)

During the year, the Parent Bank has issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, Bank of India (New Zealand) Ltd. The financial impact is Nil, as subsidiary has not yet commenced operation.

9. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप निम्नलिखित सूचना प्रकट की गई हैः
The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India:

(क) लेखांकन मानक 15 (संशोधित) "कर्मचारी लाभ" (मूल बैंक)

(A) Accounting Standard (AS) 15 (Revised) "Employee Benefits" (Parent Bank)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

			2010-2011		2009-2010	
			उपदान Gratuity	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	पेंशन Pension
(i)	प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक धारणा :	**Principal actuarial assumptions used :**				
	वर्तमान छूट दर	Discount Rate Current	8.50%	8.50%	8.00%	8.00%
	वर्तमान आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर	Rate of Return on Plan Assets Current	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Current	4.00%	4.00%	5.00%	5.00%
	वर्तमान ह्रास दर	Attrition Rate Current	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

			2010-2011		2009-2010	
			उपदान Gratuity	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	पेंशन Pension
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका :**	**Table showing change in benefit obligation :**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the period	904.65	2,177.49	858.29	2,045.48
	ब्याज लागत	Interest Cost	70.72	166.72	69.74	160.60
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	54.51	79.24	37.44	37.57
	सेवा उपरांत लागत (निहित लाभ)	Past Service cost (Amortised)	428.96	2,212.15	–	–
	अन्य ट्रस्ट से अन्तरित देयताएं	Past Service Cost (Vested Benefit)	–	707.75	–	–
	देयता अंतरण आगम	Liability transferred in from other trust	–	1,539.00	–	–
	देयता अंतरण-निर्गम	Liability transferred out	–	–	–	–
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	(150.38)	(345.42)	(48.06)	(151.21)
	दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	141.21	355.13	(12.76)	85.05
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	1,449.67	6,892.06	904.65	2,177.49
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका :**	**Table of Fair value of Plan Assets :**				
	अवधि के प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	875.28	1,764.02	793.89	1,624.14
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	67.80	145.28	66.52	138.18
	अंशदान	Contributions	47.37	224.70	61.70	178.73
	अन्य कम्पनी से अन्तरण	Transfer from other trust	–	1,539.00	–	–
	अन्य कम्पनी को अन्तरण	Transfer to other company	–	–	–	–
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	(150.38)	(345.42)	(48.06)	(151.21)
	दायित्वों पर बीमांकित लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(2.22)	244.03	1.23	(25.82)
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट् का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	837.85	3,571.61	875.28	1,764.02
	मानने योग्य कुल बीमांकित लाभ/(हानि)	Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised	(143.43)	(111.10)	13.98	(110.88)
(iv)	**संक्रमणकालीन देयता की मान्यता :**	**Recognition of Transitional Liability :**				
	प्रारंभ में संक्रमणकालीन देयता	Transitional Liability at start	2.00	188.77	3.00	283.15
	वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता	Transition Liability recognised during the year	1.00	94.38	1.00	94.38
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	Transition Liability at end	1.00	94.39	2.00	188.77
(v)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :**	**Actual return on Plan Assets :**				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	67.80	145.28	66.52	138.18
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(2.22)	244.03	1.23	(25.82)
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	Actual return on Plan Assets	65.58	389.31	67.75	112.36
(vi)	**तुलन पत्र में मान्य राशि :**	**Amount recognised in the Balance Sheet :**				
	अवधि अंत में देयता	Liability at the end of the period	1,449.67	6,892.06	904.65	2,177.49
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	837.85	3,571.61	875.28	1,764.02
	अंतर	Difference	(611.82)	(3,320.45)	(29.37)	(413.47)
	अमान्य विगत सेवा लागत	Unrecognised Past Service Cost (Amortised)	343.17	1,769.72	–	–
	अमान्य संक्रमणकालीन देयता	Unrecognised Transition Liability	1.00	94.39	2.00	188.77
	तुलन पत्र में मान्य राशि	Amount Recognised in the Balance Sheet	(267.65)	(1,456.34)	(27.37)	(224.70)
(vii)	**आय विवरण में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income Statement :**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	54.51	79.24	37.44	37.57

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

			2010-2011		2009-2010	
			उपदान Gratuity	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	पेंशन Pension
	ब्याज लागत	Interest Cost	70.72	166.72	69.74	160.60
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(67.80)	(145.28)	(66.52)	(138.18)
	मान्य सेवा विगत लागत (अनिहित लाभ)	Past Service Cost (Amortised) recognised	85.79	442.43	–	–
	मान्य सेवा विगत लागत (निहित लाभ)	Past Service Cost (Vested Benefit) recognised	–	707.75	–	–
	संक्रमणकालीन देयता की मान्यता	Recognition of Transition Liability	1.00	94.38	1.00	94.38
	बीमांकित लाभ या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	143.43	111.10	(13.98)	110.87
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	**Expense Recognised in P & L**	287.65	1,456.34	27.67	265.24
(viii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation :**				
	प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	27.37	224.70	61.40	138.22
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	287.65	1,456.34	27.67	265.24
	अन्य कंपनी निवल से अंतरण	Transfer from other Company Net	–	–	–	–
	अन्य कंपनी निवल से अंतरण	Transfer to other Company Net	–	–	–	–
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(47.37)	(224.70)	(61.70)	(178.76)
	तुलन पत्र में मान्य राशि	Amount Recognised in Balance Sheet	267.65	1,456.34	27.37	224.70
(ix)	**अन्य विवरण :**	**Other Details :**				
	अधिकतम 50% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए देय पेंशन	Pension is payable at the rate of 1/66 salary for each year of service subject to maximum of 50%				
	रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक दी गई कंपनी की योजना के अनुसार अथवा अधिकतम ₹ 10000/- के अध्यधीन प्रत्येक वर्ष की सेवा हेतु 15 दिनों के वेतन दर पर देय ग्रेच्युटी घटना वर्ष में लेखाकृत बीमार्किक लाभ/हानि	Gratuity is payable at the rate of 15 day's salary for each year of service subject to a maximum of ₹ 10,00,000/or as per company scheme as detailed in report. Actuarial gain/loss is accounted for in the year of occurrence				
	सदस्यों की संख्या	No. of members	39,948	36,950	39,389	15,085
	वेतन प्रतिमाह	Salary P.M.	127.70	121.92	103.55	33.72
	अगली अवधि के लिए अंशदान	Contribution for next period	127.65	395.02	–	76.88
(x)	**आस्तियों के प्रवर्ग :**	**Category of Assets :**				
	भारत सरकार की आस्तियां	Government of India Assets	193.05	703.20	190.75	358.23
	कार्पोरेट बांड्स	Corporate Bonds	232.93	968.94	–	–
	विशेष जमा योजना	Special Deposits Scheme	–	–	–	–
	राज्य सरकार	State Government	227.43	901.40	130.33	334.91
	सम्पत्ति	Property	–	–	–	–
	अन्य	Other	16.80	69.10	554.20	1,070.88
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	Insurer managed funds	167.64	928.97	–	–
	कुल	**Total**	837.85	3,571.61	875.28	1,764.02
(xi)	**अनुभव समायोजन :**	**Experience Adjustment :**				
	प्लान एसेट पर (लाभ)/हानि	**On Plan Liability (Gain)/Loss**	217.38	1,417.88	(12.76)	85.05
	प्लान एसेट पर(हानि)/लाभ	**On Plan Asset (Loss)/Gain**	(2.22)	244.03	1.23	(25.82)

i) 31.03.2007 तक परिवर्तन देयता का प्रभाव 17.10.2007 को मानक के सीमित संशोधन के अनुसार में पाँच साल की अवधि में सीधी रेखा आधार पर एक व्यय के रूप में मान्य किया गया। तद्नुसार ₹ 125.27 करोड की राशि 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए कुल परिवर्तन देयता का 1/5 होने के कारण लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की गई है। ₹ 250.54 करोड़ की राशि आने वाले वर्षों में लाभ व हानि खातें में प्रभारित करने हेतु आगे ले जाई गई।

ii) पुरानी प्रथा के अनुसार बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 56.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 68.64 करोड़) का अंशदान तक ऐसी निधि के लिए किया जो एक निर्धारित अंशदान योजना है।

iii वर्ष के दौरान, बैंक ने पेंशन विकल्प को पुनः खोला। यह विकल्प ऐसे कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना का विकल्प नहीं लिया था। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरुप 22,388 कर्मचारियों ने इसे अपनाया और ₹ 2,212.15 करोड़ की देयता खर्च हुई। आगे, वर्ष के दौरान, ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान में संशोधन के अनुपालन में बैंक के कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ी है। इसके परिणामस्वरुप बैंक की ग्रेच्युटी देयता बढ़कर ₹ 428.96 करोड़ हो गई है।

लेखांकन मानक (एएस) 15, कर्मचारी लाभ की आवश्यकताओं की शर्तों के अनुसार ₹ 2641.11 करोड़ (अर्थात ₹ 2215.15 करोड़ + ₹ 498.96 करोड़) की संपूर्ण राशि लाभ एवं हानि खातों को प्रभारित की जानी है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प खोलने एवं ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी - प्रूडेंशियल रेग्युलेटरी ट्रीटमेंट, दिनांक 9 फरवरी, 2011 परिपत्र संख्या (डीबीओडी. बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11) जारी किया है। उक्त कथित परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, बैंक पांच वर्षों के अवधि में ₹ 2641.11 की राशि का ऋण चुकाएगी। तदनुसार ₹ 528.22 करोड़ (₹ 2,641.11 करोड़ के पांचवे हिस्से को प्रदर्शित करती है) की राशि लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की जाएगी। आरबीआई के उपर्युक्त परिपत्र की आवश्यकताओं की शर्तों के अनुसार, आगे ले जाई गई बकाया राशि अर्थात ₹ 2112.89 करोड़ (₹ 2641.11 करोड़ - ₹ 528.22 करोड़) में सेवानिवृत्त/छोड़कर गए कर्मचारियों से संबंधी कोई राशि सम्मिलित नहीं की गई है।

यदि ऐसा कोई परिपत्र आरबीआई द्वारा निकाला जाता तो बैंक का लाभ एएस15 के आवश्यकताओं के अनुपालन में ₹ 2112.89 करोड़ के नीचे रहता।

i) The effect of transitional liability till 31.03.2007 as required by the accounting standard has been recognised as an expense on straight line basis over a period of five years pursuant to limited revision of Standard on 17.10.2007. Accordingly, an amount of ₹ 125.27 crores has been charged to the Profit and Loss account for the year ended 31.03.2011 being 1/5th of the total transitional liability. An amount of ₹ 125.27 crores is being carried forward to be charged to Profit & Loss account of next year.

ii) As per the past practice, the bank has recognised contribution to employee provident fund as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 56.83 crores (previous year ₹ 68.64 crores) towards such fund which is a defined contribution plan.

iii) During the year, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of which by 22,338 employees, the bank has incurred a liability of ₹ 2,212.15 Crores. Further, during the year, the limit of gratuity payable to the employees of the banks was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result the gratuity liability of the Bank has increased by ₹ 428.96 Crores.

In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, the entire amount of ₹ 2,641.11Crores (i.e. ₹ 2,215.15 Crores + ₹ 428.96 Crores) is required to be charged to the Profit and Loss Account. However, the Reserve Bank of India has issued a circular no. DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11) on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011. In accordance with the provisions of the said Circular, the Bank would amortise the amount of ₹ 2,641.11 Crores over a period of five years. Accordingly, ₹ 528.22 Crores (representing one-fifth of ₹ 2,641.11 Crores) has been charged to the Profit and Loss Account. In terms of the requirements of the aforesaid RBI circular, the balance amount carried forward, i.e., ₹ 2,112.89 Crores (₹ 2,641.11 Crores – ₹ 528.22 Crores) does not include any amount relating to the employees separated/retired.

Had such a circular not been issued by the RBI, the profit of the bank would have been lower by ₹ 2,112.89 Crores pursuant to application of the requirements of AS 15.

(क) लेखांकन मानक 17 "खण्ड रिपोर्ट करना" :

(B) Accounting Standard (AS) 17 "Segment Reporting"

भाग क : कारोबार खण्ड

Part A : Business Segment

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		होलसेल बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		कुल Total	
		2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
सकल खंड राजस्व	Gross Segment Revenue	6,791.36	5,694.69	10,285.30	8,838.66	7,131.48	5,918.18	24,208.14	20,451.53
अनाबंटित राजस्व	Unallocated revenue							332.36	95.44
घटाएं: अंतर खंड राजस्व	Less: Inter Segment Revenue							40.25	(49.94)
निवल खंड राजस्व	Net Segment Revenue							24,500.25	20,596.91
खंड परिणाम	Segment Results	88.81	233.86	3,089.16	2,155.23	537.57	862.16	3,715.54	3,251.25
अनाबंटित आय व्ययों को घटाकर	Unallocated income net of Expenses							(157.15)	(700.54)
परिचालन लाभ	Operating profit							3,558.39	2,550.71
आयकर	Income Tax							1,015.97	763.55
निवल लाभ	Net Profit							2,542.42	1,787.16
अन्य सूचना :	**OTHER INFORMATION :**								
खंड आस्तियां	Segment Assets	115,827.34	95,132.76	160,056.78	120,965.63	69,215.95	55,105.91	345,100.07	271,204.30
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets							7,931.78	5,629.58
कुल आस्तियां	Total Assets							353,031.85	276,833.88
खण्ड देयताएं	Segment Liabilities	110,071.35	90,729.41	152,015.19	114,922.59	65,930.77	52,602.90	328,017.31	258,254.90
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities							7,378.46	4,133.95
कुल देयताएं	Total Liabilities							335,395.77	262,388.85
नियोजित पूंजी	Capital Employed	5,755.99	4,403.35	8,041.59	6,043.04	3,285.18	2,503.01	17,082.76	12,949.40
अनाबंटित पूंजी	Unallocated Capital							553.32	1,495.63
कुल नियोजित पूंजी	Total Capital Employed							17,636.08	14,445.03

टिप्पणी : अनाबंटित खंड के अन्तर्गत गैर-बैंकिंग सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के संबंध में सूचना शामिल की गई है।

NOTE : Information in respect of Non Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B : Geographical Segment

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

भौगोलिक खंड	Geographical Segments	स्वदेशी Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण	**Particulars**	**2010-11**	**2009-10**	**2010-11**	**2009-10**	**2010-11**	**2009-10**
राजस्व	Revenue	22,327.16	18,678.82	2,173.09	1,918.09	24,500.25	20,596.91
आस्तियां	Assets	290,611.88	228,874.60	62,419.97	47,959.28	353,031.85	276,833.88

लेखा मानक 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों सहित बैंक ने व्यावसायिक खंडों का प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड तथा भौगोलिक खंडों को गौण खंडों के रूप में पहचाना है।

i) प्राथमिक खंड : व्यावसायिक खंड

क) कोषागार परिचालनः खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं। जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियॉं, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) थोक बैंकिंगः थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) खुदरा बैंकिंगः खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) **ऋण निवेशः** अधिकतम कुल निवेश ₹ 5 करोड़ तक।

ii) कुल वार्षिक कारोबार ₹ 50 करोड़ से कम है यथा वर्तमान कंपनियों के मामले में पिछले तीन वर्षों का औसत तथा नई कंपनियों के मामले में अनुमानित कुल कारोबार।

घ) अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्त्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

ङ) लागत का विनियोजन

– विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

– विशेष खण्ड को सीधे न प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

ii) गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

ख) लेखांकन मानक 18 संव्यवहारों से संबंधित पक्षकार :

I) संबंधित पक्षकारों की सूचीः

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकः

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	श्री आलोक मिश्रा
कार्यपालक निदेशक	:	श्री बी. ए. प्रभाकर
		श्री एम. नरेन्द्र (31.10.2010 तक)
		श्री एन शेषाद्री (01.11.2010 से प्रभावी)

The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard (AS) 17.

i) Primary Segment: Business Segments

a) Treasury Operations: 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) Wholesale Banking: Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) Retail Banking: Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5 Crore

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 crore i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

d) Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

e) Allocation of Costs

– Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment

– Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

ii) Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

(C) Accounting Standard 18 - Related Party Transactions:

I) List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personnel :

Chairman & Managing Director	:	Shri Alok K Misra
Executive Directors	:	Shri B.A. Prabhakar
		Shri M. Narendra (till 31.10.2010)
		Shri N. Seshadri (w.e.f. 01.11.2010)

(ख) सहायक कंपनियां :

(i) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.

(ii) पीटी बैंक स्वदेशी

(iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंज़ानियां) लि.

(iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि. (31.03.2011से प्रभावी)

(ग) संयुक्त उद्यमः

(i) स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि. (03.07.2010 से प्रभावी)

(घ) सहयोगी :

(i) भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि.

(ii) एएसआरईसी (इंडिया) लि.

(ii) इंडो जाम्बिया बैंक लि.

(iii) मूल बैंक द्वारा प्रायोजित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :

- आर्यावर्त ग्रामीण बैंक,
- बैतरणी ग्राम्य बैंक,
- झारखण्ड ग्रामीण बैंक,
- नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक,
- वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक।

(b) Subsidiaries :

(i) BOI Shareholding Ltd.

(ii) PT Bank Swadesi

(iii) Bank of India (Tanzania) Ltd.

(iv) Bank of India (New Zealand) Ltd. (w.e.f. 31.03.2011)

(c) Joint Venture:

(i) Star Union Dai – ichi Life Insurance Company Ltd. (w.e.f. 03.07.2010)

(d) Associates :

(i) Securities Trading Corporation of India Ltd.

(ii) ASREC (India) Ltd.

(iii) Indo-Zambia Bank Ltd.

(iv) 5 Regional Rural Banks sponsored by the Bank:

- Aryavart Gramin Bank
- Baitarani Gramya Bank
- Jharkhand Gramin Bank
- Narmada Malwa Gramin Bank
- Wainganga Krishna Gramin Bank

II) (क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (जैसा प्रबंधन द्वारा समेकित):

II) (a) Transactions with Related Parties (As compiled by the management) :

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

मदे / संबंधित पक्षकार	Items / Related Party	सहयोगी / संयुक्त उद्यम Associates / Joint ventures		मुख्य प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संबंध Relatives of Key Management Personnel		कुल Total	
		2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
जमा	Deposit	28.92	22.17	0.41	0.44	0.00*	0.01	29.33	22.63
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	68.67	73.24	0.53	0.50	0.01	0.01	69.21	73.75
प्रदत्त ब्याज	Placement of deposits	306.71	–	–	–	–	–	306.71	–
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	57.66	–	–	–	–	–	57.66	–
निवेश	Investments	–	–	–	–	–	–	–	–
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	–	–	–	–	–	–	–	–
मांग सूचना / मियादी मुद्रा में उधार देना	Lending in Call Notice/ Term Money	–	–	–	–	–	–	–	–
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य उधार	Other Lending	99.99	–	–	–	–	–	99.99	–
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	–	–	–	–	–	–	–	–
मांग सूचना / मियादी मुद्रा में उधार लेना	Borrowings in Call/Notice/ Term Money	–	–	0.02	–	–	–	0.02	–
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	100.67	–	0.08	0.04	–	–	100.75	0.04

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

मदे / संबंधित पक्षकार	Items / Related Party	सहयोगी / संयुक्त उद्यम Associates / Joint ventures		मुख्य प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संबंध Relatives of Key Management Personnel		कुल Total	
		2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
सरकारी प्रतिभूति / ट्रेजरी विलों / बांडों की बिक्री	Sale of Govt. Securities / Treasury Bills / Bonds	144.19	29.89	–	–	–	–	144.19	29.89
सरकारी प्रतिभूति / ट्रेजरी विलों / बांडों की खरीदी	Purchase of Govt. Securities / Treasury Bills / Bonds	320.39	40.30	–	–	–	–	320.39	40.30
गैर-निधिक वायदे	Non-funded commitments	–	–	–	–	–	–	–	–
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रदत्त ब्याज	Interest paid	1.18	0.01	0.02	–	–	0.00*	1.20	0.01
प्राप्त ब्याज	Interest received	2.00	–	–	–	0.00*	–	2.00	–
प्राप्त गैर-वित्तीय खर्चा	Non financial expense recd.	0.16	0.15	–	–	–	–	0.16	0.15
प्रदत्त लाभांश	Dividend Paid	–	–	–	–	–	0.00*	–	–
प्राप्त लाभांश	Dividend Received	1.31	–	–	–	–	–	1.31	–
दी गई सेवाएं	Services rendered	21.15	–	–	–	–	–	21.15	–
प्राप्त सेवाएं	Services received	11.67	–	–	–	–	–	11.67	–
प्रबंधन संविदा	Management contracts	–	–	–	–	–	–	–	–
प्राप्य अन्य प्रभार	Other Charges receivable	0.27	0.01	–	–	–	–	0.27	0.01
अन्य	Any Others	2.68	–	–	–	–	–	2.68	–

* वास्तविक राशि ₹ 50,000 से कम होने के कारण दर्शायी नहीं गयी है।

* Actual amount being less than ₹ 50000/-, the same is not furnished.

II) ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

b) Key Management Personnel :

अ.क्र. Sl.No.	नाम / Name	पदनाम / Designation	पारिश्रमिक / Remuneration	
			वर्तमान वर्ष Current Year (₹)	पिछला वर्ष Previous Year (₹)
1	श्री आलोक मिश्रा Shri Alok K Misra	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	13,87,200	7,99,690
2	श्री बी.ए. प्रभाकर Shri B.A. Prabhakar	कार्यकारी निदेशक Executive Director	11,87,143	14,46,459
3	श्री एम. नरेंद्र Shri M. Narendra	कार्यकारी निदेशक Executive Director	6,75,525	13,46,752
4	श्री एन. शेषाद्री Shri N. Seshadri	कार्यकारी निदेशक Eexecutive Director	4,71,250	–

अनुषंगियों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ लेन-देन, राज्य नियंत्रित होने के कारण, आईसीएआई द्वारा जारी संबंधित पक्ष प्रकटन पर एएस-18 के परिच्छेद 9 के परिदृश्य में प्रकटन नहीं किया गया है तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ अपने लेन-देन से संबंधित किसी प्रकटन से राज्य नियंत्रित उपक्रमों को छूट प्राप्त हैं।

The transactions with the Subsidiaries and Regional Rural banks, being state controlled, have not been disclosed in view of para 9 of AS-18 on Related party disclosure issued by the ICAI exempting state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

ङ) **लेखांकन मानक 19- पट्टा वित्तपोषण (मूल बैंक के संबंध में) :**

(i) पट्टा वित्तपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वताएं, अग्रिमों में सम्मिलित की गई हैं, का उल्लेख नीचे किया गया है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2011	31-03-2010
क)	सकल निवेश	0.62	2.64
ख)	प्राप्य पट्टा भुगतान		
	(i) 1 वर्ष से अधिक नहीं	0.62	2.64
	(ii) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	0.00	0.00
	(iii) 5 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
	कुल	**0.62**	**2.64**
ग)	अनर्जित वित्त आय	0.00	0.03
घ)	**निवल निवेश (क-ग)**	**0.62**	**2.61**

(ii) शून्य की पट्टा आय (विगत वर्ष ₹ 0.19 करोड़) को अर्जित ब्याज में शामिल गया हैं।

ङ) **लेखांकन मानक 20 प्रति शेयर अर्जनः**

क्र.सं.	विवरण	2010-2011	2009-2010
1.	आधारभूत और मिश्रित (₹)	48.37	34.03

आधारभूत एवं मिश्रित ई.पी.एस. की गणनाः

क्र.सं.	विवरण	2010-2011	2009-2010
(ए)	इक्विटी शेयर धारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	2,542.42	1,787.16
(बी)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (करोड़)	52.56	52.52
(सी)	मूलभूत से मिश्रित प्रति शेयर अर्जन (ए/बी) (रु.)	48.37	34.03
(डी)	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	Rs.10.00	Rs.10.00

* आधारभूत एवं मिश्रित ई.पी.एस. समान ही हैं क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है।

(D) Accounting Standard 19 - Lease Financing (Parent Bank) :

(i) The contractual maturities of the Bank's investment in lease financing and its components, which are included in advances, are set out below:

(₹ in crores)

Sr. No.	Particulars	31-03-2011	31-03-2010
a)	Gross Investments	0.62	2.64
b)	Lease payment receivables		
	(i) not later than 1 year	0.62	2.64
	(ii) later than 1 year but not later than 5 years	0.00	0.00
	(iii) later than 5 years	0.00	0.00
	TOTAL	**0.62**	**2.64**
c)	Unearned finance income	0.00	0.03
d)	**Net investments [a – c]**	**0.62**	**2.61**

(ii) Lease income of Nil (Previous year ₹ 0.19 crore) is included under Interest earned.

(E) Accounting Standard 20 - Earnings Per Share:

Sr. No.	Particulars	2010-2011	2009-2010
1.	Basic & Diluted * (₹)	48.37	34.03

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

Sr. No.	Particulars	2010-2011	2009-2010
(A)	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in crores)	2,542.42	1,787.16
(B)	Weighted Average Number of Equity shares (crores)	52.56	52.52
(C)	Basic & Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	48.37	34.03
(D)	Nominal Value per Equity Share (₹)	10.00	10.00

* Basic & Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

च) लेखांकन मानक 22- आय पर कर के लिए लेखांकनः

(iii) आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटकः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
	आस्थगित कर आस्ति		
i)	प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	352.79	312.26
ii)	अन्य	69.68	74.67
	कुल आस्थगित कर आस्ति	422.47	386.93
	आस्थगित कर देयता		
i)	नियत आस्तियां में मूल्यह्रास के कारण के बीच समय अन्तर के कारण	26.42	28.97
ii)	निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	658.85	507.93
iii)	प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं के कारण	426.99	365.16
iv)	अन्य	3.69	42.39
	कुल आस्थगित कर देयताएं	**1,115.95**	**944.45**
	शद्ध आस्थगित कर आस्ति/ (देयता)	(693.48)	(557.52)

(च) लेखांकन मानक 27 - (एएस 27) - संयुक्त उद्यमों के हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग :

एएस27 के आवश्यकता के अनुसार संयुक्त रुप से नियंत्रित संस्थाओं में समूहों के हित से संबंधित आस्ति-देयता, आय-व्यय की कुलराशी का प्रकटन नीचे किया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011
देयताएं	
पूंजी और आरक्षितियां	47.79
जमाराशियां	–
उधार	–
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	768.61
जोड़	**816.40**
आस्तियां	
नकदी और शेष भारतीय रिज़र्व बैंक में	–
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्यधन	63.48

(F) Accounting Standard 22- Accounting for Taxes on Income:

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in crores)

Sr. No.	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
	Deferred Tax Assets		
i)	On account of timing difference towards provisions	352.79	312.26
ii)	Others	69.68	74.67
	Total Deferred Tax Assets	**422.47**	**386.93**
	Deferred Tax Liabilities		
i)	On account of depreciation on fixed assets	26.42	28.97
ii)	On account of depreciation on investment	658.85	507.93
iii)	On account of interest accrued but not due	426.99	365.16
iv)	Others	3.69	42.39
	Total Deferred Tax Liabilities	**1,115.95**	**944.45**
	Net Deferred Tax Assets/ (Liabilities)	**(693.48)**	**(557.52)**

(G) Accounting Standard 27 (AS 27) - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures:

As required by AS 27, the aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities are disclosed as under:

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2011
Liabilities	
Capital & Reserves	47.79
Deposits	–
Borrowings	–
Other Liabilities & Provisions	768.61
Total	**816.40**
Assets	
Cash and Balances with Reserve Bank of India	–
Balances with Banks and Money at call and short notice	63.48

विवरण	31.03.2011
निवेश	718.48
अग्रिम	–
अचल आस्तियां	9.26
अन्य आस्तियां	25.18
जोड़	**816.40**
पूंजी प्रतिबद्धताएं	
अन्य आकस्मिक देयताएं	0.82
आय	
अर्जित ब्याज	9.31
अन्य आय	1.45
जोड़	**10.76**
व्यय	
ब्याज व्यय	–
परिचालन व्यय	23.48
प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएं	–
जोड़	**23.48**
लाभ / (हानि)	**(12.72)**

छ) लेखा मानक 29 के अनुसार प्रावधानों की गतिविधियों का विस्तृत वर्णन, ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'':

क. देयताएं हेतु प्रावधानों की गतिविधि (अन्यों के प्रावधानों को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं
1 अप्रैल 2010 का शेष	1.20
वर्ष के दौरान प्रावधान	216.49
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	211.08
31 मार्च 2011 को शेष	6.61
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन

ख. आकस्मिक देयताएं :

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं न्यायालय के निर्णय, मध्यस्थता करने, न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो, पर क्रमशः निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

Particulars	31.03.2011
Investments	718.48
Advances	–
Fixed Assets	9.26
Other Assets	25.18
Total	**816.40**
Capital Commitments	
Other Contingent Liabilities	0.82
Income	
Interest Earned	9.31
Other Income	1.45
Total	**10.76**
Expenditure	
Interest Expended	–
Operating Expenses	23.48
Provisions & Contingencies	–
Total	**23.48**
Profit/(Loss)	**(12.72)**

(H) Details of movement in provisions in accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (Parent Bank)

A. Movement of Provisions for liabilities (excluding provision for others)

(₹ in crores)

Particulars	Legal cases/contingencies
Balances as at 1st April 2010	1.20
Provided during the year	216.49
Amounts used during the year	211.08
Balance as at 31st March 2011	6.61
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement/ Crystallization

B. Contingent Liabilities :

Such Liabilities as mentioned are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such case.

10. लेखा मानक 3 - नकदी प्रवाह का विवरण / Accounting Standard 3 – Cash Flow statement

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण		Particulars	वर्षान्त / Year ended 31.03.2011	वर्षान्त / Year ended 31.03.2010
क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाहः	**A.**	**Cash Flow from Operating Activities:**		
कर के पहले शुद्ध लाभ		**Net Profit before taxes**	**35,583,920**	**25,507,129**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः		**Adjustments for:**		
निवेश पर मूल्यह्रास/परिशोधन		Amortisation/Depreciation on Investments	2,670,000	4,473,286
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on Fixed Assets	1,448,561	1,099,592
अन्य मदों के लिए प्रावधान		Provision for Other Items	17,563,739	19,694,049
गौण बांड आईपीडीआई, अपर टियर II बांड पर ब्याज का भुगतान/प्रावधान		Payment/Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI, Upper Tier II Bonds	7,309,900	5,715,400
प्राप्त लाभांश		Dividend received	(166,022)	(117,692)
निम्नलिखित के लिए समायोजनः		**Adjustments for:**		
जमा राशियों में बढ़/(घटती)		Increase/(Decrease) in Deposits	691,511,905	402,315,412
उधार में बढ़/(घटती)		Increase/(Decrease) in Borrowings	(12,178,552)	45,868,682
अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घटती)		Increase/(Decrease) in Other Liabilities and Provisions	37,723,530	16,341,387
निवेश में (बढ़)/(घटती)		(Increase)/Decrease in Investments	(187,365,842)	(156,526,529)
अग्रिम में (बढ़)/(घटती)		(Increase)/Decrease in Advances	(457,354,233)	(274,637,566)
अन्य आस्तियों में (बढ़ती)/(घटती)		(Increase)/Decrease in Other Assets	(63,385,302)	4,614,930
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी		Direct Taxes (Paid)/Refund	(11,399,494)	(11,139,906)
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**61,962,110**	**83,208,174**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाहः	**B.**	**Cash Flow from Investing Activities :**		
अचल सम्पत्ति की खरीद		Purchase of Fixed Assets	(4,041,202)	(2,242,249)
अचल सम्पत्ति की बिक्री		Sale of Fixed Assets	296,010	150,221
प्राप्त लाभांश		Dividend received	166,022	125,892
सहायक कंपनियों के समेकन का प्रभाव		Impact of consolidation of subsidiaries	(943,152)	(355,567)
अल्पसंख्याक हित		Minority Interest	(2,679,887)	2,166,625
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(7,202,209)**	**(155,078)**
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहः	**C.**	**Cash Flow from Financing Activities:**		
शेयर पूंजी		Share Capital	213,049	–
शेयर प्रीमियम		Share Premium	10,702,952	1
आईपीडीआई, गौण बांड तथा अपर टियर II बांड (निवल)		IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	8,393,353	21,342,400
लाभांश भुगतान		Dividend paid	(4,286,465)	(3,072,100)
आईपीडीआई/गौण बांड अप्पर टियर II बांड पर ब्याज भुगतान		Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(7,309,900)	(5,732,394)
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**7,712,989**	**12,537,907**
नकद और नकदी समतुल्य में निवल बढ़त (क) + (ख) + (ग)		**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**62,472,890**	**95,591,003**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य का अथशेष		**Opening Cash and Cash Equivalents as at April 1**	**314,490,742**	**218,899,739**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at March 31**	**376,963,632**	**314,490,742**

11. समेकित वित्तीय विवरणों का सत्य तथा निष्पक्ष छवि न रखनेवाले मूल तथा अनुषंगियों को तथा समेकित विवरणों में प्रकटन न किए गए अभौतिक मदों से संबंधित सूचना का भी अलग वित्तीय विवरण में अतिरिक्त सूचना का प्रकटन करना है।
Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements.

12. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया वहां पिछले वर्ष के आंकडों का पुनर्समूहन/पुनर्व्यवस्थित किया गया।
Previous year's figures have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षित रिपोर्ट

बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक बोर्ड को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च 2011 को बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) और उसकी अनुषंगी कंपनियों, सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों (समूह) की संलग्न समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खात तथा उस समाप्ति वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा कर ली है।

   i) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित बैंक के वित्तीय विवरण

   ii) एक घरेलू अनुषंगियों, छः घरेलू संस्थाएं, एक घरेलू संयुक्त उपक्रम, एक विदेशी संस्था अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित।

   iii) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पुनरीक्षित तीन विदेशी अनुषंगियां के वित्तीय परिणाम।

   iv) एक घरेलू सहयोगी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण ।

   इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधन की है और उसे पृथक वित्तीय विवरणों एवं घटकों की अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. हमने लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित और कार्यान्वित करें कि इसमें यह उचित आश्वासन मिले कि तैयार किए गए वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण दृष्टि से, अभिज्ञात वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार तैयार किए गए हैं और उनमें कोई महत्वपूर्ण गलती नहीं है। लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर राशि को समर्थन देने वाले और वित्तीय विवरणों में प्रकटन करने वाले प्रमाण की जांच शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3. हम रिपोर्ट करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21 के संबंध में ''समेकित वित्तीय विवरण'' और एएस 23 के संबंध में ''समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक कंपनियों में निवेश के लिए लेखांकन'' एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TO THE BOARD OF DIRECTORS OF BANK OF INDIA

1. We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of Bank of India (the Bank), its subsidiaries, associates and joint ventures (the Group) as at 31st March 2011, and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended in which are incorporated the:

   i. Financial Statements of the Bank audited by us,

   ii. Financial Statements of one domestic subsidiary, six domestic associates, one domestic joint venture, one overseas associate audited by other auditors,

   iii. Financial Statements of three overseas subsidiaries reviewed by other auditors and

   iv. Unaudited Financial Statements of one domestic associate.

   These consolidated financial statements are the responsibility of the management of the Bank and have been prepared by them on the basis of separate financial statements and other financial information of the different entities in the group. Our responsibility is to express our opinion on these financial statements based on our audit.

2. We have conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the management of the Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard 21- "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27 - "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India.

4. बैंक के इन वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा हमने नहीं की हैः

   i) अनुषंगियां जिनकी यथा दिनांक 31 मार्च 2011 को वित्तीय विवरण में कुल आस्तियाँ रु.1,121.05 करोड़ एवं इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.111.90 करोड़ दर्शाई गई है।

   ii) सहायक कंपनियां जिनकी यथा दिनांक 31 मार्च 2011 को वित्तीय विवरण में कुल आस्तियाँ रु.1952.12 करोड़ एवं इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.1035.15 करोड़ दर्शाई गई हैं तथा

   ii) सहयोगी जिनकी वर्षांत तिथि को निवल लाभ रु.56.98 दर्शायी गई है।

5. हमने एक सहयोगी के उनके प्रबंधन द्वारा तैयार अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामो पर भी निर्भर रहे हैं जिसमें उस तारीख को समाप्त वर्ष में रु.2.27 करोड़ निवल लाभ दर्शाया गया है।

6. हमारी राय में, जहां तक बैंक की सहायक कंपनियां और सहयोगी के बारे में सम्मिलित राशि का संबंध है जिनकी लेखा परीक्षा/समीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है एवं जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है वह पूर्णतः ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों तथा एक सहयोगी कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर भी पूर्णतः आधारित है

7. अपने मत की विशेषता न बताते हुए, हम वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 के नोट संख्या 9(ए) (iii) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें रू; 2112.89 करोड़ की सीमा तक बैंक की पेंशन और ग्रेच्युटी देयता के स्थगन का विवरण है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने परिपत्र संख्या डीबीओडी/बीपी/बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक फरवरी 9, 2011 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों हेतु पैंशन विकल्प पुनः खोलने एवं ग्रेच्युटी सीमा में बढोत्तरी-प्रूडेंशियल रेग्युलेटरी ट्रीटमेंट द्वारा लेखांकन मानक (एएस) 15ए कर्मचारी लाभ के प्रावधानों के प्रयोग के अनुसार प्रदत्त छूट है।

8. बैंक की हमारी लेखापरीक्षा तथा पृथक वित्तीय विवरण पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार तथा अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण तथा अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों एवं सहयोगियों के अन्य वित्तीय जानकारियों तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी यह राय है कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा लेखा खातों के साथ पठित संलग्न समेकित वित्तीय विवरण आवश्यक तरीके के अनुरूप जानकारी दे रहे हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य सिद्धातों के अनुसार सही और निष्पक्ष विचार देते हैं।

   i) समेकित तुलनपत्र के संबंध में 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार समूह के समेकित कार्य की स्थिति,

4. We have not audited the financial statements of the:

   i) subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹ 1,121.05 crores as at 31st March, 2011 and total revenue of ₹ 111.90 crores for the year ended on that date;

   ii) joint venture whose financial statements reflect total assets of ₹ 1,952.12 crores as at 31st March, 2011 and total revenue of ₹ 1,035.15 crores for the year ended on that date; and

   iii) associates reflecting net profit of ₹ 56.98 crores for the year ended on that date.

5. We have also relied on unaudited financial statements of one associate prepared by their management, reflecting net profit of ₹ 2.27 crores for the year ended on that date.

6. Our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of the subsidiaries, joint venture and associates of the Bank which have been audited/ reviewed by other auditors and whose reports have been furnished to us, is based solely on the reports of such other auditors and also on unaudited financial statements of one associate company.

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to Note no. 9(A)(iii) of Schedule 18 to the financial statements, which describes deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of ₹ 2,112.89 Crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits vide its circular no. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 09, 2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment.

8. Based on our audit and consideration of report of other auditors on separate financial statements and on consideration of the unaudited financial statements and on the other financial information of the subsidiaries, joint ventures and associates and to the best of our information and according to the explanations given to us, we are of the opinion that the attached Consolidated Financial Statements, read with the significant accounting policies and the notes on accounts, give the information in the manner required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India-

   i) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the consolidated state of affairs of the Group as at 31st March, 2011,

ii) समेकित लाभ एवं हानि लेखा के संबंध में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समूह के परिचालनों के समेकित परिणाम, और

iii) समेकित नकदी प्रवाह विवरणों के संबंध में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह का समेकित नकदी प्रवाह।

ii) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the consolidated results of operations of the Group for the year ended on that date, and

iii) in case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the consolidated cash flow of the Group for the year ended on that date.

कृते **सुंदरम एंड श्रीनिवासन**
For **Sundaram & Srinivasan**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं.004207एस)
(Firm Reg. No. 004207S)

(सी. नरेश)
(C. Naresh)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 28684
M. No. 28684

कृते **अग्रवाल एंड सक्सेना**
For **Agarwal & Saxena**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं.002405सी)
(Firm Reg. No. 002405C)

(अनिल के. सक्सेना)
(Anil K. Saxena)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 71600
M. No. 71600

कृते **कर्नावट एंड कंपनी**
For **Karnavat & Co.**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं.104863W)
(Firm Reg. No. 104863W)

सुनील हीरावत
(Sunil Hirawat)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 033951
M. No. 33951

कृते **एल.बी. झा एंड कंपनी**
For **L.B. Jha & Co.**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं.301088E)
(Firm Reg. No. 301088E)

(के.के. भांजा)
(K.K. Bhanja)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 14722
M. No. 14722

कृते **शंकरन एंड कृष्णन**
For **Sankaran & Krishnan**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं.003582S)
(Firm Reg. No. 003582S)

(एस.चन्द्रन)
(S. Chandran)
Partner
भागीदार
सदस्यता सं. 8646
M. No. 8646

कृते **चतुर्वेदी एंड शाह**
For **Chaturvedi & Shah**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(फर्म पंजी.सं.101720W)
(Firm Reg. No. 101720W)

(एच.पी. चतुर्वेदी)
(H.P. Chaturvedi)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं. 33523
M. No. 33523

मुंबई, 25 मई, 2011
Mumbai, 25th May, 2011

बासल II (स्तम्भ 3) - प्रकटन (समेकित) मार्च 2011

तालिका डीएफ -1

अनुप्रयोग का कार्य क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटन

(अ) समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर यह संरचना लागू होती है।

बैंक ऑफ़ इंडिया

(ब) समूह के भीतर लेखांकन और नियामक उेश्यों के लिए समेकन के आधार में भिन्नताओं की एक रुपरेखा जिसके साथ संस्था का संक्षिप्त विवरण दिया गया हो।

(i) जो पूरी तरह से समेकित है (ii) जो आनुपातिक आधार पर समेकित है (iii) जिन्हें कटौती बरताव दिया गया है और (iv) जो न तो समेकित है, न ही घटाई गई है (उदाहरणार्थ जहाँ निवेश जोखिम के आधार पर मापा जाता है)।

समेकित वित्तीय विवरणपत्रों को सामान्यतया एक ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रचलित प्रयोजन अवधारणा का अनुसरण कर तैयार किया गया है और भारतीय कार्यालयों/शाखाओं के संबंध में भारत में और विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित कानूनी प्रावधानों एवं प्रथाओं के अनुरुप है सिवाय उस स्थिति के जहाँ अन्यथा सूचित किया गया हो।

संयुक्त अद्यमों में निवेश हेतु लेखांकन ''समानुपातिक आधार'' पर समेकित किया जाता है, जो लेखांकन मानक 27 जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''संयुक्त उद्यमों में ब्याज पर वित्तीय रिर्पोटिंग'' में नियत किया गया। मूल बैंक तथा इसकी सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरण लेखांकन मानक 21 जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार बनाया जाता है।

अर्न्तसमूह लेनदेनों, शेष, वसूल न किए गए लाभ / हानि को हटाने के बाद आस्तियाँ, देयताएं, आय और व्ययो जैसे मदो को पंक्तिवार जोड़कर बनाया जाता है और एक समान लेखा नीतियों के अनुरूपत के लिए जहाँ आवश्यक समायोजन किया जाता है, सिवाय विदेशी सहायक/सहयोगी के मामले में वहाँ तक स्थानीय नियामक जरूरतों/ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिर्पोटिंग मानक के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। समेकित वित्तीय विवरण में यह शामिल नहीं किए जाते क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है। सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरण पत्र उसी रिर्पोटिंग तारीख को बनाए गए हैं जिसमें मूल कम्पनी के विवरण पत्र तैयार किए गए हैं अर्थात् 31 मार्च 2011 ।

सहायक कम्पनियों में निवेश हेतु लेखांकन इक्विटी पद्धति के अन्तर्गत किया जाता है, जो लेखांकन मानक 23 जो भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी ''समेकित विवरण पत्रों में एसोसिएट में निवेश हेतु लेखांकन'' के अनुसार हैं।

Basel II (Pillar 3) - Disclosures (Consolidated) March 2011

Table DF-1

Scope of application

Qualitative Disclosures

(a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies.

BANK OF INDIA

(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and Regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group

(i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).

The Consolidated financial statements have been prepared by following going concern concept, generally on a historical cost basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian Offices/Branches and in respective foreign Countries in respect of Foreign Offices/Branches, except as otherwise stated.

The financial statements of the parent bank and its subsidiaries are prepared in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments wherever required to conform to uniform accounting policies except in case of overseas subsidiaries/ associates, where, the financial statements are prepared based on local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards (IFRS). Impact of the same is not given in Consolidated Financial Statements as the same is not likely to be material. The financial statements of the subsidiaries are drawn upto the same reporting date as that of parent i.e. 31st March 2011.

Accounting for Investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Accounting for Investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

i) **कंपनियां जो पूर्णतः समेकित हैं**

उन सहायक कम्पनियों का विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरण पत्रों का समेकन बैंक (मूल कम्पनी) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ किया जाता है। सहायक कम्पनियों के नाम निगमन देश 31.03.2010 के अनुसार स्वामित्व का अनुपात

सहायक कंपनी का नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2011 स्वामित्व का अनुपात
देशी सहायक कम्पनियाँ :		
अ) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.(गैर बैंकिंग)	भारत	51%
विदेशी सहायक कपनियाँ		
अ) पीटी बैंक स्वदेशी (बैंकिंग)	इंडोनेशिया	76%
ब) बीओआई तंजानिया लि. (बैंकिंग)	तंजानिया	100%
क) बीओआई न्यूज़लेंड लि. (बैंकिंग)	न्यूज़लेंड	100%

निम्न कंपनियों में बैंक का 20% या अधिक हिस्सा (स्टेक) है :

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सहायक कंपनियों का नाम	निगमन देश स्वामित्व का अनुपात प्रतिशत
i)	स्टार युनियन दाई-ची लाईफ इन्स्यूरेन्स कं.लि.(बीमा)	भारत	48.00
ii)	i) सिक्योरिटी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.	भारत	29.96
iii)	एएसआरइसी (भारत) लि.	भारत	26.02
iv)	इण्डो जांबिया बैंक लि.	जांबिया	20
v)	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	भारत	35
vi)	बैतरणी ग्राम्य बैंक	भारत	35
vii)	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	भारत	35
viii)	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35
ix)	वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक भारत	भारत	35

ii) **यथानुपात समेकन :**

सिक्योरिटी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
इण्डो जांबिया बैंक लि.
एएसआरइसी (भारत) लि.
स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.
बैंक द्वारा प्रायोजित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

iii) कंपनियों को कटौती ट्रीटमैंट दिया गयाः शून्य

iv) न समेकित न पृथक की गई कंपनियां : शून्य

मात्रात्मक प्रकटन	
(ब) सभी सहायक कम्पनियों में पूँजीगत भिन्नताओं की कुल राशि जिसे समेकन में शामिल नहीं किया गया है अर्थात् जिनकी कटौती की जाती है और ऐसी सहायक कम्पनियों के नाम	शून्य
(द) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की समग्र राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य) जिन्हें जोखिम आधार पर मापा जाता है एवं उनका नाम, निगमन या निवास का उनका देश, स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न है तो इन संस्थाओं में वेटिंग पावर का अनुपात इसके अतिरिक्त इस पद्धति बनाम कटौती पद्धति प्रयोग करने पर नियामक पूँजी पर परिमाणात्मक प्रभाव दर्शाएं	शून्य

i) **Entities that are fully consolidated**

The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the bank (the parent) are as under:

Names of Subsidiaries	Country of Incor-poration	Proportion of Ownership as on 31.03.2011
Domestic Subsidiaries:		
BOI Shareholding Ltd. (Non-Banking)	India	51%
Overseas Subsidiaries:		
a) PT Bank Swadesi (Banking)	Indonesia	76%
b) BOI Tanzania Ltd. (Banking)	Tanzania	100%
c) Bank of India (New Zealand) Limited (Banking)	New Zealand	100%

Bank is having 20% or more stakes in following entities.

Sr. No.	Name of the Entity	Country of incor-poration	Proportion of ownership percentage
i)	Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd (Insurance)	India	48.00
ii)	Securities Trading Corporation of India Ltd	India	29.96
iii)	ASREC (India) Ltd	India	26.02
iv)	Indo-Zambia Bank Ltd	Zambia	20
v)	Aryavat Gramin Bank	India	35
vi)	Baitarani Gramya Bank	India	35
vii)	Jharkhand Gramin Bank	India	35
viii)	Narmada Malwa Gramin Bank	India	35
ix)	Wainganga Krishna Gramin Bank	India	35

ii) **Pro-rata consolidated:**

Security Trading Corporation of India Ltd.
Indo-Zambia Bank Ltd.
ASREC (India) Ltd.
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.
5 Regional Rural Banks sponsored by the Bank

iii) Entities given a deduction treatment: Nil

iv) Entities neither consolidated nor deducted: Nil

Quantitative Disclosures	
(b) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	NIL
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	NIL

तालिका डीएफ-2

पूँजीगत संरचना

गुणात्मक प्रकटन

(क) सभी पूँजीगत लिखतों विशेष रुप से वे पूँजीगत लिखत जो टियर I या अपर टियर 2 में शामिल होने के पात्र हैं की मुख्य विशेषताओं की शर्तों और निर्बंधनों के बारे में संक्षिप्त सूचना

अ बैंक ऑफ़ इंडिया

1. बैंक की टियर 1 पूँजी में इक्विटी शेयर्स, आरक्षितियां और नवोन्मेषी बेमियादी बाँड्स शामिल हैं।

   बैंक ने नवोन्मेषी बाँड्स (टियर I) और अन्य बाँड्स भी जारी किए हैं जो टियर 2 पूँजी में शामिल होने के लिए पात्र है। बाँड्स का विवरण निम्नानुसार हैः

क. नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)

	विवरण		निर्गम की तारीख	परपीचुअल एवं काल विकल्प	कूपन दर	₹ करोड में
क)	**जर्सी शाखा - एमटीएन**	यूएसडी 85 एमएन	30.03.2007	30.03.2017	6.994%	377.87
ख)	शृंखला I	भारत में	27.07.2007	27.07.2017	10.55%	400.00
ग)	शृंखला II	भारत में	27.09.2007	27.09.2017	10.45%	100.00
घ)	शृंखला III	भारत में	11.10.2007	11.10.2017	10.40%	155.00
ङ)	शृंखला IV	भारत में	10.02.2009	10.02.2019	8.90%	400.00
च)	शृंखला V	भारत में	09.12.2009	09.12.2019	9.00%	325.00
छ)	शृंखला VI	भारत में	09.09.2010	09.09.2020	9.05%	300.00
	कुल					**2057.87**

ख. अपर टियर II बांड्स

	विवरण		निर्गम की तारीख	परिपक्वता की तारीख	कूपन दर	₹ करोड में
क)	अपर टियर II बॉण्डस - शृंखला II	भारत में	31.07.2006	31.07.2021	9.35%	732.00
ख)	लंदन शाखा- एमटीएन	यूएसडी 240 Mn	22.09.2006	22.09.2021	6.625%	1069.90
ग)	अपर टियर II बॉण्डस - शृंखला II	भारत में	16.10.2008	16.10.2023	11.15%	500.00
घ)	अपर टियर II बॉण्डस - शृंखला III	भारत में	28.07.2009	28.07.2024	8.45%	500.00
ङ.)	अपर टियर II बॉण्डस - शृंखला IV	भारत में	28.08.2009	28.08.2024	8.50%	500.00
च)	अपर टियर II बॉण्डस - शृंखला V	भारत में	20.01.2010	20.01.2025	8.54%	1000.00
छ)	अपर टियर II बॉण्डस - शृंखला VI	भारत में	11.06.2010	11.06.2025	8.48%	1000.00
	कुल					**5301.90**

Table DF-2:

Capital structure

Qualitative Disclosures

(a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.

A BANK OF INDIA

1. Bank's Tier 1 capital comprises of Equity Shares, reserves and Innovative Perpetual Bonds.

   Bank has issued Innovative Bonds (Tier I) and also other bonds eligible for inclusion in Tier 2 capital. Details of the bonds are as under:

a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)

	Particulars		Date of Issue	Perpetual & Call Option	Coupon Rate	₹ in crore
a)	Jersey Branch – MTN	USD 85 Mn	30.03.2007	30.03.2017	6.994%	377.87
b)	Series I	In India	27.07.2007	27.07.2017	10.55%	400.00
c)	Series II	In India	27.09.2007	27.09.2017	10.45%	100.00
d)	Series III	In India	11.10.2007	11.10.2017	10.40%	155.00
e)	Series IV	In India	10.02.2009	10.02.2019	8.90%	400.00
f)	Series V	In India	09.12.2009	09.12.2019	9.00%	325.00
g)	Series VI	In India	09.09.2010	09.09.2020	9.05%	300.00
	TOTAL					**2057.87**

b) Upper Tier II Bonds

	Particulars		Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹ in crore
a)	Upper Tier II Bonds – Series I	In India	31.07.2006	31.07.2021	9.35%	732.00
b)	London Branch – MTN	USD 240 Mn	22.09.2006	22.09.2021	6.625%	1069.90
c)	Upper Tier II Bonds – Series II	In India	16.10.2008	16.10.2023	11.15%	500.00
d)	Upper Tier II Bonds – Series III	In India	28.07.2009	28.07.2024	8.45%	500.00
e)	Upper Tier II Bonds – Series IV	In India	28.08.2009	28.08.2024	8.50%	500.00
f)	Upper Tier II Bonds – Series V	In India	20.01.2010	20.01.2025	8.54%	1000.00
g)	Upper Tier II Bonds – Series VI	In India	11.06.2010	11.06.2025	8.48%	1000.00
	TOTAL					**5301.90**

ग) लोअर टियर II बांड्स अर्थात गौण बांड्स

	विवरण		निर्गम की तारीख	परिपक्वता की तारीख	कूपन दर	₹ करोड में
क)	शृंखला V	भारत में	23.01.2004	30.04.2014	5.88%	350.00
ख)	शृंखला VI	भारत में	31.03.2004	30.04.2014	5.90%	200.00
ग)	शृंखला VII	भारत में	23.02.2005	23.05.2014	7.10%	300.00
घ)	शृंखला VIII	भारत में	16.09.2005	16.04.2015	7.50%	750.00
ड.)	शृंखला IX	भारत में	20.03.2006	20.06.2016	8.00%	200.00
	कुल					1800.00

2. आईपीडीआई की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है -

   i) इन लिखतों का इक्विटी (बेमीयादी तथा गैर-संचयी) तथा ऋण (कर कटौती होने पर देय ब्याज) का स्वरूप है।

   ii) जारी किए गए आईपीडीआई साख और अमूर्त अस्तियाँ घटाने के बाद किन्तु निवेश की कटौती से पहले, पिछले वर्ष की कुल टियर I पूँजी की 15% सीमा के भीतर हैं।

   iii) यह लिखतें नियत दर पर जारी की गई हैं।

   iv) यह लिखतें मांग विकल्प तथा 100 बेसिस पॉइंट के साथ 10 वर्ष के बाद आगे बढ़ाने के विकल्प के साथ ज़ारी की गई हैं।

3. प्रवर टियर II बॉण्ड की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं -

   i) इन लिखतों मे नवोन्मेष टियर लिखतों के जैसी बहुत सी समानताएं हैं, तथापि यह लिखतें 15 वर्षों की परिपक्वता अवधि पर जारी की गई हैं।

   ii) यह लिखते नियत दर पर जारी की गई हैं।

   iii) यह लिखतें मांग विकल्प तथा 100 बेसिस पॉइंट के साथ 10 वर्ष के बाद आगे बढ़ाने के विकल्प के साथ जारी की गई हैं।

घ. पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके (सहायक कंपनी)

टियर I पूँजी, चुकता शेयर पूँजी, प्रीमियम, नियामक आरक्षित नीतियाँ तथा सुरक्षित रखी गई आमदनी से बनी हैं।

ङ. बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. (सहायक कंपनी)

टियर I पूँजी, चुकता शेयर पूँजी तथा आरक्षित एवं टियर II पूंजी समावेशन हेतु कोई भी मद पात्र नहीं है।

मात्रात्मक प्रकटन

1. बैंक की समेकित टियर पूँजी में निम्न का समावेश है।

(₹ करोड़ में)

i)	प्रदत्त शेयर पूंजी	547.22
ii)	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	15013.44
iii)	नवोन्मेष परपेचुअल बॉन्ड	2057.87
iv)	अन्य पूँजी लिखतें	------
घटाएं		
v)	टियर I पूंजी से निवेश एवं गुडविल सहित कटौती राशि	278.63
टियर I पूंजी (i+ii+iii+iv-v)		17339.90

c) Lower Tier II Bonds i.e. Subordinated bonds

	Particulars		Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹ in crore
a)	Series V	In India	23.01.2004	30.04.2014	5.88%	350.00
b)	Series VI	In India	31.03.2004	30.04.2014	5.90%	200.00
c)	Series VII	In India	23.02.2005	23.05.2014	7.10%	300.00
d)	Series VIII	In India	16.09.2005	16.04.2015	7.50%	750.00
e)	Series IX	In India	20.03.2006	20.06.2016	8.00%	200.00
	TOTAL					1800.00

2. The main features of IPDI are as follows:

   i) These instruments have characteristics of equity (perpetual and non-cumulative) and that of a debt (interest payable being tax deducted)

   ii) IPDI issued are included up to 15% of total Tier I capital of previous year after deduction of goodwill and intangible assets but before deduction of investments.

   iii) These instruments have been issued at a fixed rate.

   iv) The instruments have been issued with a call option and a step up option after 10 years with a step up of 100 basis points.

3. The main features of Upper Tier II bonds are as follows:

   i) These instruments have many similarities to innovative Tier I instruments. However these instruments have been issued at a minimum maturity of 15 years.

   ii) These instruments are issued at a fixed rate.

   iii) The instruments have been issued with a call option and a step up option after 10 years with a step up of 100 basis points.

B. PT Bank Swadesi Tbk (Subsidiary)

Tier I capital consists of Paid-up Share Capital, Premium, Regulatory Reserves and Retained Earnings.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary)

Tier 1 capital comprises of paid up share capital and reserves. No other capital instruments are in the books of Banks eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.

Quantitative Disclosures

1. The Tier 1 capital of the consolidated bank comprises:

(₹ in Crores)

i)	Paid-up share capital	547.22
ii)	Reserves (excluding revaluation reserves)	15013.44
iii)	Innovative Perpetual Bonds	2057.87
iv)	Other capital instruments	------
Deductions		
v)	Amounts deducted from Tier I capital including goodwill and Investments	278.63
Tier I Capital (i+ii+iii+iv-v)		17339.90

2. टियर 2 की राशि (कटौतियों का शुद्ध) ₹ 7867.01 करोड़ है।

3. प्रवर टियर 2 पूँजी मे समावेश के लिए मात्र ऋण पूँजी लिखते इस प्रकार हैं।

(₹ करोड़ में)

कुल बकाया राशि	5301.90
जिसमें से वर्ष के दौरान वर्धित राशि	1000.00
पूँजी निधियों के रूप में गणना की जाने वाली पात्र राशि	5301.90

4. अपर टियर 2 पूँजी में समावेश के लिए पात्र गौण ऋण इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

कुल बकाया राशि	1800.00
जिसमें से वर्ष के दौरान वर्धित राशि	0.00
पूँजी निधियों के रूप में गणना की जाने वाली पात्र राशि	1310.00

5. पूँजी में से अन्य कोई कटौतियाँ नहीं हैं।

6. कुल पात्र पूँजी में समावेश हैं।

(₹ करोड़ में)

टियर I पूँजी	17339.90
टियर II पूँजी	7867.01
कुल पूँजी	25206.91

तालिका डीएफ-3

पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

क) वर्तमान तथा भावी कार्य-कलापों के समर्थन में अपनी पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षेप में विवेचना

अ. बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक द्वारा जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को सुलभ पूँजी बनाने हेतु समय समय पर अपनी पूँजीगत आवश्यकताओं का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। भविष्य में कारोबार वृद्धि, पूँजीगत आवश्यकताएं, नीति दिशा निर्देश, मेक्रो आर्थिक परिदृश्य एवं जोखिम क्षमता, आदि का ध्यान रखने हेतु पूँजीगत योजना की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। सभी जोखिमों को व्यापक रूप से देखने हेतु बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) विकसित की है।

आंतरिक उपचय तथा टियर I तथा टियर II लिखतों के नए निर्गम घटकों का ध्यान रखते हुए, कुल अस्तियों की अनुमानित वृद्धि के समर्थन और बासेल II की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूँजी उपलब्धता का नियंत्रण में रहना संभव नही है क्योंकि इसके पूंजी एकत्रीकरण हेतु बैंक के पास पर्याप्त उपलब्धता है।

2. The amount of Tier 2 capital (net of deductions) is ₹ 7867.01 crores

3. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital are:

(₹ in Crores)

Total amount outstanding	5301.90
Of which amount raised during the year	1000.00
Amount eligible to be reckoned as capital funds	5301.90

4. The subordinated debts eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital are:

(₹ in Crores)

Total amount outstanding	1800.00
Of which amount raised during the year	0.00
Amount eligible to be reckoned as capital funds	1310.00

5. There are no other deductions from capital

6. The total eligible capital comprises:

(₹ in Crores)

Tier I Capital	17339.90
Tier II Capital	7867.01
Total Capital	25206.91

Table DF-3

Capital Adequacy

Qualitative disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.

A BANK OF INDIA

The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements from time to time to maintain a comfortable Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR). The capital plan is reviewed on an annual basis to take care of the future growth in business, capital requirements, policy guidelines, macro economic scenarios, risk appetite etc. The Bank also has well developed Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively address all risks.

Taking into account internal accruals and factoring the timely issues of Tier I and Tier II instruments, the availability of capital is not likely to be a constraint for supporting projected growth of assets and meeting the requirements of Basel II, as the Bank has sufficient headroom available for raising its Capital.

ब. पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके (सहायक कंपनी)

बैंक की ₹ 168.80 करोड़ की पूँजी, वर्तमान आस्ति आधार को सहजता से समर्थन दे सकती है। ऋण की भावी विस्तार की निर्भरता पर अतिरिक्त पूँजी प्रदान की जा सकती है।

ग. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (सहायक)

पर्यवेक्षण उेश्य हेतु बैंक ऑफ़ तंजानिया (बीओटी) द्वारा कार्यान्वत बासेल समिति द्वारा विकसित दिशानिर्देशों पर आहरित नियोजित तकनीक पर पूंजी पर्याप्तता तथा नियामक पूंजी की निगरानी प्रतिदिन बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचना को तिमाही आधार पर बैंक ऑफ तंजानिया द्वारा पूर्ण की जाती है।

बैंक के नियामक पूंजी जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है वह दो टियर में विभाजित है :

टियर I पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षित के टियर I पूंजी तक पहुंचने पर काट लिया जाता है।

टियर 2 पूंजी : अर्हता गौण ऋण पूंजी समतेकित क्षतिभत्ता तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर प्राप्त उगाही न की गई।

प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत पाँच जोखिम भार के तारतम्य के जरिए द्वारा जोखिम भारित आस्तियों को सुनिश्चित किया जाता है तथा पात्र संपार्श्विक तथा गारंटी को दृष्टिगत रखते हुए ऋण, बाजार तथा प्रत्येक आस्ति तथा प्रतिपक्ष सहित अन्य संबंधित जोखिमों को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार ऑफ बैलेन्स शीट ऋण जोखिम हेतु कार्यप्रणाली अपनाई जाती है जिसमें संभावित हानि के अधिक आकस्मिक प्रकृति का कुछ समायोजन किया जाता हैं।

मात्रात्मक प्रकटन

(बी)	आर डब्ल्यू ए के 9% ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता • मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो • प्रतिभूतिकरण निवेश	 ₹ 18532.29 करोड़ शून्य
(सी)	बाजार जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकताः • मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण - ब्याज दर जोखिमः - विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण को शामिल कर): - इक्विटी जोखिम :	 ₹ 896.03 करोड़ ₹ 14.67 करोड़ ₹ 661.07 करोड़
(डी)	परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता : • मूल संकेतक दृष्टिकोणः	 ₹ 1318.73 करोड़
(ई)	कुल और टियर I पूँजी अनुपात • शीर्ष समेकित समूह के लिए तथा • महत्त्वपूर्ण बैंक सहायक के लिए किस प्रकार रुपरेखा प्रयुक्त की गईहै, उसकी निर्भरता पर अकेले बने रहना या उप-समेकन अकेले बीओआई के लिए	 12.24% और 8.42% 12.17% और 8.33%

B. PT Bank Swadesi Tbk (Subsidiary)

The capital of the bank at ₹168.80 crores comfortably supports the current asset base depending on the future expansion of credit, additional capital may be infused.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary)

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored daily by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines developed by the Basel Committee, as implemented by the Bank of Tanzania (BOT), for supervision purposes. The required information is filed with the BOT on a quarterly basis.

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings. Prepaid expenses and deferred charges are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 capital: - Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off-balance sheet exposure, with some adjustments to reflect the more contingent nature of the potential losses.

Quantitative disclosures

(b)	Capital requirements for credit risk at 9% of RWA: • Portfolios subject to standardised approach: • Securitisation exposures:	 ₹ 18532.29 Crores NIL
(c)	Capital requirements for market risk: • Standardised duration approach; - Interest rate risk: - Foreign exchange risk (including gold): - Equity risk:	 ₹ 896.03 Crores ₹ 14.67 Crores ₹ 661.07 Crores
(d)	Capital requirements for operational risk: • Basic indicator approach:	 ₹ 1318.73 Crores
(e)	Total and Tier 1 capital ratio: • For the top consolidated group; and • For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied). For BOI Solo	 12.24% and 8.42% 12.17% and 8.33%

तालिका डीएफ-4

ऋण जोखिम-सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

क) ऋण जोखिम सहित सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें सम्मिलित हैः

- पिछले देय की परिभाषा तथा अपसामान्य (लेखाकरण उद्देश्य हेतु)

क बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमावली का अनुपालन करता है, जिसका सारांश निम्नलिखित हैः

अनर्जक आस्तियाँ

एक पट्टा आस्ति सहित एक आस्ति जब बैंक के लिए आय जनित नहीं करती है तब वह अनर्जक हो जाती है।

एक अनर्जक आस्ति तब एक ऋण या अग्रिम बन जाती है जब :

i) मीयादी ऋण के रुप में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/या किस्त अतिदेय रहता है।

ii) एक ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के सम्बन्ध में, नीचे दर्शाए गए अनुसार ''अनियमित'' हुआ खाता।

iii) क्रय तथा बट्टागत बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहने वाले बिल।

iv) अल्पावधि फसलों हेतु दो फसली मौसमों के लिए, अतिदेय रहने वाले तथा उसपर मूलधन की किस्त अथवा ब्याज।

v) दीर्घावधि फसलों हेतु एक फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहने वाले तथा उसपर मूलधन की किस्त अथवा ब्याज।

vi) दिनांक 1 फरवरी, 2006 के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है तो।

vi) बैंक एक खाते को एनपीए के रुप में वर्गीकृत कर सकता है यदि किसी तिमाही के दौरान प्रभारित ब्याज को तिमाही समाप्ति के 90 दिनो के भीतर पूर्णतया चुकाया ना जाए।

vii) बुनियादी/गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण, यदि उसे पुनःसंरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार (90 दिन का अतिदेय होने पर) वाणिज्यिक परिचालन शुरु होने से पहले किसी भी समय एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

viii) किसी बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुनःसंरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के

Table DF-4

Credit risk: general disclosures for all banks

Qualitative Disclosures

a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:

- Definitions of past due and impaired (for accounting purposes);

A BANK OF INDIA

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below.

Non-performing Assets

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.

A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

(i) interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,

(ii) the account remains 'out of order' as indicated below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),

(iii) the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

(iv) the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,

(v) the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

(vi) the amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1,2006.

(vi) Bank should classify an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

(vii) A loan for infrastructure/non-infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per recored of recovery (90 days overdue) unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

(viii) A loan for an infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial

अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से दो वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

ix) किसी गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुनःसंरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से छः माह के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता हैं तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

''अनियमित'' स्थिति

एक खाता तब **''अनियमित''** माना जाता है जब स्वीकृति सीमा/आहरण शक्ति से ज्यादा बकाया लगातार बना रहे। उन मामलों में जहाँ प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृति सीमा/आहरण शक्ति से कम है किन्तु तुलन पत्र की तिथि तक 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं है या उस अवधि के दौरान ब्याज नामें करने की राशि न हो तो, इन खातों को ''अनियमित'' खाता माना जाता है।

''अतिदेय''

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब ''अतिदेय'' होती है जब बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

अनर्जक निवेश

प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है तथा बैंक प्रतिभूतियों पर आय नहीं पाता है तथा निवेशमूल्य में मूल्यहास हेतु यथोचित प्रावधान करता है।

एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) एक अनर्जक अग्रिम (एनपीए) की तरह है जहाँः

(i) ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित) देय है तथा 90 दिनों से अधिक तक अदत्त है।

(ii) अधिमानी शेयरों के यथोचित परिवर्तनों सहित जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।

(iii) इक्विटी शेयरों के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरुप नवीनतम तुलन पत्र के अनुपलब्धता पर किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी है तो ऐसे इक्विटी शेयर अनर्जक निवेश माने जाएंगे।

(iv) निर्गमकर्ता द्वारा यदि कोई ऋण सुविधा प्राप्त की जाती है जो बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है तब इस निर्गमकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को अनर्जक अग्रिम माना जाएगा तथा विलोमतः।

(v) डिबेन्चर/बॉड में निवेश, जिसे अग्रिम प्रकृति का समझा जाए वह निवेशों पर लागू अनर्जक अग्रिम के अध्यधीन है।

ख. पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके (सहायक कंपनी)

ऋण गुणवत्ता का अभिनिर्धारण कारोबार की संभावना, ऋणी का कार्यनिष्पादन और चुकौती क्षमता जैसे तथ्यों के आधार पर किया जाता है। यह प्रत्येक अभिनिर्धारण तथ्य और घटकों तथा संबंधित

operations within two years from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

(ix) A loan for an non-infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within six months from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

'Out of Order' status

An account is treated as **'out of order'** if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as **'out of order'.**

'Overdue'

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non-performing Investments

In respect of securities, where interest / principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

(i) Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

(ii) The applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.

(iii) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹ 1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.

(iv) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.

(v) The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance are subjected to NPI norms as applicable to investments.

B. PT Bank Swadesi Tbk (Subsidiary)

The Credit Quality is assessed based on the factors such as business prospects, performance of the

ऋणी की विशिष्टताओं से संबद्ध अभिनिर्धारण तथ्यो के आधार पर किया जाता है। तदनुसार आस्तियों को चालू, विशेष उल्लेख, अवमानक, संदिग्ध और हानि प्रवर्ग में वर्गीकृत किया जाता हैं।

''आस्तियाँ'' अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत की जाती हैं। अर्जक आस्तियाँ, राजस्व अर्जित करने के लिए किसी बैंक द्वारा निधियों का प्रावधान है। ''अनर्जक आस्तियाँ '' बैंक की अर्जक आस्तियों के अलावा है जिसमें हानि की संभावना है।

कोई आस्ति अनर्जक तब होती है जब वह बैंक के लिए राजस्व उत्पन्न करना बंद कर देती है। अनर्जक आस्ति ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ मूलधन और/या ब्याज 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है।

गत देय : किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय राशि गतदेय होती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को नहीं किया जाता है।

1 जनवरी, 2010 को पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके ने नई लेखांकन नीति अर्थात् पीएसएके 50 एवं 55 का कार्यान्वयन शुरु किया जो अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक आईएएस 32 एवं 39 के समान है जिसके अनुसार वित्तीय आस्ति मूल्य पर, आवश्यक रुप से, प्रस्तुत की जानी चाहिए। पीएसएके 50एवं 55 के कार्यान्वयन के दौरान बैंक इंडोनेशिया ने यह दिशानिर्देश जारी किए कि यदि बैंक ऐतिहासिक हानि डाटा का रखरखाव ट्रांजिशन अवधि अर्थात वर्ष 2011 तक नहीं रखता है तो वह ऊपर वर्णित अनुसार वित्तीय आस्तियों की गणना अनर्जक के रुप में कर सकता है।

ग. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (सहायक कंपनी)

गत देय एवं अनर्जक की परिभाषा (लेखांकन उेश्य के लिए);

ओवरड्राफ्ट एवं अन्य ऋण सुविधा बिना विशिष्ट नियत तारीखों के गत देय माने जाएंगे यदि

1. ग्राहक की उधार सीमा से अधिक हो जाए।
2. ग्राहक की उधार सीमा समाप्त हो जाए।
3. गणना किए गए ब्याज और अवधि के लिए नियत ब्याज को पूरा करने के लिए जमाराशियों का अपर्याप्त होना
4. बिल अनादृत कर दिए गए हो।
5. बिल या खाते का भुगतान नियत तारीख पर न किया गया हो।

ऋण जिनका भुगतान किस्तों में दिए जाने पर समूचे रुप से गतदेय माने जाते हैं। यदि कोई भी किस्त जो देय हो चुकी है और तीस दिन या ज्यादा अवधि के लिए भुगतान नहीं की गई हो, बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिएः

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	10%
181-270	संदिग्ध	50%
271 और अधिक	हानि	100%

debtor and repayment capacity. It is undertaken depending upon the materiality and significance of each assessment factor and components and the relevance of the assessment factors and components to the characteristics of the debtor concerned. Accordingly, the assets are classified into current, special mention, sub-standard, doubtful and loss category.

"Assets" are classified into Earning Assets and Non-earning Assets. Earning Assets are provision of funds by a bank to earn revenues. "Non Earning Assets" are assets of the Bank other than Earning Assets with potential for Loss.

An asset becomes non-performing when it ceases to generate revenue for the bank. A non performing asset is a loan or an advance where the arrears in principal and / or interest exceed 90 days.

Past due: Any amount due to the bank under any credit facility is "past due" if it is not paid on the due date fixed by the bank.

On 1st January 2010, PT Bank Swadesi Tbk started implementation of the New Accounting Policy i.e. PSAK 50 & 55 which is similar to the International Accounting Standards IAS 32 & 39 according to which the financial asset must be presented at the fair value. During the implementation of PSAK 50 & 55, Bank Indonesia issued the guidelines that if the Bank does not maintain historical loss data, during the transition period i.e. until the year 2011, it can compute the financial asset impaired as described above.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary)

Definitions of past due and impaired (for accounting purposes);

Overdrafts and other credit facilities without specific due dates shall be considered past due if

a. Exceeds the customer's borrowing limit.
b. Customers borrowing limit is expired.
c. Deposits are insufficient to cover the interest calculated and due for the period
d. Bill has been dishonored
e. Bill or account is not paid on due date

Loans which are payable in installments are considered as past due in their entirety. If any of the Instalments have become due and unpaid for thirty days or more outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	10%
181-270	Doubtful	50%
271 and More	Loss	100%

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

क. बैंक ऑफ़ इंडिया

1. एक बैंक के पोर्टफोलियों में, एक ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष का उधार, व्यापार समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन के प्रतिबद्धता को पूर्ण करने कीअक्षमता या अनिच्छा से अथवा ऋण नीति में वास्तविक या महसूस किए गए हास से पोर्टफोलियों के बढ़ते मूल्य की एकमुश्त चूक से हानि उत्पन्न होती है।

2. इन कमियों के विरुद्ध बैंक के दीर्घावधि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक दृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ऋण जोखिम प्रबंधन में पहचान, मापन, निगरानी तथा ऋण जोखिम नियंत्रण सम्मिलित है।

3. ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में सामान्य स्तर पर बैंक ने विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम की पहचान की है। उत्पाद/प्रक्रियाओं के स्तर पर अधिक कणिकामय पहचान होती है। नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को आरम्भ करने से पहले विभिन्न जोखिमों का आकलन किया जाता है, जिसे जोखिम दृष्टिकोण से जोखिमरहित किया जाता है।

4. ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में तीन विशिष्ट खण्डों को इसकी नीति में समाहित किया गया है जो है- **नीति एवं कार्यनीति, संस्थागत ढ़ांचा और परिचालन/प्रणाली।**

4.1 नीति और कार्यनीति

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन को अपनाता रहा है, जिससे कठिन समय में भी बैंक अपने संतुलन को बनाए रहा। यद्यपि नए तथा अनछुए क्षेत्रों के संबंध में बैंक की एक खुली नीति रही है तथा नए अवसरों को बैंक ने हमेशा पहचाना है। इस दर्शन के महत्वपूर्ण पक्षों को परिपत्रों में दर्शाया गया है तथा आवधिक तौर पर अनुदेश पुस्तिका से उकेरा गया है।

लाभप्रदता, सामना किए जानेवाले विभिन्न जोखिमों के स्तर, पूँजी स्तर, बाजार परिदृश्य तथा प्रतियोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के कारोबारी उद्देश्यों और कार्यनीतियों का निर्णय लिया जाता है। बैंक की सोच हमेशा आस्ति गुणवत्ता तथा अर्जन पर रहती है अतएवं वह विवेकपूर्ण ढ़ंग से जोखिम नियंत्रण सहित लाभप्रदता वृद्धि का मेल करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा सार्थक ऋण जोखिम संबंधी नीति जैसे ऋण नीति तथा ऋण अनुप्रवर्तन नीति का अनुमोदन होता है तथा आवधिक तौर पर निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है। ऋण नीति अपने में विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जैसे ग्राहक, विपणन, उधार के क्षेत्रवार अभिगम, ऋण सुपुर्दगी, ऋण महत्व, ऋण अवधि, ऋण अर्जन, ऋण निर्धारण (जोखिम स्वीकार मानदंड सहित), मूल्य, ऋण मूल्यांकन, ऋण निर्धारण, ऋण जोखिम मानदंड, उद्योग मानदंउ, संपार्श्विक और मार्जिन, रिश्तों की समीक्षा, सांविधिक तथा अन्य नियंत्रण तथा प्रलेखीकरण। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों हेतु ऋण नीति से सहबद्ध है। ऋण मामले में शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए एक अलग नीति है। इसके अतिरिक्त ऋण जोखिम की पहचान तथा निगरानी ऋण

Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy

A BANK OF INDIA

1. In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions or from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality.

2. Against this backdrop a robust risk management framework is necessary for the long-term financial health of a bank. Credit Risk Management encompasses identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures.

3. The Bank has identified various types of credit risk at a generic level in the Credit Risk Management policy. More granular identification is done at the product /process level. Various risks are looked into before introducing new products/processes, which are cleared from the risk angle

4. The Credit Risk Management framework outlined in the policy is built on three distinct building blocks namely **Policy & Strategy, Organisational Set up and Operations/Systems.**

4.1 Policy and Strategy

The Bank has been following a conservative risk philosophy, which has steered the bank through difficult times. However the Bank has an open policy regarding new and unexplored areas and new opportunities are not lost sight of. The important aspects of this philosophy are embodied in the circulars and are periodically codified in the form of Manual of Instructions.

The business objectives and the strategy of the Bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is always conscious of its asset quality and earnings and hence judiciously matches profit maximisation with risk control.

The Credit Risk Management policy and significant credit risk related policies like Credit Policy, and Credit Monitoring Policy are approved and periodically reviewed by the Board of Directors. The Credit Policy covers various areas of credit like Clientele, Marketing, Segmented Approach to Lending, Credit Delivery, Credit Thrust, Tenure of Credit, Credit Acquisition, Risk Rating (including risk acceptance criteria), Pricing, Credit appraisal, Assessment of Limits, Exposure Norms, Industry Norms, Collateral and Margins, Review of Relationship, Scheme of Delegation, Statutory and other Restrictions and Documentation. Credit Policy for International Operations is in place and each centre has its own credit policy dovetailed to the main policy. The delegation of powers for credit matters is covered by a separate policy. In addition Credit Risk is tracked and monitored as per the Credit Monitoring Policy. Restructuring Policy, Write Off and Recovery Policy,

अनुप्रवर्तन नीति के अंतर्गत की जाती है। पुनर्गठन नीति, बैंक जोखिम नीति, देश जोखिम नीति तथा ऋण लेखापरीक्षा नीति भी तैयार है। निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के बाद तथा निवेश नीति में दिए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश अनुबंधित होता है।

4.2 संस्थागत ढांचा

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य हेतु बैंक के संस्थागत ढांचे में शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल है जो व्यापक दृष्टिकोण रखता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर कॉम) जो कि बोर्ड की उप-समिति है तथा जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं और इसके सदस्य के रुप में ऋण के प्रमुख, बाजार और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति हैं जो ऋण जोखिम सहित समेकित जोखिम प्रबंधन की नीति और कार्यनीति निधारित करते हैं। परिचालनात्मक स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) ऋण जोखिम का दायित्व संभालते हैं। इसके मुख्य कार्यों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन, बृहत आधार पर बैंक के ऋण जोखिम की निगरानी, ऋण प्रत्यायोजन, बृहत ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, पोर्टफोलियों प्रबंधन आदि सहित ऋण मामलों से संबंधित सभी नीतियों का बोर्ड से अनुमोदन हेतु अनुशंसा है।

जोखिम प्रबंधन विभाग महाप्रबंधक पद के मुख्य जोखिम अधिकारी के देखरेख में कार्यरत है जो बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर बृहद आधार पर ऋण जोखिम का मापन, नियंत्रण तथा प्रबंधन करता है तथा बोर्ड/आर कॉम/सीआरएमसी द्वारा तय जोखिम मानदंडों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करता है। महाप्रबंधक के अंतर्गत कार्यरत ऋण अनुप्रवर्तन विभाग ऋण पोर्टफोलियों का अनुप्रवर्तन करता है, समस्याओं की पहचान है तथा कमियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋण लेखापरीक्षा कार्य द्वारा ऋण समीक्षा/ऋण लेखापरीक्षा की जाती है।

4.3 परिचालन/प्रणाली/प्रक्रिया

बैंक सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन पहल करता है, जैसे ऋण प्रदान करने के लिए निरंतर एक मानकता, तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली मदों सहित सभी ऋण जोखिमों का अनुरक्षण तथा प्रलेखीकरण, आवधिक व्यक्तिगत बाध्यताधारी समीक्षा, आवधिक निरीक्षण तथा संपार्श्विक प्रबंधन प्रणाली।

ऋण जोखिम सीमा में उद्योग द्वारा बाध्यताधारी सीमा व संकेन्द्रण सीमा, ग्राहकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु प्रणाली व प्रक्रिया हेतु निगरानी तथा सीमा में बकाया नियंत्रण सम्मिलित है। ऋण विस्तार हेतु जांचे तथा अधिशेष है यथा ऋण स्वीकृति से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, सीआरएमसी द्वारा जोखिम दृष्टिकोण से नए उत्पादों तथा प्रणाली का पुनरीक्षण, बहु ऋण अनुमोदक, जोखिम निर्धारण करने की प्रणाली, ग्राहक के जोखिम ग्रेडिंग पर आधारित कीमत सुविधाओं की प्रणाली, जोखिम दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति, ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा, स्वीकृति पूर्व संवितरण पूर्व समीक्षा तथा स्वीकृति पूर्व समीक्षा प्रणाली तथा स्वतंत्र

Asset Classification and Provisioning Policy, Bank Exposure Policy, Country Risk policy and Credit Audit Policy are also in place. Investments are contracted as per the policy guidelines laid down in the Investment Policy and after clearance by the Investment Committee.

4.2 Organisational Set up

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex levels that have the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (RCom) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director and whose members also include heads of Credit, Market & Operational Risk Management Committees, devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk. At is the operational level the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions includes implementation of credit risk management policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit matters including delegation of credit, prudential limits on large credit exposures, portfolio management, etc.

The Risk Management Department headed by the Chief Risk Officer of General Manger rank, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RCom/CRMC. The Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

4.3 Operations/Systems/Processes

The Bank has proactive Credit Risk Management practices like consistent standards for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items, periodic individual obligor reviews, periodic inspections and collateral management systems.

Credit risk limits including obligor limits and concentration limits by industry, systems and procedures for monitoring financial performance of customers and for controlling outstanding within limits are followed. Checks and balances are in place for extension of credit viz. separation of credit risk management from credit sanction, vetting of new products and systems from risk angle by the CRMC, multiple credit approvers, system of assigning risk rating, vetting of ratings, mechanism to price facilities depending on the risk grading of the customer, Credit Risk Evaluation committee for vetting credit proposals from risk angle, credit process audit, post sanction pre disbursement review and post sanction review systems and an independent audit and risk review function. Proposals for investments are

लेखापरीक्षा व जोखिम समीक्षा कार्य निवेशों हेतु प्रस्ताव ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन तथा क्रम निर्धारण के अध्यधीन है। प्रवेश स्तर के मामले में, न्यूनतम क्रमनिर्धारण/गुणवत्ता मानक, उद्योग, परिपक्वता, अवधि, निर्गम अनुसार मामले निवेशों हेतु विनिर्धारत किए गए हैं जिससे कि तरलता के जोखिम तथा संकेन्द्रण के विपरीत प्रभाव को कम कर सकता है। अन्य बैंकों पर सकल जोखिम पर केन्द्रीयकृत परिदृश्य प्रदान करने हेतु एक उचित फ्रेमवर्क तथा अर्धवार्षिक समीक्षा की गई है। देश के जोखिम का अनुप्रवर्तन अर्धवार्षिक आधार पर होता है।

जोखिम आस्तियों के विविधतापूर्ण पोर्टफोलियों का अनुरक्षण किया जाता है तथा पोर्टफोलियों के नियमित विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जिससे कि जोखिम संकेन्द्रण के जोखिम नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। अनर्जक अग्रिमों के संबंध में एक संतुलित नीति प्रक्रियागत है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के आरम्भ सहित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उन्नतिशील किया गया है जिससे कि बैंक की क्षमताएं बढ़ेगी तथा तुलन पत्र में न आनेवाली आनेवाली सभी गतिविधियों के ऋण जोखिम का बैंक प्रबंधन करेगा।

5. ऋण जोखिम प्रबंधन/न्यूनीकरण हेतु निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जाता है -

क) ऋण अनुमोदित करनेवाला अधिकारी-अधिकारों का प्रत्यायोजन

बैंक में बहु स्तरीय जोखिम आधारित अनुमोदित प्रणाली वाली सुस्पष्ट प्रत्यायोजन अधिकार की योजना है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबार के वातावरण की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए जब एवं जैसा आवश्यक होता है, उसे संशोधित किया जाता है।

ख) विवेकपूर्ण सीमाएँ

विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए ऋण/निवेश के विविध पहलुओं जैसे एकल/समूह उधारकर्ता सीमाओं के संबंध में उपयुक्त विवेकपूर्ण सीमाएँ हैं।

ग) जोखिम श्रेणी निर्धारण/मूल्य निर्धारण

ऋण निर्धारण में गुणात्मक सुधार लाने तथा ऋण बही की गुणवत्ता की निरंतर मूल्यांकन के लिए ऋण लेखापरीक्षा/ एलआरएम के प्रभावी प्रणाली है।

घ) ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था (एलआरएम)

ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था ऋण बही की गुणवत्ता के लगातार मूल्यांकन करने और ऋण प्रबंध में गुणात्मक सुधार लाने हेतु एक प्रभावी साधन है।

ङ) विश्लेषण के माध्यम से संविभाग प्रबंधन

विभिन्न ऋण पोर्टफोलियों एवं निवेशों की समग्र संरचना और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक उपयुक्त प्रणाली होना भी महत्वपूर्ण है। इस उेश्य से शुरुआत के लिए बैंक ने एक सरल पोर्टफोलियों निगरानी फ्रेमवर्क प्रारंभ किया है। आगे चलकर बैंक और अधिक परिष्कृत

subjected to credit risk analysis, detailed appraisal and rating. As a matter of entry level, minimum ratings/quality standards, industry, maturity, duration, issue-wise limits are stipulated for investments to mitigate the adverse impact of concentration and risk of liquidity. Investment exposure is taken into consideration while computing exposure to a customer/group. A suitable framework is in place to provide a centralised overview on the aggregate exposure on other banks and half-yearly reviews are undertaken at a single point. The country exposures are monitored on half yearly basis.

A diversified portfolio of risk assets is maintained and a system to conduct regular analysis of the portfolio so as to ensure ongoing control of risk concentrations is in place. A conservative policy for provisioning in respect of non-performing advances is followed. Management Information System (MIS) is being upgraded with introduction of Credit Risk Management System, which would enhance the capabilities of the bank to manage and measure the credit risk inherent in all on- and off-balance sheet activities.

5. The following tools are used for credit risk management/ mitigation -

a. Credit Approving Authority – Delegation of Powers

The Bank has a well-defined scheme of risk based delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment

b. Prudential Limits

Prudential limits on various aspects of credit/ investment like Single/Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

c. Risk Rating/Pricing

The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.

d. Credit Audit/Loan review mechanism (LRM)

Credit Audit/LRM is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

e. Portfolio Management through analysis.

It is also important to have in place a system for monitoring the overall composition and quality of various credit portfolios and investments. With this objective, to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more

पोर्टफोलियों प्रबंधन मॉडल तैयार करेगा। ₹ 10 लाख और इससे अधिक वाले खातों में रेटिंग माइग्रेशन छःमाही किया जा रहा है और बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट साफ्टवेयर (सीआरएमएस) चरणबद्ध रुप से कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत समय-सीमा के अनुसार एडवांस एप्रोच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है।

6. जोखिम मापांकन

वर्तमान में ऋण जोखिम का निर्धारण जोखिम श्रेणी निर्धारण व्यक्तिशः स्तर पर करने और पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों के भारांक एवं जोखिमभारांको के आधार पर रखी गई पूँजी के माध्यम से किया जाता है। 31 मार्च 2008 से प्रभावी नवीन पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अन्तर्गत बैंक ने मानक दृष्टिकोण को अपना लिया है।

7. जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली

सभी ऋण संबंधी नीतियाँ अनुमोदन के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सीआरएमसी (जो ऋण जोखिम के लिए परिचालन स्तर की समिति है) द्वारा अनुमत की जाती है। उचित निगरानी करने के लिए विभिन्न ऋण संबंधी सूचनाएँ सीआरएमसी को प्रस्तुत की जाती है।

8. जोखिम समीक्षा

लेखापरीक्षा-ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं साधन भी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं।

ख. पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके (सहायक कंपनी)

बैंक स्वदेशी नए ऋणों को अनुमोदित करने में चयनात्मक है और विनियामक की अपेक्षा से अधिक उच्चतर ऋण प्रावधान का रख-रखाव करता है। संपार्श्विक आधारित उधार में संपार्श्विक के मूल्य में मार्जिन (हेयर कट) लागू किया जाता है। बैंक का जोखिम प्रबंधक निदेशक अनुपालन को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) ऋण अनुमोदन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण/निरीक्षण करती है। सभी प्रभाग जिसमें आरएमयू शामिल है, का पर्यवेक्षण आंतरिक नियंत्रक कार्यों एवं नीतियों को मजबूत बनाने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा किया जाता है। आरएमसी बोर्ड ऑफ़ कमिश्नर को रिपोर्ट करती है।

ग. बैंक ऑफ़ इंडिया तंजानिया लि. (सहायक कंपनी)

निदेशक मंडल ने अपनी ऋण समिति को ऋण जोखिम की चूक के लिए जिम्मेदारी प्रत्यायोजित की है। ऋण समिति को रिपोर्ट करने वाला ऋण विभाग बैंक के ऋण के जोखिम के प्रबंधक के लिए जिम्मेदार है, इसमें समावेश हैः-

- संपार्श्विक अपेक्षाओं ऋण अभिनिर्धारण, रिस्क-ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग, दस्तावेजी और विधिक क्रियाविधि एवं विनियामक और सांविधिक अपेक्षाओं को सम्मिलित करते हुए ऋण नीतियाँ बनाना।
- ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए प्राधिकृत करने का ढ़ाँचा स्थापित करना। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति द्वारा ऋण सीमाएँ शामिल होती है।

sophisticated Portfolio Management model. Rating Migration of accounts with ₹ 10 lacs and above is being done on half yearly and submitted to Board. Credit Risk Management Software (CRMS) is being implemented phase-wise. Bank is getting prepared for adopting Advanced Approaches.

6. Risk Measurement

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights. The Bank has migrated to the Standardized approach under the New Capital Adequacy Framework (Basel II), effective 31st March 2008.

7. Risk Reporting System: -

All credit related policies are cleared by the CRMC (which is the operational level committee for credit risk) before submission to the appropriate authorities for approval. Various Credit Related reportings are submitted to CRMC to enable proper monitoring.

8. Risk Review:

Audit – Credit Risk Management Systems procedures and Tools are also subjected to internal audit for ensuring effectiveness.

B. PT Bank Swadesi Tbk (Subsidiary)

Bank Swadesi is selective in approving new credits and maintains higher loan provisions than that required by the Regulator. In collateral based lending, hair cut is applied to the value of collateral. The Risk Manager of the bank reports to the Director Compliance. Risk Management Unit (RMU) supervises/ has oversight of the credit approval process. All the Divisions including the RMU are supervised by the Risk Management Committee (RMC) for strengthening the Internal Control functions and policies. The RMC reports to Board of Commissioners.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary)

The Board of Directors has delegated responsibility for the oversight of credit risk to its Credit committee. The credit department of the bank, reporting to the Credit committee is responsible for management of the bank's credit risk, including:-

- Formulating credit policies covering collateral requirements, credit assessment, risk grading and reporting, documentary and legal procedures, and compliance with regulatory and statutory requirements.
- Establishing the authorization structure for approval and renewal of credit facilities. The credit limits are governed by the Credit policy, as approved by the board.

- ऋण जोखिम की समीक्षा एवं अभिनिर्धारण
- ऋण जोखिम के केन्द्रीयकरण को प्रतिपार्टियों, भौगोलिक एवं औद्योगिक दृष्टिकोण से सीमित करना (ऋणों एवं अगिमों के लिए)

मानक खातों में संभावी चूकों या व्यतिक्रमों का ध्यान रखने के लिए मासिक ब्याज लगाना एक उपयोगी साधन है। आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बैंक ने निम्नलिखित नीति अपनाई है :

क) उधारकर्ता के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से अतिदेयता न्यूनतम अनिवार्य राशि वसूल करना।

ख) अस्थायी रोकड़ प्रवाह के मिसमैच के मामलों में खातों में परिचालन को बनाए रखना।

ग) अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुसार चुकौती मीयाद को पुनर्निर्धारित करना।

घ) यदि कोई, पुनर्गठित नीति में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित नकदी प्रवाह एवं नकदी प्रवाह में अंतराल को ध्यान में रखते हुए बकाया पुनर्गठन।

एनपीए होने से पहले खातों में बैंक द्वारा उपरोक्त में एक या अधिक कार्रवाई की गई है।

विशेषकर उल्लिखित खाते/एनपीए खातों के अनुपालन हेतु उपाय

सामान्यतः बैंक में उपलब्ध विभिन्न एनपीए निगरानी/निवारण का मतलब नीचे सूचीबद्ध किया गया है :

क) एनपीए होने से पहले खाता (विशेष रूप से उल्लिखित खाता)

i) आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वीकृत अवधि के अनुपालन हेतु सघन निगरानी।

ii) जहाँ भी अनियमितताएँ पाई गई है वहां तत्परता से अनुस्मारकों का भेजा जाना।

iii) एनपीए प्रवर्ग में खाते का न जाना सुनिश्चित करने हेतु तुरंत अतिदेयों की वसूली करना।

iv) वित्तीय डाटा के विश्लेषण के साथ इकाई का आवधिक निरीक्षण एवं आस्ति प्रभार।

v) खातों को एनपीए होने से पहले प्राप्य राशियों को पुनर्संरचित करना, अधिस्थगन अवधि, ब्याज निधि एवं किश्तों के आस्थगन की वृद्धि सहित सुधारात्मक कार्रवाई।

ख) एनपीए होने के बाद खाता बैंक की प्राप्य राशियों की वसूली हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए। निम्न से तात्पर्य है कि एनपीए के समाधान हेतु प्रभावशाली ढंग से पीछा किया जाना चाहिए।

i) बकाया को कम करने हेतु अर्थ सुलभ प्रतिभूतियों (टीडीआर, शेयर, मार्जिन राशि आदि) एवं गिरवी वस्तुओं का विनियोजन

ii) उधारकर्ताओं के सहयोग से अन्य प्रतिभूतियों का निपटान

iii) समझौतावार्ता के माध्यम से प्राप्य राशियों का समझौता निपटान

iv) अग्रिम वापसी

v) अदालत में मुकदमा दाखिल डिक्री निष्पादन

vi) अंत में, प्राप्य राशियों की वसूली के सभी मौकों के बाद समाप्त किया जाता है; हम शेष प्राप्य राशियों को बट्टे खाते की सहायता लेते हैं।

- Reviewing and assessing credit risks.
- Limiting concentrations of exposure to counterparties, geographies and industries (for loans and advances).

Monthly interest application has become a useful tool to tackle potential delinquencies or defaults in standard accounts. To retain the asset quality, the Bank has adopted the following policy:-

a) Recover the overdues or at least the critical amount through active follow up with borrowers;

b) Put the accounts under holding on operations in case of temporary cash flow mismatches;

c) Reschedule the repayment terms as per expected cash flows;

d) Restructure the dues in keeping with the expected cash flows and gaps in cash flows, if any as per guidelines given in the restructuring policy.

Any one or more of the above actions are taken by the Bank before the account becomes NPA.

Measures for follow up of Especially Mentioned Accounts / NPA Accounts

The various means of monitoring / resolving NPAs generally available to the Banks are listed below:-

A) Before the account becoming NPA (Especially Mentioned A/c)

i) Close monitoring for compliance of sanction terms to maintain asset quality.

ii) Reminders to be sent promptly whenever irregularities are observed.

iii) To recover overdues quickly to ensure account does not slip to NPA category

iv) Periodic inspection of the unit and charged assets along with analysis of financial data.

v) To restructure the dues before accounts become NPAs. Remedial action includes enhancement of moratorium period, funding of interest, and deferment of installments.

B) After the account becoming NPA – following measure to be initiated for recovering Bank's dues. The following means have to be effectively pursued for resolution of NPAs.

i) Appropriation of liquid securities (TDR, shares, margin money etc.) and pledged goods, to reduce outstanding

ii) Disposal of other securities, with the co-operation of borrowers.

iii) Compromise settlement of dues through negotiation

iv) Recalling the advance

v) Filing suit in Court– Execution of decree

vi) Lastly, after all the chances of recovery of dues are exhausted, we may resort to writing off of the balance dues

मात्रात्मक प्रकटन

1. कुल सकल ऋण जोखिम निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

प्रवर्ग	राशि
निधि आधारित	216778
गैर-निधि आधारित	44092

2. जोखिम का भौगोलिक वितरण

(₹ करोड़ में)

	स्वदेशी	विदेशी
निधि आधारित	165147	51631
गैर-निधि आधारित	39378	4714

3. उद्योगवार जोखिम का वितरण निम्नलिखित है

(₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम निधि आधारित	निधि आधारित बकाया राशि	गैरनिधि आधारित बकाया राशि
कोयला	162.23	–
खदान	1137.14	368.45
लौह एवं इस्पात	10203.38	28.68
अन्य धातु एवं धातु	2530.08	1017.59
सभी इंजीनियरिंग	1927.76	1225.59
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	779.98	111.80
विद्युत	7389.04	–
सूती वस्त्र उद्योग	4214.51	–
जूट वस्त्र उद्योग	90.14	–
अन्य वस्त्र उद्योग	3541.36	350.39
चीनी	1409.58	–
खाद्य प्रसंस्करण	621.06	614.69
वनस्पति तेल एवं वनस्पति	146.18	–
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	464.57	–
पेपर एवं पेपर उत्पाद	846.66	72.01
रबर एवं रबर उत्पाद	1873.06	212.29
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	4379.45	429.55
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	237.19	–
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	1073.36	–
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	2077.70	–
सीमेंट	921.44	12.38
चर्म एवं चर्म उत्पाद	461.04	8.72
रत्न एवं आभूषण	3730.86	430.07
निर्माण	1742.38	787.67
पेट्रोलियम	968.70	232.34
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	2359.59	1158.73
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	18.02	–
संरचनात्मक	13015.00	5328.92
अन्य उद्योग	12076.35	6188.17
शेष अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों सहित नामे शेष)	140547.96	25625.28
कुल	**216777.81**	**44091.52**

* संरचनात्मक क्षेत्र का ऋण-जोखिम 6% है जो कुल निधि आधारित अग्रिमो का 5% से ज्यादा है।

* संरचनात्मक का ऋण-जोखिम 12.09% है जो कुल गैर निधि आधारित बकाया का 5% से ज्यादा है।

Quantitative Disclosures:

1. The total gross credit exposures are:

(₹ in Crores)

Category	Amount
Fund Based	216778
Non Fund Based	44092

2. The geographic distribution of exposure is:

(₹ in Crores)

	Domestic	Overseas
Fund Based	165147	51631
Non Fund Based	39378	4714

3. Industry type distribution of exposure is as under:

(₹ in Crores)

Industry Name	Fund Based Amt Outstanding	Non Fund Based Amt Outstanding
Coal	162.23	–
Mining	1137.14	368.45
Iron & Steel	10203.38	28.68
Other Metal & Metal Products	2530.08	1017.59
All Engineering	1927.76	1225.59
Of which Electronics	779.98	111.80
Electricity	7389.04	–
Cotton Textiles	4214.51	–
Jute Textiles	90.14	–
Other Textiles	3541.36	350.39
Sugar	1409.58	–
Food Processing	621.06	614.69
Vegetable Oil & Vanaspati	146.18	–
Tobacco & Tobacco Products	464.57	–
Paper & Paper Products	846.66	72.01
Rubber & Rubber Products	1873.06	212.29
Chemical, Dyes, Paints etc.	4379.45	429.55
Of which Fertilisers	237.19	–
Of which Petro-chemicals	1073.36	–
Of which Drugs & Pharmaceuticals	2077.70	–
Cement	921.44	12.38
Leather & Leather Products	461.04	8.72
Gems & Jewellery	3730.86	430.07
Construction	1742.38	787.67
Petroleum	968.70	232.34
Automobiles including trucks	2359.59	1158.73
Computer Software	18.02	–
Infrastructure *	13015.00	5328.92
Other Industries	12076.35	6188.17
Residuary Other Advances (to balance with Gross Advances)	140547.96	25625.28
Total	**216777.81**	**44091.52**

* Exposure to Infrastructure Sector at 6% exceeds 5% of total fund based advances

* Exposure to Infrastructure at 12.09% exceeds 5% of total non fund based outstanding.

4. आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित हैः

(₹ करोड़ में)

परिपक्व पैटर्न	अग्रिम*	निवेश (सकल)	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ *
अगले दिन	19145.82	23.20	2270.17
2 - 7 दिन	4005.08	2071.30	3565.12
8 - 14 दिन	3387.32	913.63	1655.51
15 - 28 दिन	7654.57	1406.01	4075.14
29 दिन - 3 माह	50723.45	7787.51	13730.80
>3 माह - 6 माह	23531.26	1917.89	10464.87
> 6 माह - 1 वर्ष	19070.35	1400.95	7639.24
>1 वर्ष - 3 वर्ष	25401.14	7264.43	7002.70
> 3 वर्ष - 5 वर्ष	24433.99	8863.84	5616.52
> 5 वर्ष	36373.83	54335.52	6548.00

* आँकड़े निवल आधार पर दर्शाए गए हैं।

5. सकल एनपीए इस प्रकार हैं -

प्रवर्ग	(₹ करोड़ में)
अवमानक	2098.80
संदिग्ध-1	1156.81
संदिग्ध - 2	735.90
संदिग्ध - 3	290.29
हानि	547.88
कुल	**4829.68**

6. निवल एनपीए की राशि '1957.73 करोड़ है।

7. एनपीए अनुपात निम्नानुसार है :

   क. सकल अग्रिमों पर सकल एनपीए : 2.23%

   ख. निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए : 0.92%

8. सकल एनपीए का उतार चढ़ाव निम्नप्रकार है :

(₹ करोड़ में)

i) वर्ष के प्रारंभ में अथशेष	4893.14
ii) वर्ष के दौरान किया गया परिवर्धन	2921.89
iii) वर्ष के दौरान की गई कटौती	2985.35
iv) वर्षान्त मे इतिशेष (i+ii-iii)	4829.68

9. एनपीए हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

i) वर्ष के प्रारंभ में अथशेष (फ्लोटिंग प्रावधान को छोड़कर)	2201.29
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	1141.16
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	1114.78
iv) वर्षान्त मे इतिशेष (i+ii-iii)	2227.67

4. The residual contractual maturity break down of assets is:

(₹ in Crores)

Maturity Pattern	Advances*	Investments (gross)	Foreign Currency Assets*
Next day	19145.82	23.20	2270.17
2 – 7 days	4005.08	2071.30	3565.12
8 –14 days	3387.32	913.63	1655.51
15 – 28 days	7654.57	1406.01	4075.14
29 days – 3 months	50723.45	7787.51	13730.80
>3 months – 6 months	23531.26	1917.89	10464.87
> 6months – 1 year	19070.35	1400.95	7639.24
>1 year – 3 years	25401.14	7264.43	7002.70
> 3 years – 5 years	24433.99	8863.84	5616.52
> 5 years	36373.83	54335.52	6548.00

* Figures are shown on net basis

5. The gross NPAs are:

Category	(₹ in Crores)
Sub Standard	2098.80
Doubtful – 1	1156.81
Doubtful – 2	735.90
Doubtful – 3	290.29
Loss	547.88
TOTAL	**4829.68**

6. The amount of net NPAs is Rs. 1957.73 crores.

7. The NPA ratios are as under:

   a. Gross NPAs to Gross Advances: 2.23%

   b. Net NPAs to Net Advances: 0.92%

8. The movement of gross NPA is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening balance at the beginning of the year	4893.14
ii) Additions during the year	2921.89
iii) Reductions during the year	2985.35
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	**4829.68**

9. The movement of provision for NPAs is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening balance at the beginning of the year (excluding floating provision)	2201.29
ii) Provisions made during the year	1141.16
iii) Write-off/write-back of excess provisions	1114.78
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	**2227.67**

10. अनर्जक आस्ति निवेश की राशि '262.60 करोड़ है।

11. अनर्जक आस्ति निवेश हेतु किए गए प्रावधान की राशि ' 259.81 करोड़ है।

12. निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्न प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

i) वर्ष के प्रारंभ में अथशेष	886.28
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	137.03
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन / बट्टे खाते में डालना	333.59
iv) वर्षान्त में इतिशेष (i+ii-iii)	689.72

तालिका डीएफ-5

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए

- किसी भी परिवर्तन हेतु कारणों सहित, उपयोग की गई ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों का नाम
- ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया है; एवं
- बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों से संबद्ध लोक निर्गम श्रेणी निर्धारण अंतरण हेतु प्रयुक्त की गई प्रक्रिया का वर्णन

एः बैंक ऑफ इंडिया

1. बैंक ने सी आर ए आर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए निम्नलिखित ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की सामान्य श्रेणी निर्धारण के उपयोग किए जाने हेतु अनुमोदन किया है। देशी दावों के लिए **सी आर आई एस आई एल, आई सी आर ए, फिच इंडिया एवं सी ए आर ई तथा अनिवासी कार्पोरेट्स, विदेशी बैंको एवं विदेशी प्रभुसत्ता** पर दावों के लिए एस एंड पी, फिच एवं मूडी, एस एम ई श्रेणी निर्धारण का उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें आर बी आई द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

2. इन सभी एजन्सियों के श्रेणी निर्धारण का उपयोग, बासेल-II के अंतर्गत सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोणान्तर्गत, श्रेणीकरण के अधीन समस्त ऋण जोखिमों के जोखिम भार प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।

   बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम श्रेणी निर्धारण अंतरण हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया आरबीआई की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। लोक श्रेणी निर्धारण इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई है। श्रेणी निर्धारण जो केवल संबद्ध श्रेणी निर्धारण एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार प्रभावी है एवं पूर्व 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार पुनरीक्षित की गई है, का उपयोग किया जाता है। विशेष दूसरे पक्ष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक द्वारा श्रेणी निर्धारण के लिए केवल एक ही एजेन्सी का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इस अपवाद

10. The amount of non-performing investment is Rs. 262.60 crores.

11. The amount of provision held for non-performing investment is Rs. 259.81 crores

12. The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening balance at the beginning of the year	886.28
ii) Provisions made during the year	137.03
iii) Write-off/write-back of excess provisions	333.59
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	689.72

Table DF-5

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardised approach

Qualitative Disclosure

a) For portfolios under the standardized approach:

- Names of credit rating agencies used, plus reasons for any changes;
- Types of exposure for which each agency is used; and
- A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book;

A: BANK OF INDIA

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations **CRISIL, ICRA, Fitch India, and CARE for domestic claims and S&P FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.** SME ratings are not being used, as they are not approved by RBI.

2. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II.

   The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.

   For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these

सहित कि जहाँ केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा ऋण जोखिमों का एक से अधिक बार श्रेणी निर्धारण किया जाता है।

3. जोखिम भार प्रयोजनार्थ पात्रता के लिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि, बाह्य ऋण निर्धारण पर विचार किया जाता है एवं बैंक द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण ऋण राशि के संबंध में ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करें। एक ही पार्टी के दूसरे पक्ष को किसी अन्य ऋण जोखिम के लिए विशिष्ट श्रेणी निर्धारण एक निर्गमकर्ता या निर्गम को विस्तारित करते समय, यह ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि के लिए विस्तारित की जाती है। अर्थात दोनों मूल राशि एवं ब्याज हेतु। एक कार्पोरेट समूह के अंतर्गत एक कंपनी के बाह्य निर्धारण का उपयोग जोखिम भार हेतु उसी समूह की अन्य कंपनियों के लिए नहीं होता है।

4. उन व्यक्तियों के लिए जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर होती है, लघु अवधि श्रेणी निर्धारण का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण प्रयुक्त की जाती है। नकद उधार ऋण जोखिम के लिए दीर्घ अवधि ऋण जोखिम ली जाती है।

5. जहाँ एक जारीकर्ता की बाह्य दीर्घावधि क्रम निर्धारण सहित दीर्घावधि ऋण जोखिम है वहाँ 150% का ऋण जोखिम होता है तथा उसी प्रतिरक्षा के सभी अमूल्यांकित दावे चाहे वह अल्पावधि की हो अथवा दीर्घावधि की हो वह 150% ऋण जोखिम वहन करती है उसको छोड़कर जहाँ ऋण जोखिम तकनीक इन दावों के लिए प्रयोग किया जाता है।

6. दीर्घावधि जोखिमों हेतु मानक अभिगम के अंतर्गत ऋण जोखिमों का सीधा आकलन अनुमोदित मूल्यांकन एजेन्सियों द्वारा समनुदेशित किया जाता है। इसके विपरीत, प्रतिपक्ष का अमूल्यांकित अल्पावधि दावा उसके प्रतिपक्ष के मूल्यांकित अल्पावधि दावो पर लागू ऋण जोखिम से कम से कम एक स्तर ज्यादा ऋण जोखिम वहन करता है। बैंकों तथा निगमों के विरुद्ध मूल्यांकित सुविधा से उत्पन्न दावों हेतु ऋण जोखिम निर्गम विशेष अल्पावधि मूल्यांकन जनित है जो अमूल्यांकित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम ऋण का समर्थन नहीं करता है।

7. यदि योग्य ऋण क्रम निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो मूल्यांकन है जो विभाग ऋण जोखिम दर्शा रहा है तो वहाँ उच्च ऋण जोखिम लागू होगा। यदि योग्य ऋण क्रम निर्धारण ऋण एजेंसियों द्वारा तीन या उससे अधिक मूल्यांकन विभिन्न ऋण जोखिम दर्शा रहे हैं तब दो न्यूनतम ऋण जोखिम का परवर्ती मूल्यांकन संदर्भित किया जाता है तथा उन दोनों ऋण जोखिमों में से उच्च ऋण जोखिम लागू होता है यथा द्वितीय न्यूनतम जोखिम ऋण.

8. निवेश दावे का आर डब्ल्यू चयनित ऋण निर्धारण एजेन्सी द्वारा विशिष्ट श्रेणी निर्धारण पर आधारित होता है, जहाँ एक विशिष्ट निर्धारित निर्गम में दावा एक निवेश नहीं होता हैः

   i) विशिष्ट उधार (जहाँ जोखिम भार में श्रेणी निर्धारण का आकलन, जो गैर दर आधारित दावे पर लागू से कम हो) पर लागू श्रेणी निर्धारण बैंक के केवल अनिर्धारित दावे पर लागू होती है। यदि यह दावा समरूप श्रेणी अथवा सभी दृष्टि से विशेष दर आधारित उधार से वरीय हो एवं जहाँ दर आधारित दावा लघु अवधि

exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.

3. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it. Even while extending an issuer or an issue specific rating to any other exposure on the same counterparty it is extended to the entire amount of credit risk exposure i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.

4. For assets that have contractual **maturity less than or equal to one year, short term ratings** are used while for other assets, **long term ratings** are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.

5. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

6. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for long-term exposures. On the contrary, the *unrated short-term* claim on counter-party attracts a **risk weight of at least one level higher** than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.

7. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.

8. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:

   i. the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks *pari passu* or senior to the specific rated debt in all respects

दायित्व होता है, को छोड़कर अनिर्धारित दावे की परिपक्वता, दर आधारित दावे की परिपक्वता के बाद न आती हो।

ii) यदि निर्गमकर्ता अथवा एकल निर्गम की श्रेणी निर्धारित की गई हो, जो गैर निर्धारित दावों पर लागू की जाती है, के जोखिम भार के या बराबर हो अथवा उच्चतर हो, वही दूसरे पक्ष पर गैर दर आधारित दावे, वही जोखिम भार का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि दर आधारित ऋण जोखिम में लागू होता है, यदि सभी दृष्टि से यह दावा दर आधारित ऋण जोखिम से समरूप या कनिष्ठ श्रेणी का हो।

खः पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके (सहायक कंपनी)

बैंक स्वदेशी द्वारा कोई बाह्य ऋण श्रेणी एजेन्सी अनुमोदित नहीं की गई है।

गः बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि. (सहायक कंपनी)

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है। देश कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी परिचालन में नहीं है।

मात्रात्मक प्रकटीकरणः

ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के कम होने के पश्चात ऋण जोखिम की राशि के लिए बैंक की बकाया राशि (दर आधारित एवं गैर दर आधारित) निम्नलिखित बृहत क्षेत्रों एवं जिनकी कटौती की जाती है उन क्षेत्रों; का मात्रात्मक प्रकटीकरण किया जाता है।	
बैंक का (मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन) बीओआई सोलो का कुल ऋण (बाजार से संबद्ध तुलन पत्र मदों को छोड़कर) जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत प्रमुख जोखिम क्षेत्र निम्नानुसार हैः-	
• 100% जोखिम भार से कम	₹ 259868 करोड़
• 100% जोखिम भार	₹ 115254 करोड़
• 100% से अधिक जोखिम भार	₹ 18217 करोड़
• कटौती	शून्य

तालिका डीएफ-6

ऋण जोखिम न्यूनीकरण मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

(क) सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकताओं में यह शामिल हैः

- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं
- बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के प्रमुख प्रकारों का विवरण
- गारंटी दावा काउंटर पार्टी के प्रमुख प्रकार और उनकी ऋण पात्रता एवं
- लिए गए न्यूनीकरण के भीतर (बाजार अथवा ऋण) जोखिम केंद्रीकरण के बारे में सूचना

and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.

ii. if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *pari passu* or junior to the rated exposure in all respects.

B: PT Bank Swadesi Tbk (Subsidiary)

Bank Swadesi has not approved any External Credit Rating Agency

C: Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary)

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency. There is no credit rating agency operating in the Country.

Quantitative Disclosures:

b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardised approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
The total credit exposure of BOI Solo (excluding market related off balance sheet items) of the bank (subject to standardized approach), are classified under major risk buckets are as under: -	
• Below 100% risk weight:	₹ 259868 Crores
• 100% risk weight:	₹ 115254 Crores
• More than 100% risk weight:	₹ 18217 Crores
• Deducted	NIL

Table DF-6

Credit risk mitigation: disclosures for standardised approaches

Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

- policies and processes for collateral valuation and management;
- a description of the main types of collateral taken by the bank;
- the main types of guarantor counterparty and their creditworthiness; and
- information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken.

कः बैंक ऑफ़ इंडिया

1. ऋण जोखिम न्यूनीकरण एक प्रबंधन का अनुकूल साधन है, जो अच्छे एवं बुरे दोनों समय में राजस्व वृद्धि हेतु तैयार किया गया है और जो हानि से कंपनी की प्राप्ति का रक्षण करता है। बैंक उसके दैनिक परिचालनों में आने वाले ऋण जोखिम के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पद्धति और तकनीक अपनाता है ऐसी प्रक्रिया को ऋण जोखिम न्यूनीकरण का नाम दिया गया है और ऋण जोखिम न्यूनीकरण के कुछ तकनीक को पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्य, मुद्रा असंतुलन और परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजन के पश्चात पूंजी प्रभार कटौती करने हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई हैं। नयी पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्प (बासेल ।।) के अंतर्गत पहचाने गए विभिन्न ऋण जोखिम प्रशामक (सीआरएम) निम्नानुसार हैः

   (1) संपार्श्विकृत संव्यवहार

   (2) ऑन - बैलन्स शीट नेटिंग

   (3) गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक

मानक अभिगम के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम प्रशामक के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। निम्नलिखित वित्तीय संपार्श्विक को स्वीकार किया गया हैः

i. नकदी एवं जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा की जमाराशियों सहित
ii. स्वर्ण 99.99% शुद्धता वाले बेंचमार्क सहित
iii. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
iv. किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
v. जीवन बीमा पॉलिसियाँ
vi. ऋण प्रतिभूतियाँ-गैर श्रेणीकृत शर्तों के अध्यधीन
vii. ऋण प्रतिभूतियाँ-गैर श्रेणीकृत, बैंकों द्वारा जारी, शर्तों के अध्यधीन
viii. म्यूचुअल फंडों की यूनिट शर्तों के अध्यधीन

संपार्श्विक संव्यवहारों के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध करने हेतु कतिपय अतिरिक्त मानदंड हैं, जो संपार्श्विक के प्रबंधन पर प्रत्यक्ष वहन है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इस पहलू का ध्यान रखा जाए।

3. तुलन पत्र नेटिंग पर

ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को ऋणों/अग्रिमों (एक्सपोजर के रूप में माने गए) और जमाराशियों (संपार्श्विक के रूप में) तक सीमित रखा जाए, जहाँ पर दस्तावेजो सबूतों सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार सहित बैंक को कानूनी प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था हो और जिसका नेट आधार पर प्रबंधन किया जाता हो।

4. गारंटियाँ

जहाँ प्रत्यक्ष, निर्धारित, अविकल्पी और बिना शर्त गारंटियाँ हो, बैंक पूँजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु ऐसे ऋण संरक्षण को मान सकता है. **पात्र गारंटीदाताओं/काउंटर गारंटीदाताओं की श्रेणी में ये शामिल हैं.**

A: BANK OF INDIA

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, both in good and bad times, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Such a process is termed as credit risk mitigation and some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. The Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

   (1) Collateralised transactions

   (2) On-balance-sheet-netting

   (3) Guarantees

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognised

i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
iii. Securities issued by Central and State Governments
iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
v. Life insurance policies
vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
viii. Units of mutual funds subject to conditions

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The **range of eligible guarantors/ counter guarantors includes:**

(i) शासक, शासकीय संस्था (बीआईएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ कतिपय विनिर्दिष्ट एमडीबी, ईसीजीसी और सीजीटीएसएमई), बैंक और काउंटर पार्टी से अन्य निम्न जोखिम भार सहित प्राथमिक व्यापारी;

(ii) एए अथवा उससे बेहतर श्रेणी की अन्य संस्थाएं

5. बैंक की परिभाषित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो संपार्श्विक के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित संरचना प्रदान करती है। यह उधार में अंतर्निहित ऋण जोखिम के न्यूनीकरण का प्रमुख घटक है। बैंक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। मूर्त प्रतिभूतियाँ या तो भौतिक स्वरूप की होती है अथवा अन्य सामग्री प्रारूप में जैसे कि नकद मार्जिन, बैंक के पास जमाराशियाँ, स्वर्ण अथवा अन्य मूल्यवान धातु, शेयर्स, एनएससी/ केवीपी/जीवन बीमा पॉलिसियाँ अमूर्त प्रतिभूतियाँ हैं। बैंक गारंटियाँ/ साख पत्र, बही ऋण, चुकौती आश्वासन पत्र, नकारात्मक पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र, अपंजीकृत प्रभार इत्यादि। उधार दिए गए धन हेतु प्रतिभूति प्राप्त करने के सामान्य तरीके हैं बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक और पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र। बैंक ऋण एक्सपोजर से सृजित की गई संपत्ति पर प्रथम प्रभार/अथवा समरूप आधार पर सामान्य नियम के अनुसार बैंक का प्रभार दर्ज किया जाए।

सामान्यत जब भी उपलब्ध हो/अनुमत होने पर गारंटी का आग्रह किया जाए गारंटी के प्रमुख प्रकार हैं:-

i) केंद्र/राज्य सरकार और डीआईसीजीसी, सीजीटीएमएसई और ईसीजीसी जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एजेन्सियाँ

ii) कारपोरेटस के प्रवर्तक / प्रमुख स्वामी

iii) व्यक्तियों के मामले में रिश्तेदारों की व्यक्तिगत गारंटी

6. संपार्श्विक प्रबंधन के विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं -

संपार्श्विक को स्वीकार करने हेतु न्यूनतम शर्तें: संपार्श्विक को वैध और प्रवर्तनीय बनाने के लिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के रूप में स्वीकार की गई आस्तियाँ बिक्री योग्य, कानूनी प्रवर्तनीय और आवश्यकता पड़ने पर उसको नियंत्रण में लिया जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आस्ति का बाजार मूल्य सहज निर्धारण योग्य हो अथवा उसे उचित रूप से स्थापित और सत्यापित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण के उेश्य से संपार्श्विक के रूप में स्वीकार्य आस्तियों के प्रकार और प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली इन प्रत्येक आस्तियों के मूल्य अनुपात के अधिकतम ऋण की सूची बैंक के पास है। संपार्श्विक लेते समय बैंक सांविधिक बाध्यताओं का भी ध्यान रखता है।

ख) संपार्श्विक की वैधता

i) प्रवर्तनीयता;

बैंक सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के समर्थन में ऋण दस्तावेजीकरण सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हो और उधारकर्ता की बाध्यताओं को विमुक्ति हेतु

(i) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

(ii) Other entities rated AA or better.

5. The Bank has a well-defined Collateral Management policy, which provides the controlling framework to ensure collateral is used optimally. This is a key component in mitigating the credit risks inherent in lending. The Bank accepts both tangible and intangible securities. Tangible Securities are either in physical form or such other material form like cash margin, Deposits with Banks, Gold or such other precious metals, Shares NSC/KVP/Life Insurance Policies. The intangible securities are –Bank Guarantees / Letters of Credit, book debts, Letter of Comfort, Letter of Negative Lien, Unregistered Charge etc. The common ways for obtaining security for moneys lent are - Mortgage, Pledge, Hypothecation and lien The assets created out of the bank's credit exposure are as a general rule charged to the bank by way of first charge on paripassu basis.

Guarantees are normally insisted upon whenever available/permissible

The main types of guarantors are: -

i) Central/State Government and Central Government sponsored agencies like DICGC, CGTMSE, and ECGC.

ii) Promoters/Major owners of corporates.

iii) Individual Guarantees of relatives in case of individuals

6. The various aspects of collateral management are -

Minimum conditions for the acceptance of collateral: For collateral to be valid and enforceable the bank ensures that the assets accepted as collateral are marketable, legally enforceable and can be taken control of if necessary .It is also ensured that the market value of the asset is readily determinable or can be reasonably established and verified. For internal control purposes, the bank has a list of types of assets acceptable as collateral and the maximum loan to value ratio for each of these assets taken as primary security. The bank also takes into account statutory restriction while taking collaterals.

(b) Validity of collateral;

i) Enforceability

Bank ensures that credit documentation supporting the collateral, is legally enforceable in all relevant jurisdictions and empowers the Bank to apply

निर्बाध रूप से संपार्श्विक को लागू करने हेतु बैंक को अधिकार देता हो।

ii) हक और स्वामित्व;

बैंक हमेशा संपार्श्विक के रूप में आस्ति का स्वीकार करने से पूर्व उसके आस्तित्व तथा स्वामित्व का सत्यापन करता है और सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य पक्ष का कथित संपार्श्विक पर कोई पूर्व दावा नहीं है। ऋण सुविधा के ड्रॉ डाउन से पूर्व ही बैंक संपार्श्विक के नियंत्रण को सुरक्षित करता है। ऋण जोखिम के प्रबंधन के सरलीकरण के लिए शीर्ष प्रबंधन को संपार्श्विक पर सूचना आवधिक रूप से दी जाती है। संपार्श्विक पर तत्परता से प्रभार, जहाँ भी लागू है, पंजीकृत किए जाते हैं।

ग) मूल्य अनुपात से ऋण;

बैंक ने प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जाने वाली प्रमुख आस्तियों के लिए मूल्य अनुपात (मार्जिन) से अधिकतम ऋण निर्धारित किया है। ऐसे अनुपात आस्ति की संबंधित जोखिम के आनुपातिक होते हैं और संपार्श्विक की वसूली के समय होनेवाली संभाव्य हानि के विरूद्ध पर्याप्त प्रतिरोध प्रदान करते हैं।

घ) मूल्यांकन;

बैंक के एक्सपोजर हेतु स्वीकार की गई संपत्ति मूल्यांकन के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें मूल्यांकन का आधार, मूल्यांकन की अर्हता और पूनर्मूल्यांकन की बारंबारता बैंक में अनुपालन हेतु निर्धारित की गई है।

ड) संपार्श्विक को सुरक्षित रखना तथा उसमें पहुँच का नियंत्रण;

संपार्श्विक के स्वीकारने, निगरानी तथा सुरक्षित अभिरक्षा के अनुमोदन का प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधित व्यक्तियों और विभागों को दिया गया है।

च) अतिरिक्त/संपार्श्विक के अनुरोध की कार्यविधि का स्पष्ट दस्तावेजीकरण किया गया है।

छ) बीमा;

सभी पात्र संपार्श्विक, जिन्हे विशेष रूप से छूट दी गई है उन्हें छोड़कर, संबंधित जोखिम हेतु बीमा द्वारा संरक्षित हैं और इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

ज) संपार्श्विक की बिक्री;

संपार्श्विक के समय पर परिसमापन के लिए बैंक की सुस्पष्ट और सख्त कार्यविधि है बैंक के संपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम शामकों की प्रमुख जोखिम चिंता नहीं है।

खः पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके (सहायक कंपनी)

संपार्श्विक मूल्यांकन हेतु बैंक स्वदेशी की नीति एवं कार्य विधि है जो बैंक ऑफ़ इंडोनेशिया विनियमन और बंधक ऋण हेतु राष्ट्रीय विवेक पर आधारित है। यदि संपार्श्विक का मूल्य यूएस डालर 200,000 से

the collateral freely to discharge the borrower's obligations.

ii) Title and ownership

Bank always verifies the existence and ownership of the assets being received as collateral before acceptance and ensures that there is no prior claim by any other party on the said collateral. Bank secures its control of the collateral prior to the draw down of credit facilities. Information on collaterals is provided to Top Management periodically to facilitate management of credit risk. Charges on collaterals are promptly registered with the relevant authorities wherever applicable.

c) Loan-to-value ratios

Bank has specified the maximum loan-to-value ratio (margin) for major types of asset to be accepted as primary security. Such ratios are commensurate with the relative risk of the assets and should be able to provide an adequate buffer against potential losses in realising the collateral

d) Valuation

Bank has a Board approved policy in place for valuation of properties accepted for bank's exposures, where Basis of valuation, Qualification of Valuer and Frequency of revaluation are laid down for compliance across the bank.

(e) Safe keeping of collateral and control to their access

Authority and responsibility has been delegated to relevant individuals and departments for approving the acceptance, monitoring or safe custody of collaterals

(f) Additional / Replacement of collateral;

Procedures for requesting additional collateral are clearly documented

(g) Insurance;

All eligible collaterals except those specially exempted are covered by insurance for relevant risks and detailed guidelines for the same are in place

(h) Sale of collateral;

The Bank has clear and robust procedure for the timely liquidation of collateral.

The Bank has no major risk concentrations of collaterals or credit risk mitigants.

B: PT Bank Swadesi Tbk (Subsidiary)

Bank Swadesi has policy and processes for collateral valuation, based on Bank of Indonesia Regulation and national discretions for mortgage loan. Independent

अधिक है तो स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। संपार्श्विक के स्वरूप पर आधारित परिसमापन मूल्य की समीक्षा की जाती है। भूमि एवं भवन के रूप में प्रमुख रूप से संपार्श्विक स्वीकार किया जाता है। सामान्यता व्यक्तिगत एवं अन्य पक्ष गारंटी नहीं ली जाती। केंद्रीकरण हेतु उधार देने की क्षेत्रीय सीमा निर्धारत की जाती है। बैंक को संपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम शामकों की प्रमुख जोखिम की चिंता नहीं है।

ग: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (सहायक कंपनी)

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टि प्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर संपार्श्विक प्राप्त किया जाए। नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णतः प्रतिभूत)	25%
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	10%
ग) अप्रतिभूत	5%

मात्रात्मक प्रकटन :

(ख)	मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रकट ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित है। पात्र वित्तीय संपार्श्विक; मार्जिन (हेयर कट) लागू करने के बाद। बीओआई सोलो	₹ 42593 Crores
(ग)	मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रकट ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित है। गारंटी/क्रेडिट व्युत्पन्न (जब कभी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है।) बीओआई सोलो	₹ 17317 Crores

तालिका डीएफ-7

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

यथा दिनांक 31.03.2011 बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं था।

तालिका डीएफ-8

लेन-देन बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन :

(क) मानक दृष्टिकोण में शामिल पोर्टफोलियों को शामिल करते हुए बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता

appraisal is made if the value of collateral is above USD 200,000.Liquidation value is calculated based on type of collateral. Collateral value is reviewed every year. The main type of collateral taken is Land & Buildings. Generally personal or third party guarantee is not taken. Sectoral caps in lending are in place to take care of concentrations. The Bank has no major risk concentrations of collaterals or credit risk mitigants.

C: Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary)

The collaterals is obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over

Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc. As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	25%
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	10%
c) Unsecured	5%

Quantitative Disclosures:

(b)	For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral: after the application of haircuts. BOI Solo.	₹ 42593 Crores
(c)	For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI). BOI Solo.	₹ 17317 Crores

Table DF-7

Securitisation: disclosure for standardised approach

The Bank has no Securitization Exposure as on 31.03.2011.

Table DF-8

Market risk in trading book

Qualitative disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardised approach.

एः बैंक ऑफ़ इंडिया

लेन-देन बही में बैंक निवेशों के लेन-देन हेतु धारित एवं बिक्री हेतु उपलब्ध पोर्टफोलियों को धारित करता है। अन्य आस्तियों- अर्थात परिपक्वता पोर्टफोलियों और अग्रिमों को धारित निवेश के अंतर्गत निवेशों को बैंकिंग बही के रूप में माना जाता है। नीचे बाजार जोखिम प्रबंधन प्रयोजन एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है।

(i) कार्यनीतियाँ एवं प्रक्रियाएं :

बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम एवं इक्विटी कीमत जोखिम की निगरानी की जाती है। बैंक वर्तमान में जिंस (कमाडिटी) में लेन-देन नहीं कर रहा है।

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम की निगरानी के लिए गैप विश्लेषण का पाक्षिक आधार पर अनुपालन किया जाता है। संयमी गैप से संचयी आउटफ्लो का प्रतिशत निकालने के लिए प्रूडेंसियल सीमा का उपयोग किया जाता है। 28 दिनों तक के अल्पावधि बकेट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अध्यधीन निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रूडेंसियल सीमाएं बाजार उधार दैनिक एवं औसत कॉल उधार, आंतर बैंक देयताएं, खरीदी गयी नीधियां आदि के लिए काम करती।

ऊँचे मूल्य की एकमुश्त जमाराशियों की निगरानी साप्ताहिक आधार पर की जाती है। अल्पावधि डायनामिक तरलता विवरणी तरलता स्थिति का आकलन करने के लिए पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है जो व्यवसाय वृद्धि को ध्यान में रखकर चलती है। एक आकस्मिक निधि योजना तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गयी है। योजना का तिमाही आधार पर परीक्षण किया जाता है। बैंक को संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर स्ट्रेस परीक्षण भी किया जाता है। यह ऐसी स्थिति में जब कोई तरलता संबंधी तकलीफ हो और यदि निधियां आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से उठाई जानी हों।

ब्याज दर जोखिम

पिछले 12 माह के दौरान एवं अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गेप विश्लेषण उपयोग में लिया जाता है। बैंक अवधि गेप विश्लेषण को भी उपयोग में लेता है। देयताओं की अवधि के लिए प्रूडेंसियल सीमाएं नियत की गयी हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की अवधि आधार पर निगरानी की जाती है।

एसएलआर एवं गैर एसएलआर (देशीय) प्रूडेंसियल सीमाओं के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूति के लिए वीएआर पद्धति अपनायी जाती है। वीएआर के लिए यह नियत की गयी है एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है एवं उच्च प्रबंधन को बताया जा रहा है। दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश सामान्यतया हैज किए जाते हैं एवं ब्याज दर जोखिम निम्नतम है।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन 200 बेसेस पाईंट द्वारा बाजार दर में परिवर्तन का सॉक लगाकर किया जाता है।

विदेशी विनिमय जोखिम

बैंक के विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम डेलाइट एवं ओवरनाइट एक्सपोजर नियम किया है। इसके

A: BANK OF INDIA

In Trading book the Bank holds "Held for Trading "(HFT) and "Available for Sale "(AFS) portfolios of investments. The rest of the assets – i.e. Investments under Held to Maturity portfolio and advances - are treated as Banking Book. Given below is brief description of the Market Risk Management objectives and policies.

(i) Strategies and Processes:

Under Market Risk Management, Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk, and Equity Price risk are monitored. Bank is not currently trading in commodities.

Liquidity Risk

Gap analysis is followed for monitoring Liquidity risk on a fortnightly basis. Prudential limit - for percentage of cumulative gap to cumulative outflow - based on Reserve Bank of India guidelines for the short-term buckets up to 28 days is monitored. Besides, prudential limits are in place for market borrowing – Daily and average call borrowing – Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc.

High value bulk deposits are monitored on a weekly basis. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes into account the business growth. A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is tested on a quarterly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

Interest Rate Risk

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis. Prudential limits have been fixed for duration of liabilities. Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Non SLR (domestic) Prudential limits for VaR have been fixed and daily monitoring is being done and reported to Top Management. Foreign investments in dated securities are normally hedged and the interest rate risk is minimal. VaR limits are also fixed for Foreign Exchange position.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Equity by infusing a shock of change in market rate by 200 basis points.

Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed maximum daylight and overnight exposure for foreign exchange exposure in various currencies. Also, stop loss limit, take profit limit and

अलावा, नुकसान रोक सीमा, लाभ सीमा एवं एकल व्यवहार सीमाएं डीलरों के फोरेक्स परिचालनों पर निगरानी रखने के लिए बनायी गयी हैं।

नेट ओपन पोजीशन हेतु प्रूडेंसियल सीमा नियम करके डेरिवेटिव पर पीवी व केप रखा जाता है।

इक्विटी कीमत जोखिम

बैंक की स्वदेशी निवेश नीति के इक्विटी डीलरों के लिए नुकसान रोक सीमाएं नीयत की हैं। उच्चतम प्रबंधन को दैनिक आधार पर संव्यवहारों एवं लाभ की रिपोर्टिंग की जाती है।

(ii) बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढ़ाँचा एवं संगठनः

जोखिम प्रबंधन बोर्ड संचालित कार्य है, तीन स्तरों पर सपोर्ट किया जाता है। देखभाल करने एवं निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, जहाँ कहीं आवश्यक हो/जोखिम प्रबंधन नीतियां आदि अनुमोदित करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति जो नीति विषयों पर विचार करती है एवं जोखिम प्रबंधन कक्ष के साथ जमीनी स्तर पर सपोर्ट प्रदान करती है। आस्ति देयता प्रबंधन समितियां विदेशी केन्द्रों में भी परिचालन में हैं।

(iii) जोखिम रिपोर्टिंग का स्कोप एवं प्रकृति और/अथवा मापांकन प्रणाली

स्वदेशी कारोबार के संबंध बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। जैसे कि मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाना-दैनिक आधार पर लेन-देन बही में निवेशों का अवधि विश्लेषण-दैनिक आधार पर वीएआर लेन-देन बही निवेश ईक्विटी पोर्टफोलियों को छोड़कर-तिमाही आधार पर तरलता जोखिम/बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस परीक्षण करना, स्वदेशी तुलन पत्र का अवधि विश्लेषण और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर तिमाही आधार पर प्रभाव पर समीक्षा की जाती है और अल्को द्वारा कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बाजार उधार लेन-देन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानर्देशों के अनुरूप तरलता जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न प्रूडेंसिएल उपाय किए गए हैं। मासिक आधार पर ढांचागत तरलता विवरणी पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है और एएलसीओं को रिपोर्ट की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों की ढांचागत तरलता कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर की जा रही है।

स्ट्रेस परीक्षण एवं इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव अल्को को रिपोर्ट किया जाता है। लेन-देन बही स्थिति अवधि एवं बीएआर दैनिक आधार पर उच्चतम प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है।

(iv) हैजिंग/अथवा जोखिम कम करने के लिए नीतियां :

आस्ति देयता प्रबंधन एवं बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित विस्तृत नीतियों का कार्यान्वयन हो रहा है जो बाजार जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है।

बीः पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके (सहायक कंपनी)

बैंक के लिए बाजार जोखिम प्रभाव नगण्य है, बैंक स्वदेशी को बाजार जोखिम से छूट दी गयी है क्योंकि इसके लेन-देन विनियमन के अनुसार 2 मिलियन, यूएस डॉलर से कम रहते हैं।

single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for net open position and a cap for PV01 on the outstanding derivatives.

Equity Price Risk

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily reporting to Top Management on the transactions and profit is done.

(ii) Structure and Organisation of Market Risk Management function:

Risk Management is a Board driven function supported by three levels. Risk Management Committee of the Board for overseeing and issuing directions, wherever necessary / approving Risk Management Policies etc., Asset Liability Management Committee (ALCO) who consider policy issues and with ALM Cell providing support at the ground level. Asset Liability Management Committees are operational at foreign centres also.

(iii) Scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

In respect of domestic business the guidelines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as – Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis – Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis – VaR calculation of trading book investments on a daily basis excepting the equity portfolio – conducting stress test for liquidity risk / market risk on a quarterly basis. – Duration analysis of domestic balance sheet and impact on the Economic Value of Equity on a quarterly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed on a monthly basis at the foreign centres and on a quarterly basis by ALCO at the corporate level.

Various prudential measures have been put in respect of market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on monthly basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to ALCO. Structural liquidity of international operations is being done on a quarterly basis at the corporate level.

The results of the Quarterly study on Stress Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position – Duration and VaR is reported daily to Top Management.

(iv) Policies for hedging and / or mitigating risk

Detailed policies are operational for Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

B: PT Bank Swadesi Tbk (Subsidiary)

The Market risk impact for the bank is negligible. Bank Swadesi is exempted for Market Risk as its transaction is below USD 2 Mn as per local Regulations.

सीः बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (सहायक) कंपनी

i. बाजार जोखिमः ब्याज दर, मुद्रा तथा इक्विटी उत्पाद में खुली स्थिति से बाजार जोखिम उत्पन्न होती है। बोर्ड सीमा निर्धारित करता है तथा जो स्वीकार की जा सकती है, नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।

ii. तरलता जोखिमः ओवरनाइट जमा चालू खाते परिपक्व जमाराशियां, ऋण आहरण और गारंटियों से उपलब्ध नकद स्त्रोतों से दैनिक मांग के लिए तथा मार्जिन और अन्य नकद समझौतों पर मांग से बैंक को नकद आरक्षित रखना पडता है। ऐसे मांग की पूर्ति करने के लिए परिपक्व निधि के उपलब्ध अंश के आधार पर बोर्ड ने उनके अनुभव परसीमा निर्धारित की है और अंतर बैंक तथा अन्य उधार सुविधा के न्यूनतम स्तर पर जो मांग की अपेक्षित आहरण को कवर कर सके।

iii. ब्याज दर जोखिम- बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति तथा नकदी प्रवाह पर प्रचलित बाजार ब्याज दर में उतर चढाव के परिणाम के साथ जुड़ी विभिन्न जोखिमों को उठाना पड़ता है। बैंक को जमा राशि ऋण तथा बाजार प्रवृत्ति के परिवर्तन के अनुरूप दरों को परिवर्तित करने का विवेकाधिकार है। यह उपाय ब्याज दर जोखिम को बैंक एक्सपोजर न्यूनतम रखते है।

iv. मुद्रा जोखिमः बैंक को विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव की जोखिम उठानी पड़ती है। बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में केवल जितनी आवश्यक मुद्रा की खरीदी तथा बिक्री के आधार तक शामिल रहती है। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा बाजार में शामिल नहीं होता है और इस प्रकार जोखिम सीमित हो जाती है।

C: Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary)

i. Market risk: Market risk arises from open positions in interest rate, currency and equity products. The board sets limits and reviews it at regular interval on the risk that may be accepted. Further the exposure is monitored on daily basis.

ii. Liquidity risk: The bank is exposed to daily calls on its available cash resources from overnight deposits, current accounts, maturing deposits, loans drawn and guarantees, from margin and other calls on cash settlement. The board has set limit based on their experience of the minimum proportion of maturing funds available to meet such calls and on the minimum level of inter-bank and other borrowing facility that should be in place to cover withdrawals at unexpected levels of demand.

iii. Interest rate risk: The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

iv. Currency risk: The bank is exposed to the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rate. The bank is involved in foreign currency market only to the extent of buying and selling to the extent of required currency. The bank is not involved in foreign currency forward contracts and thus the risk is limited.

मात्रात्मक प्रकटन

बी. निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता	
• ब्याजदर जोखिम	₹ 896.03 करोड़
• ईक्विटी स्थिति जोखिम एवं	₹ 661.07 करोड़
• विदेशी विनिमय जोखिम	₹ 14.67 करोड़

Quantitative disclosures

(b) The capital requirements for:	
• interest rate risk:	Rs.896.03 Crores
• equity position risk: and	Rs. 661.07 Crores
• foreign exchange risk:	Rs. 14.67 Crores

तालिका डीएफ-9

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटन

- साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा के अतिरिक्त जिसके लिए बैंक अर्हता प्राप्त है उस परिचालन जोखिम पूंजी निर्धारण हेतु बैंक का (के) प्रस्ताव।

Table DF-9

Operational risk

Qualitative disclosures

- In addition to the general qualitative disclosure requirement, the approach (es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies.

एः बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक कारोबार की विभिन्न पद्धतियों के तहत समस्त आर्थिक उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के परिचालन जोखिम का सतत निर्धारण और अभिनिर्धारण करता है। समस्त नये उत्पाद, गतिविधियाँ और प्रणालियाँ परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीओआरएम) के माध्यम

A: BANK OF INDIA

The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Lines of Business on ongoing basis. All new products, activities and systems are being routed through Committee on Operational Risk

से कार्यान्वित होती है। उच्च जोखिम, उन्मुख उत्पाद तथा कारोबार पद्धति का निर्धारण करने और उसे कम करने के उपाय अपनाने हेतु छमाही आधार पर हानि संबंधी डाटा का विश्लेषण होता है।

निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति (आरकॉम) की मंजूरी के बाद बोर्ड परिचालन जोखिम प्रबंधन पर नीतियों संबंधी निर्णय लेता है, उससे नीचे है। कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित सीओआरएम, मुख्य जोखिम अधिकारी, आरकॉम के निदेशों को कार्यान्वित करते है और स्व-निर्धारण, प्रमुख जोखिम संकेतकों, कारोबार पद्धति के अनुसार उत्पादों की योजना आदि पर फीड बॅक देते है। आरकॉम को धोखाधड़ी विश्लेषण, हानि डाटा विश्लेषण और इंपॅक्ट फ्रीक्वेंसी विश्लेषण के रूपमें जोखिम रिपोर्टिंग आवधिक रूप से की जाती है। परिचालन जोखिम को बेसिक इंडिकेटर ऍप्रोच के जरिए निर्धारित (क्वांटिफाई) किया जाता है। नियामक रिपार्ट्ंग की विश्वसनीयता तथा समयोचितता प्राचलों पर परीक्षण किया है।

बैंक जोखिम प्रबंधन में सर्वोत्कृष्ट पद्धतियों को अपनाता है। जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्य, कारोबार परिचालन जोखिम प्रबंधकों की समिति (बीओआरएस)तथा जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ तथा निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा कार्य के ठोस समन्वय से होता है, जो जोखिम आधारित लेखा परीक्षा का आयोजन करता है,

बैंक जोखिम प्रबंधन की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया अपनाता है। जोखिम प्रबंधन विभाग कारोबार परिचालन जोखिम प्रबंधको की समिति तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञों के नजदीकी सहयोग से कार्य करता है तथा निरिक्षण एवं लेखा परीक्षा जो कि जोखिम आधारित लेखा परीक्षा का कार्य करता है जिससे अतिरिक्त जोखिम कम करने एवं नियंत्रण उपाय में सहायता मिलती है।

बीः पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके (सहायक कंपनी)

बैंक परिचालन जोखिम प्रबंधन हेतु सर्वोत्कृष्ट पद्धति अपनाता है, जैसे कि ड्यूटी का पृथक्करण, प्रशिक्षण, निश्चित रूपसे अधिककथित कार्यप्रणाली आदि।

सीः बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (सहायक कंपनी)

वित्तीय हानि एवं कुल लागत प्रभावशीलता सहित बैंक की प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाव को संतुलित करने और नियंत्रण कार्रवाई जो पहल एवं रचनात्मकता को प्रतिवंचित करती है, से बचाव के लिए परिचलनात्मक जोखिम का प्रबंध करना बैंक का उेश्य है। परिचालनात्मक जोखिम का ध्यान रख्ने के लिए प्रबंधन विकास एवं कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रत्येक शाखा स्तर पर वरिष्ठ प्रबंधन हेतु निर्धारत किया गया है। परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु कुल मानकों के विकास उत्तरदायित्व में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक है :-

- संव्यवहार के स्वतंत्र प्राधिकार सहित कार्य के उचित पृथक्करण की आवश्यकता;
- संव्यवहार के समाधान एवं निगरानी की आवश्यकता;
- नियामक एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं सहित अनुपालन;
- निमंत्रण एवं प्रक्रिया का प्रलेखीकरण;

Management (CORM). The Loss Data analysis is done on half yearly basis to assess the high-risk prone product and business lines and adopt mitigating measures.

The Board after clearance by the Risk Management Committee of Directors (RCom) decides on policies on Operational Risk Management. Down below is the CORM headed by Executive Director. The Chief Risk Officer implements the directives of R.Com and overseas day-to-day Operational Risk Management. The committee of Business Operational Risk Managers (BORM) and Risk Management Specialists gives feedback on the Risk and Self-assessment, Key Risk Indicators, mapping of products to Business Lines, etc. Branch level KRIs are tracked through Zonal office and Bank Level KRIs are tracked through I & A Department H. O. on half yearly basis.

Risk reporting in the form of Fraud Analysis, Loss Data Analysis and Impact Frequency Analysis is done to R.Com. Risk related reporting on Housekeeping matters, Reconciliation etc. is done to CORM periodically. Fraud and related reporting is done to Audit Committee of Board. Operational Risk Capital Charge is quantified through Basic Indicator Approach. The regulatory reporting is tested on reliability and timeliness parameters.

Bank adopts best practices in Risk Management. Risk Management function works in close coordination with the committee of Business Operational Risk Managers (BORM) and Operational Risk Management Specialists and Inspection and Audit function who conduct Risk Based Audit which also helps in putting in place additional risk mitigation and control measures.

B: PT Bank Swadesi Tbk (Subsidiary)

Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc

C: Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary)

The bank's objective is to manage the operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and damage to the bank's reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict initiate and creativity.

The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is assigned to the senior management at each branch level. The responsibility is supported by the development of overall standards for management of operational risks in the following areas:-

- Requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorization of transactions;
- Requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
- Compliance with regulatory and other legal requirements;
- Documentation of controls and procedures;

- महसूस किए गए परिचालनात्मक जोखिमों के निर्धारण की आवश्यकता तथा पहचान किए गए जोखिमों का ध्यान रखने के लिए नियंत्रण एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता;
- परिचालनात्मक हानि की रिपोर्टिंग एवं प्रस्तावित निवारणात्मक कार्रवाई की आवश्यकता;
- आकस्मिकता योजना का विकास;
- प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास;
- नैतिक एवं कारोबार मानक;
- जोखिम कमी सहित बीमा, जहां यह प्रभावी है।

मात्रात्मक प्रकटन : अपेक्षित नहीं

तालिका डीएफ-10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन

(क) साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा में आईआरआरबीबी और प्रमुख धारणाओं के ऋण भुगतान और अ-परिपक्व जमा का परिचालन संबंधी धारणाओं का स्वरूप तथा आईआरआरबीबी मापांकन की फ्रिक्वेंसी शामिल है।

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की आम तौर पर तिमाही आधार पर गणना की जाती है। बैंकिंग बही में परिपक्वता हेतु धारित (एचटीएम) संविभाग में धारण किए सभी अग्रिम और निवेश सम्मिलित है।

कार्यनीति और प्रणालियाँ/संरचना और संगठन/जोखिम रिपोर्टिंग संबंधी व्याप्ति और स्वरूप/नीतियों आदि वही है जो टेबल डीएफ-8 के तहत रिपोर्ट की गई है।

आईआरआरबीबी मेजरमेंट की प्रणाली और प्रमुख धारणाएँ निम्नानुसार है;

अग्रिमों तथा जमा राशियों (जो बैंक का 100% कारोबार कवर करती है) की शेष परिपक्वता पर नेटवर्क की शाखाओं से प्राप्त मासिक सूचना के आधार पर विभिन्न समय बकेट के साथ ब्याज दर संवेदनशील और विभिन्न आस्तियों व देयताओं की शेष परिपक्वता को ध्यान में लेते हुए संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाता है।

प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक के रूप में एवं औसत प्राप्ति को कूपन के रूप में तथा भुनाई प्रयोजन के लिए बाजार दर को लेकर परिचालित की जाती है। निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली जाती है, जैसा कि डाटा संपूर्ण ब्योरों सहित उपलब्ध रहता है। निवेशों के संबंध में इस प्रयोग के लिए एएफएस एवं एचएफटी संविभागों को अलग रखा जाता है, जैसा कि बैंकिंग बही में आई आर आर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

उक्त के उपयोग से, प्रत्येक बकेट के लिए देयताओं और आस्तियों की आशोधित अवधि परिकलित की जाती है और ब्याज दर में 1% से परिवर्तन के लिए उनके मूल्य पर इंपॅक्ट माना जाता है। उसमें जोड़कर

- Requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;
- Requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
- Development of contingency plans;
- Training and professional development;
- Ethical and business standards;
- Risk mitigation, including insurance where this effective.

Quantitative Disclosure: Not Required

Table DF-10

Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement.

A: BANK OF INDIA

Interest Rate Risk in banking book is calculated generally on a quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio.

The strategies & processes /structure & organization / scope and nature of risk reporting / policies etc are the same as reported under Table DF – 8.

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows

Based on monthly information from data centre on the residual maturity of the advances and the deposits covering around 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.

The duration for each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars. In respect of investments, the AFS and HFT portfolios are excluded for this exercise as the focus is on IRR in the Banking Book.

Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned By adding up, the net position is arrived at to

निवल स्थिति परिकलित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि है या अन्यथा।

धारणाएँ :

टाईम बकेट और समस्त आस्तियों के लिए ब्याज दर सभी समान रूप से चलित होता है। मांग जमा बचत तथा चालू के संदर्भ में इसे भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसरण में तनाव परीक्षण पर विभाजित किया जाता है।

आम तौर पर, बैंक आईआरआरबीबी की गणना करते समय कूपन दर/भुनाई दर का चयन/परिपक्वता तारीख के रूप में प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदू को लेना आदि सहित रिज़र्व बैंक के तनाव परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करता है। बीपीएलआर अग्रिमों के पुनर्मूल्य निर्धारण को 3 माह से 6 वर्ष के बकेट में लिया गया है।

बीः पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके (सहायक कंपनी)

विद्यमान विनिमय के अनुसरण में बैंक स्वदेशी को आईआरआरबीबी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है। बैंक ऑफ़ इंडोनेशिया इसे भविष्य में शुरू कर सकता है क्योंकि वह फिलहाल उसके प्रभाव का अध्ययन कर रहा है।

सीः बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (सहायक कंपनी)

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह पर बाजार ब्याज दरों के वर्तमान स्तरों में अस्थिरता के प्रभाव सहित शामिल विभिन्न जोखिमों से युक्त है। बाजार प्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ बैंक को जमा राशियों, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज दर में संशोधन करने का विवेकाधिकार है। इन उपायों के कारण बैंक के ब्याज दर जोखिम का क्षेत्र कम होता है।

मात्रात्मक प्रकटन

अर्जनों और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबद्ध उपाय) में वृद्धि (ह्रास), उर्ध्वमुखी या अधोमुखी दर के लिए आघात आईआरआरबीबी मापने के लिए प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार मुद्रा (जहां कुल पण्यावर्त के 5 प्रतिशत से अधिक पण्यावर्त होता है।)

बैंकिंग बही में ब्याज दर

	कुल	जिसमें से, यूएसडी में (जहाँ कारोबार कुल कारोबार के 5% से अधिक है)
1. जोखिम पर अर्जन (शून्य)		
वर्ष के लिए 0.50% परिवर्तन पर	₹ 66.31 करोड़	₹ 0.56 करोड़
2. जोखिम पर ईक्विटी का आर्थिक मूल्य		
200 बेसिक पॉईंट शॉक	₹ 1579.13 करोड़	₹ 103.99 करोड़
% ता के रूप में इक्विटी मूल्य में कमी	10.19	0.67

determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

Assumptions:

The interest rate moves uniformly across all time buckets and for all assets.

In respect of demand deposits – savings and current – the same are distributed as per the RBI guidelines on stress testing.

Generally the bank follows RBI guidelines on stress testing while calculating the IRRBB including selection of coupon rate / discount rate / taking midpoint of each time bucket as the maturity date etc.

Re-pricing of Base Rate/BPLR linked advances has been taken in the 3 to 6 months bucket.

B: PT Bank Swadesi Tbk (Subsidiary)

In terms of present Regulation PT Bank Swadesi Tbk does not require IRRBB disclosures. Bank of Indonesia may introduce it in future as it is currently making an impact study.

C: Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary)

The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover).

INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK

	Total	Of which in USD (where turnover is more than 5% of total turnover)
1. Earnings At Risk (NII)		
At 0.50% change for 1 year	₹ 66.31 Crores	₹ 0.56 Crores
2. Economic Value of Equity at Risk		
200 basis point shock	₹ 1579.13 Crores	₹ 103.99 Crores
Drop in equity value in %age terms	10.19	0.67

बैंक ऑफ़ इंडिया
BANK OF INDIA

प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुबंई - 400 051.

Head Office : Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की पन्द्रहवीं वार्षिक आम सभा गुरूवार, 14 जुलाई 2011 को अपराह्न 3.30 बजे **सर सीताराम एंड लेडी शान्ताबाई पाटकर कन्वोकेशन हॉल,** 1 नाथीबाई ठाकरसे रोड, क्वीन्स रोड, फोर्ट (चर्चगेट रेल्वे स्टेशन के करीब) मुंबई - 400 020 में आयोजित की जाएगी जिसमें कारोबार के निम्नलिखित मदों पर चर्चा होगी :

सामान्य कारोबार

मद संख्या 1 : "31 मार्च 2011 तक के लेखापरीक्षित तुलनपत्र, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता, लेखा के कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र तथा खातों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा अंगीकार करना।"

मद संख्या 2 : "वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश तथा इक्विटी शेयर की घोषणा करना"

विशेष कारोबार

मद संख्या 3 : एक विशेष संकल्प के रूप में संशोधन सहित या रहित निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा उचित पाने पर पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुभाग 3(28), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970 बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा दि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (उसके किसी संशोधन अथवा उसका पुनर्व्यस्थापन) बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर तथा बैठकें), अधिनियम 2007 के अधिनियम 4ए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी तथा प्रकटन इश्यू आवश्यकता) अधिनियम, 2009 यथा संशोधन ("सेबी आईसीडीआर अधिनियम") तथा अन्य नियमों/अधिसूचनाओं/परिपत्रों/ विनियमों/दिशानिर्देशों यदि कोई, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") के प्रावधानों के अनुसरण में अथवा कोई अन्य संबंधित प्राधिकारी चाहे वह भारत में हो या विदेश में हो आवश्यकतानुसार अनुमोदन, सम्मति, अनुमति तथा स्वीकृति के अध्यधीन होगा तथा समय-समय पर लागू विस्तार पर बैंक ऑफ़ इंडिया ("बैंक") के निदेशक मंडल द्वारा सहमत होगा (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया जाएगा जिसमें कोई समिति (यां)) सम्मिलित होगी तथा बोर्ड द्वारा गठित/गठित की जाएगी जिससे इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेगा जो एतदद्वारा बैंक की तरफ से अधिकृत किया जाएगा जिससे अगले सार्वजनिक ऑफर (फास्ट ट्रैक या अन्यथा) द्वारा निर्मित ऑफर जारी तथा आबंटन होगा और/या सेबी आईसीडीआर अधिनियमों के अनुसरण में राइट्स इश्यू (फास्ट ट्रैक या अन्यथा) और/या योग्य संस्थागत नियोजन और/या निजी नियोजन और/या अधिमानी आबंटन होगा। इक्विटी शेयर और/या निक्षेपागार रसीदों और/या इस प्रकार की प्रतिभूतियों का धारक (कों) के विकल्प पर इक्विटी शेयर की

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Fifteenth Annual General Meeting of the shareholders of Bank of India will be held on Thursday, July 14, 2011 at 3.30 P.M. at **Sir Sitaram and Lady Shantabai Patkar Convocation Hall,** 1 Nathibai Thackersey Road, Queens Road, Fort, (Near Church Gate Railway Station) Mumbai - 400 020 to transact the following business:

Ordinary Business

Item No. 1: "To discuss, approve and adopt the audited balance sheet as at 31st March 2011, profit and loss account for the year ended 31st March 2011, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

Item No. 2: "To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2010-11."

Special Business

Item No. 3. To consider and if thought fit, to pass the following resolution, with or without modifications, as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of section 3(2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, section 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, clause 23 of the listing agreement entered into with the Bombay Stock Exchange Limited and the National Stock Exchange of India Limited (including any amendment thereto or re-enactment thereof), regulation 4A of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007, the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended (the "SEBI ICDR Regulations") and the other rules / notifications / circulars / regulations/guidelines, if any, prescribed by the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (the "SEBI") or any other relevant authority, whether in India or abroad, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consent, permissions and sanctions as might be required and further subject to such conditions as might be prescribed while granting such approvals, consents, permissions and sanctions, which may be agreed by the Board of Directors of the Bank of India (the "Bank") (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any committee(s) constituted / to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) is hereby authorised on behalf of the Bank, to create, offer, issue and allot including by way of further public offer (fast track or otherwise) and / or rights issue (fast track or otherwise) and /or qualified institutional placement and / or private placement and / or preferential allotment in terms of the

परिवर्तनीय प्रतिभूतियां और/या कोई लिखत अथवा या तो इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करनेवाली प्रतिभूतियां और/या इक्विटी शेयरों से संबद्ध परिवर्तनीय प्रतिभूतियां और/या बांड (इसमें से सब इसके बाद " प्रतिभूतियां" के रूप में संदर्भित किए जाएंगे) सभी पात्र निवेशकों जिसमें निवासी और/या अनिवासी भी सम्मिलित हैं चाहे संस्थाएं, नियमित निकायों, विदेशी संस्थागत निवेशकों, पात्र संस्थागत क्रेता, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों, पेंशन निधि, ट्रस्ट, स्थायी एजेंटों और/या अन्यथा और/या उसका एक युग्म चाहे ऐसे निवेशक सदस्य, प्रवर्तक, निदेशक या उनके रिश्तेदार/बैंक के सहयोगी हों या ना हों। एक अथवा अधिक प्राप्सपेक्ट और/या प्रस्ताव पत्र या परिपत्र प्रदान करना या कोई प्रस्ताव प्रलेख और/या नियोजन प्रलेख जिसपर अब तक जारी और आबंटित सभी प्रतिभूतियां इक्विटी शेयर के इश्यू में वृद्धि प्रदान कर सकती हैं जो प्रत्येक इक्विटी शेयर के ₹ 10 के अंकित मूल्य के बैंक के 18,00,00,000 (अठारह करोड़) इक्विटी शेयर से अधिक नहीं होगा जो परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के परिवर्तन के अनुसरण में एक या अधिक शृंखला या श्रृंखलाओं में इस समय किए आबंटन और नकदी हेतु देय हामीदारी विकल्प है - इस प्रकार की कीमत या कीमतें बाजार मूल्य (यों) पर, या छूट पर अथवा बाजार कीमत (तों) के प्रिमियम सहित संबंधित नियमों, अधिनियमों और दिशानिर्देशों और संबंधित प्राधिकारी के दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोर्ड के अनुसरण में स्थाई एजेन्टों के आबंटन सहित यदि कोई हो, बैंक द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा तथा जहां कहीं आवश्यक हुआ बुक रनिंग के परामर्श से अग्रणी प्रबंधकों और/या बीमाकर्ताओं और/या स्थायी एजेंटों और/या सलाहकारों/अग्रणी प्रबंधकों और अन्यथा इस निबंधन और शर्तों पर पूर्णतया या आंशिक भुगतान किए गए प्रतिभूतियों को जारी करने, कॉल करना तथा आवेदन राशि अथवा कॉल राशि के विनियोग प्रणाली पर निवेशकों का विभिन्न वर्ग और/या विभिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में, जिसे समय-समय पर जारी करने के लिए बोर्ड ने पूर्ण विवेकाधिकार से निर्णय लिया हो"

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इसके अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव या राईट इश्यू के मामले में बोर्ड या जो भी उसकी अन्य समिति होगी उसे प्रस्तावित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की मात्रा निर्धारित करने, दर्ज करने की तिथि निश्चित करने, इश्यू खोलने की तिथि तय करने, इश्यू बंद करने की तारीख, राइट प्रस्ताव का अनुपात, आबंटन का आधार, प्राइज बैंड/मूल्य तय करने या इस प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी अन्य विषय के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (आईसीडीआर) विनियम 2009 के अध्याय VIII के अनुसार योग्य संस्थागत नियोजन के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन भारतीय प्रतिभूति विनिमय ओर्ड आईसीडीआई विनियम 2 (1) (जेडडी) के अर्थ के भीतर केवल योग्य संस्थागत क्रेताओं के लिए होगा। ऐसी प्रतिभूतियॉं पूर्णतः प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के अनुसार योग्य संस्थागत नियोजन के मामले में प्रतिभूति के विनिमय परिवर्तन पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर के मूल्य के निर्धारण की संबंधित तारीख सेबी (आईसीडीआर), 2009 विनियम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रतिभूतियों के पूर्वोक्त निर्गम में, मौजूदा बाजार प्रथाओं के अनुसार या बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से जिन्हें उचित समझे सहित, किन्तु शर्तों एवं निबंधनों तक सीमित नहीं, लाभांश के भुगतान से संबंधित, मूल्य में

SEBI ICDR Regulations, equity shares and / or equity shares through depository receipts and / or securities convertible into equity shares at the option of the holder(s) of such securities, and/ or any instruments or securities representing either equity shares and / or convertible securities linked to equity shares and / or bonds (all of which are hereinafter collectively referred to as “Securities”) to all eligible investors including Residents and / or Non residents, whether Institutions, Incorporated Bodies, Foreign Institutional Investors, Qualified Institutional Buyers, Banks, Mutual Funds, Insurance Companies, Pension Funds, Trusts , Stabilizing Agents and / or otherwise and / or a combination thereof, whether or not such investors are members, promoters, directors or their relatives / associates of the Bank, through one or more prospectus and / or letter of offer or offering circular or any offer document and / or placement document, for, or which upon exercise of all Securities so issued and allotted could give rise to the issue of equity shares not exceeding 18,00,00,000 (Eighteen crore) equity shares of the Bank of face value of ₹ 10 (Rupees Ten) each including those proposed to be issued pursuant to conversion of convertible securities, inclusive of permissible green shoe option for cash and allotment to be made at such time in one or more tranche or tranches, at such price or prices, at market price(s) or at a discount or premium to market price(s) including at the Board’s discretion under relevant rules, regulations and guidelines of the relevant authority, in such manner, including allotment to stabilizing agents in terms of green shoe option, if any, exercised by the Bank, and where necessary in consultation with the Book Running Lead Managers and / or Underwriters and / or Stabilizing Agents and/ or Advisors / Lead Managers or otherwise on such terms and conditions, including issue of securities as fully or partly paid, making of calls and manner of appropriation of application money or call money, in respect of different class(es) of investor(s) and / or in respect of different Securities, as the Board may in its absolute discretion decided at the time of issue of the Securities.

RESOLVED FURTHER THAT in case of Further Public Offering or Rights Issue, the Board or any committee thereof be and is hereby authorised to fix the quantum of equity shares to be offered, fix the record date, fix the issue opening date, issue closing date, ratio of right offering, basis of allotment, fix the price band / price, or any other thing necessary for this purpose.

RESOLVED FURTHER THAT in case of qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of SEBI (ICDR) Regulations 2009, the allotment of securities shall only be made to qualified institutional buyers within the meaning of Regulation 2 (1) (zd) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 such securities shall be fully paid up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT in case of qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 the relevant date for the determination of the price of equity shares, if any, to be issued upon conversion of exchange of Securities will be decided in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

RESOLVED FURTHER THAT without prejudice to the generality of the above, the aforesaid issue of Securities may have all or any terms or combination of terms in accordance with prevalent market practices or as the Board may at

विभिन्नता या प्रतिभूतियों के इक्विटी शेयरों में परिवर्तन की अवधि या प्रतिभूतियों की अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों के निर्गम या प्रतिभूतियों के मतदान से संबंधित शर्त या सभी या किसी शर्त या शर्तों का सम्मिश्रण हो सकता है।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बैंक और/या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई एजेंसी या व्यक्तियों की समिति बैंक की पूंजी में लगे इन इक्विटी शेयरों या ऐसी अन्य परक्राम्य प्रतिभूति, ऐसी विशेषताओं वाली पंजीकृत या धारक और आवश्यकतानुसार प्रदान करने और व्यापार के लिए उपलब्ध कराने और बाजार प्रथा और विनियमों के अनुसार निःशुल्क अंतरण के लिए डिपॉजिटरी रसीद जारी कर सकती है। (भारत या भारत के बाहर एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज (जों) में सूचीबद्ध करने सहित)

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को, जारी करने और आबंटित करने की यथा आवश्यकतानुसार ऐसी संख्या में इक्विटी शेयरों को सर्जित करने, जारी करने प्रस्तावित करने के लिए किसी डिपाजिटरी रसीद के परिवर्तन पर इक्विटी शेयर जारी करने और आबंटित करने सहित या ऊपर उल्लिखित अन्य प्रतिभूतियों या प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार आवश्यक हों, इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। ऐसे सभी इक्विटी शेयर और हर दृष्टि से तत्कालीन मौजूदा इक्विटी शेयरों की समरूप श्रेणी में आएंगे।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि एक प्रस्ताव के अंतर्गत चाहे भारत में या विदेश में उपर्युक्त किसी शेयर प्रस्ताव में किसी भी कारण से पूर्णतः या कोई हिस्सा अभिदान रहित रहता है तो बोर्ड को सहमति होगी और इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि उनके पूर्ण विवेकानुसार ऐसे कोई शेयर किसी एक या एक से अधिक आबंटितियों को यथा लागू शर्तों के अनुसार प्रस्तावित, जारी और आबंटित करने का प्राधिकार शामिल है।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इक्विटी शेयरों या प्रतिभूतियों या ऊपर वर्णित उन्हीं का प्रतिनिधित्व करने वाली लिखतों के किसी प्रस्ताव, निर्गम या आबंटन को प्रभावी करने के उेश्य से बैंक की और से बोर्ड को, अपने पूर्ण विवेक से ऐसे सभी कार्य, विलेख और मामले और विषय जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक और वांछनीय हैं, बिना सीमा घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रस्तावित की जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या के निर्धारण सहित बुक रनिंग लीड मैनेजर/लीड मैनेजर/अंडरराइटर/एजेंट गारंटर्स/डिपाजीटर/कस्टोडियन/प्रबंधन, मार्केटिंग, लिस्टिंग एवं कोई दस्तावेज जारी करने, प्रोस्पेक्ट्स और/या प्रस्ताव का पत्र और/या परिपत्र सहित किंतु सीमित नहीं, सभी विलेख, दस्तावेज, लेखन हस्ताक्षर करने और किसी फीस, कमीशन, पारिश्रमिक, उससे संबंधित व्यय के लिए सलाहकार की व्यवस्था करने और बैंक की ओर से अधिकार के साथ, इस प्रस्ताव (वों) या निर्गम (मों) या आबंटन (नों) के संबंध में उत्पन्न सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों के निपटारे के लिए उनके पूर्ण विवेक से जैसा उचित समझें और इस संबंध में प्रासंगिक और सहायक कदम उठाने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को और एतद्द्वारा किसी समिति या बैंक के और कार्यपालकों को इसमें प्रदत्त सभी या अपने किसी अधिकार को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक बोर्ड के आदेश से

ए. के. मिश्रा

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25.05.2011

(आलोक मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

its absolute discretion deem fit, including but not limited to terms and conditions, relating to payment of dividend, variation of the price or period of conversion of Securities into equity shares or issue of equity shares during the period of Securities or terms pertaining to voting rights of Securities.

RESOLVED FURHER THAT the Bank and / or any agency or body of person authorised by the Board may issue depository receipt representing the underlying equity shares in the capital of the Bank or such other securities in negotiable, registered or bearer from with such features and attributes as may be required and to provide for the tradability and free transferability thereof as per market practices and regulations (including listing on one or more stock exchanges(s) in or outside India).

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to create, issue, offer and allot such number of equity shares as may be required to be issued and allotted, including issue and allotment of equity shares upon conversion of any depository receipt or other securities referred to above or as may be necessary in accordance with the terms of the offer, all such equity shares rank pari passu inter se and with the then existing equity shares of the Bank in all respect.

RESOLVED FURTHER THAT in case any of the above shares offered remain unsubscribed in full or part, for any reason whatsoever, under one offering whether in India or abroad, then the consent be and is hereby granted to the Board and it shall be deemed to include an authority to offer, issue and allot, in its absolute discretion, any such equity shares to any one or more of the allottees, to other category on the terms and conditions, as applicable.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any offer, issue or allotment of equity shares or securities or instruments representing the same, as described above, the Board be and is hereby authorised on behalf of the Bank to do all such acts, deeds, matters and things as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for such purpose, including without limitation, the determination of the number of securities that may be offered in domestic or international markets, entering into arrangements the Book Running Lead Managers / Lead Managers / Underwriters / Stabilizing Agents Guarantors / Depositories / Custodians/ Advisors for managing, marketing, listing, and to issue any document(s), including but not limited to prospectus and/or letter of offer and/or circular, and sign all deeds, documents and writings and to pay any fees, commissions, remuneration, expenses relating thereto and with power on behalf of the Bank to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to such offer(s) or issue(s) or allotment(s) as it may, in its absolute discretion, deem fit and take all steps which are incidental and ancillary in this connection.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of its powers herein conferred to any Committee or any one or more executives of the Bank."

By order of the Board

Place : Mumbai
Date : 25/05/2011

(ALOK K MISRA)
Chairman & Managing Director

टिप्पणियां :

1. मद सं. 3 के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इस के साथ संलग्न है।

2. **परोक्षी की नियुक्ति**
बैठक में भाग लेने तथा मतदान के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा मतदान हेतु एक परोक्षी नियुक्त कर सकते है। परोक्षी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित फार्म बैंक के प्रधान कार्यालय की पर वार्षिक आम बैठक के कम से कम 4 (चार) दिन पूर्व अर्थात शनिवार 9 जुलाई, 2011 को या उससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**
कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसी कंपनी या अन्य किसी निकाय-कंपनी जो बैंक की शेयरधारक है, का विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि है, द्वारा आम बैठक के दिनांक 4 (चार) दिन पहले, अर्थात शनिवार 9 जुलाई, 2011 को या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में, जिस बैठक में उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा उक्त संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि यदि प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उसे बैठक में उपस्थित रहने का, मत देने का अधिकार नहीं होगा।

4. **लेखाबंदी**
शेयर धारकों का रजिस्टर एवं बैंक का शेयर अंतरण रजिस्टर वार्षिक आम बैठक एवं लाभांश के भुगतान के लिए पात्रता अभिनिश्चित करने के उेश्य से शनिवार 9 जुलाई, 2011 से गुरुवार 14 जुलाई, 2011 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

5. **पते में परिवर्तन**
जिन शेयरधारकों के पास शेयर डिमेट स्वरुप में हैं उन्हें अपने पते में यदि केाई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना उनसे संबंधित सहभागी निक्षेपागार को देनी चाहिए। जिनके पास शेयर प्रत्यक्ष रुप में है, उन्हें अपने पते में परिवर्तन की सूचना बैंक के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर देनी चाहिए :

मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि.
यूनिटः बैंक ऑफ़ इंडिया,
13, ए बी, समहिता वेयरहाउसिंग कॉम्पलेक्स,
अंधेरी कुर्ला रोड़, साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन,
साकीनाका, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400072.
फोन : 022-67720300 • फैक्स : 022-28591568
E-mail : boi@shareproservices.com

6. **लाभांश भुगतान**
बोर्ड द्वारा अनुशंसित लाभांश की घोषणा यदि वार्षिक आम सभा में की जाती है तो लाभांश का भुगतान 25 जुलाई 2011 से उन शेयर धारकों को किया जाएगा जिनका नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है :
   क) लाभार्थी मालिक के रुप में 8 जुलाई, 2011 को कारोबार घंटे की समाप्ति पर राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) तथा केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत सूची के संबंध में शेयर अमूर्त रुप में रखे गए है।
   ख) 8 जुलाई, 2011 को या उससे पहले बैंक को जमा किए गए वैध शेयर अंतरण को प्रभाव देने के बाद एक शेयरधारक के रुप में बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

7. **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र**
शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेषपत्र सुपुर्द कर दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र में परोक्षी अथवा प्रतिनिधि में से वह जिस रुप में उपस्थित हो रहे हों उसका उल्लेख कर देना चाहिए।

8. **अदावाकृत लाभांश**
वे शेयरधारक जिन्होंने अपने लाभांश वारंट अभी तक नहीं भुनाए हैं या उन्हें पहले की अवधि के कोई वारंट अभी तक नहीं मिले हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे वारंट की अनुलिपि जारी करने के लिए अंतरण एजेंट से संपर्क करें।
बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारार 10 बी के अनुसार लाभांश की सात वर्ष तक अदत्त राशि या अदावाकृत राशि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205-सी के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शनस फंड में अंतरिम करनी होती है और इसलिए इसके भुगतान को कोई दावा बैंक पर या आईईपीएफ पर नहीं रहेगा।

NOTES:

1. The explanatory statement in respect of Item No. 3 is annexed hereto.

2. **APPOINTMENT OF PROXY**
A shareholder entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on his/her behalf. The proxy need not be member of the Bank. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank not later than 4(four) days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the close of banking hours on Saturday, the 9th July, 2011.

3. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE**
No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than 4 (four) days before the Annual General Meeting i.e., on or before the close of banking hours on Saturday, the 9th July, 2011.

4. **BOOK CLOSURE**
The Register of the shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Saturday, July 9, 2011 to Thursday, July 14, 2011 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and ascertainment of entitlement for payment of dividend.

5. **CHANGE OF ADDRESS**
Shareholders holding shares in dematerialized form should communicate the change of address, if any, to their Depository Participant. Share holders who hold shares in physical form should communicate the change of address to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address

M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.,
Unit: Bank of India
13 AB Samhita Warehousing Complex
Off. Andheri Kurla Road, Sakinaka Telephone Exchange Lane,
Sakinaka, Andheri East, Mumbai 400 072
Tel : 22-67720300 / 67720400 • Fax : 22-28591568
E mail: boi@shareproservices.com

6. **PAYMENT OF DIVIDEND**
The dividend, as recommended by the Board, if declared at the Annual General Meeting, will be paid on 25th July 2011 to those shareholders whose names stand registered on the Bank's Register of Members:
   a) as Beneficial Owners as at the end of business hours on 8th July 2011, as per the list to be furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of shares held in dematerialised form.
   b) As Shareholders in the Register of Members of the Bank after giving effect to valid share transfers lodged with the Bank, on or before 8th July 2011.

7. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**
For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry pass is annexed to this Report. Shareholders/ Proxy holders/ representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance slip- cum-Entry pass at the venue. Proxy/Representative of a shareholder should state on the Attendance slip-cum-Entry pass "Proxy" or "Representative" as the case may be.

8. **UNCLAIMED DIVIDEND**
The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/ received for previous periods if any are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate Dividend Warrants. As per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 205C of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either on the Bank or on IEPF.

नोटिस का अनुलग्नक

मद संख्या 3 का विवरणात्मक विवरण

1. वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹ 3000 करोड़ है (₹ तीन हजार करोड़ मात्र) 31 मार्च, 2011 तक बैंक की प्रदत इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 546.48 करोड़ है।

2. आपके बैंक ने वर्ष 1997 में ₹ 675 करोड़ के कुल प्रारंभिक पब्लिक ऑफर के माध्यम से ₹ 35/- प्रत्येक के प्रिमियम पर ₹ 10/- के 15 करोड़ इक्विटी शेयर की पूंजी इकठ्ठा की है। बैंक ने आगे फरवर, 2008 में क्वलिफाईड इंस्टीटयूशन प्लेंसमेंट के माध्यम से कुल ₹ 1359.81 करोड़ के ₹ 350 प्रत्येक के प्रीमियम पर 3,77,72,600 इक्विटी शेयर जारी किए। बैंक ने मार्च 24,2011 को ₹ 464.07 प्रति शेयर के प्रीमियम पर भारत सरकार को ₹ 10/- प्रत्येक के 2,13,04,870 इक्विटी शेयरों का अधिमानी आबंटन किया। वर्तमान में भारत सरकार के शेयर होल्डिंग हमारे बैंक में ₹ 359.88 करोड़ है जिसमें बैंक की कुल प्रदत पूंजी का 65.86% समाविष्ट है। 31 मार्च, 2011 तक पूंजीगत निधि से जोखिम भार आस्तियां निम्न है :

विवरण (31.03.2011 तक)	राशि (करोडों में)	पूंजी निधि से जोखिम भार आस्ति का %
जोखिम भार आस्तियां	2,04,762	
टियर-I पूंजी	17,047	8.33
टियर-II पूंजी	7,867	3.84
कुल पूंजी	**24,914**	**12.17**

3. बैंक पिछले कुछ वर्षों से सुदृढ़तापूर्वक वृद्धि कर रहा है तथा खुदरा बैंकिंग क्षेत्र सहित विविध क्षेत्रों में ऋण की मांग देख रहा है। इस कारोबार अवसर को भुनाने में सफलता इक्विटी के माध्यम से निधि इकठ्ठा करने की बैंक की क्षमता पर निर्भर करती है।

4. वर्तमान आर्थिक वातावरण की पृष्ठिभूमि में, टियर-I इक्विटी अथवा कोर पूंजी का उच्चस्तर बनाए रखने की आवश्यकता है जोकि पूंजी शक्ति को प्रदर्शित करेगी।

5. बैंक की आसितयों सामान्यतः बैंक का ऋण एवं निवेश पोर्टफोलियो, विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन तथा सामान्य ऋण उेश्यों जैसा भी बैंक द्वारा निर्णय हो तथा बैंक की कोर टियर। पूंजी आधार को बढाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव दिया जाता है, जैसाकि संकल्प में निर्दिष्ट है कि आगामी पब्लि क ऑफर (फास्ट ट्रेक या अन्यथा) तथा / (फास्ट ट्रेक या अन्यथा) अथवा अधिकार इश्यु/ अथवा क्वालिफाईड इंस्टीटयूशनल प्लेसमेंट तथा/अथवा निजि प्लेसमेंट तथा/अथवा प्रिंफेशियल आबंटन/अथवा निक्षेपागार पावतियां अथवा कोई भी सम्मिश्रिण, जैसाकि सेबी (आईसीडीआर) विनियमन अथवा अन्य नियम/विनियम जो भी लागू हो के माध्यम से अधिकतम 18,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी जाएं।

6. उपर्युक्त के मेनज़र, वर्तमान संकल्प को विशेष संकल्प के रुप में पास किया जाना है। निदेशक मंडल अथवा समिति अथवा बैंक के

ANNEXURE TO NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO. 3

1. Presently, the Authorised Capital of the Bank is ₹ 3000 Crore (₹ Three Thousand Crore Only). The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on March 31, 2011 is ₹ 546.48 crores.

2. Your Bank had raised capital by issue of 15 Crores equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 35/- each through Initial Public Offer aggregating ₹ 675 Crore in the year 1997. The Bank further issued 3,77,72,600 Equity Shares at a premium of ₹ 350/- each aggregating ₹ 1,359.81 Crore through a Qualified Institutions Placement in February 2008. The Bank further made a preferential allotment of 2,13,04,870 equity shares of ₹ 10/- each to Government of India on March 24, 2011 at a premium of ₹ 464.07 per share. Presently, the shareholding of Government of India in your Bank is ₹ 359.88 Crores, which constitute 65.86% of total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2011 is as under.

Particulars (As on 31.03.2011)	Amount ₹ in crores	% of capital funds to risk weighted asset
Risk Weighted Assets	2,04,762	
Tier-I Capital	17,047	8.33
Tier-II Capital	7,867	3.84
Total Capital	**24,914**	**12.17**

3. The Bank has continued to grow strongly over the last few years and foresees a demand for credit in various sectors including the retail banking segment. Success in encashing this business opportunity rests on the ability of the Bank to raise funds by way of equity.

4. In the backdrop of the current economic environment, there is also a need to maintain higher level of Tier-I equity or core capital which is seen to reflect capital strength.

5. With a view to augment the Bank's capital base to meet the future capital requirements arising out of growth in the Bank's assets, primarily the Bank's loan and investment portfolio, compliance with regulatory requirements and for general lending purposes as may be decided by the Bank and upon assessing the Bank's need for core Tier-I capital it is proposed, as stated in the resolution, that a maximum of 18,00,00,000 equity shares to be issued by way of further public offer (fast track or otherwise) and / or rights issue (fast track or otherwise) and / or qualified institutional placement and/ or private placement and / or preferential allotment and/ or depository receipts or any combination thereof, as permitted by the SEBI (ICDR) Regulations or any other Act / Regulations whichever is applicable.

6. In view of the above the present resolution is proposed to be passed as a special resolution. The Board of

एक दो और अधिक कार्यपालक जैसा भी बोर्ड द्वारा प्राधिकृत हो, उचित समय पर इश्यु(ओं) का साइज, संरचना और समय तय करेंगे।

7. उल्लिखित आबंटन के परिणाम

आबंटिती को उन्हें आबंटित किए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में बैंक में मतदान का अधिकार होगा एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के उपबंधों, जहां लागू हों, के अध्यधीन, उन्हें निम्नानुसार पात्रता होगी :-

"केंद्रीय सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक, उनके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार का एक प्रतिशत से अधिक मतदान के अधिकार का पात्र नहीं होगा"।

8. भारत में विभिन्न, स्टाक एक्सचेंजों सहित, जहां बैंक के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं, बैंक द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के खंड 23 में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था है कि जब अतिरिक्त शेयर्स के आबंटन द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी में वृद्धि की जाना प्रस्तावित हो, ऐसे शेयर्स, बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु प्रथम प्रस्तावित किए जाएंगे, जब तक कि साधारण सभा में शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया गया हो। पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर आबंटित करने हेतु यह प्रस्तावित किया गया है, जो बैंक के वर्तमान शेयर धारकों को यथानुपात के अलावा हैं, उक्त प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है।

9. उपर्युक्त की दृष्टि से, उल्लिखित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के उपबंधों के अध्यधीन सदस्यों का अनुमोदन मांगा जाता है, तथा उपर्युक्त प्रस्ताव को एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियमन - 2007 के विनियम 61 के साथ पढ़ा जाए। जिसका निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-

"केंद्रीय सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक, उनके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार का एक प्रतिशत से अधिक मतदान के अधिकार का पात्र नहीं होगा"।

10. आपके निदेशकों द्वारा आपके अनुमोदनार्थ प्रस्ताव अनुशंसित है।

11. बैंक के निदेशक, बैंक में उनकी शेयर धारिता की सीमा तक ही संबंधित या नोटिस के प्रस्ताव में इच्छुक माने जाएंगे या उन कंपनियों/संस्थाओं में जिनके वे निदेशक या सदस्य हैं।

बोर्ड के आदेशोंनुसार

ए. के. मिश्रा

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25/5/2011

(आलोक मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Directors or a committee or any one or more executive of the Bank as authorized by the Board will decide the size, structure and timing of the issue(s) at an appropriate time.

7. Consequential to the aforesaid allotment

The Allottee will acquire voting rights in the Bank in the proportion to which the equity shares which are allotted to them and they will be entitled, subject to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970, where applicable, as amended from time to time which states that -

"No shareholder of the corresponding New Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting right in respect of any shares held by them in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding New Bank."

8. Clause 23 of the Listing Agreements executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Share is other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed.

9. In view of the above, approval of the Members is sought, in terms of regulation 61 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 to pass the above Resolution as a Special Resolution, subject to provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970, which is stated as under:

"No shareholder of the corresponding New Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting right in respect of any shares held by them in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding New Bank."

10. Your Directors recommend the resolution for your approval.

11. The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution of the notice to the extent of their shareholding in the Bank or by the Companies/ Institutions of which they are directors or members.

By order of the Board

Place : Mumbai
Date : 25/05/2011

(ALOK K MISRA)
Chairman & Managing Director

बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

डीपी आईडी नं. _____

पन्ना क्र. _____ ग्राहक आई डी नं. _____

(यदि डीमेट न किया गया हो) (यदि डीमेट किया गया हो)

मैं/हम _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक हूं/हैं और मैं/हम एतदद्वारा

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____

को या व न होने पर श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से गुरुवार दिनांक 14 जुलाई, 2011 को आयोजित बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं।

माह _____ की _____ 2011 को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर _____

नामः _____

पताः _____

रसीदी टिकट

_____

प्रथम /एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

1. कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
   - क. एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
   - ख. संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों।
   - ग. निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
2. परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
3. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ ॲटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार जिसे नोटरी अथवा न्यायधीश ने सत्यप्रति के रुप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो। पताः बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
4. बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
5. विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे।
6. परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ़ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।

BANK OF INDIA

Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.

PROXY FORM

(To be filled and signed by the Shareholder)

DP ID_____

Folio No._____ (if not dematerialised)

Client ID_____ (if dematerialised)

I/We, resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder/shareholders of Bank of India, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Meeting of the shareholders of Bank of India to be held on Thursday, 14th July, 2011 at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2011.

Name : _____

Address : _____

_____

Revenue Stamp

_____

Signature of first named/Sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her attorney, duly authorised in writing.
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at Bank of India, Share Department Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.
4. An instrument of proxy deposited with the bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting.
7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.

बैंक ऑफ़ इंडिया
BANK OF INDIA

प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.

वार्षिक आम बैठक हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र

दिनांकः 14 जुलाई, 2011, समयः दोपहर : 3.30 बजे

सर सीताराम एंड लेडी शांताबाई पाटकर कॉन्वोकेशन हॉल, 1, नाथीबाई ठाकरसी रोड, क्वीन्स रोड, फोर्ट, (चर्चगेट रेल्वे स्टेशन के पास) मुंबई - 400 020.

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS FOR ANNUAL GENERAL MEETING

Date: 14th July, 2011, Time 3.30 p.m.

Sir Sitaram and Lady Shantabai Patkar Convocation Hall, 1 Nathibai Thackersey Road, Queens Road, Fort, (Near Church Gate Railway Station), Mumbai - 400 020

उपस्थिति पत्र

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

पन्ना क्र./ग्राहक आईडी नं.
Folio No. / Client ID .....

.....
उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present

प्रवेश पत्र
ENTRY PASS

पन्ना क्र./ग्राहक आईडी नं.	क्रम संख्या	शेयरों की संख्या
Folio No. / Client ID	Sr. No.	No. of Shares

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/परोक्षियों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश-पत्र को विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/ परोक्षियों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जायेगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी, यदि आवश्यक समझा गया तो प्रवेश के बारे में फिर से सत्यापन/जांच की जा सकती है। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश के लिए उपस्थिति पत्र की कोई दूसरी प्रति जारी नहीं की जायेगी।

Shareholders/proxy holders / representatives are requested to produce this Attendance slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/proxy holders/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass be issued at the entrance to the meeting hall.

पश्चलेख : बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जायेंगे।

PS: No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting.

बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमापूँजी

प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.

हमारा दृष्टिकोण

''कंपनियों, मध्यम श्रेणी व्यापारियों और दूरदाराज के छोटे आम ग्राहकों का मनपसंद बैंक बनना, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण बाजारों और सामान्य बाजार को लागत प्रभावी विकासमान बैंकिंग प्रदान''।

Our Vision

"To become the bank of choice for corporates, medium businesses and upmarket retail customers and to provide cost effective developmental banking for small business, mass market and rural markets".

हमारा लक्ष्य

''सर्वश्रेष्ठ और व्यावहारिक बैंकिंग भूमंडलीय बाजारों में प्रदान करने के लिए एक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए लागत प्रभावी और दायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना और ऐसा करते हुए हमारे पूंजी निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना''।

Our Mission

"To provide superior, proactive banking services to niche markets globally, while providing cost-effective, responsive services to others in our role as a development bank, and in so doing, meet the requirements of our stakeholders".

हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और सरंक्षकों को, **उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेष, अत्याधुनिक** बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Partons.

www.bankofindia.co.in

TAKE A BIG LEAP CONFIDENTLY WITH

BOI ★ SME

STAR SME CONTRACTOR CREDIT LINE

For Civil Contractors, Mining Contractors, Engineering Contractors, Transport Contractors etc

Quantum of Loan: Min. ₹ 10 lacs and Max. ₹ 500 lacs

Margin: Min. 20% for fund based facility. Though the limit will be treated as unsecured, contractors will have receivables which should be charged to the Bank and a margin of 20% maintained there against.

Min. 15% cash margin for non-fund based facility

STAR SME AUTO EXPRESS

For all existing SME units, as per new definition, run by Individuals, Proprietorship/Partnership firms, Limited Company, Trust and Society

Items to be financed: Chassis + Body Building Costs + Registration, Insurance, Road Tax, Accessories, AMC etc.

STAR SME LIQUID PLUS

For Proprietorship/Partnership Firms, Limited Companies falling within the new definition of SME, engaged in the business for the past 3 years with audited financial statement of accounts

Quantum of Loan: Min. ₹ 10 lacs and Max. ₹ 500 lacs

Margin: 50% of unencumbered value of the property under offer or 75% of actual requirement for the stated purpose which ever is less

STAR SME EDUCATION PLUS

For Educational institutions viz., Universities, Colleges, Schools

Quantum of Loan: Min. ₹ 10 lacs and Max. ₹ 500 lacs

Margin: Min. 20%

Bank of India

Relationship beyond banking

*Terms and conditions apply.

Bank of India

Relationship beyond banking

यदि वितरित नहीं किया गया तो कृपया वापस करें:
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट:
मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि., युनिट: बैंक ऑफ इंडिया,
बिल्डिंग नं १३, एबी समहिता वेयरहाउसिंग कॉप्लेक्स,
ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड, साकिनाका टेलिफोन एक्स्चेंज लेन,
साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०००७२ (भारत).

If undelivered please return to:
Registrar and Share Transfer Agents:
M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.,
Unit: Bank of India, Bldg No. 13,
AB Samhita Warehousing Complex,
Off. Andheri Kurla Road, Sakinaka Telelphone
Exchange Lane, Sakinaka,
Andheri (East), Mumbai – 400072 (India).

बुक-पोस्ट
Book Post